खण्ड-410, अंक-1
बुधवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(9 मार्च, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 410 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची, श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता, विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल ..	क–ट
उपस्थित सदस्य	ड
प्रश्नोत्तर	1–99
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	99–100
तहसील अधिवक्ता संघ, मनकापुर, गोण्डा द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100
आगरा नगर के कई मुहल्लों में व्याप्त गन्दगी से महामारी फैलने की आशंका के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद अल्मोड़ा में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद अल्मोड़ा के बागेश्वर क्षेत्र में जंगली बाघ के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101–102
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1972 में हुए समझौते का पालन न करने से जनपद बांदा के हजारों गांवों में पानी का संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
गोण्डा एवं सिद्धार्थनगर जनपदों को जोड़ने वाली तुलसीपुर इटवा मार्ग में स्थित भुसैलवा नाला पर निर्मित पाइल ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन ठप्प हो जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102
हरिद्वार रोड देहरादून के क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102
प्रदेश में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु प्रदूषण बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	103–107
जनपद पीलीभीत में नेपाल से पकड़कर लायी गयी महिलाओं की नसबन्दी किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	107–112

विषय	पृष्ठ-संख्या
बाजार में परीक्षाओं के लिए नकल हेतु गेस पेपर व गाइडों की भरमार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	112–114
इलाहाबाद नगर के थाना धूमनगंज स्थित पेट्रोल पम्प के मैनेजर श्री एम० पी० सिंह की हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	114–115
नियम 311 की अन्य सूचनायें	115
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	116
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	116–117
सदन में दी गयी महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुने जाने की मांग ..	117–120
सदन में श्री अधिष्ठाता द्वारा दिये गये निर्णय से संबंधित व्यवस्था के प्रश्न पर श्री श्री अध्यक्ष का निर्णय	120–124
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	125–136
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1994 (पारित)	136–156
संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	156
दूरदर्शन की रिकार्डिंग व्यवस्था हेतु सदन का स्थगन ..	156–157
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना	157
वित्तीय वर्ष 1994-95 का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया) ..	157–187
वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग के लिए लेखानुदान (प्रस्तुत किया गया)	188
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	188–189
नत्थियां	190–198

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

1–अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2–अकबर अली, श्री — जालौन
3–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
4–अखलाख, श्री — मेरठ
5–अखिलेश, श्री — महराजगंज
6–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
7–अछैयवर भारती, श्री — मऊ
8–अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
9–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
10–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
11–अनिल कुमार, श्री — सीतापुर
12–अफजाल अन्सारी, श्री — गाजीपुर
13–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
14–अमरनाथ यादव, श्री — वाराणसी
15–अमर सिंह, श्री — अलीगढ़
16–अमर सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
17–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
18–अम्बिका, श्री — बलिया
19–अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
20–अम्बिका सिंह, श्री — देवरिया
21–अ० रईस, श्री — सुल्तानपुर
22–अरविन्द कुमार, श्री — ललितपुर
23–अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
24–अरिमर्दन सिंह, श्री — हमीरपुर
25–अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
26–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
27–अवनीश कुमार सिंह, श्री — बदायूं
28–अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
29–अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री — उन्नाव
30–अशोक बाजपेई, श्री — हरदोई
31–आनन्द यादव, श्री — देवरिया
32–इन्द्रदेव सिंह, श्री — बिजनौर
33–इन्द्रपाल सिंह, श्री — इटावा
34–इन्द्र भद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
35–इरशाद, श्री — आजमगढ़
36–इश्तियाक अंसारी, श्री — गाजीपुर
37–इश्तियाक अहमद, श्री — बाराबंकी
38–उदय प्रकाश, श्री — हमीरपुर
39–उदय भान सिंह, श्री — आगरा
40–उपदेश सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
41–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
42–उमाशंकर, श्री — जौनपुर
43–उर्मिला देवी यादव, श्रीमती — मैनपुरी
44–उर्मिला राजपूत, श्रीमती — फर्रुखाबाद
45–ऊदल, श्री — वाराणसी
46–ओंकार सिंह, श्री — एटा
47–ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
48–ओम प्रकाश, श्री — गोरखपुर
49–ओम प्रकांश गुप्ता, श्री — सीतापुर
50–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
51–करन सिंह, श्री — मुरादाबाद
52–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
53–कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
54–काशी सिंह ऐरी, श्री — पिथौरागढ़
55–किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
56–किशन लाल, श्री — पीलीभीत

57-किशन लाल दिलेर, श्री — अलीगढ़
58-कृष्ण कुमार नवमान, श्री — अलीगढ़
59-कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री — गाजियाबाद
60-केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
61-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
62-कोकब हमीद खां, श्री — मेरठ
63-गजराज सिंह, श्री — गाजियाबाद
64-गजाधर सिंह, श्री — रायबरेली
65-गनपति सिंह, श्री — महराजगंज
66-गया चरण दिनकर, श्री — बांदा
67-गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री — रायबरेली
68-गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री — अल्मोड़ा
69-गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
70-घनश्याम शुक्ल, श्री — गोण्डा
71-घूरा राम, श्री — बलिया
72-चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
73-चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
74-चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू, श्री — फर्रुखाबाद
75-चन्द्र मणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
76-चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री — मुरादाबाद
77-चन्द्र शेखर, श्री — गाजीपुर
78-चन्द्र शेखर, श्री — बस्ती
79-चरन सिंह, श्री — मेरठ
80-चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
81-चैनसुख भारती, श्री — जालौन
82-छब्बू, श्री — वाराणसी
83-छोटे लाल, श्री — हरदोई
84-छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
85-छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
86-जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
87-जगदम्बा, श्री — बस्ती
88-जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
89-जगदीश मुनि, श्री — हरिद्वार
90-जगन्नाथ प्रसाद, श्री — खीरी
91-जगरनाथ चौधरी, श्री — जौनपुर
92-जगराम सिंह, श्री — कानपुर नगर
93-जगवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
94-जदुरानी, श्रीमती — हरदोई
95-जमुना मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
96-जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
97-जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
98-जयराम कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
99-जयवीर सिंह भदौरिया, श्री — इटावा
100-जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री — इलाहाबाद
101-जवाहर लाल दिवाकर, श्री — इलाहाबाद
102-जसवन्त सिंह, श्री — कानपुर देहात
103-जिनेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर
104-जुगेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
105-जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
106-ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती — वाराणसी
107-ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
108-तिलक राज बेहड़, श्री — नैनीताल
109-तीरथ राज, श्री — सोनभद्र
110-तुलसीदास राय चन्दानी, श्री — गोण्डा
111-तुलाराम सैनी, श्री — मुरादाबाद
112-तेजपाल सिंह, श्री — बिजनौर
113-तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
114-तेजपाल सिंह पंवार, श्री — हरिद्वार

115-तेज भान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
116-त्रिपाल सिंह धामा, श्री — मेरठ
117-दया सिन्धु शंखधर, श्री — बदायूं
118-दरोगा, श्री — आजमगढ़
119-दल बहादुर कोरी, श्री — रायबरेली
120-दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
121-दीनानाथ चौधरी, श्री — बलिया
122-दीनानाथ भाष्कर, श्री — वाराणसी
123-रिक्त — उन्नाव
124-देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री — ललितपुर
125-दौलत राम, श्री — सीतापुर
126-धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
127-धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
128-धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री — बुलन्दशहर
129-धामू राम भाष्कर, श्री — फैजाबाद
130-धीरेन्द्र बहादुर सिंह, कुंवर — खीरी
131-धू राम चौधरी, श्री — हमीरपुर
132-नजमउद्दीन, श्री — इलाहाबाद
133-नन्द किशोर मिश्रा, श्री — देवरिया
134-नन्द लाल, श्री — सुल्तानपुर
135-नन्द लाल सिंह पटेल, एडवोकेट, श्री — इलाहाबाद
136-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
137-नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
138-नरेन्द्र सिंह, श्री — मैनपुरी
139-नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
140-नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
141-नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
142-नरेश अग्रवाल, श्री — हरदोई
143-नवल किशोर, श्री — बुलन्दशहर
144-नसीम, श्री — मऊ
145-नसीरुद्दीन, श्री — फिरोजाबाद
146-निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — खीरी
147-निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
148-नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
149-परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
150-परशुराम, श्री — फैजाबाद
151-पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
152-पीतम सिंह, श्री — एटा
153-पुत्तू सिंह यादव, श्री — शाहजहांपुर
154-पूर्णमासी देहाती, श्री — देवरिया
155-पृथ्वी सिंह विकसित, श्री — हरिद्वार
156-प्रणत पाल सिंह, श्री — मथुरा
157-प्रताप सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
158-प्रभा रावत, श्रीमती — गोरखपुर
159-प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
160-प्रवीण सिंह ऐरन, श्री — बरेली
161-प्रीतम सिंह, श्री — देहरादून
162-प्रीतम सिंह, श्री — मुरादाबाद
163-प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री — सिद्धार्थनगर
164-प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
165-प्रेम सिंह, श्री — गाजियाबाद
166-फजलुर्रहमान अंसारी, श्री — बहराइच
167-फ्रेन्सिस डब्लू० मूर — नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
168-फौजदार प्रसाद, श्री — मऊ
169-बंशीधर, श्री — नैनीताल
170-बचनू राम पटेल, श्री — वाराणसी
171-बची सिंह रावत, श्री — अल्मोड़ा
172-बच्चा पाठक, श्री — बलिया
173-बदन सिंह, श्री — आगरा
174-बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
175-बनवारी सिंह, श्री — बदायूं
176-बरकत अली खां, श्री — सुल्तानपुर

177–बी० आर० वर्मा, श्री आजमगढ़
178–बरफिया लाल जुवांठा, श्री उत्तरकाशी
179–बलराम यादव, श्री आजमगढ़
180–बशीर, श्री हमीरपुर
181–बाबू खां, श्री हरदोई
182–बाबू राम यादव, श्री मैनपुरी
183–बाबू राम वर्मा, श्री बस्ती
184–बाबू लाल, श्री उन्नाव
185–बाल गोविन्द राजवंशी, श्री सीतापुर
186–बाल चन्द्र मिश्र, श्री कानपुर नगर
187–बालेश्वर त्यागी, श्री गाजियाबाद
188–बल्लेश्वर यादव, श्री देवरिया
189–बिहारी लाल आर्य, श्री झांसी
190–बी० के० गुप्ता, श्री पीलीभीत
191–बेचन राम, श्री गोरखपुर
192–बेनी प्रसाद, श्री बाराबंकी
193–बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
194–ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री फर्रुखाबाद
195–ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
196–भगवन शरण गंगवार, श्री बरेली
197–भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री लखनऊ
198–भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर देहात
199–भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
200–भागवत पाल, श्री मिर्जापुर
201–भैरो प्रसाद मिश्र, श्री बांदा
202–मंजूर अहमद, श्री बरेली
203–मण्डलेश्वर सिंह, श्री आगरा
204–मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
205–मदन भइया, श्री मेरठ
206–मनव्वर हसन, श्री मुजफ्फरनगर
207–मनोहर लाल, श्री उन्नाव
208–मन्नू लाल कुरील, श्री बांदा
209–मयंकर सिंह, श्री बहराइच
210–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
211–मसूद अहमद, डा० फैजाबाद
212–महबूब अली, श्री मुरादाबाद
213–महराज सिंह यादव, इटैली, श्री इटावा
214–महाबीर सिंह, श्री बिजनौर
215–महाबीर सिंह, कुंवर हरदोई
216–महिपाल सिंह यादव, श्री बरेली
217–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री आगरा
218–महेन्द्र पाल सिंह, श्री बिजनौर
219–महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री फतेहपुर
220–महेन्द्र सिंह माहरा, श्री (महू भाई) पिथौरागढ़
221–महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
222–मातवर सिंह कण्डारी, श्री टिहरी गढ़वाल
223–माम चन्द्र, श्री सहारनपुर
224–माया शंकर पाठक, श्री वाराणसी
225–मारकण्डेय सिंह, श्री बलिया
226–मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
227–मीर मजहर अली उर्फ नन्हें मियां, श्री बदायूं
228–मुक्ति नाथ, श्री देवरिया
229–मुख्तार अनीस, श्री सीतापुर
230–मुनीश गौड़, श्री अलीगढ़
231–मुरलीधर, श्री फतेहपुर
232–मुलायम सिंह यादव, श्री फिरोजाबाद
233–मेवा लाल बागी, श्री वाराणसी
234–मोलई, श्री गोरखपुर
235–मोहम्मद अरशद खान, श्री जौनपुर
236–मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
237–मोहर सिंह, श्री सहारनपुर
238–मोहसिन, डा० गोरखपुर

239–यश पाल आर्य, श्री — नैनीताल
240–यश पाल चौधरी, श्री — खीरी
241–यश पाल सिंह चौधरी, श्री — सहारनपुर
242–योगेन्द्र कुमार सागर, श्री — बदायूं
243–रंगनाथ, श्री — वाराणसी
244–रघुराज प्रताप सिंह कुंवर उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
245–रघुवीर सिंह, श्री — एटा
246–रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
247–रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
248–रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
249–रतन पाल पंवार, श्री — मुजफ्फरनगर
250–रमाकान्त यादव, श्री — आजमगढ़
251–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — देवरिया
252–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
253–रमेश कान्त लवानियां, श्री — आगरा
254–रमेश चन्द्र चंचल, श्री — फिरोजाबाद
255–रमेश पोखरियाल "निशंक", श्री — गढ़वाल
256–रमेश बहादुर, श्री — प्रतापगढ़
257–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर — मेरठ
258–रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
259–रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री — देवरिया
260–रवीन्द्र शुक्ल, श्री — झांसी
261–राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
262–राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
263–राजकुमार शिवहरे, श्री — बांदा
264–राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
265–राजबली यादव, श्री — आजमगढ़
266–राज लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
267–राजवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
268–राजा राम त्यागी, श्री — रायबरेली
269–राजीव कुमार, श्री — नैनीताल
270–राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
271–राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
272–राजेन्द्र प्रसाद, श्री — लखनऊ
273–राजेन्द्र सिंह, श्री — देहरादून
274–राजेन्द्र सिंह, श्री — बिजनौर
275–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
276–राजेश कुमार, श्री — बदायूं
277–राजेश कुमार, श्री — वाराणसी
278–राधे श्याम, श्री — बाराबंकी
279–राधे श्याम गुप्त, श्री — फतेहपुर
280–रानी देव लता, श्रीमती — सहारनपुर
281–राम अचल राजभर, श्री — फैजाबाद
282–राम अधार यादव, श्री — महराजगंज
283–राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
284–राम औतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
285–राम करन आर्य, श्री — बस्ती
286–राम किशोर बिन्द, श्री — वाराणसी
287–राम कुमार वर्मा, श्री — खीरी
288–राम कुमार शुक्ल, श्री — लखनऊ
289–राम कृष्ण वर्मा, श्री — मेरठ
290–राम खेलावन, श्री — उन्नाव
291–राम गोपाल, श्री — खीरी
292–राम जीत भारद्वाज, श्री — वाराणसी
293–राम तेज, श्री — बहराइच
294–राम दर्शन यादव, श्री — आजमगढ़
295–राम दवर, श्री — जौनपुर
296–राम दास पाल, श्री — कानपुर देहात
297–राम देव वर्मा, श्री — फैजाबाद
298–राम धनी, श्री — गाजीपुर
299–राम नरेश यादव, श्री — रायबरेली
300–राम पाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

301–राम प्रकाश, श्री — बस्ती
302–राम प्रकाश गुप्त, श्री — लखनऊ
303–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — फर्रुखाबाद
304–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
305–राम प्रसाद टम्टा, श्री — अल्मोड़ा
306–राम प्रसाद, श्री — बुलन्दशहर
307–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
308–राम बाबू हरित, डा० — आगरा
309–राम मूर्ति सिंह, श्री — शाहजहांपुर
310–राम लखन यादव, श्री — प्रतापगढ़
311–राम लखन वर्मा, श्री — फैजाबाद
312–राम लोटन सिंह पटेल, इन्जी० — मिर्जापुर
313–राम विशुन आजाद, श्री — गोण्डा
314–राम वीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
315–राम सजीवन निर्मल, श्री — इलाहाबाद
316–राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
317–राम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
318–राम सेवक सिंह, श्री — इलाहाबाद
319–राम सेवक सिंह, श्री — बदायूं
320–राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
321–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
322–रामेश्वर दयाल, श्री — मैनपुरी
323–रिजवान जहीर
उर्फ रिज्जू भइया, श्री — गोण्डा
324–रेखा छागला, श्रीमती — इटावा
325–लक्ष्मी चन्द्र, श्री — बुलन्दशहर
326–लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
उर्फ गुरू जी, श्री — प्रतापगढ़
327–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
328–लाज कृष्ण गांधी, श्री — सहारनपुर
329–लालजी, श्री — वाराणसी
330–लालजी यादव उर्फ जोगी, श्री — जौनपुर
331–लाल बहादुर सिंह, श्री — प्रतापगढ़
332–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
333–वकार अहमद शाह, श्री — बहराइच
334–वासुदेव, श्री — बुलन्दशहर
335–विक्रमा सिंह, श्री — बलिया
336–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
337–विजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
338–विनय कुमार पाण्डेय
उर्फ विन्नू, श्री — गोण्डा
339–विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
340–विश्वनाथ, श्री — देवरिया
341–विश्वनाथ प्रसाद गुप्त, श्री — गोण्डा
342–विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
343–विश्वम्भर सिंह, श्री — मथुरा
344–वीर अभिमन्यू सिंह, श्री — फतेहपुर
345–वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
346–वीरेन्द्र प्रताप सिंह
उर्फ मुन्ना, श्री — शाहजहांपुर
347–वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री — पीलीभीत
348–वीरेश्वर सिंह
उर्फ वीरेश यादव, श्री — अलीगढ़
349–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
350–शराफत यार खां, श्री — बरेली
351–शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती — सहारनपुर
352–शशि बाला भारती, श्रीमती — खीरी
353–शाकिर, श्री — देवरिया
354–शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
355–शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री — महराजगंज
356–शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
357–शिव दानी, श्री — इलाहाबाद
358–शिव प्रताप यादव, डा० — गोण्डा

बुधवार, दिनांक 9 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में ।। बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के गांव एवं शहर में राशन की वितरण की दोहरी प्रणाली

**।–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि गांव एवं शहर में राशन की वितरण प्रणाली एक समान नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस दोहरी नीति को समाप्त कर शहर तथा गांव में एक समान वितरण नीति लागू करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

स्वास्थ्य, चिकित्सा, तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी हां ।

वर्तमान प्रणाली को परिवर्तित किए जाने की कोई गोजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि प्रदेश के नगरों एवं ग्रामों की स्थानीय परिस्थितियों एवं भारत सरकार से आवश्यक वस्तुओं की मासिक उपलब्धता के आधार पर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग वितरण व्यबस्था लागू की गयी है । भारत सरकार से प्राप्त हो रहे आवश्यक वस्तुओं के वर्तमान सीमित आवंटन के कारण व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, हमारा गांव गरीब और किसानों का गढ़ है । तमाम खेतिहर मजदूर वहां रहते हैं जो शक्कर बनाते हैं और शक्कर बनाने के बाद भी उन्हें शक्कर उपभोग के लिये उचित मात्रा में नहीं मिल पाती है । 60 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास दो बीघा तीन बीघा जमीन है । मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरकार घोषणा करती है कि 70 प्रतिशत किसानों को सुविधाएं प्रदान कर रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अन्य सुविधाएं और लोगों को दी जा रही हैं उसी प्रकार से यह 70 प्रतिशत किसानों को सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है, इसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गांव की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में जो वितरण प्रणाली है उसमें परिवर्तन करने पर विचार करेगी ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था है आवंटन की, वह केन्द्र सरकार से होती है । इसमें भेदभाव क्यों किया जाता है कि शहरों में कुछ और देहातों में कुछ ? इस भेदभाव के लिये निर्देश केन्द्र सरकार से हैं या प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से बनाया है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, यह वितरण प्रणाली उपलब्धियों, मांग और आर्थिक दृष्टिकोण से क्रय शक्ति के आकलन के आधार पर निश्चित की जाती है और मैं समझता हूं कि आदरणीय शुक्ल जी ने जिन चीजों में

भेदभाव कहा है, उसे स्पष्ट नहीं किया है ।केन्द्र से जो भी चीज प्राप्त होनी है उसका वितरण किया जाता है । शुक्ल जी ने विशेष रूप से शक्कर का जिक्र किया है । शक्कर के सम्बन्ध में प्रति यूनिट 425 ग्राम के आधार पर वहां से निर्धारित होना है लेकिन मांग और आपूर्ति के आधार पर यह नीति बनाई गई है जिसमें थोड़ी सी विसंगति है और मैंने प्रश्न के उत्तर में इसे स्पष्ट कर दिया है कि जो उपलब्धियां हमें भारत सरकार से मिल रही हैं वह सीमित हैं और उसी के हिसाब से आवंटन किया जाता है ।

श्री सतीश भाटिया–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं कि आजकल राशनकार्ड बहुत बनाये जा रहे हैं, जो चाहे वह कार्ड बनवा सकता है । इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो इस सम्बन्ध में मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नये राशन कार्ड बन रहे हैं उनको राशन उपलब्ध कराने की योजना कोई बना रखी है या बनायेगी ? दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि राशन कार्डों के अनुपात में नई दुकानों को खोलने की कोई नीति सरकार के विचाराधीन है ? राशनकार्ड धारक को राशन की दुकानों पर बराबर राशन नहीं मिलता है इसके लिये कोई व्यवस्था सरकार के पास है ? यह बताने की कृपा करेंगे कि किस तरह से राशन कार्ड धारक को राशन मिल सके ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, वितरण व्यवस्था तथा राशनकार्डों के निर्माण का कार्य जो है, इसका पिछले दिनों सर्वेक्षण कराया गया था सर्वेक्षण कराने के बाद आवश्यकता के अनुसार राशनकार्ड बनाए गए । जैसा आदरणीय सदस्य ने जो कहा है, उनके क्षेत्र में राशनकार्ड की कमी होगी तो उसको दिखवा लेंगे । नयी दुकानो का जो निर्धारण होता है वह ग्राम सभाओं के माध्यम से होता है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

श्रीमन् ग्रामीण क्षेत्रों में जितने लोगों को राशनकार्ड दिए जाने चाहिए उसमें मुश्किल से आधे लोगों के नाम राशन कार्ड जारी किए गए हैं और उन्हीं लोगों के नाम पर शक्कर या मिट्टी के तेल के आवंटन की व्यवस्था होती है । सभी लोगों को मिट्टी का तेल या शक्कर, अनाज उपलब्ध नहीं हो पाता है । तो क्या मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक गांव में राशनकार्ड जो कम हैं उनको बनवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ? तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फर्क न करके समान मात्रा में वितरण हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ?

(शोर)

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, आप नये सदस्यों को तो मौका देते नहीं हैं बार-बार पुराने सदस्यों को ही मौका देते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आप लोगों को भी बुलवाऊंगा, यह आप लोगों का अधिकार है ।

(शोर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत सरकार ने 425 ग्राम प्रति यूनिट कर रखा है तो प्रति यूनिट निर्धारण करने का अधिकार केन्द्र सरकार का है या प्रदेश सरकार का है ? केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार को हर महीने जितना देती है उसी के अनुपात में उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए निर्धारण किया जाता है ।

यहां जो मिलना है वह 425 ग्राम प्रति यूनिट का निर्धारण किया गया है दूसरी बात क्या मंत्री जी 2,000 यूनिट पर शाप खुलवायेंगे ? खाद्य रसद प्रणाली को ग्रामों में लागू करायेंगे ?

(शोर)

श्री बलराम यादव–

जैसा पाल जी ने कहा है उस सन्दर्भ मे मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ग्राम सभा के द्वारा वितरण व्यवस्था की जो दुकानें होती हैं उसका निर्धारण होना है । जहां तक यह बात है कि मानक के आधार पर चीनी मिलनी चाहिए तो मैं विशेष रूप से चीनी के प्रश्न पर कहना चाहूंगा कि 60 हजार टन चीनी की प्रति माह आवश्यकता होती है । हमें अब 55 हजार पांच सौ मीट्रिक टन चीनी मिल रही है मानक के अनुसार आपूर्ति न होने पर ऐसा होता है ।

(शोर)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने रावत जी को बोलने के लिए कह दिया है अब आप लोग बैठ जाएं ।

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र की विषम भोगोलिक परिस्थितियां हैं । जो शहरी लोग हैं वे तो खुले बाजार से चीनी और चावल खरीद लेते हैं लेकिन मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण जनता सस्ते गल्ले की दुकानों पर निर्भर रहती है । यह दुर्भाग्य है कि पर्वतीय क्षेत्र की जनता के सस्ते गल्ले की दुकान पर निर्भर होने के बाद भी उनके साथ विषम नीति अपनाई जाती है । पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण जनता को यह सरकार शहरी लोगों की तरह राशन उपलब्ध कराएगी ।

दूसरे मान्यवर, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर प्रति यूनिट चीनी 025 ग्राम वितरित की जाती है । जबकि उनको सरकार की ओर से निर्देश हैं कि प्रति यूनिट धारकों को 050 ग्राम चीनी वितरित की जाए । तो यह 25 ग्राम सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार कहां से उपलब्ध करायेंगे ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में एक ही मानक है । वहां ग्रामीण और शहरी का कोई अन्तर नहीं है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम लखन यादव–

मान्यवर, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में शहरी और देहात के कोटे में एक अनुपात 3 है । देहात में केवल एक किलो चीनी एक कार्ड पर मिलती है और शहर में यूनिट के हिसाब से मिलती है ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न भी हो गया है और इसका उत्तर भी आ गया है।

श्री राम लखन यादव–

यह जो विषमता है, इसको दूर करने की कोई व्यवस्था है कि नहीं ?

श्री बलराम यादव–

यह मूल-प्रश्न में लिखित उत्तर है कि असमानता है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि जो निर्धारण होता है वह क्रय शक्ति और आवश्यकतानुसार होता है। शहर में रहने वाला एक कप चाय में एक चम्मच चीनी पीता है लेकिन गांव में रहने वाला एक लोटा शरबत पीता है। माननीय मंत्री जी को ज्ञात होगा कि गांव के लोगों किसानों की क्रय शक्ति बढ़ गयी है उनको शहर से ज्यादा चीनी चाहिये। मैंने पूछा था कि क्या इसको देखते हुये वर्तमान वितरण प्रणाली में परिवर्तन पर विचार करेंगे ? दूसरा सवाल यह है कि जो शहर तथा गांव के लोगों को अलग-अलग मात्रा में चीनी मिलती है यह भेदभाव केन्द्र सरकार की ओर से है या प्रदेश की सरकार की ओर से है ?

श्री बलराम यादव–

मुझे खुशी है कि शुक्ल जी ग्रामीण जनता और किसानों के प्रति चिंतित हैं। मान्यवर, मैंने मूल प्रश्न में ही कहा है कि किस तरह से वितरण व्यवस्था हो।

किसानों के उत्पादनों के लाभप्रद मूल्यों के निर्धारण की सरकार की योजना

**2–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री किसानों के उत्पादनों के लाभप्रद मूल्यों का निर्धारण कर रहे हैं ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ? क्या किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना निर्धारित की है ? यदि हां,तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

विभिन्न फसलों के साहायुय मूल्यों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

मूल्य परामर्शदात्री परिषद की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त भारत सरकार निर्णय लेती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, यह सरकार और केन्द्र सरकार गांव के गरीब और गांव के किसानों की विरोधी है। प्रदेश सरकार हर मामले को केन्द्र सरकार पर थोप देती है। मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न फसलों के मूल्यों

का निर्धारण केन्द्र सरकार करती है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिये क्या कोई संस्तुति भारत सरकार को भेजी है । यदि भेजी है तो वह क्या है ? दूसरी बात केन्द्र सरकार यदि आपकी बात मानती नहीं है तो क्या प्रदेश सरकार किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक, दवायें, कृषि यंत्र न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करायेगी ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि वह किसानों की बड़े शुभ चिन्तक हैं और यह सरकार किसान विरोधी है । मैं कहना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जिसने आते-आते किसानों की जो उपज थी उसके मूल्यों में वृद्धि की, यह किसान हितैषी सरकार है । दूसरी बात जो उन्होंने कही, भारत सरकार द्वारा कृषि मूल्यों का निर्धारण देश के पैमाने पर होता है । इस संबंध में एक परामर्श दात्री परिषद है जो किसानों की लागत, उत्पादन तथा सभी चीजों को ध्यान में रखकर अपनी संस्तुति भारत सरकार को देती है और उसी के आधार पर कृषि उत्पादन मूल्य निर्धारित किये जाते हैं । रबी की फसल के मूल्य निर्धारित हो चुके हैं ।...

और आने वाले दिनों में, आप जो बाद में प्रश्न पूछेंगे, उसका भी मैं जवाब दे दूंगा ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक प्रश्न करना चाहूंगा । अभी माननीय मंत्री जी ने यह उल्लेख किया कि फसलों के मूल्य का निर्धारण केन्द्र सरकार का विषय है । क्या माननीय मंत्री जी किसानों की फसलों का लाभप्रद मूल्य दिलाये जाने के लिए फसल मूल्य को मूल्य सूचकांक से जोड़े जाने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करेंगे ? मान्यवर, मूल्य सूचकांक से मेरा तात्पर्य है कि विभिन्न चीजों की कीमतें प्राइस इन्डेक्स के आधार पर निर्धारित की जाती है, तो उस प्राइस इन्डेक्स के आधार पर फसलों के मूल्य भी निर्धारित किये जायं । क्या इस बिन्दु पर केन्द्र सरकार से सिफारिश करेंगे ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, इन सबका परीक्षण करा कर ही यहां से संस्तुतियां की जाती हैं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन सबका परीक्षण करा कर ही यहां से संस्तुतियां भेजी जाती हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी कोई संस्तुति केन्द्र सरकार को की है और दूसरा जो इनके अधिकार में है, वह किसानों के लिए बीज, उर्वरक, कीट नाशक दवाइयां, कृषि यंत्र आदि उपकरणों को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ? मान्यवर, ये किसानों के शुभ चिन्तक हैं,तो मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट आ जाना चाहिए ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, प्रदेश के संसाधन जो हैं, वह सीमित है और वह सीमित संसाधन के अन्तर्गत जितनी भी सुविधायें उपज को बढ़ाने के लिए चाहिए, वह लाभकारी मूल्य के संबंध में उपलब्ध है ।

(चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, श्री बलराम यादव द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ना प्रारम्भ करने पर, भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

(शोर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सदन के सामने उत्तर गलत दिया जा रहा है।

(शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नहीं, बैठिये आप।

(शोर व्यवधान)

माननीय सदस्य दूसरे सदस्यों के अधिकारों को भी ध्यान में रखें। नहीं,नहीं, आप बैठें। ऐसा नहीं होगा। आप बैठें।

(श्री रवीन्द्र शुक्ल श्री सुधीर कुमार वालियान, तथा डा० सरजीत सिंह डंग, एवं अन्य कई सदस्य बराबर बोलते रहे)

(शोर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, या तो प्रश्न को स्थगित कर दें। सवाल कुछ है और उत्तर कुछ आ रहा है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। यह उत्तर देने से कतरा रही है।

श्री अध्यक्ष–

सभी को तो अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सभी सदस्य बैठ गये। आप अपने ही स्वविवेक से सोचें। प्रोत्साहन मूल्य के बारे में पूछा जा रहा है और माननीय मंत्री जी सहायक मूल्य का उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप इसको पढ़ लीजियेगा। जो प्रश्न है उसी से सम्बन्धित उत्तर दिया गया है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। जो अनुपूरक प्रश्न है, उनके पूरे उत्तर दिये जायें, या उत्तर आ जायें, सम्भव नहीं है, लेकिन जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर आ गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इन्सेंटिव का प्रश्न है। लाभप्रद मूल्य के बारे में सरकार की कोई नीति है ? सरकार कहती है कि सपोर्टिंग प्राइस ही देंगे। इनसेंटिव प्राइस के बारे में पूछा गया था, उसका उत्तर नहीं दिया गया।

मान्यवर, मूल्य परामर्शदात्री समिति है वह राज्य सरकार द्वारा जो अनुशंसा होती है, उसके आधार पर मूल्य तय करती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने यह कह तो दिया है कि जो भी सीमित साधन हैं और उनमें जो भी किसानों को सुविधा दी जा सकती है, दी जायेगी। इतना तो कह ही दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस सरकार की नियत साफ नहीं है, यह सरकार तथ्यों को छिपा रही है। राज्य सरकार की क्या नीति है, वह नहीं बता रहे हैं। सरकार के किसान विरोधी रवैये के कारण हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भाजपा के सभी सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया)

श्री अध्यक्ष–

(श्री श्याम देव राय चौधरी के बहिर्गमन न करने पर) माननीय चौधरी साहेब, क्या आपने वाक आऊट नहीं किया है।

(व्यवधान)

(श्री श्याम देव राय चौधरी सदन छोड़कर जाने लगे और फिर वापस आ गये)

तारांकित प्रश्न

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।

राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने तथा मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही तथा अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किए जाने हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस, नर्सिंग होम चलाये जाने पर प्रभावी प्रतिबन्ध लगाने, मरीजों को अच्छी सेवा तथा दवा उपलब्ध कराने तथा अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करनेपर विज्ञप्ति संख्या 5774 सेक–14/वी–323/83 दि० 30-8-83 एवं शासनादेश सं० 3-63-69/3-5-92-7190/92 दिनांक 9 सितम्बर, 1992 द्वारा रोक लगाई गयी है । चिकित्सालयों में सामान्य तथा विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है । विशेषज्ञ इकाइयों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने की प्रक्रिया निरन्तर की जा रही है । अस्पतालों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए शासकीय नीति के अन्तर्गत समय-समय पर निर्देश/परिपत्र निर्गत किये जाने हैं, तथा भा० द० सं० में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था उसमें तीन बिन्दुओं की ओर मेरी चिन्ता थी । पहला यह है कि यह जो सरकारी अस्पतालों में डाक्टर्स हैं, यह सर्वविदित है कि जिस किसी गरीब को अस्पताल जाने का जीवन में अवसर मिला है उसका भी कहना है कि यह डाक्टर्स अस्पताल में कम रुचि लेते हैं मरीजों की सेवा करने में और अपने प्राइवेट प्रैक्टिस और नर्सिंग होम चलाने में ज्यादा रुचि लेते हैं क्योंकि वहां उनको लाभ होता है, तो सरकारी अस्पतालों में डाक्टर्स के कम रुचि लेने और प्राइवेट प्रैक्टिस तथा नर्सिंग होम में ज्यादा रुचि लेने पर प्रभावी रोक लगाने हेतु सरकार कौन से कदम उठा रही है ? मान्यवर, मुझे दुख हो रहा है कि इसमें सिर्फ एक 91 में और एक 92 में परिपत्र जारी किया गया है और इसका हवाला भी दिया गया । आप जानते हैं कि इन परिपत्रों का इन डाक्टर्स पर आज तक कोई असर नहीं हुआ है, वह उसी प्रकार से अपना काम कर रहे हैं । तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो प्रदेश की गरीब जनता है, पिछड़ी जनता है, दलित जनता है, उसका जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या सरकार कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है और इसके साथ ही साथ यह भी जानना चाहता हूं कि चूंकि रोक उन पर नहीं लग पा रही है तो क्या जैसे दूसरे विभिन्न विभागों में पर्वतन दल या मोबाइल है इस प्रकार की चोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए वैसे ही इन डाक्टर्स पर भी प्रभावी रोक लगाने के लिए कोई प्रवर्तन दल का गठन करेंगे और क्या अब तक 83 से लेकर 92 तक के जो परिपत्र जारी किये गये उसके खिलाफ कोई डाक्टर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष–

आपका बहुत ही विस्तृत प्रश्न हो गया है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मैं और स्पष्ट कर दूं । जो डाक्टर्स हैं उनके ऊपर प्रभावी रोक लगाने के लिए क्या पर्वतन दल का गठन किया जायेगा ताकि उन पर रोक लग सके ।

श्री अध्यक्ष–

आप व्याख्यान दे रहे हैं ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, सही मायने में आदरणीय चौधरी साहब ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और इनके कुछ बिन्दु से मैं सहमत भी हूं। जो चीजें इन्होंने बताई हैं या चिकित्सा सेवाओं में है, इनको स्वीकारते हुए इसको रोकने के लिए वर्ष 83 में अधिनियम बनाया गया लेकिन यह अधिक सही ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाया। उसके बाद 92 में जब आपकी सरकार ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाया। उसके बाद 92 में जब आपकी सरकार थी, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने इस बिन्दु पर प्रयास किया कि इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाय। इसका प्रभाव यह हुआ कि बहुत से डाक्टर्स माननीय उच्च न्यायालय में चले गये इस अधिनियम के विरुद्ध भी और इस जी० ओ० के द्वारा अपने सेवाकाल के बाद में स्थगन देश प्राप्त कर लिये हैं। यह पीड़ा जो आपने व्यक्त की है, यह सही है। जिसे हाईकोर्ट में प्रभावी ढंग से इस मुकदमें की पैरवी कर स्थगनादेश को निरस्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद जो भी अधिनियम, नियम बनाना पड़ेगा इसके लिए प्रयत्न किया जायेगा।

श्रीराम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं एम० बी० बी० एस० करने के बाद सरकारी नौकरियों में भी रहा। वहां जो व्यवहार और परेशानियां देखीं अगर सरकार उस तरफ ध्यान दे दे तो समस्या दूर हो जायेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे और इसको अमल कराये। मान्यवर, मैं तीन चार बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहला यह है कि जो नवीन स्वास्थ्य केन्द्र हैं उसमें डाक्टरों को रहने के लिए आवास नहीं है तो क्या सरकार उन्हें आवास दिलाने के लिए कोई योजना बना रही है। दूसरा यह है कि जो महिला चिकित्सक होती हैं उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

कुछ महिला चिकित्सकों के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी हैं जब वह अपने स्वास्थ्य केन्द्रों पर जा रही थीं तो क्या सरकार उनकी सुरक्षा व्यवस्था दिलाने के लिए कोई योजना बना रही है। तीसरा यह है कि जो डाक्टर्स होते हैं वह कोर्ट में चले जाते हैं और वहां से स्थगन आदेश ले आते हैं तो क्या सरकार उनके लिए भी कोई योजना बना रही है। चौथा यह है कि कुछ डाक्टर्स ऐसे हैं जो दस-दस साल से एक ही जगह पर खड़े हैं उनका स्थानान्तरण नहीं होता है तो सरकार कोई इस प्रकार की योजना बना रही है कि तीन साल के बाद उनका स्थानान्तरण किया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जो प्रश्न की मूल मंशा थी ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की उसका सम्यक् उत्तर मैंने दे दिया है। माननीय सदस्य एम० बी० बी० एस० डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। उन्होंने यह कहा है कि वहां पर डाक्टर्स को वह सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं और महिला चिकित्सकों के सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हम इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि महिला चिकित्सक की नियुक्ति हम सामुदायिक विकास केन्द्र और नगर स्वास्थ्य केन्द्र में मानक के अनुसार कराते हैं और आपके माध्यम से यह अपील करूंगा चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधा के अनुसार यह पद सृजित होते हैं और चिकित्सा संसाधन अभी पूरे उपलब्ध नहीं हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों के साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। चौधरी साहब आप केवल अंतिम प्रश्न पूछ सकते हैं।

(श्री हरक सिंह रावत जी के खड़े होने पर)

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। माननीय चौधरी साहब आप अंतिम प्रश्न पूछें और माननीय सदस्य लोग बैठ जायें, माननीय चौधरी साहब को प्रश्न पूछने दें। आप लोग दूसरे प्रश्नों में प्रश्न कर लीजियेगा,। आप लोग स्वयं तो प्रश्न करना नहीं चाहते हैं और जो मेहनत से प्रश्न करवाता है उसे भी प्रश्न करने नहीं दे रहे हैं। स्वयं मेहनत करिये और प्रश्न करवाइये। (व्यवधान) माननीय चौधरी साहब आपके दल के लोग आपको प्रश्न करने नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। और माननीय पाल जी को प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मान्यवर, आज अस्पतालों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उससे गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है और जो भ्रष्टाचार में दोषी पाये गये हैं क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने पाल जी को बुलवा लिया है। अब मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान के मध्य)

माननीय मंत्री जी, चौधरी साहब के प्रश्न का उत्तर दे दीजिये।

श्री बलराम यादव–

मैं सुन नहीं पाया, दोहरवा दें।

(विरोधपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

श्री अध्यक्ष–

चूंकि आपके सदस्यों ने ही व्यवधान डाला है, इसलिये अब मैं आपको मौका नहीं दूंगा।

प्रदेश में मण्डल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण लागू किये जाने की मांग

*2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री प्रदेश में मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे ? यदि हां, तो इसका क्या प्रारूप होगा तथा यह कब तक लागू हो जायेगा ? क्या सरकार प्रदेश में आर्थिक आधार पर भी आरक्षण लागू करेगी ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत आर्थिक आधार पर गरीबों को आरक्षण देगी तथा कब से यह व्यवस्था लागू होगी ?

बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदा नन्द अंचल)–

मण्डल आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया था । केन्द्रीय सरकार के अनुरूप ही उ० प्र० सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग हेतु राज्याधीन सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य कर दिया गया है तथा उ० प्र० पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कर दी गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जो दूसरा क्लाज है कि क्या सरकार प्रदेश में आर्थिक आधार पर भी आरक्षण लागू करेगी ? उसमें मंत्री जी ने पढ़ा है जी हां, जबकि मुझको जो उत्तर मिला है,उसमें है जी नहीं । तो पहले यही स्पष्ट करा दें कि "जी हां" है या "जी नहीं" ?

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मैंने "जी नहीं" पढ़ा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अगर इस सदन की सार्थकता को बनाये रखना है, इस सदन की उपदेयता को बनाये रखना है तो जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने मण्डल कमीशन को लागू करने की घोषणा इस सदन में की थी, उसमें उन्होंने 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिये कहा था और 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक आधार पर सवर्णों के लिये कहा था । आज माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के लिये प्रदेश सरकार कोई विचार नहीं कर रही है तो यह उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के विपरीत है । आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें और माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलवा लें ताकि वह यह बता दें कि आरक्षण के संबंध में इस सरकार की क्या नीति है, यह पहले उत्तर आ जाय ?

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त अजीब स्थिति पैदा हो गयी है । सम्पूर्ण सदन ने उस दिन सुना था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि जो आरक्षण वर्ग है, उनके अतिरिक्त जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे सवर्ण हों, उनको 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर हमारी सरकार विचार कर रही है । मान्यवर, यदि आप उचित समझें, तो कार्यवाही स्थगित करा लें । आज माननीय मंत्री जी का उत्तर बिल्कुल अपने मुख्यमंत्री के विपरीत आ रहा है । यह कह रहे हैं, ऐसा हम विचार ही नहीं कर रहे हैं । अब या तो मुख्यमंत्री जी गलतबयानी कर रहे हैं या अंचल जी गलत बयानी कर रहे हैं, इसको आप स्पष्ट करवा दें ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं ।

*3–श्री बदन सिंह–

[2सरे शुक्र में नियम29 (4) के ता० प्र० सं०–2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[स्पष्टीकर हेतु हटाया गया ।]

जनपद पिथौरागढ़ में भवनहीन राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों के भवन निर्माण की योजना

*2–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में कितने राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज भवनहीन हैं, इनके भवन निर्माण हेतु शासन ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री बलराम यादव–

जनपद पिथौरागढ़ में 13 राजकीय हाई स्कूल भवनहीन हैं ।

राजकीय इण्टर कालेज कोई भवनहीन नहीं है ।

जी हां ।

भवनहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1.25 लाख प्रति विद्यालय की लागत से दो-दो कक्षा कक्ष निर्माण कराने की योजना शासन के विचाराधीन है ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि भवन निर्माण हेतु बड़ी योजना बनायी जा रही है और यह बड़ी योजना दो कक्षों की है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कितनी कक्षायें पढ़ायी जाती हैं और उन कक्षाओं के लिये दो कक्ष क्या पर्याप्त हैं ? दूसरे मान्यवर, उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भवनहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1.25 लाख प्रति विद्यालय की लागत से दो-दो कक्षों का निर्माण कराये जाने की योजना शासन में विचाराधीन है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन कक्षों की लम्बाई-चौड़ाई का क्या मानक है और क्या 1.25 लाख रुपये में दो कक्ष बन जायेंगे ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जो भवनहीन विद्यालय हैं उनमें 2 कक्ष पर्याप्त हैं और मानक के अनुसार 1.25 लाख रुपये में दो कक्ष बन जायेंगे ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैंने मंत्री जी से जानना चाहा कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कितने क्लासेज चलते हैं, क्या दो कक्ष उन विद्यार्थियों के लिये पर्याप्त हैं ? दूसरा प्रश्न कक्षों की लम्बाई-चौड़ाई कितनी होती है, जिसमें बच्चे बैठते हैं, इसके साथ ही क्या 1.25 लाख में रुपये की धनराशि इन कक्षों के लिये पर्याप्त हैं ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैंने कहा कि मानक के अनुसार 1.25 लाख रुपये में दो कक्ष बन जायेंगे । पर्वतीय क्षेत्र में दो किस्म के स्कूल हैं, राजकीय हाई स्कूल एवं राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज । मान्यवर, वित्तीय संसाधन के अभाव के कारण एवं यह ध्यान रखते हुये कि अधिक से अधिक विद्यालय सेवित हो जायें इसलिये दो-दो कक्षों के निर्माण का प्रस्ताव है और जो मानक हाई स्कूल एवं इण्टरमीटिएट कालेज के लिए शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित हैं उनके अनुसार 1.25 लाख रुपये में ये बन जायेंगे ।

श्री हरक सिंह रावत–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जितने राजकीय विद्यालय हैं उनके भवनों की स्थिति जर्जर है और खुले आसमान के नीचे इस समय विद्यालय चल रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि दो कक्षों की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे कितने विद्यालयों को 1.25 लाख रुपये की धनराशि आवंटित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, यह प्रश्न केवल जनपद पिथौरागढ़ से संबंधित है,न कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र से ।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, राजकीय विद्यालयों से संबंधित प्रश्न है इसलिये मैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं । केवल पिथौरागढ़ जनपद में ही नहीं पूरे पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की स्थिति जर्जर है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आपकी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में क्या नीति है, बता दीजिए ?

श्री बलराम यादव–

आदरणीय सदस्य से चाहूंगा कि वह प्रश्न को पढ़ लें प्रश्न केवल पिथौरागढ़ जनपद के बारे में पूछा गया है । पूरे पर्वतीय क्षेत्र की अगर जानकारी चाहते हैं तो अलग से प्रश्न पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष–

एक प्रश्न पीछे छूट गया है, प्रश्न संख्या–3, श्री हरक सिंह रावत जी का है ।

श्री गौरी शंकर –

श्रीमन्, आपने नत्थी घ का प्रश्न संख्या–1 पुकारा है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में मुख्यालय होने के बावजूद भी मण्डल स्तर के कार्यालय पौड़ी में स्थापित किये जाने के औचित्य की मांग

*3–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल मण्डल का मुख्यालय होने के बाद भी मण्डल स्तर के कार्यालय पौड़ी में स्थित नहीं है ? यदि हां, तो कब तक इनको पौड़ी में स्थापित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

कतिपय कार्यालय मण्डल मुख्यालय पौड़ी में स्थित नहीं है ।

ऐसे मण्डलीय कार्यालयों को पौड़ी/श्रीनगर स्थानान्तरित करने के औचित्य पर विचार किया जा रहा है किन्तु इस हेतु नियत समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पौड़ी गढ़वाल मण्डल का मुख्यालय है । मुख्यालय होने के बाद भी वहां पर मण्डलीय कार्यालय स्थापित नहीं है । माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पौड़ी में मण्डलीय कार्यालय स्थापित करेगी ? भाजपा के शासनकाल में एक शासनादेश निकला था । सरकार ने अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की है । दूसरी बात मान्यवर,यह कहना चाहता हूं कि कैम्प कार्यालय मण्डल देहरादून में स्थापित होते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग होता है । कैम्प कार्यालयों से समाप्त करने पर विचार करेगी और पौड़ी में स्थापित किये जाने पर विचार करेगी ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, लिखित उत्तर में बताया गया है कि मण्डल में 56 कार्यालय हैं जिनमें से 31 पौड़ी या श्रीनगर में स्थापित हो चुके हैं । 4 कार्यालय मान्यवर उनमें से, जिनका कार्य क्षेत्र देहरादून में है, उन चारों में निर्णय हो चुका है कि देहरादून से ही होगा और जो 11 कार्यालय हैं उनका परीक्षण कराया जा रहा है । इन्होंने जो कुछ कहा है इस संबंध में मान्यवर, 11 दिसम्बर को माननीय मुख्य मंत्री जी दौरे पर गये थे, 11 दिसम्बर को एक निर्देश जारी किया, आदेश जारी किया कि जो मण्डल स्तर के कार्यालय हैं उनको परीक्षणोपरान्त ही शिफ्ट कराया जाना आवश्यक है तथा निकट भविष्य में जल्द से जल्द स्थानान्तरित किया जायेगा ।

[बुधवार, दि० 9-3-94 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद लखनऊ की सभी सब्जी मण्डियों को हरदोई रोड स्थित सब्जी मण्डी परिषद् में स्थानान्तरित किये जाने की मांग

*1–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ की सभी सब्जी मण्डियों को गत वर्ष ही हरदोई रोड स्थित सब्जी मण्डी परिषद् में स्थानान्तरित करने का आदेश कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या अब तक सब्जी मण्डियां वहां स्थानान्तरित की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सभी सब्जी मंडियां कब तक सब्जी मण्डी परिषद् में स्थानान्तरित हो जायेंगी ?

श्री बलराम यादव–

अधिसूचना सं०–1345/12–5-91–600(108)/81, दिनांक 15 मई, 1991 द्वारा अधिसूचित फल सब्जी के थोक व्यापार का स्थानान्तरण हरदोई रोड स्थित फल सब्जी मण्डी परिसर में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

अब तक फल सब्जी मण्डियां स्थानान्तरित नहीं हो सकी हैं।

दिनांक 13-5-91 से सम्पूर्ण फल/सब्जी मण्डी परिसर केन्द्रीय पुलिस बल के कैम्प के रूप में प्रयोग किये जाने के फलस्वरूप फल/सब्जी मण्डी का थोक व्यापार स्थानान्तरित नहीं हो सका है। मण्डी परिषद् द्वारा किये गये अनेक प्रयास अभी तक विफल रहे हैं।

फल/सब्जी मण्डी परिसर केन्द्रीय पुलिस बल की कैम्पिंग से रिक्त होते ही हरदोई रोड पर निर्मित मण्डी परिसर में तत्काल व्यापार स्थानान्तरण सम्भव होगा।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक सम्पूर्ण फल/सब्जी मण्डी परिषद् में केन्द्रीय पुलिस बल के कैम्प के रूप में प्रयोग किये जाने से फल/सब्जी मण्डी का थोक व्यापार अभी तक स्थानान्तरित नहीं हो सका है और वहां पर सी० आर० पी० वालों का कब्जा है। क्या सी० आर० पी० वाले किराया दे रहे हैं ? कब्जे के कारण मण्डी परिषद् को कितनी वार्षिक हानि मण्डी शुल्क की हो रही है और इस संबंध में मण्डी परिषद् ने अब तक क्या-क्या प्रयास किये हैं ? मान्यवर, 1991 से अब तक बार-बार प्रयास करने के बावजूद भी उसे खाली नहीं करा सकी है तो भविष्य में यह खाली हो सकेगा ? यदि हां, तो कब तक ? क्या माननीय मंत्री जी इसकी निश्चित तिथि सदन को बतायेंगे ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है, वह सही है। यह फल मण्डी वर्ष 1991 में बनी थी परन्तु उस पर हमारे केन्द्रीय पुलिस बल का कैम्प लग गया। चाहे वह इनका शासन रहा हो आज तक वह खाली नहीं कराई जा सकी है। हर दृष्टिकोण से इसे खाली कराया जाना आवश्यक है। हम इसके लिए प्रयास करेंगे कि इसे खाली कराया जा सके।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इसे खाली कराया जायेगा। इस उत्तर से संतुष्ट होते हुए भी मैं कहना चाहता हूं कि 1991 से सी० आर० पी० एफ० के जवानों का इस पर कब्जा है, जिसके कारण सब्जी वाले व आम वाले लोग धक्का खा रहे हैं और उनकी सब्जियां व फल खराब हो जाते हैं और उनकी कीमत आधी रह जाती है। क्या यह भी सच है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का विभिन्न आम सभाओं में इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया और मेरी भी व्यक्तिगत रूप से उनसे बात हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ए० पी० सी० की मीटिंग में निर्देश दिया था कि इसे खाली कराया जाय। कदाचित् शासन स्तर पर इसे खाली कराने का, निर्णय तो हो गया है अब केवल मंशा है

इच्छा शक्ति की । क्या जामवन्त की तरह हनुमान को उसकी शक्ति का एहसास करवाने की तरह हमें भी सरकार को शक्ति का एहसास दिलाना पड़ेगा ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मलिहाबाद की फल पट्टी का भी यह मामला है । फलों के कारण शहर में गंदगी भी फैलती है । विशेष स्तरों पर इसको खाली कराने के प्रयास हो रहे हैं । निकट भविष्य में इसे खाली कराने के लिए प्रभावी कार्य किये जायेंगे ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं इसे नियम–49 में दे रहा हूं । इस पर आप चर्चा करवा दें ।

जनपद हरदोई में ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत ट्राइसम केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों तथा केन्द्र संचालकों के धनराशि का भुगतान

*2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में वर्ष 1992-93 के लिये जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत ट्राइसम केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों तथा केन्द्र संचालकों का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि इन केन्द्रों के संचालकों से एक-एक हजार रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदवा कर उनको मूलरूप में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में जमा कर रखा गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के भुगतान एवं बचत पत्रों की मूल प्रतियों की वापसी सुनिश्चित कराने का आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)--

भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय सीमाओं का उल्लंघन किए जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सकता ।

जी हां ।

प्रकरण की जांच कराई जा रही है । बचत पत्र वापस करने के आदेश दिये गये हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्तर्गत जो ट्राइसम योजना से सम्बद्ध केन्द्र चलाये जाते हैं, यह धनराशि केन्द्र सरकार देती है और केन्द्र सरकार गाइड लाइन्स भी तैयार करके देती है कि इस तरह से इस धनराशि का उपयोग होगा । उसके अन्तर्गत जिलों में गठित ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के बारे में निर्णय लेता है ।...

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, विकास अभिकरण द्वारा जिन प्रशिक्षण केन्द्र को अनुमति दी गयी उनका भुगतान न कराये जाने के क्या कारण हैं उसमें क्या अड़चन आ रही है ?

दूसरी बात 1992-93 में हरदोई में जिन प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में मैंने प्रश्न किया है उसमें जो अनियमिततायें सामने आई थीं और केन्द्रों की जांच की गयी उसमें कुछ केन्द्र चलते पाये गये कुछ फर्जी पाये गये तो उस जांच रिपोर्ट में जिन प्रशिक्षण केन्द्रों के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की गयी उसे लागू कराने का कष्ट करेंगे ।

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, ट्राइसम प्रकरण पर जांच कराई गयी । जांच के आधार पर एक अधिकारी प्रारम्भिक जांच में दोषी पाये गये और उनको दंडित करने की सिफारिश की गयी और उनको 27-9-92 को सस्पेंड कर दिया गया और उनके विरुद्ध जांच अधिकारी नियुक्त कर दिये गये । उनके पूर्वाधिकारी भी अन्तर्ग्रस्त पाये गये उनके विरुद्ध भी कार्यवाही चल रही है । जब तक जांच की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक भुगतान के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है यह जवाब पहले दिया जा चुका है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न को शायद समझ नहीं पाये 1992 में जो प्रशिक्षण केन्द्र हरदोई जनपद में चलाये गये थे उनकी जांच कराई गयी अधिकांश प्रशिक्षण केन्द्र सही पाये गये, प्रशिक्षण देते हुये पाये गये लेकिन कुछ प्रशिक्षण केन्द्र ऐसे थे जिनमें जांच के बाद अनियमितता पाई गयी, उनके बारे में जो निर्णय चाहे करें लेकिन जिन में कोई अनियमितता नहीं पाई गयी, जिनकी जांच रिपोर्ट सही है उनके प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान न कराने का क्या कारण हैं, उनको क्या भुगतान एक सप्ताह में करा देंगे ?

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, ट्राइसम एवं ग्रामीण महिला कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । (व्यवधान) अतः प्रश्नगत मामले में भुगतान की जो देयता है उसके लिये भारत सरकार को अनुरोध किया जायेगा और भारत सरकार द्वारा आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सम्भव है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी मेरा प्रश्न समझ नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी माननीय वर्मा जी का अनुपूरक प्रश्न छोटा सा है जिस प्रशिक्षण केन्द्रों में अनियमितता पाई गयी उनको छोड़ दें लेकिन जो नियमित पाये गये उनका भुगतान करा देंगे ?

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, अभी जांच की कार्यवाही चल रही है । लेकिन जो प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले चुके हैं उनका भुगतान करा दिया जायेगा । इसके लिये कार्यवाही चल रही है ।

जनपद फतेहपुर में चलित राजकीय नलकूप एवं उनकी क्षमता की सुधार हेतु सरकार की नीति

*3–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में कितने सरकारी ट्यूबवेल हैं ? उनसे कितनी सिंचाई प्रति वर्ष होती है ? कितने घंटे औसतन प्रति दिन ट्यूबवेल चलते हैं तथा उनको पूर्ण क्षमता से चलाने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

श्री बलराम यादव–

जनपद फतेहपुर में चलित राजकीय नलकूप 530 हैं जिनसे औसतन सिंचाई 17500 हेक्टेयर प्रति वर्ष होती है । उक्त नलकूपों के प्रतिदिन चलने का औसत कास्तकारों द्वारा पानी की मांग तथा विद्युत

उपलब्धता पर निर्भर करता है । यह औसत 1050 घंटे प्रतिवर्ष प्रति नलकूप है । इन नलकूपों को यांत्रिक एवं विद्युत दोषों से बन्दी पर नियंत्रण तथा उपलब्ध विद्युत का समुचित उपयोग गूलों/पाइप लाइनों का ठीक रख रखाव करके अधिक से अधिक कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का राज्य सरकार का ध्येय रहता है ।

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मान्यवर, प्रश्न के तीसरे पैराग्राफ को देखें तो प्रश्न पूछा था कि कितने घण्टे औसतन प्रतिदिन ट्यूबवेल चलते हैं? उत्तर दिया कि यह औसत 1050 घंटे प्रतिवर्ष प्रति नलकूप है । पूछते दिन में हैं और बताते साल में है । जबकि इनके अनुसार औसतन प्रतिदिन 2 घंटे 52 मिनट प्रति ट्यूबवेल आता है । लेकिन वर्तमान सरकार कहती है कि 16 घंटे बिजली दे रहे हैं तो 3 घंटे ट्यूबवेल क्यों चलाते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आप यह बतायें कि आपकी सरकार के समय में कितने घण्टे प्रति दिनप्रति ट्यूबवेल चल रहे हैं और पिछले सरकार के समय में कितने घंटे प्रतिदिन ट्यूबवेल चले हैं ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, प्रतिदिन प्रति ट्यूबवेल चलने का औसत 3 घंटे फतेहपुर जिले में है ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, फतेहपुर जिले में मंत्री जी ने बताया कि 530 नलकूप हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इनमें कितने ऐसे नलकूप हैं जो बन्द हैं और कितने चालू हैं ?

दूसरा प्रश्न जो नलकूप बन्द हैं वह कितने दिनों में आप चालू करवा देंगे ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जो लिखित जवाब दिया है उसमें 530 नलकूप चालू हैं और कुल नलकूप 591 हैं । जो नलकूप खराब हैं उनमें जो ठीक होने लायक हैं उनको ठीक कराकर जल्द से जल्द चालू करा देंगे ।

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मान्यवर, बताया गया कि एक ट्यूबवेल प्रतिदिन औसतन 3 घंटे चलता है जबकि बिजली 16 घंटे और 12 घंटे तक आती है, इस प्रकार नलकूप अपनी क्षमता का 1/4 ही चलती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ट्यूबवेल इतने कम घंटे चलने का क्या कारण हैं ? और इस कमी को दूर करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, ट्यूबवेल चलने का औसत 3 घंटे है, इसमें बरसात के समय सिंचाई नहीं होती है, आपके जिले में जायद फसल कम बोई जाती है, इसलिये 3 घंटे औसत है चलने का लेकिन आपके जिले में बिजली की उपलब्धता 16 घंटे है । मान्यवर, यह आंकड़े वर्ष 1992-93 के आधार पर बताया है । ट्यूबवेल रबी में ज्यादा चले हैं ।

श्री बलराम यादव–

सिंचन क्षमता में और सिंचन क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है ।

*4–श्री मित्रसेन यादव–

[दि० 2-3-94 को नियम 29(4) के ता० प्र० सं०–1 द्वारा उत्तरित]

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली में बृहतनगर परियोजना को लागू किये जाने की मांग

*5–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लस्तर वायां परियोजना वि० ख० जखोली, टिहरी गढ़वाल में प्रस्तावित बृहत नगर है ? क्या सरकार इस परियोजना का निर्माण करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

यही प्रश्न मैंने ।।वीं विधान सभा में भी किया था और उस समय उत्तर आया था कि मानक के आधार पर ठीक न बैठने के कारण इस नहर का निर्माण नहीं किया जा सकता है और आज मंत्री जी का उत्तर है कि यह नहर प्रस्तावित नहीं है । उस समय मैं ब्लाक प्रमुख था और इसका प्रस्ताव मैंने ही पास कराया था और इसका सर्वे हुआ था और उस समय यह बताया गया कि यह मानक के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा है । तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नहर पास कौन करता है और किस आधार पर उन्होंने यह कहा कि यह प्रस्तावित नहीं है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, इस तरह का जब हमारे पास कहीं से प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार कर निर्णय लिया जाता है । इसमें भी इसका परीक्षण कराया गया था, लेकिन इसकी जो लागत आयी, वह इतनी अधिक आयी कि इसका बनाया जाना किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं पाया गया । इसलिए इसके निर्माण का निर्णय नहीं लिया गया ।

भारतीय कुश्ती कला तथा अन्य खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की नीति

*6–श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारतीय कुश्ती कला तथा अन्य खेलों और प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रभावी कार्यक्रम लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तथा उसकी रूपरेखा क्या होगी ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

प्रदेश में कुश्ती अन्य खेल एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :–

(क) **कुश्ती के लिए** :–भारतीय कुश्ती के प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में 2 क्रीड़ा छात्रावासों क्रमशः मेरठ एवं गोरखपुर में छात्रों को कुश्ती का विधिवत् प्रशिक्षण दिया जाता है । इसी प्रकार स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर में कुश्ती को एक विषय के रूप में रखा गया है । प्रदेश के 16 जनपदों में 1993-94 में कुश्ती के प्रशिक्षण के लिए शिविर लगाये गये ।

(ख) **अन्य खेल** :–सभी खेलों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में निम्नलिखित योजनायें चलायी जा रही हैं :–

1–आवासीय छात्रावास ।

2–क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण ।

3–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन ।

4–प्रतियोगिताओं का आयोजन ।

5–उपकरणों का क्रय ।

6–अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार ।

7–स्पोर्ट्स कालेजेज इत्यादि ।

(ग) **प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन** :–प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कृत किया जाता है । जो खिलाड़ी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तम प्रदर्शन करते हैं उन्हें कुछ शासकीय सेवाओं में नियुक्ति में वरीयता भी प्रदान की जाती है ।

इस प्रकार प्रदेश में पहले से ही इन तीनों मदों में व्यापक सुविधायें एवं योजनायें चलायी जा रही हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी से....

श्री अध्यक्ष–

इसका बड़ा विस्तृत उत्तर आ गया है अब और प्रश्नों की क्या आवश्यकता....खैर खड़े हुए हैं तो प्रश्न पूछिये । पूछिये-पूछिये ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो खिलाड़ियों को अपनी अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, क्या उनको आगे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कोई मासिक भत्ता आदि देने पर विचार करेगी ? और जो आपने कहा है कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तम प्रदर्शन करते हैं उन्हें कुछ

शासकीय सेवाओं में नियुक्ति में वरीयता भी प्रदान की जाती है तो इसके सन्दर्भ में क्या जो प्रदेश और जिला स्तर पर उत्तम प्रदर्शन करेंगे उनको भी शासकीय सेवाओं में वरीयता देने पर यह सरकार विचार करेगी ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

माननीय सदस्य ने कुश्ती और खेल के सवाल पर जो प्रश्न किया है, उसका पूरा उत्तर आ चुका है ...

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि क्या सरकार बतायेगी कि भारतीय कुश्ती कला तथा अन्य खेलों और प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रभावी कार्यक्रम लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक तथा उसकी रूपरेखा क्या है ? मान्यवर हमने बताया कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकार प्रोत्साहन देने के लिए सारी सुविधायें और योजनायें लागू कर रही है और पूरे प्रदेश के अन्दर इन खेलों का आयोजन किया गया है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया कि जो जिला स्तर के खिलाड़ी हैं उनको प्रशासनिक सेवा में अवसर दिये जाने की बात पूछी है ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, उत्तर में स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए योजनायें लागू की गयी हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे भी इसी संबंध में एक सवाल पूछना है । माननीय मंत्री जी ने प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अच्छी योजनाओं की घोषणा की है उसके विषय में कृपया यह बतायें कि उन योजनाओं में एक योजना क्या यह भी है कि खेल निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को भी आयोजित करेगा ? कबड्डी गांव-गांव का एक बड़ा ही प्रतिष्ठित और बिना किसी खर्च के खेले जाने वाला खेल है इसको भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आमंत्रित किये जाने पर विचार करेगी ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

सभी खेलों को प्रोत्साहित करने पर सरकार विचार कर रही है ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, हमें भी मौका दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न समाप्त हो गया , अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, इसी प्रश्न के संबंध में कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैं आपकी अनुमति के बिना नहीं बोलूंगा। आपकी अनुमति होगी तब ही बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, कहें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इटावा जनपद में खेल होने जा रहे हैं उसमें आप इन्हें आमंत्रित करें वहां हमारे साथियों को मौका मिलेगा कि वह अपने दांव महादंगल में दिखा सकें। कबड्डी का प्रोत्साहन तो विधान सभा में रोज ही होता है।

(व्यवधान)

बांट-माप पर वर्तमान में एक वर्ष के बजाय तीन वर्ष के लिए मोहर लगाने की व्यवस्था किये जाने की मांग

*7–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांट-माप पर वर्तमान में प्रति वर्ष मोहर लगाने के बजाय तीन वर्ष के लिए मोहर लगाने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्न संख्या–7 पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मंत्री जी उत्तर तो दे दें।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर दे दिया है। आप प्रश्न करिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी समय-समय पर घोष्णायें होती रहती हैं, हम बड़े ध्यान से उनको सुनते हैं लेकिन नहीं जानते कि उन घोषणाओं का अनुपालन हो रहा है कि नहीं ? माननीय मंत्री जी की घोषणा थी कि बांट-माप पर एक वर्ष की बजाय तीन वर्ष में मोहर लगायी जायेगी लेकिन आपने उत्तर में कह दिया कि "जी नहीं" । मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जैसा कि समाचार-पत्रों के माध्यम से मंत्री जी की घोषणा को हमने पढ़ा कि एक वर्ष के बजाय उसे 3 वर्ष में परीक्षण किया जायेगा तो क्या इस संबंध में तीन वर्ष का नियम लागू करने का सरकार का विचार है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, सारी घोषणाओं और चुनाव घोषणा-पत्र में दिये गये एक-एक बिन्दु को पूरा किया जायेगा । हमारी सरकार घोषणा करने की नहीं बल्कि काम करने की सरकार है । यह जो बांट-माप तथा माप की बात कही गयी है बांट बट्टे घिसे रहते हैं अगर इनका समय से परीक्षण नहीं किया जायेगा तो घटतौली का मामला पैदा हो जायेगा । इसलिए एक वर्ष से अधिक कार्यकाल सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्रदेश में भू-गर्भ जल का सर्वेक्षण भू-गर्भ जल विभाग से कराये जाने की मांग

*8–श्री बदन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का कार्य निजी ठेकेदारों, रिमोट सेंसिंग एवं भू-गर्भ जल विभाग द्वारा सम्पन्न किये जाने के कारण सर्वे रिपोर्ट में भिन्नता होने से कृषकों को लघु सिंचाई विभाग के अनुदान से बनाये जाने वाले नलकूप प्रदेश में असफल हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार भू-गर्भ जल सर्वेक्षण की कोई स्थायी नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव—

जी नहीं । वस्तुतः लघु सिंचाई विभाग द्वारा गहरे नलकूप का निर्माण करने हेतु निर्धारित नीति के अनुसार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर या भू-गर्भ जल विभाग से स्थल सर्वेक्षण कराये जाने का प्राविधान है किन्तु उक्त विभागों द्वारा सर्वेक्षण करने से असमर्थता व्यक्त किये जाने की दशा में निजी एजेन्सी से भी सर्वेक्षण कराये जाने की व्यवस्था है । चूंकि एक कृषक की बोरिंग स्थल का चयन करने हेतु किसी एक विभाग/संस्था/एजेन्सी से सर्वेक्षण कराया जाता है, इसलिए सर्वे रिपोर्ट में भिन्नता होने और इस कारण से नलकूप असफल होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

जनपद बस्ती में 500 शैया वाले अस्पताल को अविलम्ब पूरा करने की मांग

*9–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती में 500 शैय्या वाले अस्पताल के निर्माण की घोषणा प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा 29 मई, 89 को बस्ती में की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल पर शासन ने नवम्बर, 93 तक कितना धन स्वीकृत किया है तथा कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

शासन द्वारा नवम्बर, 1993 तक कुल 1354.00 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है । निर्माण कार्य दिसम्बर, 1995 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

*10–श्री ऊदल–

[4थे सोम में ता० प्र० सं० 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजियाबाद से होकर जाने वाली नहरों में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी दिये जाने की मांग

*11–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद से होकर जाने वाली नहरों में सिंचाई हेतु गाजियाबाद जनपद का कितना हिस्सा आता है ? क्या गाजियाबाद जनपद को सिंचाई हेतु पानी का अपना पूरा हिस्सा उक्त नहरों से प्राप्त हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिये दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

गाजियाबाद जनपद से होकर जाने वाली उपरी गंगा नहर प्रणाली की कुल 1373.914 कि०मी० लम्बी नहरों में से 724.21 कि०मी० लम्बी नहरों जनपद गाजियाबाद में है, जिनसे कुल 96983 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र आच्छादित है । पूर्वी यमुना नहर प्रणाली की जनपद गाजियाबाद से होकर जाने वाली कुल 235.023 कि०मी० लम्बी नहरों में से 36.699 कि०मी० लम्बी नहरो जनपद गाजियाबाद में हैं, जिनसे कुल 3655 कृषि योग्य क्षेत्र आच्छादित है ।

जी हां । उक्त नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाकर गाजियाबाद जनपद के हिस्से की भी पूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*12–श्री हरक सिंह रावत–

[6ठे सोम में ता० प्र० सं० 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तरांचल के विकास हेतु नये प्रस्तावित मोटर मार्गों व पुलों को पूर्ण किये जाने की मांग

*13–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल के विकास हेतु नये प्रस्तावित मोटर मार्गों व पुलों के निर्माण को उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? क्या पूर्व स्वीकृत मोटर मार्गों का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जिला योजना में प्रस्तावित नये मार्गों व पुलों की स्वीकृति वर्ष 1993-94 में दी जा चुकी है ।

अधिकांश मोटर मार्ग निर्माणाधीन हैं किन्तु कतिपय मार्गों पर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो सका है ।

*14–श्री तेज भान सिंह–

[दि० 23-2-94 को अता० प्र० सं० 27 द्वारा उत्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उसमें कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या की जानकारी

*15–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? स्वास्थ्य कर्मचारियों व चिकित्साधिकारियों की कितनी संख्या है ? क्या स्वीकृत संख्या में कर्मचारी तथा चिकित्साधिकारी उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन केन्द्रों में कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

28 स्वास्थ्य केन्द्र हैं । 41 चिकित्सक, 457 पैरा मेडिकल तथा 126 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

चिकित्साधिकारी के पद लोक सेवा आयोग की परिधि में है । लोक सेवा आयोग को चिकित्साधिकारी के पदों के लिये अधियाचन भेजा गया था । लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 19-2-1994 को उपलब्ध करा दी गई है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । समूह "ग" एवं "घ" वर्ग के रिक्त पदों को भी भरने की कार्यवाही की जा रही है । स्थानीय व्यवस्था के आधार पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों से ही कार्य लिया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश में सृजित एम०बी०बी०एस० डाक्टरों के पदों पर तदर्थ नियुक्ति का मामला

*16–श्री विजय सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1990-91 में उत्तर प्रदेश में कितने एम० बी० बी० एस० डाक्टरों के पद सृजित करके लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया गया था ? उन चयनित डाक्टरों

के अतिरिक्त कितने प्रतीक्षा सूची में चयनित डाक्टर्स थे ? उपरोक्त नियमित चयनित डाक्टर्स में से कितने सेवा में लिये गये और कितने चयनित डाक्टरों को नियुक्ति पत्र जारी करने के बावजूद भी सेवारत नहीं हुए ? क्या सरकार बतायेगी कि जो डाक्टर ड्यूटी ज्वाइन नहीं किये, उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के डाक्टरों को जिनकी तदर्थ नियुक्ति 90-91 में की गयी थी और जो आज तक सेवारत भी हैं उनको नियमित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में आपरेशन थियेटर बनाने हेतु स्वीकृत धन के भुगतान में हुई अनियमितता की जांच

*17–श्री राजकुमार शिवहरे तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में क्रय आदेश सं० पी० जी० आई०/एम एम/89/30103/245, दिनांक 2-5-89 द्वारा आपरेशन थियेटर बनाने हेतु विदेशी कम्पनी एम० जी० आई० यू० के० को भुगतान किये गये 2,50,866 पौण्ड अधिक भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन निदेशक की संस्तुति पर शासन ने जांच समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो उक्त समिति के कौन-कौन सदस्य थे ? क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? क्या दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण हैं ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

श्री डी० एन० तिवारी, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

जनपद सिद्धार्थनगर एवं बस्ती के तटस्थ टूटे बांसी-बंजरहा-पनघटिया बांध के पुनर्निर्माण को पूरा किये जाने की मांग

*18–श्री चन्द्रशेखर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बांसी–बंजरहा–पनघटिया बांध टूटने से सिद्धार्थनगर के बहुतेरे गांव एवं बस्ती जनपद में मेंहदावल आदि क्षेत्र की सड़कें आदि एवं करोड़ों की फसल, मकान, जानवर

आदि की बरबादी हो गयी है ? क्या सरकार इस बांध का पुनर्निर्माण करने जा रही है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बांसी–बंजरहा–पनघटिया बांध वर्ष 1993 की बाढ़ से टूट गया था ।

जी हां ।

आगामी मानसून से पूर्व कार्य पूर्ण करने के आदेश हैं । कार्य प्रगति पर है ।

प्रदेश में गेहूं की भांति चावल की स्टाक सीमा बढ़ाने की सरकार की योजना एवं उससे लाभ

*19–श्री सुरेश खन्ना–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बनाने की कृपा करेंगे प्रदेश में गेहूं की भांति किसानों के हित में चावल की स्टाक की सीमा बढ़ाने अथवा उसके पूर्णरूप से समाप्त करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि वर्तमान चावल स्टाक सीमा मात्र 250 कुन्टल होने से किसानों का अहित हो रहा है ? यदि हां, तो किसानों के हित में क्या सरकार कोई निर्णय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान में शासन की ऐसी कोई योजना नहीं है ।

चूंकि चावाल की संग्रह सीमा किसानों पर लागू नहीं है और किसानों को उनकी उपज समर्थन मूल्य से कम दर पर न बेचना पड़े, क्रय केन्द्रों के माध्यम से उनकी उपज को क्रय किये जाने की व्यवस्था है । अतः उक्त स्टाक सीमा के कारण किसानों का अहित होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौढ़ी गढ़वाल की ग्राम सभा रौली में बिछाई गयी पाइप लाइनों के बाद भी पेयजल की आपूर्ति की समस्या

*20–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम सभा रौली में पेयजल आपूर्ति हेतु कब पाइप लाइन बिछाई गयी थी ? कब और कितने लागत से इस पेयजल योजना का निर्माण किया गया था ? उक्त पेयजल योजना से कितने गांव लाभान्वित हुए हैं ? क्या वर्तमान समय में इस पेयजल योजना का ग्रामवासियों को समुचित लाभ मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र थलीसैंण की रौली ग्राम समूह पेयजल पर 12/86 में कार्य प्रारम्भ हुआ था तथा पाइप लाइन वर्ष 1986 से 1988 की अवधि में बिछाई गई ।

योजना की स्वीकृत अनुमानित लागत 9.23 लाख है तथा योजना पर माह 12/86 में निर्माण कार्य प्रारम्भ हुए थे । योजना पर कुल रु० 7.453 लाख व्यय किये गये है । इस योजना से 2 ग्राम क्रमशः रौली एवं बगवाडी लाभान्वित हुए थे ।

वर्ष 1988 की वर्षात में भारी भू-स्खलन होने के कारण योजना के स्रोत कार्य, जलाशय एवं 2.73 किलो मीटर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी थी । भू-स्खलन से गांव घसने की सम्भावना हो गयी थी । इसलिए इस योजना से ग्राम वासियों को लाभ नहीं मिल पाया । अब उ०प्र० जल निगम द्वारा योजना के कार्यों को ठीक कराकर ग्राम वासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री सतीश भाटिया–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।

जनपद वाराणसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली अस्सी क्षेत्र में भव्य मूर्ति लगाये जाने की मांग

2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी स्थित अस्सी क्षेत्र में हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में उपलब्ध स्थान पर उनकी भव्य मूर्ति लगाये जाने हेतु विगत अनेक वर्षों से जनता मांग करती आ रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान को विकसित करके वहां पर एक भव्य मूर्ति लगाये जाने हेतु सरकार सांस्कृतिक कार्य विभाग को निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विभाग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर आपेक्षित नहीं है ।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत जिला परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्लावां के प्रान्तीयकरण पर शासन की कार्यवाही

3–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत जिला परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्लावां के प्रान्तीयकरण पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद हरदोई के जिला परिषदीय चिकित्सालय, मल्लावां के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव में जिला परिषद् द्वारा यह शर्त रखी गयी थी कि चिकित्सालय से सम्बद्ध भूमि भवन तथा अन्य सम्पत्ति का मुआवजा दिया जाये ।

जिला परिषद् की उपर्युक्त शर्त स्वीकार न होने के कारण प्रश्नगत चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण नहीं किया गया ।

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ में एम०डी० आयुर्वेद प्रारम्भिक (प्रथम वर्ष) की परीक्षा, 1993 में हुई अनियमितता तथा धांधली की जांच

4–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ में एम०डी०, आयुर्वेद प्रारम्भिक (प्रथम वर्ष) परीक्षा अप्रैल, 1993 में अनियमितता तथा धांधली सम्बन्धी प्रकरण शासन के समक्ष प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में उक्त महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 19-4-93 को कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को कोई आख्या भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि अध्यक्ष डिमांस्ट्रेटर संघर्ष समिति द्वारा जून, 1993 में इसी सिलसिले में शिकायती-पत्र सचिव, शिक्षा एवं निदेशक, आयुर्वेद/यूनानी, उ०प्र० को प्रेषित किये गये ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां । राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ की एम०डी० परीक्षाएं आयुर्वेद संकाय, लखनऊ, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम एवं प्राविधान के अनुसार की जाती हैं । प्रश्नगत प्रकरण कालेज और विश्वविद्यालय के मध्य का होने के फलस्वरूप शासन द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

एम० डी० (आयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के विरुद्ध डा० ओम प्रकाश गुप्त अध्यक्ष डिमांस्ट्रेटर संघर्ष समिति के कथित शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

5–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एम० डी० (आयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा, जुलाई, 1993 में हुई अनियमितताओं के सिलसिले में डा० ओम प्रकाश गुप्त, अध्यक्ष, डिमांस्ट्रेटर संघर्ष समिति, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ द्वारा गत जून, 1993 में सचिव, चिकित्सा शिक्षा को शिकायती-पत्र प्रेषित किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही की जायेंगी, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

एम०डी० (आयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा, 1993 में हुई अनियमितताओं विषयक डा० ओम प्रकाश गुप्त द्वारा प्रेषित कथित शिकायती-पत्र दिनांक जून, 1993 सचिव, चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण हेतु अनु०जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए एम० डी० (आयुर्वेद) प्रवेश में आरक्षण न दिये जाने की शिकायत

6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये एम० डी० (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो कुल कितने स्थान आरक्षित हैं और आरक्षित स्थानों पर नियोजन की संख्या क्या है ? क्या यह भी सही है कि अब तक इस श्रेणी के किसी अभ्यर्थी को आरक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा जुलाई, 1993 में आयोजित एम० डी० (आयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा में आरक्षण संबंधी शासनादेश का उल्लंघन किया गया था ? यदि हां, तो सम्बन्धित प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जुलाई, 1993 में कार्य चिकित्सा तथा शरीर विषय में आयोजित एम० डी० (आयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा भारत सरकार के निदेशों के अनुरूप लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिनियमों के प्राविधानों के अनुसार आयुर्वेद संकाय समिति द्वारा की गयी है । किसी शासनादेश के उल्लंघन की जानकारी शासन को नहीं है ।

राजकीय महाविद्यालय आयुर्वेद, लखनऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

7–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, लखनऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा, उ० प्र० द्वारा दिनांक 24-4-93 को शासन को एक रिपोर्ट भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां । निदेशक से प्राप्त रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रधानाचार्य से आरोप के विषय में स्पष्टीकरण मांगा गया है । अग्रेतर कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत की जायेगी ।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत तीन वर्ष से नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थाई किये जाने की मांग

8–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण किये हुए कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जिनका अभी तक स्थायीकरण नहीं हुआ है ? क्या शासनादेशानुसार उनका स्थायीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादवं–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम मझवारा में छिद्रित नलकूप को अविलम्ब चालू किये जाने की मांग

9–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक मुफ्तीगंज के अन्तर्गत ग्राम ताला मझवारा का नलकूप कब छिद्रित किया गया ? क्या उक्त नलकूप हर प्रकार से तैयार होकर के क्षेत्रीय कृषकों को वांछित लाभ दे रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इसे पूर्ण क्षमता से चालू करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह नलकूप माह मार्च, 92 में छिद्रित किया गया ।

जी नहीं ।

ऊर्जीकरण के पश्चात् चालित होगा ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड क्षेत्र धर्मापुर के अन्तर्गत सखैला माइनर के निर्माण हेतु ली गई भूमि के मुआवजा का भुगतान

10–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र धर्मापुर के अन्तर्गत निर्मित बमइला–सरवाइला माइनर में ली गयी भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त माइनर में ली गई भूमि का मुआवजा वर्तमान दर पर भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र धर्मापुर के अन्तर्गत सखैला माइनर के निर्माण हेतु ग्राम बमैला की 2.69 एकड़ भूमि अर्जित की गयी । इस भूमि के लिये मात्र 3 काश्तकारों के अतिरिक्त समस्त संबंधित

कृषकों के प्रतिकर का वितरण किया जा चुका है । 3 काश्तकार मुआवजा लेने नहीं आये जिसकी प्रतिकर की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के आर०डी० एकाउण्ट में जमा है ।

जनपद रामपुर में ब्लाक शाहाबाद व चमरौव्वा में सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु नलकूप लगाये जाने की मांग

11–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद रामपुर में प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र के ब्लाक–शाहाबाद व चमरौव्वा में सिंचाई के अच्छे साधन न होने के कारण इस क्षेत्र की जनता अच्छी उपज प्राप्त नहीं कर पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों ब्लाकों की जनता को अच्छी उपज दिलाने के लिये सिंचाई हेतु सर्वेक्षण कराकर नये नलकूपों की वहां पर स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह कहना सही है कि वर्तमान में कृषि की अच्छी उपज अच्छी सिंचाई पर निर्भर रहती है ।

नये नलकूपों का निर्माण जिला सिंचाई व ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा जनपद योजना में कराये गये प्राविधानानुसार कराया जाता है ।

जनपद हमीरपुर के उर्मिल बांध से किसानों को लाभान्वित करने हेतु लिफ्ट सस्टम को लागू करने की मांग

12–श्री अरिमर्दन सिंह तथा श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री जनपद हमीरपुर के उर्मिल बांध से किसानों को लाभान्वित कराने के लिये लिफ्ट सिस्टम लागू करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत उर्मिल बांध परियोजना एक अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना है इसमें लिफ्ट सिस्टम का प्राविधान नहीं है । अतः लिफ्ट स्कीम लागू करने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद के अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण का शिकायती अर्धशासकीय पत्र एवं उससे संबंधित हुई कार्यवाही की जानकारी की मांग

13–श्री मित्रसेन यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण ने अपने अर्धशासकीय पत्र सं०–40/पी० एस०/एचएस/93, दिनांक 5-2-93 द्वारा एक शिकायती-पत्र, डा० ए० एल० वर्मा, अपर निदेशक, फैजाबाद को जांच हेतु भेजा था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ? क्या अपर निदेशक द्वारा जांच आख्या शासन को भेजी गयी है ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य सही पाया गया ? क्या उपरोक्त अपर निदेशक ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या–एडी/गोपन/फैजा/कैम्प, 2542 में दिनांक 6 अगस्त, 93 को प्रमुख सचिव को फैजाबाद के मुख्य

चिकित्सा अधिकारी को वहां से अन्यत्र अविलम्ब हटाये जाने की संस्तुति भी की है ? यदि हां, तो उस पत्र पर शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

संदर्भित पत्र द्वारा डा० ए० एल० वर्मा, अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, फैजाबाद को भेजे गये पत्र के संलग्नक (शिकायती-पत्र) में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा० बी० बी० सिंह के विरुद्ध मुख्य रूप से निम्नलिखित शिकायतें हैं :–

1–महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 27-7-93 का उल्लंघन कर श्रीमती कैलाश पति, स्वास्थ्य निरीक्षिका को टी० बी० क्लीनिक, फैजाबाद में होने वाली रिक्ति में समायोजित न करना ।

2–जनपद में कर्मचारियों को आतंकित कर अवैध धन की वसूली करना ।

3–स्थानान्तरण सत्र में नीतियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन कर कर्मचारियों को स्थानान्तरित करना एवं अवैध रूप से धन लेकर उसे संशोधित या निरस्त करना ।

जी हां । प्राथमिक जांच रिपोर्ट में डा० बी०बी० सिंह, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया निम्नलिखित शिकायतें सत्य पायी गईं :–

1–श्री मंशा राम सिंह, वरिष्ठ लिपिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीकापुर, फैजाबाद को शासनादेश का उल्लंघन कर अपने कार्यालय से सम्बद्ध करना ।

2–मेला संबंधी मामले में प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताऐं पाया जाना ।

जी हां ।

डा० बी० बी० सिंह को मुख्य चिकित्सा अधिकारी फैजाबाद के पद से संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य महानिदेशालय, लखनऊ के पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के सेवापुरी विकास खण्ड में बरकी में लगे नलकूप को चालू किये जाने की मांग

14–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद वाराणसी के सेवापुरी विकास खण्ड में बरकी नलकूप पिछले एक साल से रीबोर होकर मात्र मशीन की अनुपलब्धता के कारण खड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे इसी सत्र में चलू करा देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

यह नलकूप चालू है ।

जनपद वाराणसी के भदोही विकास खण्ड में दुससी नलकूप को रीबोर करने का प्रस्ताव

15–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी के भदोही विकास खण्ड में दुससी नलकूप रीबोर के लिए प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसे कब तक रीबोर करके चालू करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

16–श्री ओम प्रकाश पासवान–

[दि० 23-2-94 को अता० प्र० सं० 19, 21, 23, 35 तथा 43 द्वारा उत्तरित ।

17–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं० 102 द्वारा उत्तरित ।

जनपद मिर्जापुर में कार्यरत स्टाफ नर्सों को स्थायी किये जाने की मांग

18–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर में कितनी स्टाफ नर्सों की निरन्तर सन्तोषजनक सेवायें तीन वर्ष से अधिक हो चुकी हैं ? क्या उनका स्थायीकरण अब तक हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि शासनादेशानुसार उनका स्थायीकरण कब तक किया जायेगा ? क्या स्थायीकरण में शासनादेश की अवहेलना किये जाने के संबंध में भी जांच करायेंगे ? यदि हां, तो दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि कार्यवाही नहीं की जायेगी, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

मिर्जापुर जनपद में इस समय 42 स्टाफ नर्सें कार्यरत हैं और इन सभी नर्सों की सेवायें तीन वर्ष से अधिक अवधि की हो चुकी हैं ।

जी हां ।

इन स्टाफ नर्सों का महानिदेशालय के शासनादेश संख्या–19फ/237–एन–46/6028, दिनांक 4-1-94 द्वारा स्थायीकरण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय चिकित्सालय, देव प्रयाग, टिहरी गढ़वाल में एक्स-रे मशीन का कार्यशील होना

19–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० अस्पताल, देवप्रयाग, टि० ग० में एक्स-रे मशीन है ? यदि हां, तो एक्स-रे मशीन कब से खराब पड़ी है ? क्या सरकार ने इस एक्स-रे मशीन को ठीक करने का प्रयास किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

राजकीय अस्पताल, देव प्रयाग, टिहरी गढ़वाल में एक्स-रे मशीन उपलब्ध है, जो कार्यशील है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय अस्पताल, देव प्रयाग में महिला डाक्टरों की नियुक्ति होने के बावजूद पद न ग्रहण करने की शिकायत

20–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अस्पताल, देवप्रयाग, टि० ग० में महिला डाक्टर का पद कब से रिक्त पड़ा हुआ है ? क्या सरकार इस पद पर किसी डाक्टर की नियुक्ति करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिस महिला डाक्टर का स्थानान्तरण रा० अस्पताल, देवप्रयाग, टि० ग० में हुआ था, उसके द्वारा पदभार ग्रहण न करने का क्या कारण है ? क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम यादव–

राजकीय अस्पताल, देवप्रयाग में महिला चिकित्सक का पद लगभग एक वर्ष छः माह से रिक्त है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला टिहरी गढ़वाल में चार महिला चिकित्सकों की नियुक्ति दिनांक 30-9-93 को की गयी थी। जिसमें से तीन महिला चिकित्सकों ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर (देहात) के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में यमुना नदी की तलहटी में असिंचित भूमि की सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने की मांग

21 श्री राकेश सचान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर, जनपद कानपुर (देहात) में यमुना नदी के तलहटी में स्थित ग्रामों में कृषकों की मांग को देखते हुए असिंचित भूमि की सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप दो क्लास्टर लगाये जाने हेतु शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक लगवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त नलकूप लगाये जाने हेतु विभाग व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय नलकूप जिला सेक्टर से उपलब्ध धनराशि से निर्मित किये जाते हैं । नलकूपों का स्थलीय चयन जिला नलकूप चयन समिति द्वारा किया जाता है ।

जनपद कानपुर (देहात) के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में यमुना नदी की तलहटी में जनता की मांग पर अस्पताल खोले जाने की मांग

22-श्री राकेश सचान-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर, जनपद कानपुर (देहात) में यमुना नदी की तलहटी में स्थित ग्राम भटपुरवा में जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए अस्पताल की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर, जनपद कानपुर देहात के ग्राम भटपुरवा में अस्पताल की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल नहीं अपितु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाती है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना जिला सेक्टर की योजना है । जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध होने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही शासन स्तर पर स्थापना की स्वीकृति पर विचार किया जाता है ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में विधि सहायक के पदों की संख्या एवं अनधिकृत रूप से अन्य विभागों में सम्बद्ध किये जाने के कारणों की जानकारी

23-श्री हरी शंकर माहौर तथा इंजी० राम लोटन सिंह पटेल-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में विधि सहायक के कितने पद विद्यमान हैं ? क्या विधि सहायक को सौंपे गये कार्य एवं उत्तरदायित्वों को भली-भांति निर्वहन संबंधित विधि सहायकों द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विधि सहायक को विधि अनुभाग से हटाकर अनधिकृत रूप से किसी अन्य अनुभाग में सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विधि सहायकों को किसी अन्य अनुभाग में सम्बद्ध किये जाने का क्या मापदण्ड है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पांच पद ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनधिकृत रूप से नहीं अपितु कार्यहित में एक विधि सहायक को विधि अनुभाग से भिन्न अनुभाग में तैनात किया गया है ।

कार्यहित में ।

वहां विधि संबंधी कार्य सम्पादन हेतु ।

जिला वाराणसी के बी० एच० डब्लू० प्रा० स्वा० केन्द्र बड़ागांव में कार्यरत श्री शोभनाथ की सेवाकाल में मृत्यु होने से प्रतिनियुक्ति किये जाने की मामला

24–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्री शोभनाथ सिंह बी० एच० डब्लू० प्रा० स्वा० केन्द्र, बड़ागांव, जिला वाराणसी में कार्यरत थे और उनकी मृत्यु कार्यरत रहते हुए 16-2-93 को हो गयी ? क्या यह सही है कि मृतक आश्रित होने की वजह से चन्द्रशेखर प्रसाद गांव बिरधवलपुर, पो० चिउरापुर, जिला वाराणसी ने नौकरी में रखने हेतु प्रार्थना-पत्र सी० एम० ओ०, वाराणसी को दिया है ? क्या इनकी योग्यता बी० ए० है ? यदि हां, तो क्या उनकी अब तक नियुक्ति कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के सिंचाई खण्ड बावतपुर राजवाहा क्षेत्र वाराणसी व केराकत राजवाहा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ बनाने हेतु स्वीकृत धन

25–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड जौनपुर के बावतपुर राजवाहा क्षेत्र वाराणसी व केराकत राजवाहा क्षेत्र जौनपुर के लिए दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी व सी० डी० ओ०, वाराणसी तथा जिलाधिकारी व सी० डी० ओ०, जौनपुर को भेजकर वर्ष 93-94 के लिए नहरों के सुधार, नालों की सफाई, पुल पुलियों के निर्माण तथा नई माइनरों की खुदाई हेतु धन की मांग की है ? यदि हां, तो कितना धन दिया गया ? क्या सरकार उक्त नहरों तथा उससे संबंधित माइनरों में सीपेज को ठीक कराने हेतु धन देने पर विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

केवल जनपद जौनपुर में 10.54 लाख रुपया की धनराशि दी गयी है ।

जीं हां । उक्त नहरों तथा उससे संबंधित माइनरों पर सीपेज के निदान हेतु कार्यवाही की गयी है तथा जनपद जौनपुर में 1.14 लाख की धनराशि भी प्रदान की गयी है ।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर में इसौर ड्रेन के कारण जलप्लावित भूमि को कृषि योग्य बनाने की सरकार की योजना

26–श्री गजाधर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर में इसौर ड्रेन बना दिये जाने के फलस्वरूप कितने एकड़ कृषि योग्य भूमि जलप्लावित हो गयी है और अकृषि योग्य हो गयी है ? उक्त जलप्लावित भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है यदि नहीं, तो योजना कब तक बनाकर उसे पूरा किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह कहना सही नहीं है कि इसौर ड्रेन के निर्माण से जल भराव के कारण भूमि अकृषि योग्य हो गयी है । प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ समय से सफाई न होने के कारण ड्रेन का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था । अब सफाई का कार्य प्रगति पर है ।

जनपद रायबरेली में डलमऊ पम्प कैनाल से जो नहर एवं फीडर निकली हो उसमें पानी उपलब्ध किये जाने की मांग

27–श्री गजाधर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली में डलमऊ पम्प कैनाल से जो नहर एवं फीडर निकली है उनमें पानी उपलब्ध नहीं रहता है जबकि शारदा सहायक से निकलने वाली फीडरों में बराबर पानी उपलब्ध रहता है ? शासन द्वारा क्या ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि डलमऊ पम्प नहर से जो नहरें व फीडर निकली हैं उनमें शारदा सहायक नहर से पानी उपलब्ध कराया जाये ? इस प्रकार की योजना के क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं । पानी उपलब्ध रहता है ।

हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में विश्वबैंक द्वारा स्वीकृत नलकूपों की संख्या की जानकारी

28–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 से अब तक जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में विश्वबैंक के कितने राजकीय नलकूप कहां-कहां छिद्रित किये गये ? क्या इन नलकूपों के पम्प हाउस, नालियां आदि पूर्ण कराकर उन्हें सिंचाई हेतु चालू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विश्वबैंक नलकूप परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1984 से अब तक जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम–भड़ेहरी में 3 मई में 3, मझवागांव में 2, हरीपुर में 2, कनुवानी में 2, ओवार,

कौहारी, मकंदमपुर, महुवा, छातीडीह, विरोनपुर, दसौरी, छतरी लापुर, लक्ष्मीपुर में एक-एक अर्थात् कुल 22 नलकूप तथा विकास खण्ड मुफ्तीगंज के अन्तर्गत ग्राम वीरमपुर में 2, पसेवा, बलईपुर, धुरहूपुर, कटहरी में एक-एक अर्थात् कुल 6 राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये । विकास खण्ड धर्मापुर में विश्वबैंक नलकूप परियोजना के अन्तर्गत किसी राजकीय नलकूप का छिद्रण नहीं किया गया ।

जी हां ।

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा वार्ड ब्याय आदि विधिक नियुक्ति

29–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, शाहजहांपुर ने मह दिसम्बर, 93 अथवा इसके आस-पास वार्ड ब्याय आदि की नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो क्या इन नियुक्तियों में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही की जायेगी, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

30-31–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

[दि० 3-2-94 को अता० प्र० सं०–85-86 द्वारा उत्तरित]

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड औराई, भदोही, सेवापुरी, आराजी लाइन ज्ञानपुर में आई० आर० डी० लोनिंग योजना में हुई धांधली की जांच की मांग

32–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद वाराणसी के वि० ख० औराई, भदोही सेवापुरी, आराजी लाइन ज्ञानपुर में आई० आर० डी० लोनिंग योजना में लाभार्थियों को धन न देकर, सीधे संबंधित अधिकारी द्वारा जबरदस्ती हस्ताक्षर कराकर धन हड़प लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच करायेगी ? क्या सरकार उक्त प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने हेतु विचार कर रही है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मिर्जापुर के नारायन प्रसाद सहायक कृषि निरीक्षक जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के कारण सेवा से पदच्युत किया जाना

33–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नारायन प्रसाद, सहायक कृषि निरीक्षक, जिला कृषि अधिकारी, मिर्जापुर ने 16 जून, 1982 के विरुद्ध थाना कछवां, जिला मिर्जापुर में धारा–467/468/409/420/218 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया था और जिला कृषि अधिकारी मिर्जापुर ने अपने पत्रांक–1595/कृषि सेवा/गबन दिनांक 18 जून, 1982 को निलम्बित कर दिया और अपर मुंसिफ मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर के यहां मुकदमा दर्ज कर दिया था ? क्या कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि भवन, लखनऊ ने अपने पत्रांक–गबन/472/6–2650/ई० 4, दिनांक लखनऊ अप्रैल, 27, 1984 के द्वारा नारायन प्रसाद को सेवा से मुक्त कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि प्रथम अपर मुंसिफ मजिस्ट्रेट मिर्जापुर ने नारायन प्रसाद के मु० नं०913/82 राज्य बनाम नारायन प्रसाद अन्तर्गत धारा –467/468/403/420/218 भा० दं० वि० अपराध संख्या–55/82/थाना-कछवां, जनपद मिर्जापुर का निर्णय ता० 6-3-91 को करते हुए आदेश दिया है कि नारायन प्रसाद को उपरोक्त धाराओं के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है ? यदि हां, तो क्या उन्हें सेवा में पुनः ले लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां । श्री नारायन प्रसाद के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के उपरान्त उन्हें सेवा से पदच्युत किया गया ।

अपर मुंसिफ मजिस्ट्रेट मिर्जापुर ने अपने निर्णय दिनांक 6-3-91 के द्वारा श्री नारायन प्रसाद को केवल धारा–467/468/409 भा० दं० वि० के आरोप से दोषमुक्त किया था ।

जी नहीं ।

इन्हें विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप पदच्युत किया गया था, अतएव सेवा में पुनः लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

34–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नारायन प्रसाद स० कृषि निरीक्षक ने अपना प्रत्यावेदन प्रथम मुंसिफ मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर के फैसले की नकल के साथ 14-3-91 को कृषि निदेशक व संयुक्त सचिव कृषि को क्रमशः 22-6-91 व 20-11-91 तथा कृषि सचिव को 20-7-92 एवं मंत्री को 19-6-92 को फैसले के साथ प्रत्यावेदन दिया है ? यदि हां, तो अब तक योगदान कराये जाने के आदेश प्रदान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री नारायन प्रसाद तत्कालीन सहायक कृषि निरीक्षक का कृषि निदेशक को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-3-91 तथा कृषि सचिव को सम्बोधित प्रत्यावेदन दिनांक 19-6-92 प्राप्त हुआ जो शासन में परीक्षणाधीन है । प्रश्न में उल्लिखित अन्य प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं हैं । चूंकि श्री नारायन प्रसाद को विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप सेवा से पदच्युत किया गया था । अतः उन्हें पुनः सेवा में लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में वर्ष 1993-94 में नहरों की मरम्मत कार्य में दिये गये धन के विवरण की जानकारी

35–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में नहरों की मरम्मत कार्य के लिये वर्ष 93-94 में कुल कितना धन दिया गया ? कुल रुपयों में किन-किन कार्यों के लिए कहां-कहां पैसा खर्च किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नहरों की मरम्मत हेतु जनपदवार धन नहीं दिया जाता है । वर्ष 93-94 में शारदा नहर खण्ड सीतापुर जिसके कार्य क्षेत्र में सीतापुर जनपद आता है, को नहरों की मरम्मत हेतु 56-55 लाख रु० का धनाबंटन हुआ है। आवंटित धनराशि के विरुद्ध 31-1-94 तक सीतापुर जनपद में कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण निम्न है :–

1–सिल्ट सफाई	17-75
2–नहरों की कटिंग बन्द कराना, बैंको का सुदृढ़ीकरण, जंगल की सफाई	4-42
3–मस्टररोल कर्मचारियों पर व्यय	8-26
4–वाहनों पर व्यय	2-26
5–आवासीय/अनावासीय भवनों पर व्यय	0-50
6–नहरों के पक्के कार्यों की मरम्मत	0-50
7–नीमसार पम्प नहर पर व्यय	1-45
योग :–	रु० 35-14 लाख

जनपद फैजाबाद के बीकापुर विधान सभा क्षेत्र में धान के क्रय केन्द्रों की संख्या एवं उन क्रय केन्द्रों पर की गयी धांधली की जांच की मांग

36–श्री परशुराम यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के बीकापुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पृथक-पृथक विकास खण्ड में किसानों से धान क्रय करने के लिए वर्ष 1993-94 के धान फसल के मौके पर, किन-किन संस्थाओं के कितने क्रय केन्द्र खोले गए और इन क्रय केन्द्रों पर पृथक-पृथक किन-किन काश्तकारों से कितना-कितना धान क्रय किया गया ? क्या यह भी बतायेंगे कि इन क्रय केन्द्रों पर किसानों से धान न क्रय करके बिचौलियों और व्यापारियों से बड़ी मात्रा में धान क्रय किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कर्मचारियों-अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी अब उक्त क्रय केन्द्रों द्वारा व्यापारियों और बिचौलियों से धान खरीदे जाने के मामले की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद फैजाबाद के बीकापुर विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित संख्या में क्रय केन्द्र खोले गये :–

तारून विकास खण्ड

उ० प्र० सहकारी संघ–2

खाद्य विभाग की विपणन शाखा–1

बीकापुर विकास खण्ड

उ० प्र० सहकारी संघ–2

खाद्य विभाग की विपणन शाखा–1

हेरिंगटनगंज विकास खण्ड

उ० प्र० सहकारी संघ–1

बीकापुर विकास खण्ड में निम्नलिखित किसानों से खरीद हुई :–

1–सर्वश्री चन्द्र कान्त पाण्डेय	37-50-000 कुन्तल
2–देव नारायन वर्मा	32-50-000 कुन्तल
3–राम अजोर चौबे	5-10-000 कुन्तल
4–अवधेश कुमार	0-52-000 कुन्तल
5–मो० रजा	4-06-000 कुन्तल
6–मो० इदरीश	4-00-000 कुन्तल
7–राम नाथ	1-09-000 कुन्तल

बिचौलियों/व्यापारियों से कोई धान नहीं क्रय किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने का मामला

37–श्री ओम प्रकाश पासवान–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में विभिन्न श्रेणी के कितने-कितने पद विद्यमान हैं ? क्या उनमें से प्रत्येक श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की नियुक्ति/प्रोन्नति में प्रतिनिधित्व का प्रतिशत पूरा है ? यदि प्रतिनिधित्व कम है तो कितना तथा इसे पूर्ण करने की दिशा में राष्ट्रीय एकीकरण/कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश में निर्धारित रोस्टर के अनुसार कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस विभाग में कुछ श्रेणी के विद्यमान पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का

प्रतिनिधित्व शून्य है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासनादेश में निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति/प्रोन्नति में वरिष्ठता सूची तैयार की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटा के रिक्त पदों को भरने हेतु अब तक कोई विशेष चयन हुआ है ? यदि हां,तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् एवं मण्डी समितियों में अलग-अलग संवर्ग में श्रेणी–1 में कुल 31, श्रेणी–2 में 92, श्रेणी–3 में 2419 एवं श्रेणी–4 में 2609 पद नियमानुसार स्वीकृत हैं । इनके अतिरिक्त "परिषद् स्तर" से श्रेणी–एक के 24, श्रेणी–दो के 44, श्रेणी–तीन के 287 तथा श्रेणी–चार के 107 पद दि० 30-11-87 के बाद सृजित किये गये हैं जिसके संबंध में शासन की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी ।

जी नहीं ।

अनुसूचित जाति की श्रेणी–1 में 2, श्रेणी–2 में 6, श्रेणी–3 में 107 तथा श्रेणी–4 में 55 की कमी है तथा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 में अलग-अलग पदों पर आरक्षण कोटा नहीं बनता है । श्रेणी–3 में 32 तथा श्रेणी–4 में 45 की कमी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । कुछ श्रेणी नहीं अपितु कुछ संवर्ग/पद में कार्यरत के विरुद्ध अनुमन्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व शून्य है ।

प्रोन्नति हेतु निचले संवर्ग में आरक्षित वर्ग के अर्ह एवं पात्र कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

दि० 15-10-90 व दि० 14-11-91 को प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के अन्य विभागों के आशुलिपिकों की भांति स्वास्थ्य विभाग में आशुलिपिकों का शासनादेश द्वारा जारी संशोधित वेतनमान दिये जाने की मामला

38–श्री राम आसरे वर्मा, श्री राकेश सचान तथा श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन विसंगति समिति द्वारा प्रदेश में कार्यरत आशुलिपिकों को वेतनमान संशोधित करने हेतु वित्त वेतन आयोग के शासनादेश दिनांक 8-10-91 एवं शासनादेश सं० वे० आ०–1-1311/दस–101 (एम)/89, दिनांक 16-7-93 द्वारा शासन के समस्त प्रशासकीय विभागों को निर्देशित किया गया था कि प्रस्ताव भेज कर संशोधित वेतनमान की स्वीकृति प्राप्त करके शासनादेश जारी कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या शासन द्वारा प्रदेश के अन्य विभागों के आशुलिपिकों के वेतनमान को संशोधित कर दिया गया है ? यदि हां, तो स्वास्थ्य विभाग से संशोधित शासनादेश जारी न

किए जाने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस विभाग में भी आशुलिपिकों का संशोधित वेतनमान का शासनादेश जारी करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

शासनादेश जारी किये जाने का प्रस्ताव सहमति हेतु वित्त विभाग को दिनांक 9-2-94 को संदर्भित किया गया है ।

स्वास्थ्य विभाग से अपेक्षित शासनादेश जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । अतः अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

जी हां ।

यथाशीघ्र, औपचारिकता पूर्ण हो जाने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

39•श्री राम आसरे वर्मा, श्री मदन गोपाल वर्मा तथा श्री राकेश सचान–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र०सं०–159 द्वारा उत्तरित]

जिला वाराणसी परगना, ब्लाक भदोही में ज्ञानपुर नहर परियोजना के अन्तर्गत कतिपय गांवों की सुविधा हेतु प्रस्तावित पुल के निर्माण के संबंध में सरकार से मांग

40–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ज्ञानपुर पम्प कैनाल की मुख्य शाखा की नहर में गांव बरवां के पश्चिम उत्तर में परगना भदोही, ब्लाक भदोही, जिला वाराणसी में कोई पुल आज तक नहीं बनाया गया है ? क्या यह भी सही है कि मात्र एक पुल चौरी-महाराजगंज में लठिया में तथा पांच किलोमीटर पूरब में कपसेठी मझमिटियां मार्ग में अठगोड़वां गांव में है ? क्या यह सत्य है कि इस नहर के उत्तर में सुरहन, चांदी गहना, टिकैतपुर, भगवानपुर-कछुआ बोझ हड़हीनारी, बरैहना, गोविन्दपुर तथा दक्षिण में चतनीपुर धनवतिया गोहिलावं, गोटइयां, अर्जुनपुर, तथा बरवां गांव है, जिनमें आने-जाने की असुविधा है तथा किसानों को भी पांच किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है ? यदि हां, तो इस स्थान बरवां के उत्तर में एक बड़ा पुल अब तक न बनाये जाने का कारण क्या है ? क्या नहर का नक्शा बनाते वक्त पुल प्रस्तावित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

ज्ञानपुर नहर परियोजना अभी निर्माणाधीन है । प्रस्तावित-अवशेष कार्यों में नहर के कि० मी० 50.800 पर ग्राम बरवां के समीप पुल का निर्माण प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के स्थान पिण्डरा, ब्लाक पिण्डरा में स्वीकृत मण्डी उपसमिति का निर्माण न होने के कारण की जानकारी

41–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि स्थान पिण्डरा, ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी में एक मण्डी उपसमिति की स्वीकृति कर दी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक उसका निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वाराणसी मण्डी समिति के क्षेत्रान्तर्गत स्थान पिण्डरा, ब्लाक–पिण्डरा उपमण्डी स्थल घोषित है, जहां मात्र तीन थोक व्यापारी कार्यरत हैं, जो विपणन के प्रमुख केन्द्र प्रधान मण्डी स्थल वाराणसी से मात्र 25 कि० मी० की दूरी पर स्थित है। विपणन दृष्टिकोण से निकट भविष्य में पिण्डरा में व्यापारिक गतिविधियों में भी वृद्धि की संभावना नहीं है, इसलिए पिण्डरा के नवीन उपमण्डी स्थल हेतु फिलहाल भूमि क्रय एवं निर्माण पर व्यय किया जाना समिति हित में नहीं है।

जनपद लखनऊ में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था इन्दिरानगर लखनऊ में कम्प्यूटर कम अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री रमेशचन्द्र के वेतन न मिलने की शिकायत

42–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था, इन्दिरानगर, लखनऊ में श्री रमेश चन्द्र जो कि कम्प्यूटर कम अन्वेषक के पद पर दिनांक 6 अगस्त, 1992 से नियमित रूप से कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री रमेश चन्द्र को 6 अगस्त, 1992 से अब तक का वेतन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि न्यायालय ने दिनांक 18-12-92 को वेतन दिये जाने का आदेश भी निर्गत किया था ? यदि हां, तो वेतन न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रश्नगत मामला मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर की मड़ियाहूं और केराकत रजबहा के किनारे की पटरी को पक्का किये जाने की मांग

43–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद जौनपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक-नहर की मड़ियाहूं और केरावत राजबहा के किनारे की सड़क पटरियों को पक्का करने की कोई योजना वर्ष 1984 में स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पटरी को शीघ्र पक्का करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ऐसी कोई योजना वर्ष 1984 में स्वीकृत नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

जनपद जौनपुर स्थित मोथहा एवं जगदीशपुर पम्प कैनाल के लिए ली गई भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

44–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर स्थित मोथहा एवं जगदीशपुर पम्प कैनाल किन-किन गांवों से होकर जाती हैं ? क्या इन नहरों में ली गई समस्त भूमि का मुआवजा संबंधित किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद जौनपुर में मोथहा पम्प नहर ग्राम कल्याणपुर, कबूलपुर, बीबीपुर, सैदनपुर, रमसापुर, नत्थनपुर, जलालुद्दीन, सुल्तानपुर, नसीराबाद, दलपतपट्टी, कोडरी, सहमलपुर, बदलपुर, भगरी, सुगुलपुर एवं जगदीशपुर पम्प नहर ग्राम–शिवपुर, सैदपुर, सखोई, राजेपुर, बदलपुर, केशवपुर एवं महरीपुर से होकर जाती है।

जी नहीं।

28.723 एकड़ भूमि के प्रतिकर का वितरण धनाभाव के कारण बाकी है।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत चकराता निर्वाचन क्षेत्र में लखवाड़ा बांध का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

45–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत चकराता निर्वाचन क्षेत्र में लखवाड़ बांध का निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो कब तक उक्त निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

निर्माण कार्य पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में कंकणोई नहर के निर्माण पर किये गये व्यय का विवरण

46–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में कंकणोई नहर निर्माण पर अब तक शासन ने कुल कितना धन व्यय किया है ? क्या उक्त नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो इससे कौन-कौन से ग्रामों की भूमि सिंचित होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में कंकणोई नहर के निर्माण पर कुल 31.685 लाख रुपया व्यय हुआ है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

47–श्री ओम प्रकाश पासवान–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्/कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा विभिन्न पदों पर पूर्ण करने का विवरण

48–श्री ओम प्रकाश पासवान–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्/कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति का सभी श्रेणी के पदों में प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत पूरा है ? यदि आरक्षण कोटा पूरा नहीं है, तो क्यों? उक्त विभाग में उक्त आरक्षण कोटा कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त विभाग में कितनी ऐसी अनुसूचित जाति की महिला कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ? जो सामान्य जाति के पुरूष कर्मचारी/अधिकारी से विवाह किये हैं ? क्या इनको भी आरक्षण का लाभ मिला है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मण्डी परिषद् में श्रेणी–1में अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति का कोटा नहीं बनता। अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व शून्य है। श्रेणी–2में अनु० जनजाति व पिछड़ी जाति का कोटा नहीं बनता। अनु० जाति का प्रतिनिधित्व 3 प्रतिशत है। श्रेणी–3 में अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण है। अनु० जाति का प्रतिनिधित्व 16% है। श्रेणी–4 में पिछड़ी जाति व अनु० जाति का कोटा पूर्ण है। अनु० जनजाति का प्रतिनिधित्व 0% है।

मण्डी समितियों में श्रेणी–1 में अनु० जाति का कोटा पूर्ण है। अनु० जनजाति व पिछड़ी जाति का कोटा नहीं बनता। श्रेणी–2 में अनु० जाति तथा पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 12% एवं 24% हैं। अनु० जनजाति का कोटा नहीं बनता। श्रेणी–3 में अनु० जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 12%0.2% तथा 19% हैं। श्रेणी–4 में अनु० जाति अनु० जनजाति तथा पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 16% 0.2% व 31% हैं।

सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध नियमित पदों पर कार्यवाही विचाराधीन है। पदोन्नति हेतु आरक्षित वर्ग के अर्ह कर्मचारियों की अनुपलब्धता तथा नियमित स्वीकृत पद उपलब्ध न होने के कारण।

पदोन्नति हेतु आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के न्यूनतम अर्हता पूर्ण कर लेने पर, सीधी भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने पर तथा नियमानुसार स्वीकृत पद पर रिक्ति उपलब्ध होने पर।

एक

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी सेवारत चिकित्सकों द्वारा नान प्रैक्टिस भत्ता लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप

49–डा० राम बाबू हरित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कितने सरकारी सेवारत चिकित्सक नान प्रैक्टिस भत्ता लेते हुये भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ? क्या ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में अध्ययन के उपरान्त अध्यापन का कार्य करने वाले प्रोफेसरों/विभागाध्यक्षों के स्थानान्तरण की मांग

50–डा राम बाबू हरित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के समस्त मेडिकल कालेजों में ऐसे कितने डाक्टर हैं, जो सम्बन्धित कालेज के ही छात्र रहे तथा वहीं पर सहायक प्रोफेसर/प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं ? क्या ऐसे चिकित्सकों को स्थानान्तरण अन्यत्र किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों (ऐलोपैथी) एवं किंग्स जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में कुल 395 ऐसे डाक्टर हैं जो सम्बन्धित कालेज के ही छात्र रहे तथा वहीं पर सहायक आचार्य, सह–आचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं । प्रदेश के आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है । चिकित्सक शिक्षकों का स्थानान्तरण शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समय-समय पर जनहित/प्रशासनिक आधार पर किया जाता है ।

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण सम्भव नहीं है क्योंकि यह लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में उच्चतर प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/नव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात डाक्टरों का केन्द्रों पर न रहने की शिकायत

51–डा० राम बाबू हरित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में उच्चतर प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/नव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ऐसे कितने चिकित्सक तैनात हैं, जो मुख्यालय पर निवास करते हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि चिकित्सक जो वहां निवास नहीं करते हैं, उनके खिलाफ मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त दोषी मुख्य

चिकित्साधिकारी के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने, जमाखोरी रोकने की सरकार की योजना

52–श्री मित्रसेन यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य प्रणाली से सिद्धान्तः सहमत हैं ? यदि हां, तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण के लिए कौन-कौन से उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त मूल्यों के नियंत्रण की कोई ठोस कार्य योजना कब तक तैयार की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने, जमाखोरी रोकने तथा उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न लाइसेन्सिंग आदेशों की शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को दिये जा चुके हैं ।

बाजार में नकली खाद की बिक्री पर रोक लगाने हेतु सरकार का नियंत्रण

53–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार को ज्ञात है कि बाजार में नकली खाद की बिक्री हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको रोकने के लिये कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । तथापि उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु प्रदेश में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 प्रभावी हैं ।

जनपद वाराणसी में सस्ते गल्ले की दुकान पर घटिया किस्म की चीनी के वितरण एवं एफ० ओ० आई० के गोदाम से प्राप्त कम वजन बोरों की शिकायत

54–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार को जानकारी है कि औराई वि० स० क्षेत्र जनपद वाराणसी में सस्ते गल्ले की दुकान पर घटिया किस्म की चीनी का वितरण किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है एफ० ओ० आई० के गोदामों से चीनी के बोरे कम वजन के आपूर्ति किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या आपूर्ति निरीक्षक दुकानदारों से मिलकर खुले बाजारों में अच्छी चीनी बिकवाते हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी भी जांच होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विकास क्षेत्र औराई जनपद वाराणसी में नियन्त्रित मूल्य की चीनी आपूर्ति हाट निरीक्षक घोसिया द्वारा सस्ते गल्ले/चीनी के दुकानदारों को की जाती है । हाट शाखा को चीनी की आपूर्ति पी० सी० एफ० द्वारा की जाती है । घटिया किस्म की चीनी वितरण की शिकायत न तो हाट शाखा द्वारा और न दुकानदारों द्वारा की गई है ।

बोरे में चीनी का स्टैन्डर्ड वजन एक कुन्तल का होता है । यद्यपि आदेश है कि बोरे में कम वजन की सम्भावना पर तौलकर चीनी की व्यवस्था की जाय । किन्तु कम वजन की शिकायत भी सामने नहीं आयी है । चीनी के उठान एवं वितरण का सत्यापन ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है और ग्राम प्रधान स्तर से भी कोई शिकायत सामने नहीं आयी है ।

खुले बाजार में चीनी पर कोई नियंत्रण नहीं है, उपलब्धता के अनुसार विभिन्न चीनी मिलों से चीनी थोक विक्रेताओं द्वारा लायी जाती है जो बाजारों में बेची जाती है ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम द्वारा वर्तमान समय में किये जा रहे कार्यों का विवरण

55–श्री श्रीराम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश नलकूप निगम द्वारा वर्तमान में किस-किस योजना के अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है ? उक्त विभाग के पास वर्तमान में कौन-कौन सा निर्माण कार्य उपलब्ध है ? उक्त कार्य कहां-कहां पर कराये जा रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम वर्तमान में मुख्यतया नलकूप निर्माण के कार्य प्रदेश में व प्रदेश के बाहर करता है ।

नलकूप निर्माण का कार्य मध्य प्रदेश के भिण्ड एवं मुरैना जनपद में निजी लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत निजी नलकूपों के निर्माण का कार्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड व कुछ मैदानी जिलों में तथा जल सम्पूर्ति का कार्य लखनऊ में संजय गांधी इन्स्टीट्यूट में चल रहा है ।

जनपद गोण्डा विकास खण्ड बभनजोत की ग्राम सभा फतेहपुर में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़क में की गई धांधली की शिकायत

56–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बभनजोत, जनपद गोण्डा द्वारा माह दिसम्बर, 93 में ग्राम सभा–फतेहपुर में कच्ची सड़क का निर्माण कार्य जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत, ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उसी पर, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पुनः निर्माण कार्य हुआ दिखाकर अनियमित ढंग से भुगतान कर लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूगर्भ जल विभाग लखनऊ के खण्ड–2 में हुई आडिट में कैशियर द्वारा की गई अनियमितता के सम्बन्ध में निलम्बन की मांग

57–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ के खण्ड–2 का जनवरी, 1983 से नवम्बर, 1984 तक का आडिट कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वहां पर आडिट में लाखों रुपयों का गबन पकड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या संबंधित कैशियर को निलम्बित कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि वित्तीय नियंत्रण रखने वाले तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही शासन द्वारा नहीं की गयी है ? क्या सरकार वित्तीय नियंत्रण में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी को भी निलम्बित किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं । वस्तुतः आडिट पार्टी द्वारा रु० 46,758.30 की कमी कैशबुक में बतायी गयी थी, जिसके आधार पर सम्बन्धित कैशियर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के उपरान्त उसे निलम्बित किया गया था किन्तु पुलिस विवेचना में साक्ष्य के अभाव में गबन की पुष्टि नहीं हुयी, जिसे मा० न्यायालय द्वारा भी स्वीकार किया गया । मा० न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित कैशियर को बहाल किया जा चुका है ।

इस प्रकरण पर विभागीय जांच की जा रही है ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

भूगर्भ जल विभाग खण्ड डी० पी० ए० पी० इलाहाबाद के विरुद्ध मेसर्स अजन्ता ट्यूब्स लि० नई दिल्ली से पाईप टी० एण्ड पी० हेड से क्रय करने का मुख्य प्राविधिक परीक्षक टेक्नीकल आडिट सेल की रिपोर्ट की जांच

58–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि भूगर्भ जल विभाग खण्ड डी० पी० ए० पी०, इलाहाबाद के विरुद्ध मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टेक्निकल आडिट सेल, ग्राम्य विकास के द्वारा मई, 92 में जो रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गयी है, उसमें अधीक्षण अभियन्ता, भूगर्भ जल अन्वेषणात्मक छिद्रण खण्ड-प्रथम द्वारा यह लिखकर दिया गया है कि उनके द्वारा अजन्ता ट्यूब्स लिमिटेड, नई दिल्ली से कोई पाईप टी० एण्ड पी० हेड पर नहीं क्रय किया गया है ? क्या यह सही है कि लगभग रु० 18 लाख की धनराशि का पाईप खरीदा गया व उसमें से चेक सं०–223613-51 दि० 26 सितम्बर, 90 द्वारा रु० 5,28,968 लखनऊ, स्टेट बैंक आफ इण्डिया की गर्वनमेंट सर्विस ब्रान्च के द्वारा अजन्ता ट्यूब्स लि०, नई दिल्ली को भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकारी धनराशि के दुरुपयोग करने तथा शासन को गुमराह करने के आरोप में दोषी अधिकारी को निलम्बित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

जी हां । उक्त सन्दर्भित चेक द्वारा मेसर्स अजन्ता ट्यूब्स लि० नई दिल्ली को किये गये भुगतान से सम्बन्धित पाईप उद्योग निदेशालय, कानपुर के माध्यम से स्टाक पर क्रय किया गया था, जिसका उपयोग डिपाजिट नलकूपों के निर्माण में किया जा चुका है । अतः सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करने तथा शासन को गुमराह करने के आरोप में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

भूगर्भ जल विभाग के अन्वेष्णात्मक छिद्रण खण्ड प्रथम लखनऊ की आडिट रिपोर्ट की जानकारी एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में श्री पूरन चन्द्र स० वि० स० का पत्र

59–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पूरन चन्द, विधायक के पत्र दिनांक 11-11-1991 पर मुख्यमंत्री ने भूगर्भ जल विभाग के अन्वेणात्मक छिद्रण खण्ड प्रथम लखनऊ का आडिट जांच ग्राम्य विकास विभाग के टेक्निकल आडिट सेल द्वारा कराये जाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन से आरोप सही पाये गये हैं तथा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या आरोपित व्यक्तियों को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक निलम्बित कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के ब्लाक जलालपुर धर्मापुर एवं मुफ्तीगंज के अन्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्रामों का विवरण

60–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक जलालपुर, धर्मापुर एवं मुफ्तीगंज के कौन-कौन गांव "अम्बेडकर ग्राम" चयनित किये गये हैं ? उक्त ग्राम्य चयन का मापदण्ड क्या है और चयनित ग्रामों को कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर, धर्मापुर एवं मुफ्तीगंज के निम्नलिखित ग्राम अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं–

विकास खण्ड का नाम	चयनित ग्राम का नाम
1–जलालपुर	(क) जरहिलाखुर्द
	(ख) लालपुर
2–धर्मापुर	(क) परियावां
	(ख) सड़ैला
3–मुफ्तीगंज	(क) बलईपुर
	(ख) असवारा

अम्बेडकर ग्राम के रूप में ऐसे ग्रामों का चयन किया जाता है जहां की आबादी में अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हो । उक्त चयनित अम्बेडकर ग्रामों में निःशुल्क बोरिंग, आई० आर० डी० पी०, ट्राइसेम, सम्पर्क मार्ग, प्राइमरी पाठशाला, खड़न्जा, बच्चों एवं पशुओं का टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधायें उपलब्ध संसाधनों से वरियता के आधार पर करायी जा रही है ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र धर्मापुर, मुफ्तीगंज एवं जलालपुर की अनुसूचित जाति की बस्तियों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का विवरण

61–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिलान्तर्गत विकास क्षेत्र धर्मापुर, मुफ्तीगंज एवं जलालपुर की कितनी अनुसूचित जाति बस्तियां अभी तक सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़ सकी हैं ? क्या निकट भविष्य में इन्हें सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड धर्मापुर की 6, मुफ्तीगंज की 20 एवं जलालपुर की 18, कुल 44 अनुसूचित जाति बस्तियां अभी तक सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़ सकी हैं ।

सम्पर्क मार्गों आदि का निर्माण कार्य धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कराये जाते हैं ।

जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत ए० एन० एम० की जिला मुख्यालय से सम्बद्ध करने की शिकायत

62–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत ए० एन० एम० को जिला मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई विभाग अम्बाड़ी में हुए निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की शिकायत

63–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई विभाग अम्बाडी में निर्माण कार्य मस्ट्रोल व वर्क आर्डर के माध्यम से कराये जाते है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त विभाग निर्माण कार्यों की निविदायें आमन्त्रित करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उक्त खण्ड में अधिकांशतः निर्माण कार्य अनुबन्ध के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त कराये जाते हैं । केवल पूर्व में चालू निर्माणाधीन योजनाओं के दुर्गम स्थानों में स्थित छोटे-छोटे एवं छुट-

पुट अवशेष कार्य सामान्यतः निविदा प्राप्त न होने के कारण, स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कार्यादेशों से कार्य कराये जा रहे हैं । वित्तीय नियमों में ऐसा प्राविधान है एवं जनपद सिंचाई बन्धु के माध्यम से स्थानीय ठेकेदारों से कार्य कराने हेतु संस्तुति की जाती रही है ।

जनपद हरदोई के लघु सिंचाई विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना में हो रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायत

64–श्री राम आसरे वर्मा, श्री मदन गोपाल वर्मा एवं श्री राकेश सचान–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत तीन वर्षों में जनपद हरदोई के लघु सिंचाई विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यों के कितने प्रकरण शासन के समक्ष प्रकाश में आये हैं ? क्या सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

विगत तीन वर्षों में जनपद-हरदोई के लघु सिंचाई विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यों के 9 (नौ) प्रकरण शासन के समक्ष प्रकाश में आये हैं ।

जी हां ।

सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को स्थानान्तरित किया गया । 2 अवर अभियन्ताओं में से एक को निलम्बित करते हुये उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित कर दी गई । एक अवर अभियन्ता, एक बोरिंग टेक्नीशियन तथा एक सहायक बोरिंग टेक्नीशियन को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त की गई है ।

जनपद देवरिया के सिंचाई खण्ड द्वितीय के अन्तर्गत हाटा से बैकुण्ठपुर तक बनाई गयी नहर में विश्व बैंक के अनुदान से निर्मित ट्यूबवेल पर हो रहे व्यय की जानकारी की मांग

65–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड द्वितीय, देवरिया के अन्तर्गत विश्व बैंक के अनुदान द्वारा संचालित ट्यूबवेल, जो हाटा से बैकुण्ठपुर तक बनाई गई नहर के किनारे लगा था, उसकी बोरिंग कब हुई थी ? उक्त के मेन्टीनेन्स/कर्मचारी के मद में आज तक कितना धन खर्च किया गया ? उक्त ट्यूबवेल कितने घंटे चला है ? क्या बिना कार्य के वहां कर्मचारियों को तैनात किया गया ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार सिंचाई खण्ड, द्वितीय देवरिया के अन्तर्गत हाटा से बैकुण्ठपुर तक बनाई गई नहर में विश्व बैंक के अनुदान से कोई ट्यूबवेल नहीं लगाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में आई० आई० टी० कानपुर के इन्जीनियरिंग छात्रों के भांति 6 माह का अलग से अंग्रेजी प्रशिक्षण दिये जाने की मांग

66–डा० राम बाबू हरित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि आई० आई० टी० कानपुर के इन्जीनियरिंग छात्रों को 6 माह का अंग्रेजी कोर्स कराया जाता है ? यदि हां, तो क्या तत्समान उ० प्र० के समस्त मेडिकल कालेजों में ऐसे कोर्स की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या वहां पर पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी ही है ? यदि हां, तो क्या यहां भी भविष्य में ऐसी योजना लागू की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भारत सरकार से संबंधित है ।

चूंकि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० तथा बी० डी० एस० पाठ्ययक्रमों के लिए जो छात्र भर्ती किये जाते हैं उनको इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी विषय पास होना आवश्यक होता है इसलिए अंग्रेजी में 6 माह का अलग से प्रशिक्षण कराया जाना आवश्यक नहीं है ।

जनपद बांदा की तहसील कर्वी अन्तर्गत बनकट लिफ्ट सिंचाई मुख्य नहर से बनवारीपुर शाखा नहर किये गये अवरोधों को हटाने की मांग एवं जांच आख्या की जानकारी

67–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील कर्वी अन्तर्गत बनकट लिफ्ट सिंचाई मुख्य नहर से बनवारीपुर शाखा नहर निकलती है ? यदि हां, तो शाखा बनवारीपुर माइनर की क्षमता कितने क्यूसिक की है ? क्या बनवारीपुर माइनर को ऊपर के किसान छः इंच कुलावा उठाई पर लगाकर अवरुद्ध कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्या कसहाई गांव के किसानों ने दिसम्बर, 93 में एक-एक पत्र क्रमशः अपर जिलाधिकारी कर्वी परगनाधिकारी, कर्वी सहायक अभियन्ता डाल सिंचाई को उक्त माइनर की पूरी क्षमता से बहाव अवरोध को हटाने के लिये दिया गया है ? क्या उक्त रोक को हटाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त माइनर का कमाण्ड क्षेत्र कितना है ? क्या चालू वर्ष में उक्त सिंचाई क्षेत्र में कमी आयी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

2.5 क्यूसेक ।

जी नहीं ।

जी हां ।

इन अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

171 हेक्टेयर ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत लखवाड़ बांध से लकस्यार बैंड से डामटा (समरजेन्स) तक स्वीकृत मोटर मार्ग में हो रही अनियमितता की जांच की मांग

68–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या उत्तरखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत लखवाड़ बांध के कारण लकस्यार बैंड से डामटा (समरजेन्स) मोटर मार्ग 1981-82 में स्वीकृत हुआ था और जिसका समरेखण तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री श्री जगदीश प्रसाद और मुख्य अभियन्ता (लोक निर्माण) श्री मिश्रा द्वारा स्वीकृत हुआ था, के अनुसार निर्माण कार्य किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में पूर्व पर्वतीय विकास मंत्री द्वारा मुख्य मंत्री को पत्र लिखा गया है, और इसके साथ ही सचिव उत्तराखण्ड को भी दिनांक 15-1-94 को पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उसमें उठाये गये बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, प्रश्नगत मोटर मार्ग की स्वीकृति 1982-83 में हुई थी ।

जी नहीं ऐसा कोई समरेखण स्वीकृत नहीं हुआ था ।

सक्षम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा स्वीकृत समरेखण पर कार्य कराया जा रहा है ।

जी हां ।

पत्र में उटाये गए बिन्दुओं पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

जनपद रायबरेली के बरदर नामक स्थान पर सई नदी पर लिफ्ट पम्प कैनाल योजना का प्रस्ताव

69–श्री हृदय नारायण–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि मुख्य मंत्री जी ने प्रश्नकर्ता द्वारा रायबरेली जिले के बरदर नामक स्थान पर सई नदी में लिफ्ट पम्प बनाकर नरीचक रजबहा में पानी डालकर रजबहा पर स्थित पूरे क्षेत्र व प्रश्नगत ब्रांच में पानी बढ़ाने की योजना विषयक प्रेषित पत्र पर योजना को क्रियान्वित कराने के आदेश माह दिसम्बर, 93 जनवरी, 94 में किये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत है कि यह प्रस्ताव उनकी पूर्ववर्ती सरकार में तैयार किया गया था ? यदि हां, तो इस किसानोपयोगी प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सई नदी में पानी की कम उपलब्धता के कारण लिफ्ट पम्प कैनाल की योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उन्नाव की मौरावां ब्रांच की सफाई गत 3 वर्ष से न किये जाने तथा कभी पानी की आपूर्ति न होने की शिकायत

70–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की मौरावां ब्रांच की सफाई गत 3 वर्ष से बिल्कुल न किये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार अवगत है कि इस ब्रांच के ग्राम दुंदपुर के नीचे महारानी खेड़ा, संजरखेड़ा और डाक बंगले के सामने मुख्य नहर के मध्य में वनस्पतियां है और अकोहरी के नीचे मुख्यधारा के बीच बबूल के बड़े-बड़े पेड़ हैं ? क्या सरकार यह भी अवगत है कि यहीं ब्रांच रायबरेली के

सतांव क्षेत्र में भी जाती है और वहां पानी कभी नहीं पहुंचता है ? क्या सरकार इस पूरी कुव्यवस्था पर कोई उतादायित्व निर्धारित करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सेवा मुक्त अथवा सेवा से हटाये गये सहायक परिवहन अभियन्ताओं के बकाये वेतन के भुगतान का मामला

71–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि किन-किन सेवामुक्त सहायक परिवहन अभियन्ताओं का अगस्त, 1988 से अगस्त, 1989 का वेतन बकाया है ? क्या इस संबंध में अभियन्ताओं का कोई प्रत्यावेदन दिनांक 15-11-93 शासन एवं निदेशालय को प्राप्त हुए हैं ? प्रत्यावेदन के प्रस्तर–3 तथा 4 में क्या-क्या बिन्दु उठाये गये हैं तथा प्रत्यावेदन में क्या-क्या अनुरोध किया गया है ? प्रत्यावेदन में उठाये गये बिन्दु एवं अनुरोध में क्या-क्या उचित पाया गया है ? दिसम्बर 93 तक निदेशालय में उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? प्रश्नगत पत्र पर क्या कार्यवाही एवं निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

किसी भी सेवामुक्त अथवा सेवा से हटाये गये सहायक परिवहन अभियन्ता का वेतन बकाया नहीं है ।

जी हां । सेवा से हटाये गये एक सहायक परिवहन अभियन्ता श्री एम० जी० सिंघल का पत्र दिनांक 15-11-93 प्राप्त हुआ था ।

प्रत्यावेदन के प्रस्तर–3 तथा 4 में निम्नलिखित बिन्दु उठाये गये हैं ।

<u>प्रस्तर–3</u>

(1) शासन को प्रेषित प्रस्ताव में तथ्यों को छिपाया गया ।

(2) रिट याचिका 245/91 के साथ संलग्न साक्ष्यों/अभिलेखों पर विचार नहीं किया गया ।

(3) शासन को प्रस्ताव भेजने के पूर्व उनसे नहीं पूछा गया कि वह किस आधार पर वेतन मांग रहे हैं ?

(4) अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने तक को नहीं कहा गया ।

<u>प्रस्तर–4</u>

पैरा–3 में उल्लिखित बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही की जाय ।

उक्त सहायक परिवहन अभियन्ता को शासनादेश दिनांक 28-1-93 द्वारा सेवा से हटा दिया गया था । अतः प्रत्यावेदन पर विचार करने एवं कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

72–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं०–91 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा के बरौली अहीर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप

73–डा० राम बाबू हरित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा के बरौली अहीर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी नान प्रैक्टिस भत्ता लेते हुये भी आगरा नर्सिंग होम में सर्जन के रूप में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उनके खिलाफ शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में राजकीय चिकित्सालय खोले जाने की मांग

74–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत चौवीसर, फतेहगंज, बाबा टीकाराम, बहुता, पलिया, शिवनाम, पूरे देवीदास, बारावां, मिलवल, शरीफाबाद, सुकुलपुर, रतौली आदि ग्रामों मे राजकीय चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त चिकित्सालयों के निर्माण की स्वीकृति दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद बाराबंकी के ग्राम शरीफाबाद और फतेहगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं । शेष स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव जिला योजना के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की योजना जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत है । ग्राम शरीफाबाद और फतेहगंज में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के अनुमोदित प्रस्ताव जिला योजना से प्राप्त न होने के कारण इनके भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है ।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में अमत्यार नहर के निर्माण किये जाने की मांग

75–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में अमत्यार नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो कब तथा इससे कितने ग्रामों की भूमि सिंचित होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

देहरादून जनपद में चकराता निर्वाचन क्षेत्र में अमत्यार नाम की कोई नहर सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित या निर्माणाधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में लखवाड़ बांध के विस्थापितों को उनके प्रतिकर का भुगतान किये जाने की मांग

76–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में लखवाड़ बांध के विस्थापितों को उनके प्रतिकर का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विस्थापितों को उपलब्ध धन के अनुसार आंशिक भुगतान 1974 से वर्ष 1993 तक किया जा चुका है। अवशेष भुगतान धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जिला उन्नाव की तहसील पुरवा से मुबारकपुर तक की रोड कृषि उपजों को मण्डी तक ले जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

77–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील की मण्डी तक कृषि उपजों को आसानी से पहुंचाने के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा कृषि उत्पादन मण्डी समिति के धन से पुरवा मंझिगवां-जगदीशपुर-पिपरी-मुबारकपुर मात्र 11 कि० मी० सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के हेतु प्रस्तावित मुख्य मंत्री को माह जनवरी, 94 में प्रेषित प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र जिसकी प्राप्ति प्रश्नकर्ता को संबोधित संयुक्त सचिव मुख्य मंत्री के पत्र सी० एम० वि० को०/एम–1/ल–90–93, दिनांक 7-1-94 द्वारा की गयी है, पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार अवगत है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति के धन से उक्त मार्ग बन जाने से हजारों किसान लाभान्वित होंगे ? यदि हां, तो मार्ग कब तक बन जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद उन्नाव के पुरवा विधान सभा क्षेत्र की शारदा खण्ड (सिंचाई) व सिंचाई खण्ड की नहरों की फर्जी सिल्ट सफाई की टी० ए० सी० से जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

78–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा विधान सभा क्षेत्र की शारदा खण्ड (सिंचाई) व सिंचाई खण्ड की नहरों की सिल्ट सफाई में वर्ष 1993-94 में सिर्फ घास छिलाई हुई है और फर्जी बाउचर कागज तैयार हुए हैं ? क्या मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र जिसकी प्राप्ति संयुक्त सचिव मुख्य मंत्री को पत्र संख्या–सी० एम०/ वि० को-/एम–1/ल/1–90–93, दिनांक 7-1-94 के द्वारा स्वीकार की गयी है, में वर्णित बिन्दुओं की टी० ए० सी० से सरकार जांच करायेगी ? क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्ष 1992-93 व 91-92 में भी इसी प्रकार प्रश्नगत क्षेत्र में सिल्ट सफाई में घपला किया गया था ? क्या सरकार इन दोनों वर्षों की भी जांच करवायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद में अधिकारी परिषद नियमावली 1994 के विनियम 10 (4) एवं 13 के अन्तर्गत उपनिदेशक निर्माण के पद की योग्यता रखने वाले डिप्लोमाधारी अभियन्ता के वेतनमान का मामला

79–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि क्या उत्तर प्रदेश मंडी परिषद् में सहायक अभियन्ता स्तर के डिप्लोमाधारी अभियन्ता जो सहायक अभियन्ता का वेतनमान ही पा रहे हैं "उप निदेशक निर्माण" के पद, जो कि सामान्यतः कमिश्नरी स्तर पर स्थापित हैं तथा अधिशासी अभियन्ता के समकक्ष हैं, पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब से ? क्या ये अधिकारी परिषद् नियमावली 1984 के विनियम 10 (4) एवं 13 के अन्तर्गत उपनिदेशक निर्माण के पद निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी करते हैं ? क्या यह व्यवस्था मंडी परिषद् नियमावली के अनुकूल है ? यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था अन्य विभागों में भी लागू की जायेगी ? यदि हां, तो किन-किन विभागों में और कब से ? यदि नहीं, तो क्या

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । केवल प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

जी नहीं । यह केवल आन्तरिक प्रभारी व्यवस्था है । विनियम 10 (4) एव 13 के अन्तर्गत न्यूनतम निर्धारित योग्यता पूरी करने पर ही प्रोन्नति संभव है ।

यह नियमावली के अन्तर्गत नियमित प्रोन्नति न होकर कार्यहित म केवल काम चलाऊ व्यवस्था है ।

जी नहीं । हर विभाग अपनी विशिष्ट समस्या के अनुसार कार्यहित में अपनी व्यवस्था करते हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियमित व्यवस्था लागू हो जाने पर यह स्वतः ही समाप्त हो जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 190 पर)

जनपद कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौयोगिक विश्वविद्यालय के मृतक/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशनादि के भुगतान का मामला

80–श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–13/12-189-304/84, दिनांक 10 मई, 1989 के अनुसार चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मृतक/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारजनों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो किन-किन कर्मचारियो का भुगतान वर्ष 1986 से लंबित है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

सम्प्रति मामले में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा लगायी गई आपत्तियों के कारण निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान नही किया जा रहा है :–

1 श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामू, चपरासी ।

2 श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राम नरेश ।

3–श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद ।

81–श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मुन्नी देवी विधवा स्व० श्री रामू, मृतक कर्मचारी, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का पारिवारिक पेंशन भुगतान कराने विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-2-93 व अन्य अनेकों पत्र सचिव कृषि विभाग को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान कब तक करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

जी नहीं ।

सम्प्रति मामले में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के कारण भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश की आपत्तियों का निराकरण होने के पश्चात् उनके ही आदेश से भुगतान सम्भव होगा ।

जिला मिर्जापुर के नारायणपुर विकास खण्ड के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन एवं डी० आर० डी० ए० मद से प्राप्त धन के दुरुपयोग का मामला

82–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नारायणपुर विकास खण्ड (जिला मिर्जापुर) के प्रत्येक ग्राम प्रधान को वर्ष 1992-93 व 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि दी गयी ? किस-किस ग्राम प्रधान के विरुद्ध इस मद के धन के दुरुपयोग के कारण जांच चल रही है ? डी० आर० डी० ए० मद से कौन-कौन से कार्य इन दो वर्षों में स्वीकृत हुए और उस पर कितनी धनराशि आवंटित हुई ? कौन-कौन कार्य अपूर्ण हैं ?

श्री श्रीराम यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट पव्वाधार-चौरपाल मोटर मार्ग बनाये जाने का मामला

83–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट पव्वाधार-चौरपाल मोटर मार्ग का निर्माण कब स्वीकृत हुआ ? उक्त स्वीकृति के उपरान्त अब तक सड़क निर्माण न हो पाने के क्या कारण है ? क्या उक्त कारणों का निवारण शासन के माध्यम से कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट-पव्वाधार-चौरपाल मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति तीन चरणों में 19 कि०मी० लम्बाई के लिए माह नवम्बर, 84 व मार्च, 88 तथा अक्टूबर, 89 में दी गयी ।

स्वीकृति के उपरान्त 19 कि०मी० में प्रथम चरण में 3 कि०मी० लम्बाई में कार्य पूर्ण हो चुका है । दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है । शेष आगे का मार्ग वन भूमि हस्तानान्तरण न होने के कारण रुका है ।

वन भूमि हस्तानान्तरण के प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी की आपत्तियों का निराकरण करके दिनांक 2 फरवरी, 1994 को नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक वन, उपयोग वृत्त, लखनऊ को भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० एग्रो के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यकाल वर्ष 1992-93 में वार्षिक लेखों का कथित सम्प्रेक्षण

84–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० एग्रो के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यकाल वर्ष 1992-93 में ए० जी० आडिटर द्वारा उठायी गयी आपत्ति के विरुद्ध अब तक क्या विभागीय कार्यवाही हुई है ? क्या ए० जी० आडिटर ने उक्त प्रभारी क्षेत्रीय प्रबन्धक के बारे में लिखा था कि लाखों का गबन होने के कारणवश इन्हें क्षेत्रीय प्रबन्धक लखनऊ का चार्ज दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है ? क्या उक्त क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यकाल में हुई चोरी/गबन आदि की अनियमितताओं की जांच शासन स्तर से करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा जांच कराकर उनके विरुद्ध कब तक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

यू० पी० एग्रो के वर्ष 92-93 के वार्षिक लेखों का सम्प्रेक्षण ए० जी० आडीटर द्वारा नहीं हुआ है, अतः विभागीय कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका, श्रीमती रंजना पाण्डेय के स्थानान्तरण का मामला

85–श्री मदन गोपाल वर्मा एवं श्री राकेश सचान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका, श्रीमती रंजना पाण्डेय विगत लगभग पांच वर्षों से अपने गृह जनपद हरदोई में तैनाती के बाद अन्य जनपद में स्थानान्तरित कर दी गयी थीं ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के

संबंध में एक अपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया गया था ? यदि हां, तो पुनः उनको हरदोई स्थानान्तरित किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम यादव-

डा० (श्रीमती) रंजना पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, हरदोई जिनका गृह जनपद मैनपुरी है, को शासनादेश दिनांक 21-6-93 द्वारा सीनियर कन्सल्टेंट, महिला अस्पताल, झांसी के पद पर तदुपरान्त उक्त स्थानान्तरण आदेश में संशोधन करते हुए उन्हें शासनादेश दिनांक 23-8-93 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला अस्पताल, बस्ती के पद पर तैनात किया गया।

डा० (श्रीमती) पाण्डेय से उनके स्थानान्तरण के पश्चात् सरकारी अभिलेखों का चार्ज हस्तान्तरित न होने की दशा में उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु इसी मध्य महिला चिकित्सालय, हरदोई में नियमित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका की तैनाती न होने के कारण डा० (श्रीमती) पाण्डेय को जनहित में पुनः उक्त पद पर तैनात कर दिया गया है।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिण्टनगंज व अमानीगंज में इण्डोडच योजना के अन्तर्गत लगे नलकूपों की स्थिति

86-श्री मित्रसेन यादव-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड हरिण्टनगंज व अमानीगंज, फैजाबाद में इण्डोडच स्कीम के अन्तर्गत कितने-कितने नलकूपों के कलेस्टर बनाने का लक्ष्य था ? अब तक उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने नलकूप सिंचन कार्य सुविधा उपलब्ध कराने में सफल घोषित किये गये हैं ? लक्ष्य के विपरीत कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने नलकूप असफल पाये गये हैं ? क्या असफल पाये गये नलकूपों के कारण सिंचन सुविधा से वंचित कृषि क्षेत्र के लिए कोई अन्य योजना शासन द्वारा प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिण्टनगंज एवं अमानीगंज में इण्डोडच योजना के अन्तर्गत क्रमशः 28 एवं 18 नलकूपों के कलस्टर बनाने का लक्ष्य था।

इस कलस्टर के अन्तर्गत विकास खण्ड हरिण्टनगंज में 21 एवं अमानीगंज में 13 नलकूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में सफल घोषित किये गये हैं ?

इन विकास खण्डों में क्रमशः 7 एवं 5 नलकूप भूगर्भ में पर्याप्त जल धारक स्ट्रेटा उपलब्ध न होने के कारण असफल रहे।

भू-गर्भ में पर्याप्त जल धारक स्ट्रेटा उपलब्ध न होने के कारण कोई अन्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद फैजाबाद के विकास क्षेत्र अमानीगंज हरिण्टनगंज और मिल्कीपुर में लगे नलकूपों की संख्या एवं स्थिति की जानकारी

87–श्री मित्रसेन यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास क्षेत्र अमानीगंज, हरिण्टनगंज और मिल्कीपुर में अब तक अलग-अलग कुल कितने राजकीय नलकूप लगवाये गये हैं ? उनमें से कुल कितने नलकूप अपनी पूरी क्षमता पर सिंचन कार्य कर रहे हैं ? उनका निर्धारित क्षेत्रफल क्या है तथा कुल असफल नलकूपों की संख्या क्या है ? क्या असफल नलकूपों के कारण सिंचन सुविधा से वंचित कृषि क्षेत्र के लिए कोई अन्य योजना उक्त क्षेत्र में सिंचन सुविधा सुलभ कराने हेतु शासन से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अमानीगंज, हरिण्टनगंज और मिल्कीपुर के अन्तर्गत क्रमशः 68, 95 तथा 62 राजकीय नलकूप लगाये गये हैं ।

राजकीय नलकूपों की सिंचन क्षमता का पूरा उद्योग मुख्यतः कृषकों की पानी की मांग व विद्युत उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रत्येक राजकीय नलकूप का निर्धारित कमाण्ड क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर है ।

उक्त विकास खण्डों के अन्तर्गत कुल असफल नलकूपों की संख्या 10 है ।

जनपद प्लान में वित्तीय प्राविधान के अनुसार असफल नलकूपों के पुनः निर्माण की योजना है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अमानीगंज में चयनित अम्बेडकर गांव की सूची का विवरण

88–श्री मित्रसेन यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत स्थित विकास क्षेत्र अमानीगंज में कौन-कौन से गांव चतुर्दिक विकास कार्य हेतु चयनित अम्बेडकर ग्राम सूचीबद्ध किये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रामपुर गौहनिया चयनित अम्बेडकर ग्राम माना गया है ? यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती चयनित अम्बेडकर ग्राम रामपुर गौहनिया के विकास कार्य हेतु अनुमन्य धनराशि वर्ष 1993-94 को अवमुक्त न करके उसके स्थान पर सवर्ण बाहुल्य ग्राम बेहटा गौहनिया को उक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने की गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है ? इसके लिए कौन-कौन लोग दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री श्रीराम यादव-

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अमानीगंज में निम्नलिखित ग्राम अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं :—

1–रामपुर गौहनिया

2–मेवापुर

3–मुतालके

4–रसूलपुर

5–लिलहा

जी हां। जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है।

रामपुर गौहनिया अम्बेडकर ग्राम को वर्ष 1993-94 में खडण्जा एवं नाली निर्माण हेतु रु० 1.169 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। ग्राम बेहटा गौहनिया को वर्ष 93-94 में कोई भी धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिग्टनगंज व मिल्कीपुर में चयनित अम्बेडकर ग्रामों की सूची का विवरण

89–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र हरिग्टनगंज व मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में कौन-कौन से गांव चयनित अम्बेडकर ग्राम सूचीबद्ध किये गये हैं ? चयनित अम्बेडकर ग्राम के चयन का मांपदण्ड क्या है ? किस-किस प्रकार के विकास कार्य हेतु कितनी-कितनी धनराशि शासन से अनुमन्य है तथा इसका विस्तृत विवरण क्या है ?

श्री श्रीराम यादव-

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिग्टनगंज व मिल्कीपुर में निम्नलिखित ग्राम अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं :—

विकास खण्ड	चयनित अम्बेडकर ग्राम का नाम
1–हरिग्टनगंज	हरदोईया, रजौरा
2–मिल्कीपुर	सरांय धनेठी

अम्बेडकर ग्राम के रूप में ऐसे ग्रामों का चयन किया जाता है जहां की आबादी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हो।

चयनित अम्बेडकर ग्रामों में निःशुल्क बोरिंग, आई० आर० डी०पी०, ट्राइसेम, सम्पर्क मार्ग, निर्बल वर्ग आवास, इन्दिरा आवास, विद्युतीकरण, स्कूल भवन, पेयजल, टीकाकरण, खडण्जा, नाली आदि का विकास कार्य होता है। इस योजना के लिए अलग से कोई धनराशि मात्राकृत नहीं होती है बल्कि संबंधित विभाग अपनी योजनाओं में से अम्बेडकर ग्राम को प्राथमिकता देते हैं।

जिला वाराणसी स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के प्रान्तीयकरण के पश्चात् द्वितीय व तृतीय वेतन आयोग का वेतन न मिलने की शिकायत

90–श्री श्याम देव राय चौधरी ''दादा''–

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के प्रान्तीयकरण के पश्चात् वहां के समस्त कर्मचारियों को उ०प्र० द्वितीय एवं तृतीय वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान के अन्तर्गत सभी लाभ प्रदान किये जा रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि वहीं पर कार्यरत विनियमित आर्टिस्ट एवं माडलर उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत वेतन आदि उपरोक्त लाभों से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त प्रभावित लाभार्थी को समय-समय अनुमन्य लाभ शासन द्वारा देने में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

वेतन आयोग की संस्तुतियों पर वेतन पुनरीक्षण में छूटे हुए पदों, जिनमें आर्टिस्ट पद एवं माडलर का पद भी सम्मिलित है, के पुनरीक्षण की कार्यवाही वित्त विभाग के परामर्श से की जा रही है ।

जनपद मथुरा के श्री लक्ष्मन सिंह, स्वास्थ्य सहायक, प्रा० स्वा० केन्द्र, फरह की प्रोन्नति के संबंध में शासन का आदेश

91–प्रो० रवीन्द्र पुन्डीर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राकेश कुमार गोयल, संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य), चिकित्सा अनुभाग–12, उ० प्र० शासन, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 17-12-1993 पत्र संख्या–3630/5-1293 टी/4/93 द्वारा निदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ को श्री लक्ष्मन सिह, स्वास्थ्य सहायक, प्रा० स्वा० केन्द्र, फरह, मथुरा को लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 14-5-92 को अनुपालन हेतु कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां । पात्रता के आधार पर प्रोन्नति करने पर विचार हेतु आदेश दिये गए ।

प्रकरण में पुनः शासन के आदेश मांगे गये है । मामला शासन के विचाराधीन है ।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में भिन्डाल नहर का निर्माण कार्य न पूरा होने से हो रही सिंचाई की असुविधा

92–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में भिन्डाल नहर का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो इससे कितने ग्रामों की भूमि सिंचित होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

इस निर्माणाधीन नहर से भिन्डाल एवं कन्दाड गांवों की कुछ सिंचाई हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

93–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[दि० 23-2-94 को अता० प्र० सं०–67 तथा दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं०–111 द्वारा उत्तरित]

जनपद बाराबंकी की ग्राम सभा हरचन्दपुर गैरवा के मध्य पलिया ड्रेन में पुल का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर

94–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत ग्राम सभा हरचन्दपुर गैरवा के मध्य पालिया ड्रेन में सिंचाई विभाग खण्ड–40, लखनऊ द्वारा पुल बनाने के प्रस्ताव को शासन द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल का निर्माण कार्य 1994 पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

निर्माण कार्य पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

कृषि निदेशालय के सांख्यिकी अनुभाग के कम्प्यूटर ग्रुप–11 में कार्यरत अनुसूचित जाति के श्री बी०एल० हंस की नियुक्ति का मामला

95–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि निदेशालय के सांख्यिकी अनुभाग, उ०प्र० में कम्प्यूटर ग्रुप–11 में 18-10-65 को एक मात्र अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के रूप में श्री बी० एल० हंस की नियुक्ति हुई थी ? यदि हां, तो क्या 1966 में ग्रुप–1 के 17 नवसृजित पदों में से आरक्षित पदों के विरुद्ध उक्त श्री हंस पदोन्नति के पात्र थे ? यदि हां, तो एक मात्र अनुसूचित अभ्यर्थी को पदोन्नत न किये जाने के क्या कारण रहे हैं और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1968 में ग्रुप–1 में ज्येष्ठतम अभ्यर्थी, श्री बी०एल० हंस की उपेक्षा करते हुये वर्ष 1970 में नियुक्त अनुसूचित जाति के अन्य दो अभ्यर्थियों को पदोन्नति किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या उक्त श्री बी०एल० हंस को, जो पात्रता की सीमा में भी हैं 1966 से ही पदोन्नति के लाभ देते हुये, उन्हें ग्रुप–1 में पदस्थापित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों, क्या मंत्री जी

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के उत्पीड़न के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही पर भी विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । क्योंकि कम्प्यूटर के पद पदोन्नति का प्राविधान 1966 में नहीं था । अतः पदोन्नति की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीखड़, नरायनपुर एवं जमालपुर के विकास एवं निर्माण हेतु अधिकृत एजेन्सी की जानकारी

96–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी० आर० डी० ए०, जिला मिर्जापुर को वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 के लिए कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? मिर्जापुर जिले के विकास खण्ड सीखड़, नरायनपुर एवं जमालपुर में वर्ष 92-93 तथा 93-94 में कौन-कौन से निर्माण कार्य और प्रत्येक के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? प्रत्येक प्रस्तावित निर्माण कार्य के अन्तर्गत निर्माण की जिम्मेदारी किस एजेन्सी को दी गयी है ? वर्ष 1992-93 के कौन-कौन से कार्य हैं, जो लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को दिये गये ? कितने कार्य अभी अपूर्ण हैं ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के असिंचित क्षेत्र को सिंचित बनाने हेतु कतिपय ग्रामों में नलकूप लगवाये जाने की योजना की जानकारी

97–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र के असिंचित क्षेत्र को सिंचित बनाने के लिए मौलाबाद, मंझार, जौरास, धौरहा, भितरी जसकापुर, रौनी, खेरवा, भिटौरा, मलहनपुरवा, संतोषपुर, लौहंगपुर, नैपुरा, सालपुर, रानीपुर, खुकनुद्दीनपुर, थलवारा, गढ़ीगोसियामऊ, जयचन्दापुर, मलहनपुरवा, निदूरी, टिकुरी, नगरिया, मुजियामऊ, हुसैनाबाद, चौकारा, आलापुर शरीफाबाद, रेहरा, मोहम्मदपुर, मारूफपुर आदि ग्रामों में राजकीय नलकूप लगवाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय नलकूप जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने पर लगाये जाते हैं ।

जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र हंडिया में शारदा सहायक खण्ड–30 द्वारा किसानों से ली गई जमीन के मुआवजे के भुगतान की जानकारी

98–श्री जोखू लाल यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शारदा सहायक खण्ड–30 द्वारा इलाहाबाद जनपद के विधान सभा क्षेत्र हंडिया के किसानों से ली गयी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक मुआवजे का भुगतान कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्य जिलाधिकारी के माध्यम से होता है तथा इस संबंध में वैधानिक कार्यवाही के उपरान्त ही भूमि प्रतिकर के वितरण की कार्यवाही की जाती है । हंडिया में 58 ग्रामों की प्रभावित भूमि के विरुद्ध 34 ग्रामों की भूमि प्रतिकर वितरित किया जा चुका है । अवशेष 24 ग्रामों में से 8 ग्रामों के प्रतिकर वितरण हेतु 10 प्रतिशत धन भी विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है । अवशेष प्रतिकर वितरण धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

सहकारी समितियों के आवंटन एवं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के अनुबन्ध को समाप्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु शासनादेश का अनुपालन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी की मांग

99–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सहकारी समितियों को आवंटित की गयी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के लाइसेन्स को निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी अथवा जिला आपूर्ति अधिकारी को है ? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई शासनादेश जारी हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारियों द्वारा शासनादेश का पालन न करने के संबंध में उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासनादेश संख्या–एफ–3967/29-खाद्य–6, दिनांक 3 जुलाई, 1990 द्वारा उचित दर की सभी दुकानों, जिसमें सहकारी समितियों की दुकानें भी सम्मिलित हैं, अनुबन्ध-पत्र समाप्त करने का अधिकार जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/नगर राशनिंग अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (आ०)/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को है । अधिकारियों द्वारा इस शासनादेश का पालन किया जाता है । यदि शासनादेश के उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर कार्यवाही की जाती है ।

जनपद मथुरा में लोअर कैनाल कट जाने से हुई क्षति के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

100–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 21-12-1994 को लोअर कैनाल, आगरा के मथुरा जनपद में 6-7 दिसम्बर, 94 की रात्रि मे मील नं० 83 पर टूट जाने पर काश्तकारों की क्षतिपूर्ति हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि लालपुर माइनर से काश्तकारों द्वारा बोई हुई फसल बर्बाद हुई ? यदि हां, तो क्या दोषियों को दण्ड देने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लोअर कैनाल, आगरा के मथुरा जनपद में 6-7 दिसम्बर, 93 (दिसम्बर, 94 नहीं) की रात्रि में मील 83-3-100 दायीं पटरी को कृषकों द्वारा अवैधानिक रूप से काटने के कारण नहर में खांदी हो गई थी। मा० विधायक के प्रार्थना-पत्र पर जांच करायी गयी। कृषकों द्वारा अवैधानिक रूप से नहर काटने के कारण क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

लालपुर माइनर से काश्तकारों द्वारा बोई हुई फसल की कोई बरबादी नहीं हुई।

अज्ञात व्यक्तियों के नाम एफ०आई०आर० दर्ज करा दी गयी है।

कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कर्मचारियों को पेंशन आदि के भुगतान के विषय में शासन को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

101–श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद का पत्र सं० 2463, दिनांक 26-9-89, पत्रांक 4217, दिनांक 2-2-90, पत्रांक 1993, दिनांक 18-1-91, पत्रांक 2855, दिनांक 24-9-91, कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन भुगतान विषयक, कृषि सचिव, उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्रों का उत्तर महालेखाकार को भेज दिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि इस संबंध में प्रधानाचार्य, चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर ने भी अगस्त, 1992 में सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

महालेखाकार, उ०प्र० का पत्र दिनांक 26-9-89 शासन को प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में महालेखाकार को 15-3-90 को उत्तर दिया जा चुका है। जी हां, इस संबंध में कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सूचना मांगी गई है।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र सदर स्थित मडियाहूं नहर शाखा की सफाई कराने की मांग

102–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सदर, प्रतापगढ़ में स्थित मडियाहूं नहर शाखा में सीपेज से बचने के लिये जो नाले बनाये गये हैं, उनकी सफाई मौके पर कई वर्षों से नहीं की गई, जिससे ग्राम नौवापुर, हरिहर रामपुर,जद्दूपुर, हालामई, दिवैनी, ब्लाक मान्धाता तथा नहर के दोनों किनारों के तमाम गांवों की हजारों बीघे जमीन की रबी की फसल में बोवाई नहीं की जा सकी है ? क्या यह भी सत्य है कि नहर में घास उग गयी है व बाग सूख रहे हैं व खेती अनुपजाऊ होते जा रहे हैं ? यदि हां, तो नालों की सफाई के लिये क्या व्यवस्था सरकार कर रही है ? नालों की सफाई का फर्जी भुगतान लेने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । तीन चार वर्षों से सीपेज ड्रेन की सफाई न होने के कारण रबी की फसल प्रभावित है ।

जी नहीं ।

नाले की सफाई की व्यवस्था धन उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

सीपेज ड्रेन्स की सफाई करायी ही नहीं गयी, अतः फर्जी भुगतान होने तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर विकास खण्ड मान्धाता में बाबूपुर धनीपुर ड्रेन की फर्जी सफाई किये जाने से दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने की मांग

103–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र, सदर, प्रतापगढ़ विकास खण्ड मान्धाता में बाबूपुर धनीपुर ड्रेन की सफाई का ठेका विभागीय अधिकारी ही फर्जी नाम से कराकर फर्जी भुगतान ले रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उन दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बाबूपुर नाम की कोई विभागीय ड्रेन नहीं है । धनीपुर ड्रेन की सफाई का कार्य पंजीकृत ठेकेदारों से कार्यादेशों के माध्यम से वर्ष 1993-94 में कराया गया । अतः शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता के शेखपुर बनी तथा पूरे सुखदेव माइनरों में टेल तक पानी न पहुंचने की शिकायत

104–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सदर, प्रतापगढ़ में स्थित विकास खण्ड मान्धाता के शेखपुर बनी तथा पूरे सुखदेव माइनरों में टेल तक पानी शासनादेश के बावजूद भी नहीं पहुंचाया जाता है ? क्या यह सही है कि शेखपुर बनी माइनर को ग्राम ऐजथा में सदैव बांध लिया

जाता है ? क्या उक्त ग्रामवासी शेखपुर बनी के किसान पानी नहीं पाते हैं ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिये एवं इन माइनरों में सिंचाई हेतु समुचित पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शेखपुर बनी तथा पूरे सुखदेव नाम की कोई माइनर नहीं है । अतः इनके टेल तक पानी न पहुंचाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, शेखपुर बनी के ग्रामवासी नागापुर राजबहे से पानी पाते हैं ।

शेखपुर बनी गांव की नागापुर राजबहे से एवं सुखदेव गांव की पर्याप्त सिंचाई हीरागंज राजबहे से होती है ।

वर्तमान में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उन्नाव की पुरवा सी० एच० सी० के निर्माण में मानक से कम प्रयुक्त हुए मैटेरियल की जांच टी०ए०सी० से कराने एवं उसके रिपोर्ट की जानकारी

105–श्री हृदय नारायण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव जिले की पुरवा में सी०एच०सी० के निर्माण में मानक से कम सरिया, मौरंग और सीमेंट का प्रयोग हुआ है ? क्या यह सही है कि मानक के अनुसार कटबैक भी नहीं डाला गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत मामले के संबंध में उनको माह जनवरी, 1994 में प्रेषित मुख्य मंत्री को 13 जनवरी, 1994 को दिये गये प्रश्नकर्ता के पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मुख्य मंत्री द्वारा जारी टी० ए० सी० जांच आदेश के निष्कर्ष क्या हैं ? दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम यादव–

माननीय सदस्य के माह जनवरी, 1994 के पत्र में उल्लिखित भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच लोक निर्माण विभाग के तकनीकी जांच प्रकोष्ठ (टी०ए०सी०) द्वारा कराई जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य में मानक से कम सरिया, मौरंग एवं सीमेंट के प्रयोग किये जाने एवं मानक के अनुसार कट बैक भी न डाले जाने की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी तथा अनियमितताएं स्थापित होने संबंधी व्यक्तियों के विरुद्ध यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

नहरों के अवैध कटान को रोकने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली सरकार की योजना

106–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नहरों के अवैध कटान को रोकने के लिये कानूनों में परिवर्तन किये जाने की शासन की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इनका परिवर्तन कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

नहरों की अवैध कटान को रोकने के लिये संबंधित दोषी व्यक्ति के विरुद्ध यथा संशोधित उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम 1873 के अन्तर्गत सजा देने तथा आर्थिक दण्ड देने का प्राविधान है । राजकीय सम्पत्ति को हानि पहुंचाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पुलिस में एफ०आई०आर० दर्ज कराई जाती है ।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को दी जाने वाली दवा रोगियों के उपचार हेतु अपर्याप्त होने तथा उसमें वृद्धि किए जाने की मांग

107–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवा हेतु जो धन आवंटित किया जाता है, वह रोगियों के उपचार हेतु पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां, राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्ठिगत रखते हुए सामान्य रोगियों के उपचार हेतु औषधि मद में आवंटित धनराशि पर्याप्त है फिर भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इसमें वृद्धि के प्रयास जारी हैं ।

सिंचाई विभाग में विभिन्न श्रेणीयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण की स्थिति की जानकारी

108–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति की आरक्षण स्थिति विभिन्न श्रेणियों के पदों में क्या है ? प्रदेश में वर्तमान समय में यदि आरक्षण पूर्ण नहीं है, तो आरक्षण पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति की विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण की स्थिति निम्न प्रकार है :–

श्रेणी	कार्यरत पदों की संख्या	प्रतिनिधित्व	
		अ०जा०	अ०जन०जा०
क	1040	81	2
ख	2122	206	4
ग	46950	6682	133
घ	24108	4452	137

समूह "क" तथा "ख" के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी कम उपलब्ध हो रहे हैं। फिर भी विशेष चयन के माध्यम से समूह "ख" के पदों पर भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग को लिखा जा रहा है। समूह "क" के पद पदोन्नति से भरे जाते है तथा जब तक इस समुदाय के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में समूह "ख" में नहीं होंगे तब तक इस समुदाय के अभ्यर्थियों के लिये समूह "क" में निर्धारित पद खाली ही रहेंगे। इसी प्रकार समूह "ग" व "घ" के बारे में विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से इस समुदाय के लिये निर्धारित आरक्षण कोटे को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

109–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उ० प्र० के स्वास्थ्य विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण की वर्तमान समय में स्थिति क्या है ? यदि विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण कम है, तो उसकी पूर्ति हेतु क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम शासन द्वारा चलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण की वर्तमान स्थिति संलग्न सूची में दर्शायी गयी है।

जी हां। समूह "ग" के पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान चला कर कोटा पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। समूह "क" तथा "ख" के पदों में नियमानुसार आरक्षण उपलब्ध है परन्तु अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण कोटा अपूर्ण है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 191 पर)

जिला उन्नाव के पुरवा, असोहा विकास खण्ड में योजनाओं की जानकारी

110–श्री हृदय नारायण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा विधान सभा क्षेत्र के हिलौली व पुरवा असोहा विकास खण्डों में वर्ष 1992-93 व 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना की जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से सीधे तय होने वाली 20 प्रतिशत धनराशि से कितनी योजनायें प्रस्तावित हुयी थीं ? इनमें से कुल कितनी योजनायें पूर्णतया बन गयी हैं ? समय पर योजनाओं के न पूरा पाने के लिये दोषी जनों के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार प्रश्नगत अवधि की योजनाओं की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

उन्नाव जिले की पुरवा विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड हिलौली, पुरवा एवं असोहा में वर्ष 1992-93 व 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से सीधे तय होने वाली 20 प्रतिशत धनराशि से क्रमशः 28 व 34 योजनायें प्रस्तावित की गयीं।

उक्त योजनाओं में से वर्ष 1992-93 में प्रस्तावित 28 में से 27 एवं वर्ष 1993-94 में 34 में से 20 योजनायें पूर्ण हो गयी हैं।

सभी अपूर्ण योजनाओं के प्रगति पर होने के कारण कोई दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

<u>योजनाओं की सूची संलग्न है।</u>

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 192-193 पर)

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर, प्रतापगढ़ बिहार, वीरापुर की सिंचाई व्यवस्था में नियंत्रण की जानकारी

111–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सदर, प्रतापगढ़, बिहार, वीरापुर का जो भाग इलाहाबाद सिंचाई खण्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, उसकी कोई जानकारी जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ को नहीं दी जाती है ? क्या उक्त विभाग के विभागीय अधिकारी जिला की बैठकों में भाग लेने आते हैं ? यदि नहीं, तो उसकी जानकारी एवं नियंत्रण तथा आम जनता को राहत क्या मंत्री जी दिलायेंगे ? यदि हां, तो क्या इसका कार्य क्षेत्र प्रतापगढ़ के अधीन किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या कोई अन्य व्यवस्था वहां के लिये की जावेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह सही है कि वर्तमान में सिंचाई खण्डों का निर्धारण इस प्रकार से है जिससे एक खण्ड का कुछ भाग एक से अधिक जनपदों में आ जाता है परन्तु यह कहना सही नहीं है कि ऐसे खण्डों में सिंचाई

सुविधा के बारे में जिलाधिकारी को जानकारी नहीं रहती है । हर एक जनपद में सिंचाई विभाग के अधिकारी तैनात रहते हैं जो सिंचाई सम्बन्धी मामलों के बारे में जिलाधिकारी के सम्पर्क में रहते हैं । सिंचाई बन्धु की बैठकें भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती रहती हैं जिसमे जनता की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा होती है तथा उन्हें हल करने के प्रयास किये जाते हैं ।

जनपद प्रतापगढ़ में प्रा० स्वा० केन्द्र के कतिपय उप केन्द्रों में कार्यरत ए०एन०एम०/मिडवाइफ की अनुपस्थित रहने की शिकायत तथा शासन से कार्यवाही करने की मांग

112–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सदर, प्रतापगढ़ में प्रा० स्वा० केन्द्र, सुंखपाल नगर के उप केन्द्र सिपाह महेरी, श्रीकान्तपुर, खुरजनी, टेऊगां, गायघाट, पूरे केशवराय, मोहनगंज तथा प्राथमिक स्वा० केन्द्र, मान्धाता के उप केन्द्र, छितपालगढ़, बरईपुर, भदोही, मझिगवां, भगवतगंज, ढेमा तथा भगवां उप केन्द्र में कार्यरत ए० एन० एम०/मिडवाइफ लगातार अनुपस्थित रहती हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही शासन से होगी ? क्या वहां पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को उप केन्द्र पर ही नियमानुसार स्थाई रूप से रहने के संबंध में आवश्यक निर्देश देंगे ? यदि हां, तो क्या संबंधित दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

उल्लेखनीय है कि उप केन्द्र; मझगवां पर सम्प्रति किसी ए०एन०एम० की तैनाती नहीं है तथा उप केन्द्र बरईपुर पर तैनात मिडवाइफ अस्वस्थ चल रही हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार शेष सभी केन्द्र पर तैनात ए०एन०एम०/मिडवाइफ निर्धारित क्षेत्र में ही निवास करते हुए अपने कार्यों का सम्पादन कर रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर (बिल्थरा रोड) के ग्राम कड़सर के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम में कराये गये मनमाने कार्यों के प्रति की गई अनियमितता की जांच के निर्देश

113–श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या ग्राम्य विकास बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर (बिल्थरा रोड) के ग्राम कड़सर के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम में कराये गये सभी कार्य मनमाने तरीके से करवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 1988 से दिसम्बर, 1993 तक उक्त ग्राम सभा को कितना धन जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य मदों से प्राप्त हुआ है ? कहां-कहां पर उक्त धन खर्च किया गया है ? क्या उसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी से कराने की कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

प्रथम दृष्टया कुछ कार्यों में अनियमितता पायी गयी है।

ग्राम सभा को वर्ष 1988 से दिसम्बर, 1993 तक जवाहर रोजगार योजना से रु० 85,837.00 एवं अन्य मद से रु० 2143.25 कुल अंकन रु० 87,980.25 पैसे प्राप्त हुआ है।

विवरण संलग्न है।

जी हां, जांच के निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 194-195 पर)

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1993-94 में सरकार द्वारा प्रत्येक जनपदों में लगाये जाने वाले नलकूपों की योजना की जानकारी तथा राजकीय नलकूप के डिस्चार्ज मानक की जानकारी

114–श्री बशीर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कितने-कितने राजकीय नलकूप वर्ष 1993-94 में सरकार द्वारा लगाने की योजना है ? क्या सिंचाई के पिछड़े क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर राजकीय नलकूप लगाये जाने की कोई विशेष योजना है ? यदि हां, तो क्या उस विशेष योजना में जनपद हमीरपुर के तहसील मौदहा को शामिल किया गया है ? क्या प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में राजकीय नलकूपों का डिस्चार्ज/मानक एक जैसा है ? यदि नहीं, तो किन-किन मण्डलों में डिस्चार्ज मानक कितना-कितना कम या अधिक है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1993-94 में कुल 91 नये राजकीय नलकूप लगाने की योजना है। जनपदवार विवरण संलग्न है।

जनपद प्लान के प्राविधान के अतिरिक्त राजकीय नलकूप निर्माण की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रदेश के समस्त मण्डलों में राजकीय नलकूप का डिस्चार्ज मानक डेढ़ क्यूसेक है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 196-198 पर)

जनपद बहराइच के विकास खण्ड हरिहरपुर रानी के ग्राम विकास अधिकारी स्व० श्री शिवबरन लाल के देयों के भुगतान का मामला

115–श्री लल्लू सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय श्री शिवबरन ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरिहरपुर रानी, जनपद बहराइच की मृत्यु कब हुयी थी ? क्या स्व० श्री शिवबरन लाल

की पत्नी श्रीमती चन्द्रमुखी श्रीवास्तव ने पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु दावा प्रपत्र कर प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो कब ? क्या यह भी बतायेंगे कि उन्हें पारिवारिक पेंशन शासनादेश संख्या सा–969/दस 923/85, दिनांक 8-8-86 के अनुसार अब तक नहीं स्वीकृत की गयी है ? यदि पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगी, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

स्व० श्री शिवबरन लाल, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरिहरपुर रानी जनपद बहराइच की मृत्यु दिनांक 12-9-64 को हुई थी । स्व० श्री शिवबरन लाल की पत्नी श्रीमती चन्द्रमुखी श्रीवास्तव ने पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु दावा प्रपत्र तैयार कर दिनांक 3-1-87 को प्रस्तुत किया था । शासनादेश संख्या–सा–3-969/दस-923/85, दिनांक 8-8-86 एवं उसके साथ पठित तत्सम्बन्धी शासनादेश संख्या–सा–3-1522/दस-923/85, दिनांक 13-10-93 के अनुसार श्रीमती चन्द्रमुखी श्रीवास्तव को देय पारिवारिक पेंशन उन्हें भुगतान हेतु दिनांक 23-2-94 को स्वीकृत कर पी०पी०ओ०/स्वीकृति निर्गत कर दिया गया है ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभाओं को आवंटित धनराशि के उपयोग की बैठकों में मा० सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद् का योगदान

116–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अर्न्तगत ग्राम सभाओं को आवंटित धनराशि के उपयोग में क्षेत्रीय विधायकों का योगदान सुनिश्चित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

केन्द्र पुरोनिधानित जवाहर रोजगार योजना भारत सरकार के नीति निर्देशों के अनुसार जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के माध्यम से संचालित की जा रही है, और जनपद में प्राप्त धनराशि का उपयोग अभिकरणों की शासी निकाय की बैठक द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों पर किया जाता है, जिसके सदस्य माननीय विधान परिषद् / विधान सभा, सदस्य भी होते हैं ।

प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू करने की मांग

117–श्री बशीर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ० प्र० में फसल बीमा योजना लागू की गयी है ? यदि हां, तो किस-किस जिले की किस-किस तहसील में व किन-किन शर्तों पर ? क्या हमीरपुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र मौदहा में फसल बीमा योजना लागू करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक और किन-किन फसलों के लिये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अभी भारत सरकार ने पायलट फसल बीमा योजना मात्र एक जनपद में चलाने के लिये प्रस्ताव मांगा है । भारत सरकार को जनपद सीतापुर के लिये प्रस्ताव भेजा गया है । पायलट फसल बीमा योजना पर भारत सरकार का निर्णय अपेक्षित है ।

जनपद देवरिया के हाटा तहसील में छोटी गण्डक के कटान से क्षतिग्रस्त होने वाले रामनगर-टेकुआटार पिच रोड बचने की मांग

118–श्री अम्बिका सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि देवरिया जनपद के हाटा तहसील में छोटी गण्डक के कटान से रामनगर-टेकुआटार पीच रोड जल्दी ही क्षतिग्रस्त होने वाला है ? यदि हां, तो क्या कटान को रोकने की समुचित व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार छोटी गण्डक नदी एक स्थान पर संबंधित रोड की टो से सट कर बह रही है ।

फिलहाल किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जिला मिर्जापुर विकास खण्ड जमालपुर में वर्ष 1992-93 व 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना द्वारा प्राप्त धन को ग्राम प्रधानों द्वारा किये गये दुरुपयोग की जांच की मांग

119–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमालपुर विकास खण्ड (जिला मिर्जापुर) के प्रत्येक ग्राम प्रधान को वर्ष 1992-93 व 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? किस-किस ग्राम प्रधान के विरुद्ध इस मद के धन दुरुपयोग के कारण जांच चल रही है ? डी० आर० डी० ए० मद से कौन-कौन से कार्य इन दो वर्षों में ब्लाक में स्वीकृत हुए ? प्रतयेक कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित हुई ? कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीखड़ में वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना द्वारा प्राप्त धन का ग्राम प्रधानों द्वारा दुरुपयोग किये जाने के संबंध में जांच

120–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के विकास खण्ड सीखड़ में वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 के लिए प्रत्येक ग्राम प्रधान को कितनी-कितनी धनराशि "जवाहर रोजगार योजना" के अन्तर्गत दी गयी ? इन वर्षों में डी० आर० डी० ए० मद से कौन-कौन से निर्माण कार्य

स्वीकृत किये गये ? इस विकास खण्ड के किस-किस ग्राम प्रधान के विरुद्ध "जवाहर रोजगार योजना" के धन के दुरुपयोग की जांच चल रही है ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत हाटा तहसील में सोमनताल एवं कडुआवन ताल के जल जमाव की समस्या के निराकरण हेतु सरकार से मांग

121–श्री अम्बिका सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद अन्तर्गत हाटा तहसील में सोमनताल एवं कडुआवन ताल के जल जमाव से प्रतिवर्ष करीब दस हजार एकड़ भूमि में फसल नहीं बोयी जाती है ? क्या कसया-पड़रौना मार्ग में वाड़ी नाले के पास पुल के ऊंचा एवं सकस होने से पानी न निकलने के कारण जल जमाव होता है ? क्या जल जमाव को दूर करने के लिए सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दस हजार एकड़ भूमि से जल भराव को दूर करने के लिए किसी योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद देवरिया की हाटा तहसील में सोमनताल एवं कडुआवन ताल में जल भराव प्रति वर्ष कृषि योग्य भूमि को अवश्य प्रभावित करा है । इस समस्या को हल करने के लिए लगभग 50 लाख रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी । वर्तमान में इसके लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद देवरिया ब्लाक हाटा ग्राम सकरौली में आयुर्वेदिक चिकित्सालय हेतु भवन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

122–श्री अम्बिका सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सकरौली ब्लाक हाटा जिला देवरिया में 1981 से चल रहा आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवनहीन है ? क्या मकान मालिक ने चिकित्सालय खाली करने का आग्रह किया है ? यदि हां, तो भूमि उपलब्ध होने पर भी सरकार को भवन बनाने में क्या कठिनाई है ? भवन कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं । ग्राम सकरौली ब्लाक हाटा जिला देवरिया में आयुर्वेदिक चिकित्सालय वर्ष 1981 से निःशुल्क भवन में चल रहा है ।

शासन के संज्ञान में नहीं है ।

ग्राम सकरौली ब्लाक हाटा जनपद देवरिया आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु ग्राम सभा द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गयी है । जिला चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त नियोजन/वित्त विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने पर कराया जाता है ।

123–श्री राकेश सचान–

[तीसरे मंगल में अता० प्र० 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा विकास खण्ड मऊ के अन्तर्गत गढ़वा बांध का पानी अन्तिम टेल तक न पहुंचने के कारण उसकी क्षमता बढ़ाने एवं तीन वर्षों में बांध के रख-रखाव में खर्च किये गये धन का विवरण

124–श्री मन्नू लाल कुरील–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मऊ विकास खण्ड के अन्तर्गत गढ़वा बांध का पानी अन्तिम टेल तक नहीं जा रहा है ? यदि हां, तो उपरोक्त बांध से कितने हेक्टेयर की सिंचाई वर्तमान समय में हो रही है ? क्या उपरोक्त बांध की सम्पूर्ण नहर पटरी सही है ? यदि हां, तो क्या उसकी क्षमता बढ़ाने का कोई प्रयास शासन द्वारा किया जा रहा है ? क्या यह भी बतायेंगे कि पिछले 3 वर्षों से उपरोक्त बांध के रख-रखाव पर कितना धन खर्च हो रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

गढ़वा बांध प्रणाली से इस वर्ष फरवरी, 1994 तक 461 एकड़ सींच हुई है ।

सामान्यतः सम्पूर्ण पटरी सही है ।

जी हां । क्षमता बढ़ाने का प्रयास जिला योजना के माध्यम से किया जा रहा है ।

वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक पिछले तीन वर्षों में रख-रखाव पर क्रमशः रु० 20,000, रु० 37,000 एवं रु० 43,000 खर्च हुए हैं । वर्ष 1992-93 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत रु० 57,000 अतिरिक्त खर्च भी हुए हैं ।

125–श्री मन्नू लाल कुरील–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बांदा के विकास खण्ड के अन्तर्गत प्रस्तावित बडियारी कला लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी

126–श्री मन्नू लाल कुरील–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में मऊ विकास खण्ड के अन्तर्गत प्रस्तावित "बडियारी कला लिफ्ट सिंचाई योजना" वर्तमान समय में किस चरण में है ? क्या सरकार निकट भविष्य में उपरोक्त सिंचाई योजना को क्रियान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह योजना वर्तमान लघु डाल नहरों के निर्माण की नीति के अनुसार नहीं पायी गयी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर की बांसी नगर पालिका में राजकीय नलकूप विभाग द्वारा किसी की अधिग्रहीत भूमि पर लगाये जाने का मामला

127–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप विभाग द्वारा बांसी नगर पालिका के अन्दर कोई आवासीय जमीन मकान बनाने हेतु अधिग्रहण की गयी है ? यदि हां, तो कब और क्या इस जमीन के मुआवजे का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत मामले में यद्यपि जमीन के मुआवजे के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को उपलब्ध करायी जा चुकी है परन्तु भूमि अध्याप्ति संबंधी अधूरी कार्यवाही के कारण यह धनराशि अभी तक वितरित नहीं हो पायी है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील में बने तट बन्धों के मुआवजा के भुगतान का मामला

128–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील में बने सभी तट बन्धों के मुआवजा का कब तक भुगतान सरकार करेगी ? क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष 1994-95 के अन्दर भुगतान करने का आश्वासन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्य जिलाधिकारी के माध्यम से होता है । इस संबंध में वैधानिक कार्यवाही के पश्चात् ही भूमि प्रतिकर के वितरण की कार्यवाही की जाती है । प्रश्नगत मामले में 197–17 एकड़ भूमि का प्रतिकर वितरण हो चुका है । अवशेष 305–58 एकड़ भूमि का प्रतिकर वितरण धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

129–श्री जय प्रताप सिंह–

[4थे गुरु० में अता० प्र० सं०–71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

130–श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

[तीसरें गुरु० में अता० प्र० सं० 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देहरादून के निर्वाचन क्षेत्र चकराता में पोस्टमार्टम घर में चिकित्सक की तैनाती का मामला

131–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र स्थित चकराता में पोस्टमार्टम घर की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार चकराता में पोस्टमार्टम घर की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । पोस्टमार्टम घर की व्यवस्था है । चिकित्सक की तैनाती शीघ्र की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पावौ के गड़िगांव तल्ला तथा गड़िगाव मल्ला में लघु सिंचाई हेतु बनायी गई गूल में हुई अनियमितता की जानकारी

132–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पावौ के गड़िगांव तल्ला तथा गड़िगांव मल्ला में लघु सिंचाई की कुल कितनी मीटर गूल सिंचाई विभाग द्वारा बनायी गयी है ? इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई और कितने हेक्टेयर भूमि इसमें सिंचित करनी थी ? कितनी भूमि को कितने समय तक उक्त गूल ने सिंचित किया है ? जितनी गूल अभिलेखों में दर्शायी गयी है क्या कार्यस्थल पर उतनी गूल उपलब्ध है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पावौ मुख्यालय पर स्थिति कन्या जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण किये जाने का मामला

133–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"

मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पावौ मुख्यालय पर कितने वर्षों से राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चल रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेंगे कि इतने वर्षों के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री होने के बावजूद अभी तक इसके भवन का निर्माण न होने के क्या कारण हैं ? क्या पावौ कन्या जूनियर हाई स्कूल का भवन निर्माण तत्काल किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला लखनऊ के ग्राम कल्ली पश्चिम, परगना बिजनौर तहसील को अम्बेडकर ग्राम घोषित करने की मांग

134–श्री राम करन आर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कल्ली पश्चिम, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ को अम्बेडकर ग्राम घोषित होने पर सम्पूर्ण विकास किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्राम का सर्वेक्षण मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी से कराया गया है ? यदि हां, तो कितने खड़न्जे अपूर्ण पाये गये हैं ? क्या अपूर्ण खड़न्जे को पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जनपद लखनऊ के ग्राम कल्ली-पश्चिम में विकास कार्य उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कराये जा रहे हैं ।

अम्बेडकर ग्राम के सर्वेक्षण का कार्य ब्लाक स्तर पर एवं जिला मुख्याधिकारी की देख-रेख में करा दिया गया है। उपलब्ध धनराशि के आधार पर खड़ंजे आदि का निर्माण कराया जाता है। अपूर्ण कार्य रहने पर अगले वर्ष के उपलब्ध संसाधनों के होने पर अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराया जाता है।

उत्तर प्रदेश में औषधि नियंत्रक के वेतनमान को केन्द्र के औषधि नियंत्रक वेतनमान के समान किये जाने के संदर्भ में शासन की कार्यवाही की जानकारी

135–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में औषधि नियंत्रक का वेतनमान और केन्द्र के औषधि नियंत्रक का वेतनमान क्रमशः क्या है ? केन्द्र के समान प्रदेश के औषधि नियंत्रक का वेतनमान प्रदान किये जाने के सिलसिले में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रदेश में औषधि नियंत्रक का वेतनमान रु० 3200–100–3500–125–4875 है तथा केन्द्र में औषधि नियंत्रक का वेतनमान रु० 5900–6700 है।

प्रकरण को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों हेतु समता समिति (1989) की संस्तुतियों के अधीन स्वीकृति वेतनमानों के संबंध में विभिन्न सेवा संगठनों तथा विभागों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को संदर्भित किया गया था। उन्होंने परीक्षणोपरान्त वेतनमान में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं पाई है।

जनपद हमीरपुर में निर्माणाधीन मौदहा बांध को पूरा किये जाने एवं उससे निकली नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

136–श्री बशीर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में निर्माणाधीन मौदहा बांध कब पूरा होगा ? मौदहा बांध से निकाली गयी नहरों के टेल तक पानी कब तक पहुंचाया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद हमीरपुर में निर्माणाधीन मौदहा बांध के वर्ष 1975 में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

मौदहा बांध से निकाली गयी नहरों की टेल तक वर्ष 1998 तक पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है। उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

137–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[तीसरे गुरू में अता० प्र० सं०–92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश की उपचारिका कर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ते की स्वीकृत के संबंध में श्रीमती राजारानी गुप्ता नर्स राजकीय कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

138–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की उपचारिका कर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ते की स्वीकृति प्रदान के संबंध मे श्रीमती राजारानी गुप्ता, नर्स राजकीय कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, अस्पताल, कानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-12-93 निदेशक, होम्योपैथी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या विलम्ब से निस्तारण किये जाने के दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में कार्यरत नर्सों को वर्दी भत्ता दिये जाने की मांग

139–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, चिकित्सा शिक्षा को राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में कार्यरत नर्सों को वर्दी भत्ता प्रदान किये जाने के संबंध में प्राचार्य, राजकीय कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का पत्र सं० 9371/रा० का० हो० मे० का०/1 बी/92, दिनांक 16-4-92 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में कब तक शासनादेश निर्गत कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्राचार्य कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर के पत्र दिनांक 16-4-92,जो शासन को पृष्ठांकित है, में संलग्न शासनादेश संख्या–ए–2390/16-13-89, दिनांक 22 अगस्त, 1989 द्वारा प्रादेशिक उपचारिका सेवा एवं अधीनस्थ उपचारिका सेवा वर्ग–I तथा II (एलोपैथिक पक्ष) के कर्मियों को वर्दी भत्ता स्वीकृत किया गया है, जो उनके कालेज में कार्यरत नर्सों पर लागू नहीं होता है । अतः उन्हें वर्दी भत्ता अनुमन्य नहीं है ।

जिला कानपुर में श्रीमती राजारानी गुप्ता नर्स, राजकीय कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की नर्सेज की ड्यूटी 6/12 घंटे किये जाने के संबंध में पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

140–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सालयों में कार्यरत नर्सेज की ड्यूटी 6/12 घण्टे किये जाने के संबंध में श्रीमती राजारानी गुप्ता, नर्स, राजकीय कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-12-93 निदेशक, होम्योपैथी को प्राप्त प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त प्रार्थना-पत्र का विलम्ब से निस्तारण करने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन कर्मचारी उत्तरदायी हैं ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

निस्तारण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चमोली गढ़वाल में क्षतिग्रस्त नगरासू नहर को ठीक किये जाने के संदर्भ में सरकार की योजना की जानकारी

141–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरासू नहर जिला चमोली गढ़वाल से किन-किन गांवों की कितनी भूमि सिंचाई करने का लक्ष्य था ? क्या अपने मानक के अनुसार यह नहर सिंचाई कर पा रही है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि विगत साढ़े तीन वर्षों से नगरासू नहर क्षतिग्रस्त होने से नगरासू के खेत सिंचित नहीं हो पा रहे हैं ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद चमोली में नगरासू नहर से ग्राम मवासा, नगरासू तथा भैड़गांव की प्रस्तावित सींच खरीफ एवं रबी में क्रमशः 22 एवं 11 हेक्टेयर है ।

यथा संभव योजना के प्रस्ताव के अनुसार सिंचाई हो रही है ।

–तदैव–

नहर के रेस्टोरेशन का कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख शाखाओं की एवं कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति की जानकारी

142–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य एवं रसद विभाग में कितनी शाखायें हैं तथा उनमें एक मण्डल से दूसरे मण्डल स्थानान्तरण की नीति क्या है ? क्या स्थानान्तरण नीति में भिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

खाद्य तथा रसद विभाग की मुख्य रूप से तीन शाखाए हैं–पूर्ति, विपणन एवं बांट-माप ।

वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार इन तीनों शाखाओं के समूह "क" तथा समूह "ख" के मण्डल स्तर के अधिकारियों के लिये (प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित स्थानान्तरणों को छोड़कर) लखनऊ मुख्यालय से भिन्न स्थानों में मण्डल में तैनाती की अवधि मैदानी क्षेत्र के लिए सामान्यतः 5 वर्ष एवं अपवाद स्वरूप 7 वर्ष है तथा उत्तरांचल क्षेत्र के लिए सामान्यतः 7 वर्ष एवं अपवादस्वरूप अधिकतम 9 वर्ष है ।

समूह "ख" के जिला स्तरीय अधिकारियों के लिये लखनऊ मुख्यालय से भिन्न स्थानों के जनपद में तैनाती की अवधि मैदानी क्षेत्र के लिये सामान्यतः 5 वर्ष एवं अपवाद स्वरूप 7 वर्ष है तथा उत्तरांचल क्षेत्र के लिए सामान्यतः 7 वर्ष एवं अपवाद स्वरूप अधिकतम 9 वर्ष है ।

समूह "ग" के कर्मचारियों के लिए (प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित स्थानान्तरणों को छोड़कर) मुख्यालय से भिन्न स्थानों में एक स्थान/क्षेत्र/केन्द्र पर 2 वर्ष, जनपद में 4 वर्ष तथा मण्डल में 10 वर्ष की अधिकतम तैनाती की अवधि है परन्तु यह व्यवस्था नैनीताल में विपणन शाखा के निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक के लिये लागू नहीं है । नैनीताल जनपद में तैनात विपणन शाखा के निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक को 4 वर्ष की अवधि पूरी करने पर दूसरे मण्डल में स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुमाऊं व गढ़वाल मण्डल मे हाट निरीक्षक और वरिष्ठ विपणन निरीक्षक की कार्यक्षमता की जानकारी

143–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुमाऊं व गढ़वाल मण्डल में हाट निरीक्षक और वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के कार्य में कोई भिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

144–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

[तीसरे गुरु में अता० प्र० सं०–16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला फतेहपुर में सिंचाई के लिए लोवर गंगा व राम गंगा नहर में वर्ष 1991 से 1993 तक मानक तक पानी न आने के कारण एवं सिंचाई क्षमता को पूर्ण करने हेतु नलकूप लगवाने की मांग

145–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की सिंचाई के लिये लोवर गंगा व तथाकथित राम गंगा नहर में कितना जल प्रतिदिन व प्रतिवर्ष के लिये आवंटित है ? कितना जल गत वर्ष 1991-92 व 1993 में प्राप्त हुआ ? उक्त प्राप्त जल आवंटित जल से कितना प्रतिशत कम है ? इस कमी का क्या कारण है ? क्या सरकार इस कमी को दूर करने के लिये फतेहपुर जिले में स्टेट ट्यूबवेल खुदवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक तथा कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा के गोकुल विधान सभा क्षेत्र की अधिकांश माइनरों में 1968 से टेल तक पानी न पहुंचाने के कारणों की जानकारी एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

146–श्री प्रणतपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गोकुल विधान सभा क्षेत्र (जनपद मथुरा) में गढ़सौली माइनर आंगई माइनर, दौलतपुर माइनर, डहरूआ माइनर, बिरहना माइनर, सिरोहा माइनर आदि ऐसे माइनर हैं जहां सन् 1968 से अब तक टेल तक पानी नहीं पहुंचा है फिर भी किसानों से फर्जी सिंचाई दर्ज कर सिंचाई शुल्क वसूला जा रहा है? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गोकुल विधान सभा क्षेत्र जनपद मथुरा की केवल दौलतपुर माइनर को छोड़कर शेष सभी गढ़सौली, अवेरनी, डहरुआ एवं सिहौरा माइनरों की टेल पर पानी पहुंचा है और सींच हुई है । दौलतपुर माइनर जो 4-2-0 मील लंबी है, की टेल तक पानी पहुंचाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद मे परशुरामपुर से बैरीताल तक की डेढ़ कि० मी० सड़क को कृषि मण्डी परिषद/मण्डी समिति के अन्तर्गत बनाये जाने की मांग

147–श्री राम प्रसाद चौधरी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मण्डी परिषद/मण्डी समिति, फैजाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा गौहनियां ब्लाक मया, त० व जिला फैजाबाद में परशुरामपुर से बैरीताल

के पूरा तक डेढ़ कि० मी० सड़क निर्माण हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी समिति/जिला चयन समिति से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण ।

जिला मिर्जापुर के आराजी लाइन सुल्तानपुर स्थित अदलपुरा लिफ्ट कैनाल की क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में सरकार की योजना

148–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीखड़ विकास खण्ड जिला मिर्जापुर के आराजी लाइन सुल्तानपुर स्थित अदलपुरा लिफ्ट कैनाल की क्षमता बढ़ाकर 50 क्यूसिक करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या इसकी रुपरेखा अधिकारियों ने तैयार करके शासन के समक्ष प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो क्या इस बजट में इसकी क्षमता में वृद्धि करने हेतु वित्तीय वर्ष 1993-94 में प्राविधान किया जायेगा ? यदि हां, तो इसकी क्षमता वृद्धि का कार्य कब तक पूरा होगा ? इससे कितने ग्राम लाभान्वित होंगे और कितना हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पदों एवं उनके भरे जाने की सरकार की योजना की जानकारी

149–श्री धनराज यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में सहायक अभियन्ताओं के कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उन्हें कब तक भरे जाने की शासन की योजना है ।

श्री श्रीराम यादव–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में सहायक अभियन्ता के कुल 35 पद, जिसमें सहायक अभियन्ता (सिविल) के 25 पद, सहायक अभियन्ता (विद्युत) के 6 तथा सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के 4 पद सम्मिलित हैं, दिनांक 17-1-94 से रिक्त हैं ।

उक्त पदों को भरे जाने हेतु पूर्व में भेजे गये अधियाचन के स्थान पर संशोधित अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजने की कार्यवाही की जा रही है । लोक सेवा आयोग से संस्तुतियां प्राप्त होने पर नियमानुसार पदों को भरा जायेगा ।

150–श्री धनराज यादव–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी के दायें किनारे से ककरहीं–गोनहां बांध एवं जमुआर नदी से पुराने नौगढ़ बाजार के सुरक्षा बांध के रख-रखाव में सुधार किये जाने का मामला

151–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी के दायें किनारे पर गोनहां गांव के-पास नदी की कटाव से ककरही-गोनहा बांध एवं जमुआर नदी की कटाव से पुराने नौगढ़ बाजार के सुरक्षा बांध को खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत दोनों बांधों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह कहना सही नहीं है कि जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी से ककरही-गोनहां बांध एवं जमुआर नदी से पुराने नौगढ़ बाजार के सुरक्षा बांध को खतरा उत्पन्न हो गया है ।

बांधों को सुदृढ़ स्थिति में रखने के लिए सिंचाई विभाग समय-समय पर अनुरक्षण का कार्य करता रहता है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड टड़ियांवा में लगे गोबर गैस संयंत्र की अनुदान राशि को लाभार्थियों में दिये जाने की मांग

152–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबूराम मिश्रा पुत्र सोबरन मिश्रा व रामरूप अग्निहोत्री पुत्र देवी प्रसाद अग्निहोत्री, निवासीगण ग्राम बरौली, विकास खण्ड टड़ियांवा जनपद हरदोई द्वारा कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, टड़ियांवा (हरदोई) से गोबर गैस संयंत्र लगाने हेतु अनुदान धनराशि लेकर गोबर गैस बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त लाभार्थियों को दी गयी अनुदान धनराशि वसूल की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत व्यक्तियों श्री बाबूराम मिश्रा एवं रामरूप अग्निहोत्री, निवासीगण–ग्राम बरौली, विकास खण्ड टड़ियावां, जनपद हरदोई के यहां लगभग दस वर्ष पूर्व जनता बायोगैस के निर्माण हेतु थे, जो लगभग तीन वर्ष तक क्रियाशील रहे । उक्त प्रत्येक संयंत्र पर रु० 3,200 की अनुदान राशि दी गयी थी । वर्तमान में उक्त संयंत्र पूर्णतः ध्वस्त हो चुके हैं । चूंकि उक्त संयंत्र लगभग तीन वर्ष तक क्रियाशील रहे, अतएव लाभार्थियों को दिये गये अनुदान की वसूली अब अपेक्षित नहीं है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड टड़ियांवा के ग्राम बरोली के निवासी श्री इतवारी चमार के मकान को आवंटन के बाद भी न बनाये जाने की शिकायत

153–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इतवारी (अनुसूचित जाति-चमार) निवासी ग्राम बरौली विकास खण्ड टड़ियांवा जनपद हरदोई के नाम निर्बल आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित आवास उक्त गांव के संवर्ण जाति के रामरूप अग्निहोत्री पुत्र देवी प्रसाद अग्निहोत्री ने अपने घर के अन्दर किस आधार पर बनायी है ? क्या इस प्रकरण में दोषी रामरूप अग्निहोत्री एवं विकास खण्ड टड़ियांवा (हरदोई) के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

श्री रामरूप अग्निहोत्री पुत्र श्री देवी प्रसाद अग्निहोत्री निवासी ग्राम–बरौली, विकास खण्ड टड़ियांवा, जनपद–हरदोई स्वयं निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना के एक सामान्य लाभार्थी है जिन्हें वर्ष 1991-92 में इस योजना से लाभान्वित किया गया है । श्री इतवारी (अनुसूचित जाति) का आवास वर्ष 1990-91 में स्वीकृत है जिसके निर्माण का दायित्व श्री रामेश्वर प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी को सौंपा गया था । श्री इतवारी का आवास अब तक निर्मित न कराने के लिए उक्त ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है और निर्माण का दायित्व दूसरे कर्मचारी को सौंपा गया है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली तथा विकास खण्ड कीर्तिनगर में बज्रपात होने से क्षतिग्रस्त सड़कों, नहरों, पेयजल आदि को ठीक किये जाने की मांग

154–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1992 में विकास खण्ड जखोली तथा विकास खण्ड कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में बज्रपात होने से नहरें, मोटरमार्ग, हाईड्रम, सम्पर्क मार्ग, पैदल मार्ग एवं पेयजल योजनायें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुई थीं ? सरकार ने क्षतिग्रस्त योजनाओं की मरम्मत हेतु कितनी धनराशि किस-किस मद में दी है ? क्या सभी कार्य सम्पन्न हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में कथित लसार नामक परियोजना को पूरा किए जाने की मांग

155–श्री मातवर सिंह कंडारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लसार परियोजना टिहरी गढ़वाल पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या यह योजना अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है ? क्या सरकार इस योजना को पूर्ण कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यह परियोजना पूर्ण हो जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद टिहरी गढ़वाल में लसार नाम की कोई परियोजना नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में चूना पत्थर आदि के खनन पर लगे प्रतिबन्ध के न्यायालय के आदेश का न लागू होना

156–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में चूना, पत्थर आदि के खनन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में पत्थरों को खनन किया जा रहा है ? क्या सरकार खनन पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक इस पर रोक लगा दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा० उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30-8-88 को देहरादून जनपद की दून घाटी की चार खदानों को छोड़कर शेष सभी खदानों को बन्द करने एवं जो खदान तत्समय बन्द नहीं की गई है के पट्टों की अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण न किये जाने के आदेश दिये । उक्त आदेशों के अन्तर्गत जनपद देहरादून में वर्तमान चूना-पत्थर की मात्र दो खदान कार्यरत रह गई हैं । चूना-पत्थर के खदानों को छोड़कर राक फास्फेट के खनन पर उक्त आदेश लागू नहीं है । जनपद टिहरी गढ़वाल पर मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश लागू नहीं होते ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अधिकारियों/कर्मधारियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमें

157–श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में वर्ष 1986 से आज तक कितने मुकदमें किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की गयी गलतियों के कारण उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ में दायर किये गये हैं ? क्या सरकार/कुलपति उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में वर्ष 1986 से आज तक कोई भी मुकदमा कर्मचारियों/अधिकारियों की गलतियों के कारण उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ में दायर नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

158–श्री धनराज यादव–

[तीसरे मंगल में अता० प्र० सं०–48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय से सम्बद्ध डा० मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय, कानपुर स्टविर्ड के परिवर्तित पदनाम व वेतनमान की जानकारी

159–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर से सम्बद्ध डा० मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय, कानपुर में यूनिट के प्रारम्भ से अब तक कौन-कौन कर्मचारी स्टविर्ड के पद पर कब-कब कार्यरत रहे हैं ? सम्प्रति वहां पर कार्यरत कर्मचारी का नाम, पदनाम व वेतनमान क्या है ? क्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कर्मचारियों के प्रोन्नति व नियुक्ति प्राधिकारी पूर्व में कौन थे तथा वर्तमान में कौन हैं ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर में नलकूप लगाये जाने की मांग

160–श्री पृथ्वी सिंह विकसित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भगवानपुर, जनपद हरिद्वार में वर्ष 1992-93 के बजट में नलकूप लगाने की कोई योजना शासन द्वारा स्वीकृत हुयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अन्तर्गत नलकूप लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो नलकूप न लगाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी नलकूप शीघ्र लगवाने के निर्देश जारी करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

नये राजकीय नलकूपों का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर स्वीकृति के पश्चात कराया जाता है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के रा० इ० का०, सिलोगी में विज्ञान वर्ग की मान्यता दिये जाने का प्रस्ताव

161–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० इ० का०, सिलोगी, पौड़ी गढ़वाल में विज्ञान वर्ग की मान्यता कब तक दिलाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

इस संबंध में कोई प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के प० इ० कालेज, परसुन्डाखाल को विज्ञान वर्ग की मान्यता प्रदान किये जाने की मांग

162–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प० इ० कालेज, परसुन्डाखाल, पौड़ी गढ़वाल में विज्ञान वर्ग की मान्यता दिलाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक मान्यता प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इण्टर वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता हेतु संस्था द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के प० इ० कालेज, स्वाली में विज्ञान वर्ग की मान्यता प्रदान किये जाने की मांग

163–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प० इ० कालेज, स्वाली, पौड़ी गढ़वाल में विज्ञान की मान्यता कब तक दिलायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के उ० मा० वि० किनपुर, को इण्टरमीडिएट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत करने का प्रस्ताव

164–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० मा० वि०, किनपुर, पौड़ी गढ़वाल का इण्टरमीडिएट विद्यालय के रूप में उच्चीकरण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के एस० एस० शुक्ला की खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के कर्मचारियों द्वारा बोरियों में कम चीनी देने तथा कम चीनी न लेने की शिकायत की जांच एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

165–श्री राजबली जैसल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एस० एस० शुक्ला उचित दर विक्रेता एफ 3121 राजाजीपुरप्, लखनऊ का कोई प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को दिनांक 9-2-94 को प्राप्त हुआ, जो आयुक्त एवं प्रमुख सचिव खाद्य विभाग, उ० प्र० शासन को भी पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है, जिसमें खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के कर्मचारियों द्वारा बोरियों में कम चीनी देने तथा कम चीनी न लेने पर वापस ले जाने आदि की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उक्त पत्र की जांच किससे करायी गयी ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त पत्र में उल्लिखित शिकायत की जांच श्री हबीब खान, जिला प्रबन्धक, उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ-से करायी गयी । जांच में पाया गया कि श्री शुक्ला की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी ने प्रश्नगत चीनी का स्टाक रजिस्टर प्रविष्टि हेतु दिये जाने से इन्कार किया । फलस्वरूप चीनी उनकी दुकान पर नहीं उतारी जा सकी । श्री शुक्ला की दुकान पर पुनः दिनांक 13-2-94 को चीनी भेजी गयी । यहां भी उल्लेख करना समीचीन है कि जांच में यह पाया गया कि जिस वाहन से श्री शुक्ला को चीनी दिनांक 8-2-94 को भेजी गयी थी उसी वाहन से उसी तिथि को क्षेत्र अन्य राशन दुकानदारों को भी चीनी भेजी गयी थी और उनकी दुकानों पर चीनी उतारी गयी थी । परन्तु उन दुकानों से भी कम से कम वजन प्राप्त होने की शिकायत नहीं प्राप्त हुई । श्री शुक्ला द्वारा की गई शिकायत में गेहूं की आपूर्ति न किये जाने का भी उल्लेख है । इस संबंध में जांच में पाया गया कि श्री शुक्ला का 27 कु० गेहूं के मूल्य का ड्राफ्ट निगम कार्यालय को दिनांक 17-1-94 को प्राप्त हुआ था और इस गेहूं के आपूर्ति दिनांक 21-1-94 को कर दी गयी । इस प्रकार श्री शुक्ला द्वारा की गई शिकायत असत्य पायी गयी है । शिकायत असत्य होने के कारण किसी के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

समस्त विभागाध्यक्ष एवं निगमों के कर्मचारियों की शासन से सम्बद्धता समाप्त के निर्देश के बावजूद कर्मचारियों को मूल विभाग वापस न किये जाने की शिकायत

166–श्री शयाम सुन्दर शर्मा–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्रांक–238/पी०एस०एम०एस०/90, दिनांक 27-2-90 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष एवं निगमों के कर्मचारियों की शासन से सम्बद्धता समाप्त करने के लिए निर्देश दिए गए थे ? यदि हां, तो कार्यालय आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र ने अपने पत्रांक–2089/कार्मिक–एक–व०/श्रे०/93-94, दिनांक 30-6-93

द्वारा कितने कर्मचारियों को सचिव क्षेत्रीय विकास के कैम्प आफिस से सम्बद्ध किया गया है ? क्या उन कर्मचारियों को तत्काल अपने मूल विभाग में वापस करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां । आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक के पत्रांक–2089/कार्मिक–एक–च०श्रे०/93-94, दिनांक 30-6-93 द्वारा एक कर्मचारी को सचिव, क्षेत्रीय विकास विभाग, उ० प्र० शासन के कार्यालय कैम्प के सम्बद्धता के आदेश जारी किये गये थे, किन्तु उक्त कर्मचारी सचिव, क्षेत्रीय विकास के कैम्प कार्यालय से सम्बद्ध नहीं है ।

शासन के क्षेत्रीय विकास अनुभाग में कार्यरत सम्बद्ध कर्मचारियों का वेतन अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक "2705–कमान क्षेत्र विकास-आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101 गण्डक, रामगंगा तथा शारदा सहायक की क्षेत्रीय विकास प्रायोजनाएं के अन्तर्गत आहरित किया जाता है । अतः क्षेत्रीय विकास अनुभाग में कार्यरत/सम्बद्ध कर्मचारी मुख्य सचिव के अर्द्ध शा०प०सं०–238/पी०एस०एम०एस०/90, दिनांक 27-2-1990 से आच्छादित नहीं होते ।

जनपद फैजाबाद में आर० एल० ई० जी० पी० एवं जवाहर रोजगार योजना की कमियों के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

167–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र जो आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को दिनांक 26-3-93 को प्राप्त हुआ है, जिसके सन्दर्भ में आयुक्त ने अपने पत्र सं० 688/xxx(1)–30 (92-93), दिनांक 3 अप्रैल, 1993 को श्री मंगला प्रसाद मिश्र, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है, जिसकी प्रति प्रश्नकर्ता को भी पृष्ठांकित की है, के सन्दर्भ में जांच कार्यवाही में विन्दुवार कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आये हैं और जांच कार्यवाही के आधार पर किस प्रकार का आरोप किन-किन लोगों पर आरोपित किया गया है ? अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां, मुख्य रूप से आर० एल० ई० जी० पी० एवं जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों में 26097 ईंटों जिनकी कीमत मु० 19573 आंकी गई है का दुरुपयोग किये जाने का तथ्य प्रकाश में आया है । ग्राम प्रधान श्री शेर मोहम्मद तथा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी को आरोपित किया गया है ।

प्रधान के विरुद्ध परगनाधिकारी, सदर की न्यायालय में मुकदमा कायम है तथा ग्राम प्रधान के जवाहर रोजगार योजना से संबंधित खाता पर रोक लगाकर खण्ड विकास अधिकारी, कुड़वार को अपने स्तर से कार्य कराने को निर्देश दिये गये हैं एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को आरोप पत्र दे दिया गया है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थैलीसैंण में कुओं तर्क पिनाकोट-डोंगी में पेयजल पर खर्च की गई धनराशि तथा पूरा किये जाने आदि की जानकारी

168–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थैलीसैंण में कुओं तर्क पिनाकोट-डोंगी पेयजल योजना पर इस वर्ष कितनी धनराशि खर्च हुई है ? इस योजना को कब पूरा होना था ? क्या इस योजना पर लगातार काम न होकर समय-समय पर ही काम हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त योजना आज तक पूरी नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जो कुछ बनी थी वह भी क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो इसके संदर्भ में क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गयी ? कब तक उक्त योजना को पूर्ण कराकर पेयजल की आपूर्ति की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में रु० 1.43 लाख का व्यय हुआ है ।

योजना के कार्यों को माह मार्च, 1993 तक पूर्ण किया जाना था ।

इस योजना पर वर्ष 1987-88 में कार्य प्रारम्भ किया गया । योजना पर वर्षवार उपलब्ध बजट के आधार पर लगातार कार्य किया गया है ।

योजना मार्च, 1993 में पूर्ण हो गई थी तथा जल संस्थान गढ़वाल मण्डल को हस्तान्तरित करने हेतु जुलाई, 1993 में हस्तान्तरण प्रपत्र प्रेषित किये जा चुके हैं । योजना का कोई भी कार्य क्षति-ग्रस्त स्थिति में नहीं है । इसके अतिरिक्त योजना में सम्मिलित ग्राम पिनाकोट, डोंगी कुवाखरक में नियमित पेयजल आपूर्ति हो रही है ।

प्रदेश में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों की संख्या तथा निर्धारित मानक के अनुसार नमूना संग्रह न किये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

169–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने खाद्य निरीक्षक कार्यरत हैं ? प्रत्येक खाद्य निरीक्षक से विभाग द्वारा कितने नमूना संग्रह करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध विगत दस वर्षों में कितने नमूने संग्रहित किये गये ? क्या 50 प्रतिशत से कम नमूना संग्रह करने वाले खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रदेश में कुल 525 खाद्य निरीक्षक कार्यरत हैं ।

प्रत्येक खाद्य निरीक्षक से प्रति माह 5 नमूने संग्रहीत किये जाने का लक्ष्य किया गया है ।

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 1,32,067 नमूने संग्रहीत किये गये ।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

–तदैव–

जनपद पीलीभीत की विधान सभा बीसलपुर एवं बिलमण्डा के उच्चीकृत प्रा० स्वा० केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों के अभाव की शिकायत

170–श्री राम सरन वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि 59–बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद पीलीभीत में नगर बीसलपुर तथा नगर बिलमण्डा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (उच्चीकृत) तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों एवं दवाइयों का अभाव है ? क्या यह भी सही है कि बीसलपुर उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स–रे मशीन होने के उपरान्त एक्स–रे सुविधा नहीं है ? क्या महिला चिकित्सालय में कोई महिला डाक्टर नियुक्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार वहां क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री बलराम यादव–

जनपद पीलीभीत के 59 विधान क्षेत्र बीसलपुर एवं बिलमण्डा के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की नियुक्ति/तैनाती उनकी उपलब्धता के अनुसार की गई है । इनमें दवाओं का अभाव नहीं है ।

जी नहीं, एक्स-रे सुविधा उपलब्ध है ।

नियुक्त, महिला चिकित्साधिकारी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद पर तैनाती महिला चिकित्सक उपलब्ध होने पर ही सम्भव है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली में भूस्खलन के कारण ''भूमि संरक्षण इकाई'' केन्द्र खोलने की मांग

171–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली में सबसे ज्यादा भूस्खलन होता है ? यदि हां, तो क्या ? जिले का सबसे बड़ा ब्लाक जिसकी आबादी 90,000 से ज्यादा होने पर भी ''भूमि संरक्षण इकाई'' खोलने से वंचित है ? क्या सरकार विकास खण्ड जखोली में भूमि संरक्षण की इकाई खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विकास खण्ड जखोली (टिहरी गढ़वाल) भू–स्खलन से प्रभावित है ।

विकास खण्ड जखोली का समस्याग्रस्त क्षेत्र भूमि संरक्षण इकाई कीर्तिनगर के कार्य क्षेत्र में आता है तथा उक्त समस्याग्रस्त क्षेत्र का उपचार कार्य उप इकाई कीर्ति नगर द्वारा कराया जा रहा है, अतः विकास खण्ड जखोली में अतिरिक्त भूमि संरक्षण इकाई खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

172–श्री तेज भान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गढ़वाल में हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर कार्य हेतु 104 पदों को सृजन की जानकारी

173–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 104 पद कब सृजित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासनादेश संख्या–918/28-2-93-5(25)/81 दिनांक 30 दिसम्बर, 1993 के द्वारा हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल) में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 104 पदों का सृजन किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा में लम्बे समय से कतिपय गांवों में पेयजल संकट को दूर करने की सरकार की योजना की जानकारी

174–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा में गडरी ग्राम सभा अन्तर्गत इवीला तल्ला, इवीला मल्ला, देगली-तल्ला मल्ला, काफल खान्द, मितलपट, नौली, नागूड़, खन्दौरी, डग्रीधार आदि उप ग्राम के ग्रामीण लम्बे समय से पेयजल के अभाव में पानी के लिये तरस रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा वहां पर उपलब्ध कुंढमरय स्रोत या रती स्रोत से उन्हें तत्काल पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इन उप ग्रामों के निवासी वर्तमान समय में अस्थाई जल स्रोतों से जल प्राप्त कर रहे हैं ।

इन उप ग्रामों हेतु कुंढमरय एवं रती स्रोत से नागय उप ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत रु० 9.50 लाख की विरचित की गई है । वर्ष 94-95 में योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ करना प्रस्तावित है ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 9 मार्च, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनायें स्वीकार की गई हैं । पहली सूचना श्री राम प्रताप सिंह की है इन्होंने तहसील अधिवक्ता

संघ मनकापुर, गोण्डा द्वारा दिनांक 8-2-94 से की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। दूसरी सूचना डा० राम बाबू हरित की है इन्होंने आगरा नगर के कई मुहल्लों में व्याप्त गंदगी के कारण महामारी फैलने की आशंका के संबंध में सूचना दी है। श्री बची सिंह रावत ने जनपद अल्मोड़ा में गंभीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। चौथी सूचना श्री गया चरन दिनकर की है, यह अनुपस्थित हैं। पांचवी सूचना श्री राम प्रसाद टम्टा की है इन्होंने अल्मोड़ा के बागेश्वर क्षेत्र में जंगली बाघ के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। छठी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता कटियार, श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती शशिबाला पुण्डीर की है। इन्होंने उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्रियों द्वारा 1972 में किये गये समझौते का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पालन न करने से जनपद बांदा के हजारों गांवों के किसानों को नहरों से पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सातवीं सूचना डा० शिव प्रताप यादव की है इन्होंने तुलसीपुर इटवा मुख्य मार्ग में स्थिति भुसैलवा नाले पर निर्मित पाइल ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने से भारी वाहनों का आवागमन ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। श्री गया चरन दिनकर जी अनुपस्थित हैं इसलिए उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से श्री हरवंश कपूर की सूचना स्वीकार की गई है इन्होंने हरिद्वार रोड देहरादून के क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। जो सूचनायें अस्वीकार की गई हैं उनके नाम इस प्रकार है श्री राम विशुन आजाद, श्री सतीश भाटिया, श्री तुलसीदास राय चंदानी, श्री रमापति शास्त्री, श्री विश्वनाथ गुप्ता, श्री लल्लू सिंह, श्री राकेश सचान, श्री प्रणत पाल सिंह, श्री चरन सिंह श्री प्रेम सिंह। उपुर्यक्त सात स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाएं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

तहसील अधिवक्ता संघ, मनकापुर, गोण्डा द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम प्रताप सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के अन्दर उपरोक्त विषय को उठाना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।

दिनांक 8 फरवरी, सन् 1994 से तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा के तहसील अधिवक्ता संघ मनकापुर तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना करने के मांग को लेकर हड़ताल पर है जिससे मुकदमों का निस्तारण संबंधी एवं जमानत संबंधी कार्यों का निस्तारण नहीं हो पा रही है जिससे जनता को काफी परेशान होना पड़ रहा है साथ ही अधिवक्ता संघ ने दिनांक 9-3-94 से रास्ता जाम करने और दिनांक 11-3-94 से तहसील कार्यालय में तालाबन्दी करने का निर्णय लिया है जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि मेरी नियम 301 की सूचना को स्वीकार करते हुए इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा नगर के कई मुहल्लों में व्याप्त गन्दगी से महामारी फैलने की आशंका के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० राम बाबू हरित–

[मान्यवर, आगरा महानगर में गन्दगी का साम्राज्य व्याप्त है तथा मोहल्ला हमीद नगर, प्रकाश नगर, जगदीशपुरा, थोलू का नगला, बारह खम्बा में तालाबों का पानी वहां की जनता के घरों में भरने से हाहाकार मचा रहता है, जिससे यह सभी अनुसूचित व अल्पसंख्यक समाज के लोग अक्सर बीमार पड़े रहते हैं । यहां पर रखे गये पानी निकालने के पम्प कभी चलते नहीं क्यों कि कर्मचारी व अधिकारी मिल कर तेल बेंच कर खा जाते हैं ।

यहां पर महामारी फैलने का अंदेशा है तथा सरकार पर सीमित संसाधन होने के कारण वहां फैली महामारी को नहीं रोक पायेगी ।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जनहित में इस समस्या को दूर कराये ।]

जनपद अल्मोड़ा में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बची सिंह रावत–

[मान्यवर, मैं नियम 301 के अधीन, आपकी अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्नलिखित सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । जनपद अल्मोड़ा में पेयजल के स्रोत सूख जाने, अतिवृष्टि व भूस्खलन से पेयजल योजनाओं क्षतिग्रस्त हो जाने तथा स्वीकृति पेयजल योजनाओं के लिये धन उपलब्ध न होने से पूरे जनपद में पेयजल का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया है ।

यदि तत्काल शासन द्वारा पेयजल की इस समस्या का समाधान न किया गया तो पूरे क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मच जायेगी और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा ।

विनम्र निवेदन है कि सूचना स्वीकार कर शासन को त्वरित कार्यवाही के लिये निर्देशित करने की कृपा करें ।]

जनपद अल्मोड़ा के बागेश्वर क्षेत्र में जंगली बाघ के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रसाद टम्टा–

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र बागेश्वर में बाघ का आतंक फैला हुआ जो पालतू जानवरों को मार कर खा जा रहा है । महिलाओं और बच्चों को घायल किया है । पशुपालक कृषकों को हानि हो रही है । बाघ का भय जानवरों के साथ-साथ वहां के ग्रामीण निवासियों को भी है, जिससे वहां काम-धन्धा बन्द हो गया है, मेरे क्षेत्र में कपकोट, ताकुला बागेश्वर गरुड़ भैसियाछाना, में तथा आमस्यारी कोट, बनलेख के गांव में बाघ दिन दहाड़े गांव में घुस कर कई पालतू जानवरों को मार दिया है । बच्चों के लिऐ मुश्किल हो गया है । क्षेत्र विन्सर सेन्चुरी नाम से बन को प्रतिबन्धित कर उसमें बाघ शेर आदि डाल दिये गये हैं क्षेत्र में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ओखलीसिरोध, कालीगाठ जाठा, सातरी, मुसिया चौड़ ताला सैज नौगांव कराला गांव, क्राफलीगैर भोलना नाघर पिपली आदि ग्रामों की जनता बिन्सर पश्चिमी वन प्रभाग जंगल से घास लकड़ी लाते थे पशु चुगाने जंगल में जाना बन्द है।

सरकार सुर... एवं मुआवजा के लिए क्या उपाय कर रही है ?]

मध्य प्रदेश ...कार द्वारा 1972 में हुए समझौते का पालन न करने से जनपद बांदा के हजारों गांवों में पानी का संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेम लता कटियार, श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा तथा श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

[महोदय, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्रियों द्वारा सन् 1972 में किये गये समझौता का मध्य प्रदेश द्वारा पालन न करने तथा उल्लंघन करने के कारण बांदा जिले के 600 किलोमीटर लंबे 33 छोटे-बड़े नहरों से पानी लेने वाले हजारों गांव के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश ने समझौते से ज्यादा पानी लेकर बांदा के किसानों को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है।

अतः प्रदेश के किसानों के हित में यह आवश्यक है कि सदन इस पर तत्काल विचार करें।]

गोण्डा एवं सिद्धार्थनगर जनपदों को जोड़ने वाली तुलसीपुर इटवा मार्ग में स्थित भुसैलवा नाला पर निर्मित पाइल ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन ठप्प हो जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० शिव प्रताप यादव–

[मान्यवर, गोण्डा एवं सिद्धार्थनगर जनपदों को जोड़ने वाली तुलसीपुर-इटवा मुख्य मार्ग में स्थित भुसैलवा नाला पर निर्मित पाइल ब्रिज के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण 3 माह से भारी वाहनों का आवागमन ठप्प है। तत्काल प्रभावी कार्यवाही की अति आवश्यकता है जिससे आवागमन शीघ्र शुरू हो सके।]

हरिद्वार रोड-देहरादून के क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 केअन्तर्गत सूचना

श्री हरवंश कपूर–

[महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान प्रिंस होटल चौराहा हरिद्वार रोड देहरादून की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, प्रिंस होटल चौराहा नगर का व्यस्ततम चौराहों में से एक है इस चौराहे से लगा हुआ हरिद्वार रोड की सड़क की स्थिति अत्यन्त दयनीय है जिसके कारण यहां से गुजरने वाले नागरिकों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं कि यहां तक एक अत्यन्त गरीब मोटर क्लीनर की जान तक चली गयी तथा अन्य मजदूर को अपने हाथ की दो अंगुलियों से हाथ तक धोना पड़ा।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुए निवेदन करता हूं कि इस पर विस्तृत चर्चा करायी जाये।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु प्रदूषण बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 में जो सूचना आयी है उनमें सबसे पहले जो समय के अनुसार इसमें ली गयी उसमें नेता विरोधी दल के तो दस्तखत नहीं थे। पहली सूचना जो है ये प्रमोद तिवारी, जगदम्बिका पाल एवं नरेश अग्रवाल जी की है। इसमें विषय है उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण के संबंध में कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में।

(शोर)

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इसमें दूसरे सदस्यों के अधिकारों का शोषण होता है आप इस पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष–

समय की बाध्यता है। अब श्री नरेश अग्रवाल अपनी सूचना पर संक्षेप में ही बात कहें।

*श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने प्रदूषण रोकने के लिए जो नियम बनाये हैं। उस नियम के अन्तर्गत जल संरक्षण नियम, वायु संरक्षण नियम और पर्यावरण संरक्षण नियम मुख्य रूप से हैं। मैं सदन का ध्यान उन नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं, वे प्रदूषण की चरम सीमा पर बढ़ गयी हैं। पीने का पानी उन नदियों से मिल नहीं सकता। प्रदूषण की स्थिति यह हो गयी है कि उन नदियों में जो मछलियां हैं, वे मरने लगी हैं। उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिया कि जो हैवी इंडस्ट्री नदियों के किनारे हैं, वह अपना पानी साफ करके नदी में गिरायें। आज मोहन मेकिन, सीतापुर शुगर मिल और कानपुर की मिल प्रदूषण की चरम सीमा पर पहुंचती जा रही हैं। आज लखनऊ शहर में हम और आप चल नहीं सकते। प्रदूषण से एक लेयर सी बन गयी है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं राजनीतिक प्रदूषण की बात नहीं करता जो मायावती और मुख्य मंत्री के बीच है। आज आम आदमी की आयु इस प्रदूषण के कारण 10 वर्ष कम हो गयी है। यदि इसी तरह प्रदूषण बढ़ता गया, तो आदमी का जीवित रहना मुश्किल हो जायगा। इसलिए मेरा कहना है कि सारे नियमों को स्थगित करके इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष–

पाल साहब आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से पत्र आया है, जिसमें उन्होंने इस संबंध में लिखा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल–

तो क्या भारतीय जनता पार्टी निर्देश देकर सदन को चलवायेगी ?

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बेलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हुआ ।)

श्री रंगनाथ–

जितना श्री पाल जी का महत्व है, उतना हम लोगों का भी महत्व है । यह आपको धमका रहे हैं और सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं ।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा । अभी आपने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से कोई पत्र आया है, आप उसी के अनुसार समय देंगे, कार्यवाही करेंगे । तो मेरे दल की ओर से पत्र की प्रतीक्षा आप करें, कांग्रेस की ओर से भी पत्र की प्रतीक्षा कर लें । हर दल की ओर से पत्र की प्रतीक्षा कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

तब मैं आपको यहां बैठा लूंगा । हम नियमों के अनुसार कार्यवाही करेंगे । पत्र के आधार पर कार्यदाही नहीं करेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपको भारतीय जनता पार्टी निर्देश देगी, यह उचित नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह फिर समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से बात करूंगा ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह जो प्रदूषण का प्रश्न है यह पूरे प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा हुआ है । प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखें, टेम्पो, थ्री व्हीलर से निकलने वाले धुयें के कारण जनजीवन आज अस्त-व्यस्त हो गया है । जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण से आज सारे प्रदेश में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है । इससे ज्यादा चिंतनीय विषय और कोई नहीं है । अभी दो दिन पूर्व गोरखपुर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था । आमी नदी संजय पेपर मिल से निकलने वाले उत्प्रवाह से प्रदूषित हो रही है । उस नदी का पानी पीने वाले जानवर मर रहे हैं और मछलियां मर रही हैं । लोगों ने नदी से जल लेना बन्द कर दिया है । मुख्य मंत्री के आदेशों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पालन नहीं कर रहा है । अनेक देशों में प्रदूषण को एक मुद्दा बनाकर वहां पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं । सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि शुगर फैक्ट्रियां ट्रीटमेंट प्लांट लगायें लेकिन यह फैक्ट्रियां ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा रही हैं जिससे भयंकर प्रदूषण हो रहा है । इसे ज्यादा अविलम्बनीय प्रश्न और कोई हो नहीं सकता है । इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह मानव जीवन और प्रकृति से संबंधित अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । आज प्रदूषण सम्पूर्ण प्रकृति को नष्ट करने के लिए आहिस्ता-आहिस्ता कदम बढ़ा रहा है । अगर समय रहते इस समस्या से सरकार और समाज सचेत नहीं हुआ तो यह प्रदूषण मानव जाति और प्रकृति को ग्रस लेगा । मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । लखनऊ प्रदेश की राजधानी में विधान भवन के सामने जो प्रदूषण सीमा है उससे 5 गुने अधिक प्रदूषण है । 200 मिलीग्राम एम० डी० पी० होना चाहिए लेकिन आश्चर्य की बात है कि विधान भवन के सामने 800 से 1,000 मि०ग्रा० है । अर्थात् मानक से 5 गुना अधिक प्रदूषण है । इसी प्रकार से जो इण्डस्ट्रियल एरिया है वहां पर 500 मि०ग्रा० होना चाहिए जिसके विपरीत 1,200 मि०ग्रा० हो गया है । इससे आप अन्दाजा लगा लें कि हम जो सांस ले रहे हैं उसमें 4-5 गुना प्रदूषण तत्व हैं जो हमारी सांस के साथ शरीर में जा रहे हैं इससे हमारा जीवन समय कम होता जा रहा है । यह प्रदूषण प्रकृति नहीं बल्कि मानव द्वारा हैं । वाहनों से निकलने वाले धुयें के प्रदूषित तत्व ऊपर नहीं जा पाते हैं और वातावरण में रह जाते हैं । अगर आप मान्यवर, सड़क पर कुछ देर के लिए खड़े हो जायं तो आपको अन्दाजा होगा कि वातावरण में कितना प्रदूषण है । यह किसी दल का सवाल नहीं है यह सम्पूर्ण मानव जाति व प्रकृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का है और तात्कालिक है क्योंकि यह निरन्तर जारी है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस भीषण समस्या को ध्यान में रखते हुए आप सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, जो प्रदूषण के संबंध में चिन्ता व्यक्त हमारे साथियों ने की है उससे किसी को इन्कार नहीं होना चाहिए । प्रदूषण पर अगर नियन्त्रण नहीं किया गया तो वातावरण दिन प्रति दिन खराब होता चला जायगा । मैं तिवारी जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से उद्योग में जो एफ्ल्यूमेंट ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाने का निर्णय है उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये जायेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, वाहनों से सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए जो मानक निर्धारित किया गया है, वह मान्यवर, बेहद प्रदूषण वाहनों से सबसे ज्यादा हो रहा है, उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उद्योग के बारे में तो मैंने बता दिया । इसके बारे में जो आप कह रहे हैं, इसके लिए भी कोई रास्ता निकाल लिया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, प्रदूषण पर नियन्त्रण पाने के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है और केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो उसकी ओर से और प्रदेश की ओर से कोई कदम उठाये गये हैं, वह जानकारी माननीय मंत्री जी दे दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं खुद परेशान हूं स्थिति को देखने से, जिनके सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं, वे भी बोल लिये, लेकिन एक माननीय सदस्य आगरा के खड़े हो गये हैं, उनको आप मना कर रहे हैं । मान्यवर, किसी के लिये उदार और किसी के लिए कृपण, यह शोभा नहीं देता ।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, प्रदूषण की जब भी बात कही जाती है, तब आगरा को प्रदूषण के नाम से ताज महल को जोड़ दिया जाता है । मान्यवर, मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि आगरा का सौभाग्य है कि उसको विश्व विख्यात इमारत मिली है, लेकिन यह तो बर्दास्त नहीं किया जा सकता कि उसके नाम से आगरा के उद्योग धन्धों को उजाड़ दिया जाय और ताज महल आगरा के रोजगार धन्धों के लिए एक अभिशाप बन जाय । अतः मैं मांग करता हूं कि आगरा में ताज महल को अभिशाप न बनने दिया जाय और आगरा के लिए विशेष ऐसी योजना बनायी जाय, जिससे आगरा के उद्योग धन्धे पनप सकें । उसमें मेरी मांग है कि मथुरा रिफाइनरी से सम्पूर्ण आगरा देहात और नगर को गैस लाइन बिछा कर भरपूर गैस दी जाय, जिससे जो कार्य कोयले की भट्ठी करती है, वे कार्य गैस से हो सकें और भरपूर उद्योग-धन्धों के लिए विद्युत 24 घण्टे आगरा को प्रदान किया जाय । मान्यवर, समय रहते हुए सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो अतिशीघ्र ताज महल को लेकर आन्दोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।

(घोर व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

(घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं, लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि वह पेयजल संकट की ओर ध्यान देकर, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करे ।

(व्यवधान)

जनपद पीलीभीत में नेपाल से पकड़कर लायी गयी महिलाओं की नसबन्दी किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेश अग्रवाल पीठासीन हुए)

* श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह–

मान्यवर, पूरे प्रदेश के अन्दर पीलीभीत के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों का भी उल्लेख किया जाता है कि 90 फीसदी नसबन्दी अगर करवा सकते हैं, तो बाकी क्षेत्र क्यों नहीं करवा सकते हैं ? इसमें 90 के 90 फीसदी जो नसबन्दी के केसेज होते हैं, वे नैपाली होते हैं, जोकि देश के हित में नहीं होते हैं । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो-जो वहां पर नसबन्दी हो रही है, सरकारी जीपों के अन्दर उनको लाया जाता है और उनको यहां पर नीलाम किया जाता है और मान्यवर, नीलामी के माध्यम से जो कर्मचारी उनका ज्यादा पैसा दे सकते हैं, उनके नाम केस लगता है । मैं जानना चाहता हूं कि यह फर्जी नसबन्दी क्यों करायी जा रही है ? इमरजेंसी के अन्दर कुछ कोटा निश्चित किया गया था, उसी प्रकार से पीलीभीत में जिलाधिकारी ने कुछ कोटा दिया है, पुलिस विभाग को छोड़कर सभी विभागों के कर्मचारियों का कोटा निर्धारित किया गया है, कोई भी विभाग वहां पर बचा नहीं है और जो कर्मचारी दो-दो केस नहीं दे सकते हैं, उनको वेतन नहीं दिया जाता है, उनका वेतन रोक दिया जाता है ।

मान्यवर, यह नेपाली औरतें दलालों के माध्यम से आती हैं और वह अधिकारियों से मिलती हैं और जब उनकी नीलामी होती है तो वह 1,200, 1,500 और 2,000-2,000 हजार में बिक जाती हैं । इस प्रकार से हर साल पीलीभीत में लगभग 5 हजार औरतें आती हैं । मान्यवर, आप यह देखें कि शोषण किसका हो रहा है । शोषण हो रहा है पटवारी का, शोषण हो रहा है लेखपालों का और शोषण हो रहा है शिक्षा केन्द्रों के मास्टरों का, यह लोग दो हजार रुपये देते हैं और यह लोग जनता का शोषण करते हैं । 5 हजार औरतें प्रतिवर्ष आती हैं तो इस प्रकार से अगर देखा जाये कि जब से नसबन्दी शुरू हुई एक करोड़ रुपया हर साल ले जाती हैं । कर्मचारी इनको पैसा जो देते हैं, उसकी वसूली किसी न किसी रूप में काश्तकारों से करते हैं । मैं मांग करता हूं कि एक समिति बना दी जाये क्योंकि ज़िलाधिकारी सही तथ्य सामने नहीं आने देंगे । कमिश्नर ने कह दिया है कि फर्जी नसबन्दी नहीं होती है और इस प्रकार से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अधिकारियों से सही स्थिति नहीं मिल रही है और एक समिति बना दी जाये जो स्थल पर जाये और जो अधिकारी दोषी पाये जायें, उनको दण्डित किया जाये, जिससे इस तरह का कार्य पीलीभीत में न हो।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, बहुत से घपले पाये गये हैं, लेकिन नसबन्दी का जो घपला है वह बड़ा जबरदस्त घपला है। मान्यवर, 1975 से नसबन्दी का सिलसिला चल रहा है और अगर उस समय से जोड़ा जाये तो जितनी पीलीभीत की आबादी है, उससे ज्यादा नसबन्दी हो गयी है और वी० एम० सिंह ने बड़े गम्भीर प्रकरण की ओर सदन का ध्यान दिलाया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नैपाल की औरतों का मजाक उड़ाया जाता है। गरीब महिलाओं को ला लाकर नसबन्दी के नाम पर नीलाम किया जा रहा है और जो ज्यादा पैसा देता है, उसके नाम पर नसबन्दी करा दी जाती है। इस प्रकार से नसबन्दी के नाम पर उत्पीड़न का काम हो रहा है और अगर कोई व्यक्ति किसी काम के लिए जाता है, तो साथ में नसबन्दी जोड़ दी जाती है। परिवार कल्याण विभाग है, उसके जो कर्मचारी हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, किसी का वेतन रोका जा रहा है और किसी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल टिप्पणी की जा रही है।

मैं सदन का ध्यान इस गम्भीर प्रकरण की ओर आकर्षित करता हूं और चाहता हूं कि इस घोटाले की जांच सदन की एक समिति बनाकर की जाये। मैं इस कार्यक्रम की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है, वह गलत है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर जबरदस्ती से इस कार्यक्रम को चलाया जायेगा, तो इस पवित्र कार्यक्रम को धक्का लगेगा और यह अच्छा कार्यक्रम बदनाम भी होगा। मैं मान्यवर, अपनी इस बात पर बल देता हूं। सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बना दी जाय। यह समिति सारे नसबन्दी के घोटाले के प्रकरण की जांच कर ले जो शासन को एक रिपोर्ट दें कि किस तरह से इस पर रोक लगे और किस तरह से भविष्य में इस पर कार्यवाही की जाय।

* श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह इतना गम्भीर विषय है, मैं इसकी ग्राह्यता पर बोलूंगा, इसे आज हम लोग सदन में उठा रहे हैं। मान्यवर, यह नसबन्दी या फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से इस प्रदेश का विकास जुड़ा हुआ है एक मायने में और सरकार की तरफ से इस विभाग को निर्देश हैं, आदेश हैं कि नसबन्दी या और तरीके से फैमिली प्लानिंग कराया जाय और अब तक तो यह सुना था कि विधवाओं की नसबन्दी करा करके आंकड़े पेश किये जाते हैं, शराब पिलाकर नसबन्दी कर दी, यह सुना था लेकिन आज जो हो रहा है वह बहुत ही बे-एहतियाती का काम हो रहा है।

मान्यवर, जबरदस्ती हो रही है। नैपाल से औरतों को लाकर और उन नैपाल की औरतों को हिन्दुस्तान के अधिकारी जीपों में भरकर लायें और फिर उनकी नसबन्दी करायें और फिर उनको पैसा दें, देश का पैसा नैपाल जाय और फर्जी नियमानुसार नसबन्दी दिखायें यह एक गम्भीर विषय है। इस विषय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

को लेकर माननीय साथी बी० एम० सिंह ने पैरवी किया है, नैपाल गये और इसका नतीजा यह हुआ कि बी० एम० सिंह के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम हुआ । आपके प्रभारी मंत्री जिले में गये उन्होंने इन्क्वायरी किया और देखा कि वास्तव में यहां पर नसबन्दी के नाम पर नैपाली औरतों का मेला लगता है । यह आदेश दे करके आये कि यह फर्जी काम बन्द होना चाहिए और यह भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कि जो फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं, वापिस होने चाहिए । लेकिन मान्यवर, यह कुछ नहीं हुआ है और फर्जी नसबन्दी का कार्यक्रम नेपाली औरतों का जारी है । वहां नेपाली औरतों का एक मेला लगता है तो मेरा कहना यह है कि जो अधिकारी इस कार्य को करा रहे हैं वह राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं और सरकार को गुमराह कर रहे हैं और इस राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं ।

इसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए । हो सकता है कि पीलीभीत की जांच के बाद आप सन्तुष्ट हो जायं तो नेपाल की सीमा से और जिले जो मिलते हैं उनमें भी यही धन्धा चलता है, यह गम्भीर विषय है । मेरा कहना है कि इस पर जांच करने के लिए सदन की एक समिति बना दी जाय । अगर इसकी जांच अधिकारी से करायेंगे तो चूंकि अधिकारी ही दोषी हैं और अधिकारी ही उसकी रिपोर्ट देंगे तो भला होने वाला नहीं है बड़े-बड़े अधिकारी इस दोष में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध जांच करने के लिए इस सदन की समिति बना दी जाय और वह रिपोर्ट दे और उसी के अनुसार कार्यवाही हो ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, और माननीय सदस्यों को भी सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

और भी कार्य इस सदन में हैं ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जिस गम्भीर समस्या की ओर हमारे सम्मानित साथियों ने ध्यान आकर्षित किया है ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के जवाब आने से पहले पूर्वान्चल से भी हमारी समस्यायें हैं इसी नसबन्दी के बारे में, नैपाल से जुड़ा हुआ जिला है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाइये, माननीय मंत्री जी जवाब दे दें ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, पीलीभीत का मामला है, मुझे भी बोलने का मौका दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें, माननीय मंत्री जी खड़े हैं ।

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, पीलीभीत में फर्जी नसबन्दी के संबंध में जो बातें आयीं है और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के सम्मानित सदस्य, इस कार्यक्रम में जो त्रुटियां हैं और जिसके कारण यह कार्यक्रम प्रभावित हुआ है, उसमें कुछ सलाह देना चाहते हैं । मान्यवर, जिस ब्लाक में, जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में, इस तरह की त्रुटियां की जा रही हैं या जिसके आधार पर इस कार्यक्रम को फेल करने का काम हो रहा है, उस समुचित प्रकरण की लिखित सूचना दे दें, मैं जांच करूंगा । मान्यवर, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसको हम सफल होना देखना चाहते हैं, यह प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है । जनसंख्या वृद्धि एक राष्ट्रीय समस्या है । लेकिन, इसके आधार पर किसी उत्पीड़न और फर्जी नसबन्दी के लक्ष्य के प्रति यह सरकार पूरी तरह सचेत है । इस तरह की आने वाली सूचना पर तत्परता से जांच करायेंगे, जांच ही नहीं करायेंगे, बल्कि प्रभावी कार्यवाही भी करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है, आप उनसे मिल लीजिये । यह 311 में नहीं आता है, अग्राह्य करता हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस पर जांच हेतु एक समिति बना दी जाय ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, डंग जी खड़े हुए, उनको मौका नहीं मिला, किरन पाल जी इस पर बोल चुके हैं, दुबारा कैसे उन्हें सुनेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

उनकी सूचना थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं । लेकिन इस सदन में जो हो रहा है, उससे मेरे दल के सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है । आप हमें क्षमा कीजियेगा, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा है ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यहां हमें अपनी बात कहने का अधिकार है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस तरह से 311 में दो-दो बार बोलने की परम्परा आप डालने जा रहे हैं।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, 311 में जो सूचना दी थी आपने कृपा पूर्वक सुना, माननीय मंत्री जी ने जवाब में यह कहा कि सदस्य लिखकर दे देंगे तो जांच करा लेंगे। मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर बात है, इससे एक नयी परम्परा सदन में पड़ती जा रही है। जब माननीय सदस्य ने सदन में जानकारी दे दी, सूचना आप तक लिखकर पहुंचा दी, उसके बाद मा० मंत्री जी का यह कहना कि लिखकर दे देंगे, जांच करा लेंगे, इससे हमारी सदन में कही गयी बातों का क्या महत्व रह जायेगा ? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इस पर बोला भी जा चुका है। उसी पर कार्यवाही होनी चाहिये, अलग से लिखकर देने की क्या बात है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री किरन पाल सिंह–

हम लिखकर क्या दें ?

श्री अधिष्ठाता–

जब माननीय मंत्री जी ने यह अपेक्षा की कि सूचनार्थ लिखकर दे दें, तो जांच करा लेंगे, तो बात वहीं समाप्त हो गयी, इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार का यह कथन कि लिखकर दे दें, तो इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि कल दूरदर्शन पर इस सारे प्रकरण को केवल भारत के लोगों ने ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोगों ने देखा है, इस पीलीभीत के मामले को।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें व्यवस्था क्या है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सारी घटना टेलीवीजन पर आयी है, नैपाल से लायी गयी औरतों के इन्टरव्यू हुए कि कितने में नीलाम होती हैं।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें व्यवस्था क्या है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, क्या सरकार इतनी अज्ञानी है कि इनको सारी घटना क्रम का पता नहीं है जो लिखकर मांग रहे हैं। इस सदन की एक समिति बना दें जो सारे प्रकरण की जांच करे।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं। (व्यवधान)

माननीय राम आसरे वर्मा जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं, निवेदन है कि कृपया बैठ जायं।

बाजार में परीक्षाओं के लिये नकल रोकने हेतु गैस पेपरों व गाइडों की भरमार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की बाजार में परीक्षाओं में नकल हेतु गैस पेपरों व गाइडों की भरमार के संबंध में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में जिस समय यह नकल अध्यादेश का निरसन हुआ था, मुख्य मंत्री जी ने उसके बाद भी सदन के भीतर और सदन के बाहर घोषणा की थी कि सरकार की नीति प्रभावी ढंग से नकल को नियंत्रित करने की है। हमें यह घोषणा अच्छी लगी। लेकिन मान्यवर, आज स्थिति क्या हो रही है ? नकल की सहायक सामग्री गाइड और गैस पेपर लाखों की संख्या में खुले आम बिक रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

इससे पहले भी बिकते थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि माननीय श्री नरेश अग्रवाल व अन्य सदस्यों ने जो पूर्व में सूचनायें दी थीं उनमें लगातारता थी, राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो यह सूचना दी है, उसमें लगातारता नहीं है, तात्कालिक घटित घटना है। मान्यवर, भाजपा की सरकार ने सहायक सामग्री को भी प्रतिबन्धित कर दिया था। हम लोगों ने प्रसाशकों के प्रेसों पर छापे डलवाकर, लोगों को जेल में भेजने का काम किया। सहायक सामग्री का प्रकाशन व वितरण बन्द करवा दिया। राष्ट्रपति शासन में भी कुछ बिकीं।

श्री अधिष्ठाता–

राष्ट्रपति शासन से पहले नहीं बिकीं, आप ग्राह्यता पर बोलें, आरोप-प्रत्यारोप न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने कहा इसलिए सुना रहा हूं। मान्यवर, नकल को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए एक कमेटी गठित हुई थी उस कमेटी की प्रोसीडिंग कभी-कभी अखबारों में आती थी। उसमें भी इस बात पर बल दिया गया कि जो सहायक सामग्री हैं उन्हें मुद्रण नहीं किया जाना चाहिए। इससे प्रकाशकों में सन्नाटा छा गया। फिर शिक्षा सचिव का बयान आया समाचार पत्रों में कि सहायक सामग्री के मुद्रण में रोक नहीं लग रही है और इसका परिणाम यह हुआ कि भारी पैमाने पर सहायक सामग्रियां जैसे गैस पेपर, गाइड प्रकाशित होने लगे जिसमें शत प्रतिशत पेपर आने वाला होता है, प्रकाशित होता था इस प्रकार नकल कराने की पूरी भूमिका तैयार हो गयी।

मान्यवर, इससे लाखों लाख विद्यार्थी जो कमजोर वर्ग का है, गांव के किसान का बेटा है जिसके ट्यूशन के लिये पैसे नहीं होते हैं, जो गरीब छात्र हैं उनकी प्रतिभा को चेक लगाने का काम इन्होंने किया है। मान्यवर, तो सरकार ने इस पर रोक नहीं लगायी। इससे मान्यवर, स्थिति आज यह पैदा हो गयी है कि सरकार की प्रभावी नीति होने के बावजूद भी सरकार की ढिलाई के कारण जो भारी मात्रा में सहायक सामग्रियां बाजार में बिक रहीं हैं उससे नकल को बढ़ावा मिल रहा है। मान्यवर, मैं यह मांग करता हूं कि इसमें वक्तव्य दिलाया जाये और स्थिति स्पष्ट हो जाये कि सरकार की नीति नकल को प्रभावी ढंग से रोकने की है कि नहीं या फिर भारी मात्रा में सहायक सामग्रियों को बाजार में बेचने की है। इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचना दी है उस पर बल देता हूं।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर,माननीय गुप्त जी ने जो विषय उठाया है उसका महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि इनके अलावा किसी और ने इस विषय पर बोलने की इच्छा जाहिर नहीं की।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने तो जाहिर की है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमारी तो मजबूरी है। हम तो आपसे ही शिक्षा लेते हैं। मान्यवर, गलती करके गलती को मान लेना बड़प्पन होता है। मगर कुछ लोग गलती करते हैं और गलती को सही साबित करने की चेष्टा करते हैं। तो, श्रीमन्, नकल अध्यादेश का परिणाम हम सभी लोगों ने देखा।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो महिलाएं बैठती हैं वह इनके भाषण को बड़ा पसंद करती हैं। हां, तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर इस प्रकार का कानून बना।

एक सदस्य–

मध्य प्रदेश में है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, अंग्रेजी में एक कहावत है– "बीटिंग एबाऊट द बुश" यह उसी को चरित्रार्थ कर रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो संसदीय क्षेत्र में धैर्य नहीं रखता वह अच्छा सांसद नहीं है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, अच्छा सांसद वही होता है जो तर्कहीन बोले, अनर्गल बोले और सत्य से परे बोले।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् एक घन्टे सुई आगे बढ़ गयी है। तो मैं यह कह रहा था कि गलती करके गलती मान लेना बड़प्पन होता है मगर गलती करके गलती न मानना यह उचित बात नहीं है। श्रीमन्, 14 साल के लड़के-लड़कियों को नकल करने पर हथकड़ी लगाकर जेल पहुंचाया गया। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर इस तरह का कानून बनाया गया है। यह फासिस्टवादी प्रवृत्ति के लोग इस तरह का कानून पंसद करते हैं। कोई भी कानून जब बनता है तो मन में यह भावना होनी चाहिए कि यह परिवार में लागू होगा तो क्या होगा ? मान्यवर, इनको शंका है कि हम नकल को प्रभावी ढंग से रोक सकेंगे। नकल को प्रभावी ढंग से रोका जायेगा। इनकी जो आशंका है, वह अपने पापों को छिपाने के लिये है। यह सूचना किसी नियम में नहीं आती, इसलिए इसको निरस्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम–311 में नहीं आती, इसलिये इसको अग्राह्य किया जाता है।

इलाहाबाद नगर के थाना धूमनगंज स्थित पेट्रोल पम्प के मैनेजर श्री एम० पी० सिंह की हत्या विषयक नियम–311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद नगर के थाना धूमनगंज स्थित एम०पी० सिंह के पेट्रोल पम्प के मैनेजर की दिनांक 2 मार्च, 94 को हत्या किये जाने के बारे में है।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं इस सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आई है, प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गयी है। प्रदेश के अन्दर हत्यायें, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनायें हो रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण इलाहाबाद के धूमनगंज स्थित एम० पी० सिंह पेट्रोल पम्प के मैनेजर मनीराम की दो गाड़ियों पर सवार होकर आये लोगों द्वारा हत्या कर दिया जाना है। उन्होंने केवल इनकी हत्या ही नहीं की, अपितु बगल के बग्गा पेट्रोल पम्प पर, तमन्चे पर, काफी रुपया मंगली प्रसाद से लूट लिया। कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था सुधर रही है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा।

इलाहाबाद क्षेत्र में गत दो महीने में 81 लोगों की हत्यायें, 16 घरों मे डकैती, 68 स्थानों पर लूट, 21 का अपहरण, 12 के साथ बलात्कार, 8 दहेज हत्यायें, 89 की हत्या के प्रयास, 370 चोरी, 189 नकब लगाकर चोरी की गयीं । इतना ही नहीं, कुछ दिन पूर्व इलाहाबाद के बहुप्रतिष्ठित व्यवसायी और नार्दन इंडिया पत्रिका तथा अमृत प्रभात के संपादक गुलाटी जी को सिविल लाइन क्षेत्र मे पीटा गया था । इस तरह आज पूरे इलाहाबाद क्षेत्र में आपराधिक घटनायें हो रही हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज वहां के निवासियों में असंतोष, असुरक्षा की भावना व्याप्त हो रही है, इसलिये अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कराई जाये, और इस विषय पर चर्चा कराई जाये ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, गौर साहब ने जो आंकड़े दिये हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता हूं । खासतौर से जिस घटना का उन्होंने उल्लेख किया है, उसके संबंध में पूरी जानकारी करके कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम–311 में नहीं आती, इसलिये इसको अग्राह्य किया जाता है ।

नियम 311 की अन्य सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

इसके बाद पांचवी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी, छठीं सूचना श्री रंगनाथ, सातवीं सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित एवं बैजनाथ रावत की, आठवीं सूचना श्री रमेश कान्त लवानियां की, नवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह की, दसवीं सूचना श्री सतीश भाटिया एवं श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की, ग्यारवीं सूचना श्री रवीन्द्र शुक्ला, श्री रतनलाल अहिरवार तथा श्री सुधीर कुमार बालियान की, बारहवीं सूचना श्री सूरज सिंह शाक्य की, तेरहवीं सूचना श्री धनराज यादव की, चौदहवीं सूचना श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी की, पन्द्रहवीं सूचना श्री बालचन्द्र मिश्र की, सोलहवीं सूचना श्री हरक सिंह रावत की, सत्रहवीं सूचनां श्री गनपत सिंह, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल तथा श्री चन्द्र किशोर की, अठ्ठारहवीं सूचना श्री राजकुमार शिवहरे एवं श्री भैरो प्रसाद मिश्र की, उन्नीसवीं सूचना श्री मातबर सिंह कण्डारी की, बीसवीं सूचना श्रीमती उर्मिला राजपूत की, इक्कीसवीं सूचना श्री हरवंश कपूर की, तथा बाइसवीं सूचना श्री सरजीत सिंह डंग की अस्वीकार की जाती हैं । अब मैं 300 की सूचनायें ले रहा हूं ।

(समय 1 बजकर 10 मिनट)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के एक साथ खड़े होने व बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो मैंने पढ़ करके सुनाया है, वह माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय है । अभी नियम 56 की सूचना भी आयेगी, उस पर बोल लीजिएगा ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

अधिष्ठाता–

आज दिनांक 9 मार्च, 1994 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुईं । पहली सूचना.....

(इस पर भारतीय जनता पार्टी के श्री रवीन्द्र शुक्ल, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री बालचन्द्र मिश्र, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री रंगनाथ, श्रीमती उर्मिला राजपूत सहित कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात अधिष्ठाता ने 1 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 1 बजकर 25 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है । तदोपरान्त 2 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

कृपा करके आप लोग बैठ जायं । अब नियम–56 ले रहा हूं । आज दिनांक 9-3-1994 को नियम–56 के अन्तर्गत 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई हैं । पहली सूचना श्री रवीन्द्र शुक्ल व श्री बाल चन्द्र मिश्र जी की जनपद झांसी में 15 वर्षीय बालिका के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं । श्री रवीन्द्र शुक्ल व श्री बाल चन्द्र मिश्र जी आप में से कोई एक अपने विचार व्यक्त करें ।

(श्री रवीन्द्र शुक्ल, श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा', श्री रंगनाथ व अन्य सदस्य खड़े रहे एक साथ बोलते रहे । जिससे व्यवधान बना रहा ।)

श्री शुक्ल जी, आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं, इसलिए मै अगली सूचना ले रहा हूं । कार्यवाही तो पूरी करनी ही है । आप जो कह रहे हैं, वह सम्भव नहीं है और न ही वह कार्यवाही में लिखा जायेगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

[x x x]

सदन में दी गयी महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुने जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष जी, प्रायः प्रतिदिन 311 की नोटिस पर चर्चा के लिये माननीय सदस्यगण आपसे अनुरोध करते हैं। उनमें से कुछ पर बोलने की अनुमति भी आप दे देते हैं ग्राह्यता पर बोलने के लिये। कई ऐसे प्रश्न रह जाते हैं जो उनसे महत्वपूर्ण होते हैं परन्तु उन पर ग्राह्यता की भी अनुमति नहीं मिलती हैं। मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी दलों के नेताओं को एक बार बुला कर बैठक कर लीजिये। हम 176 की संख्या लेकर बैठें है, कुछ 27 वाले हैं मेरा मतलब यह नहीं है कि उनका महत्व है, महत्व कम मत आंके लेकिन 176 वाली संख्या का महत्व कम नहीं आंकना चाहिये। एक तो प्रश्न की गम्भीरता को, प्रश्न के महत्व को देख लिया जाय, उसकी अविलम्बनीयता को देख लिया जाय।

स्वाभाविक है जिस दल की संख्या अधिक होगी वह अधिक नोटिस देंगे और उस पर कुछ कहना भी चाहेंगे। मैं देख रहा हूं जो हमारे दल के माननीय सदस्य हैं उनको अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिल पा रहा है। एक बार बैठक बुला लीजियेगा यह रोज -रोज की समस्या का समाधान निकल आयेगा। आखिर प्रश्न की अविलम्बनीयता, प्रश्न का महत्व और उसकी गम्भीरता को देखते हुये, साथ ही दल विशेष की संख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुये बोलने का अवसर प्रदान करेंगे तो सदन में इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होगी।

मुझे याद है कल जब श्री रंगनाथ खड़े हुये थे अध्यक्ष पीठ से कहा गया इस सूचना को कल दे दीजियेगा, कल सुन लिया जायेगा। मैं देख रहा हूं आज भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार श्री रवीन्द्र शुक्ल ने सूचना दी कि झांसी में सरेआम नीम के पेड़ पर टांग कर उसके परिवार वालों के सामने, जनता के सामने फांसी लगा कर एक आदमी को मार दिया तो इससे जघन्य अपराध और क्या होगा ? केवल हत्या का प्रश्न नहीं है, हत्या का जो प्रकार है उससे पूरे क्षेत्र में आतंक पैदा हो गया है। इसे नहीं उठायेंगे तो फिर कौन सा प्रश्न उठायेंगे ? मैं अनुरोध कर रहा हूं अगर दो-दो मिनट का समय दे देंगे तो उनकी बातें आ जायेंगी। सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने वाली है अपना पक्ष रख देगी और कार्यवाही शुरू हो जायेगी।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

कल मेरा नाम पुकारने पर भी बोलने नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है उसमें मेरी भी सहमति है और विगत समय से मैं इस पर ध्यान रखता रहा हूं लेकिन भविष्य में और भी ज्यादा ध्यान इस पर रखूंगा, संख्या के आधार पर भी माननीय

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सदस्यों को बुलवा लिया जायेगा । जहां तक प्रश्न नियम 311 का है मैं इस संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष की राय के अनुसार अपने सभी दलों के माननीय नेताओं की बैठक बुलाकर तय करना चाहता हूं, इसको पूर्णतया इससे हटा दिया जाय । नियम 56 में अगर राय हो तो भले ही एक दो सूचनायें और बढ़ा दी जायं उनमें भी अगर सदन सहमत हो सूचना शलाका के आधार पर चुनी जाती हैं । अभी मेरे विवेक पर एक ही सूचना है अगर एक के बजाय दो कर दी जाय तो दो को सभी माननीय नेताओं से विचार करने के पश्चात् ही तय करेंगे । आज आप देखेंगे नियम 56 में अपने विवेक से जो सूचना चुनी हैं उससे ज्यादा और महत्वपूर्ण सूचना क्या हो सकती है ? इसमें जो हत्या का प्रश्न है उसको उसी हिसाब से चुना है, सूचना को ले कर उसके बाद शलाका की है । मेरा कोई मतलब इस तरह का नहीं है कि माननीय सदस्य न बोलें, हम चाहते हैं माननीय सदस्यों के अधिक से अधिक विचार आ जायं ।

प्रश्न वहां पैदा हो जाता है अव्यवस्था का जब मा० सदस्यों के विचार आने में बाधा डाली जाती है या जब चर्चा चल रही होती हैं या प्रश्नों के उत्तर दिये जा रहे होते हैं और उसी बीच में लोग खड़े हो जाते हैं और बिना अनुमति के बोलने लगते हैं जिससे पूरा उत्तर नहीं आ पाता है और न पूरी चर्चा हो पाती है, तो ऐसे समय में पीठ से कोई आशा की जाए कि सभी को समय दिया जाए तो कैसे संभव होगा ? इसलिए यदि आप लोग व्यवस्था रखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि सभी को समायोजित करते हुए, सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए, सभी की बात को जनता तक पहुंचाने में हम पूरी-पूरी व्यवस्था करेंगे और मैं समझता हूं कि इस बात से सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

(व्यवधान के मध्य) कल पीठ से निर्णय हुआ था उसका आज पालन नहीं हो रहा है ।

(व्यवधान)

* श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, इस विषय पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि वर्ष 1989, 1991 में और आज भी इस सदन का सदस्य हूं । याद होगा कि 1989 में नये सदस्यों को नियम 56, 301, 300 में 7-7 सूचनाओं पर सदस्यों को सुना जाता था और उसमें नये सदस्यों को ज्यादा सुना जाता था । आपने नियम बना दिया कि दल से जो सूचना देंगे उनमें प्रत्येक दल से माननीय सदस्यों को सुना जायेगा । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज 9 बज कर 9 मिनट पर एक सूचना आई और 9 बजकर 18 मिनट पर श्री प्रमोद तिवारी जी की आई लेकिन श्री प्रमोद तिवारी जी को सुन लिया गया और 9 बजकर 9 मिनट वाली सूचना पर नहीं सुना गया । इसलिए क्या वहां जो नेता बैठे हैं उनके अतिरिक्त नये सदस्यों की क्या सदन में कोई उपयोगिता नहीं है ?

(भाजपा के कई सदस्यों के एक साथ बोलने से, व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग इस तरह से मुझे आरोपित न करें।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

(व्यवधान के मध्य) कल जो निर्णय दिया गया था उसका पालन करें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

दबाव पर हम कोई काम नहीं करेंगे। (व्यवधान) मनमाने तरीके से आप लोग बोलेंगे तो मैं किसी को नहीं सुनूंगा।

(घोर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आप कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं गुस्से में नहीं आता हूं। आप अपने सदस्यों को देखें, क्या इसी तरह से आपके सदस्य बोलेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् आप के सम्मान को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उस पीठ से कभी-कभी गुस्सा तो ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा ही आप गुस्सा हो जाते हैं। मैं बीच का रास्ता निकाले देता हूं।

आज मैं समझता हूं कि बड़े महत्वपूर्ण कार्य कार्यसूची में हैं–आज ही बजट भी प्रस्तुत होना है। माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, आप अनुभव कर रहे होंगे कि आज इतने कम समय में उनको समय दे पाना मुश्किल होगा। इसलिए आप आज की सूचनाएं स्थगित कर दीजिएगा और जब आगे बैठें तो उनको लेने के बारे में निर्णय कर लीजिएगा, उनको एक्जामेन कर लें और फिर उन्हें ले लीजियेगा। अगली बार उनको समय दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने जो सूचनाएं स्थगित की हैं, उन्हें आप स्वयं देख लीजियेगा और बता दीजियेगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको सुन लिया जाएगा, यह मैं आप पर ही छोड़ रहा हूं। लेकिन यह सम्भव नहीं है कि जो सारी की सारी सूचनाएं दे देगा, उन सबको ही सुन लिया जाएगा।

श्री कल्याण सिंह–

मैंने कहा परीक्षण कर लें और आज स्थगित कर दें। यह मैं भी जानता हूं कि यदि 25 सूचनाएं आएं तो सभी को नहीं सुन सकते।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं आप पर छोड़ रहा हूं। आज स्थगित करता हूं। इन्हें आपके पास भेज दूंगा, आप निर्णय कर लीजियेगा।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

आपको सदन चलाने में सहयोग मिलेगा, आप हमारी बात सुन तो लीजिये।

सदन में श्री अधिष्ठाता द्वारा दिये गये निर्णय से संबंधित व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्ष का निर्णय

* श्री नरेश अग्रवाल–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, नियम 311 की जो सूचनाएं हैं, जो सूचनायें आई थीं, अधिष्ठाता की चेयर पर बैठा था, उस पर बैठने के बाद अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए मैंने सारी सूचनाएं, सुनने के बाद, निरस्त कर दीं। वही हमको अधिकार है वहां बैठने पर। अब आपने निर्णय लिया कि उनको स्थगित किये देते हैं और नेता प्रतिपक्ष शायद उसको देखने के बाद तय कर लेंगे, लेने का निर्णय ले लेंगे। इस पर यह आप हमारे अधिकार की त्याग कर रहे हैं, जो मैंने जो निर्णय किया उस पर आप विचार फिर कर रहे हैं। विचारणीय यह है कि क्या इस पर आप इस प्रकार पुनः निर्णय ले सकते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सदन को नियमों से चलाने की मेरी आपसे विनती है। आज तक के संसदीय इतिहास में किसी भी सदन में–लोक सभा में और हाउस आफ कामन्स में भी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि अधिष्ठाता स्वयं सदन में खड़े होकर अपने बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न उठावे। अधिष्ठाता अधिष्ठाता है, वह एक कान्टीन्युटी है..... व्यवधान....उसमें समानरूपता है। आपके इनके या किसी के निर्णय को पुनर्जीवित करने का अधिकार है। जो अधिष्ठाता ने किया वह आपने किया। अतः मेरा निवेदन है कि इस बारे में आप इस सदन का क्षरण होने से बचा लें।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो एक संवैधानिक तथ्य यहां छिड़ गया है। गुप्त जी ने अच्छी बात कही है, यदि कोई माननीय सदस्य अधिष्ठाता के रूप में निर्णय लेता है तो उस पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं। नरेश अग्रवाल वहां अधिष्ठाता के रूप में बैठे थे, तो एक निर्णय लिया था और अब उन्होंने एक सदस्य हरदोई के रूप में इसको उठाया है "व्यवधान" मान्यवर, जो व्यवस्था का प्रश्न नरेश अग्रवाल जी ने उठाया है, उस पर बल देते हुए इतना अवश्य कहूंगा।

(2 बजकर 20 मिनट)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, वहां पर कौन बैठा था कौन नहीं यह बाद में तय करियेगा ? आपकी कृपा से जो भी बैठता है उसे बैठने के लिये आप ही नामित करते हैं । जो बैठा होगा उसको वही अधिकार होता है जो आपको है । आपकी अनुपस्थिति में जो निर्णय लेता है वह अध्यक्ष पीठ का ही निर्णय होता है । उस निर्णय को बदलने का अधिकार आपको होता है । मान्यवर, उस पीठ की गरिमा को बनाये रखना चाहिए । आपकी अनुपस्थिति में कोई निर्णय हो जाय तो आपके बाद आने वाले अधिष्ठाता को भी वह मानना चाहिए । मान्यवर, आप इनके बहकावे में न आयं । आप सही बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप खत्म करें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह लोग तोड़ना जानते हैं । अभी ढांचा तोड़ा है और अब व्यवस्था तोड़ रहे हैं । जिस तरह से ढांचा तोड़ा है वह व्यवस्था न तोड़ें मान्यवर, आप इनके बहकावे में न आयें ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, व्यवस्था के नाम पर यह बड़ी-बड़ी बातें करने लगते हैं । व्यवस्था में क्या सीमा है ? मान्यवर, इसका तो निर्धारण कर लें । लम्बा चौड़ा भाषण दिया और अब बैठ गये ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जिस समय अधिष्ठाता की कुर्सी पर माननीय नरेश अग्रवाल बैठे थे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उस सम्बन्ध में अपना निर्णय दूंगा । आप व्यग्र न हों ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल संख्या की बात कर रहे थे और संख्या के आधार पर यह कह रहे थे कि सबको अवसर दिया जाय । इसका तात्पर्य यह नहीं लगा लेना चाहिए कि संख्या के बल पर कोई बोलने के लिये खड़ा हो तो उसे ही बोलने दिया जाय । करीब तीन मिनट से आप देख रहे हैं मुझे बोलने की अनुमति दे रहे हैं संख्या के बल पर यह बी०जे०पी० के लोग खड़े हो जाते हैं और बोलने नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी अब आप बैठ जायं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे अभी प्रश्न तो उठाने नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं निर्णय दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने मेरा नाम क्यों पुकारा ? एक तरफ नाम पुकारा है और फिर बोलने नहीं देते हैं उसके बाद कोई खड़ा हो जाय उसको अनुमति दे देते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप बोलें । बोलते रहें । एक घन्टे का समय आपके लिये है । बोलें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

नहीं अगर गुस्से में अनुमति दे रहे हैं तो नहीं बोलूंगा । मैं आपकी अनुमति से काम करना चाहता हूं । अगर गुस्से में इजाजत दे रहे हैं तो मैं उसके विरुद्ध काम नहीं करना चाहता ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे विशेष आग्रह करते हुए कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि एक घन्टे का समय दे दिया है उससे माननीय सदस्य ने समझा कि मेरा उपहास उड़ाया गया है । मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इतना गुस्सा न किया करें । मान्यवर, जिस तरह से भाजपा के लोगों का कहना है कि संख्या बल के आधार पर सुना जाना चाहिए तो उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि संख्या बल अपनी जगह है लेकिन प्रदेश में जो ज्वलन्त विषय हैं, गम्भीर मसले हैं उसके अनुसार संख्या को दूसरे नम्बर पर रखते हुए विषय की गम्भीरता को देखते हुए, तात्कालिकता को देखते हुए उसे प्राथमिकता के आधार पर रखें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बोलिए, सब लोग बोलिये । इकट्ठा बोलिए ।

बोलिए, आप लोग बोलिए ।

(व्यवधान)

पाल साहब दो घंटे तक बोलते रहिए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरा निवेदन इतना था कि अब इस विषय का पटाक्षेप कर दें । आपने कहा कि बुलाकर बात कर लेंगे । अब सदन को चलाया जाए ।

(व्यवधान)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन् माननीय नेता विरोधी दल और गुप्त जी ने कुछ बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सरकार की ओर से वक्तव्य देते हैं उसका महत्व होता है इससे निर्णय करने में भी सुविधा मिलेगी।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

आप ठीक कह रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

श्रीमन् दो बिन्दु पर ध्यान आकर्षित किया गया नेता विरोधी दल और गुप्त जी ने। एक को आपने सुना।

(व्यवधान)

दूसरा बिन्दु जो था सूचनाओं को निरस्त किया गया था उसके संबंध में था। हम आपसे अनुरोध कर सकते हैं उस पीठ की मर्यादा होती है हम सब न तो दबाव डाल सकते हैं और न ही पीठ के निर्णय की आलोचना कर सकते हैं न आरोप लगा सकते हैं यही संसदीय परम्परा और मर्यादा है। –

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस बार हमारा सदन पिछले सदनों के मुकाबले अच्छी परम्पराओं का निर्वाह कर रहा है। इस पर विरोध पक्ष का भी श्रेय है और सत्ता पक्ष का भी। श्रीमन्, आप कोई भी निर्णय अपने विवेक से देंगे, उसको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। जो माननीय गुप्ता जी ने प्रश्न उपस्थित किया वह सिर्फ याद दिला रहे थे। श्री अग्रवाल जी उस पीठ पर बैठे हुए थे और वहां से कोई भी निर्णय कार्यवाही का अंग होता है। उस पीठ से कोई भी निर्णय दिया जाए, उसका सम्मान होता है उसका अस्तित्व होता है। सिर्फ पीठ की मार्यादा बनाए रखने के लिए। जहां तक नेता प्रतिपक्ष की संख्या की बात है, उस संबंध में हमारा आपसे अनुरोध है कि क्वालिटी को महत्व ज्यादा दिया जाता है क्वांटिटी को कम।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं आपको स्मरण करा रहा हूं मैने तीन बातों को इकट्ठा करके कहा। प्रश्न की अविलम्बनीयता, प्रश्न का महत्व और प्रश्न की गम्भीरता। इसी के साथ-साथ संख्या के हिसाब से भी सदस्यों को बोलने का अवसर देने की बात मैंने कही थी। आपने कृपा करके उस पर ध्यान देने का आश्वासन दिया हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि क्वालिटी पर क्वांटिटी की अपेक्षा ज्यादा

देना चाहिए । इस संबंध में अगर क्वालिटी का प्रतिबन्ध लगाया तो सरकार में क्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

जो क्वालिटी में रिजेक्ट हो गए वह प्रतिपक्ष में बैठ गए और जो क्वालिटी में सही थे उनको जनता ने सत्ता पक्ष में बिठा दिया ।

श्री सरजीत सिंह डंग–

जो न क्वालिटी में न क्वांटिटी में वह उधर बैठ गया । जो न नर में न नारी में वह प्रमोद तिवारी में । अभी मायावती ने बता दिया कि क्वालिटी कहां है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी हमारे माननीय नेताओं ने, सदस्यों ने अनेकानेक विषयों की तरफ, अनेकानेक बातों की तरफ, प्रक्रियायों की तरफ, बिन्दुओं की तरफ, जैसे कि अपने विचार थे रखे । अब सदन की कार्यवाही मैं चाहता हूं कि आगे चले । श्री अग्रवाल साहब ने इस पीठ से जो निर्णय दिया वह मेरा निर्णय था, जो मैंने निर्णय किया था, यह पूरी तरह सही है । जो मैंने निर्णय किया था वही था कोई उन्होंने अपनी तरफ से निर्णय नहीं किया । आप देख लीजिए । हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष का कहना यह था कि हमारे कुछ सदस्यों की महत्वपूर्ण सूचना नहीं ली जा सकी हैं, यह आगे ले ली जाएं । इस संबंध में मैंने कह दिया है उसको वापस नहीं ले सकता हूं । दूसरी बात वह सारी सूचनाएं मैं जरूर उनको दिखवा लूंगा आप देख लीजिए, क्या सबको सुना जा सकता है ? अगर सबको सुनने की बात कही जाएगी तो कार्यवाही नियम 311 में ही समाप्त हो जाएगी । नियम 311 के अलावा कोई दूसरी कार्यवाही नहीं होगी । इसलिए मैं अपने माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आज बजट प्रस्तुत होने वाला है उस पर चर्चा होनी है, मैंने यह निर्णय कर रखा है, मैं सभी दलों के माननीय नेताओं को एक पत्र जारी कर रहा हूं और उसमें यह जानकारी कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में अभी कितने माननीय सदस्यों ने भाग लिया और कितने माननीय सदस्य शेष रह गये हैं । मैं सबसे पहले ऐसे माननीय सदस्यों को ही बजट पर चर्चा में उनको वरीयता दूंगा जिनके विचार अभी नहीं आ सके हैं । (बहुत ठीक, बहुत ठीक की आवाजें ।) मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारा प्रदेश बड़ा प्रदेश है और दिन प्रति दिन कोई न कोई समस्या पैदा होती रहती है । उसके लिए हम और आप सब मिलकर कार्य करें ।

पहले जब 311 का रिवाज नहीं था तब भी माननीय सदस्य अपनी समस्यायें रखते रहे हैं और कार्य स्थगन होते रहे हैं । लेकिन अब हम सब मिलकर इस 311 के रिवाज को समाप्त कर दें जिसे हमारे ज्यादातर माननीय सदस्यों के विचार आ जायं । हमारे बहुत से माननीय सदस्य बहुत बड़े विद्वान हैं । उनमें से कोई शिक्षा पर, कोई कृषि पर, कोई सिंचाई पर कोई वित्त पर अपने विचार रखना चाहेंगे, नाना प्रकार के यहां बहुमुखी प्रतिभायें हैं, उन सबकी भावनाओं का यहां कुछ उभार होना चाहिए । उनकी चर्चा यहां आनी चाहिए जिससे प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके यह मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं–(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

मैंने एक सूचना नियम 56 में ली है यह सबसे महत्वपूर्ण सूचना मुझे प्रतीत हुई । यह सूचना माननीय रवीन्द्र शुक्ल और माननीय बाल चन्द्र मिश्र की है । यह सूचना जनपद झांसी में 15 वर्षीय बालिका के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किये जाने के विषय में हैं । माननीय शुक्ल जी, आप अपने विचार रखें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में बलात्कार, डकैती, कत्ल की घटनायें हो रही हैं प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । जब इसका उत्तर देने के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े होंगे तो कहेंगे कि घटना को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है । मान्यवर, हर चीज को राजनीतिक रूप देने की बात करेंगे । लेकिन में कहना चाहता हूं कि 13 वर्षीय बालिका के साथ 23 फरवरी को सामूहिक बलात्कार किया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आपने 15 वर्षीय लिखा है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, 15 वर्षीय ही सही, वह बालिका नाबालिग थी । यह नाबालिग बालिका बाल्मीकि समाज की थी जिसके साथ 13 लोगों ने 2 दिन तक सामूहिक बलात्कार किया । इस संबंध में 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा । मान्यवर, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने निर्देश दे दिये हैं कि अब चूंकि अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए रिपोर्ट लिखना बन्द कर दो । मान्यवर, चार लोगों को पकड़ा गया, बच्ची वहां पर बैठी रही, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, वह मामला रफा-दफा कर दिया गया । मान्यवर, मामला देह व्यापार का था, जो देह व्यापार मामला होता है, तो भी गिरफ्तारी होनी चाहिए । बालिका नाबालिग थी । बड़े शर्म की बात है, दोनों को जाने दिया गया और लड़की चूंकि अनुसूचित जाति की थी, उस पर अत्याचार हुआ है । वहां पर पूरे जिले के अन्दर कोई कानून-व्यवस्था नाम की चीज नहीं है । यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, इसलिए सारे सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के परिवारों में, भाइयों में, बहनों में इस बात का रोष है और यह सरकार दावा करती है कि वह अनुसूचित जातियों और दलितों का नेतृत्व करती है । इसे उनके मन पर बुरा असर पड़ता है । जो बाहर इस तरह की बातें आ गयी हैं, जो धमकियां सरकार को कांशी राम जी ने दी हैं अगर इस तरह से काम करेंगे, तो सरकार रफा-दफा हो जायगी ।

यह बड़ा गम्भीर विषय है कि 15 वर्षीय बालिका के साथ 13–13 लोग बलात्कार कर रहे हैं और चूंकि उसने थाने पर जाकर आप-बीती बताया है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, उसने पहचानने का

प्रयास किया है, लेकिन दबाव डाल कर उस केस को परिवर्तित कर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिस तरह से हमीरपुर में मानवती काण्ड में किया गया, इस विषय की गम्भीरता को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बल देता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, वास्तविकता की जानकारी उनको है, शुक्ल जी को शायद है और हम कोई बयान अपनी भावना से, अपने दिमाग से दे नहीं रहे हैं और हमारे पास जो सूचना है, वह सूचना दे रहा हूं। श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल से खासतौर से अनुरोध करूंगा कि वह अगर इसमें कोई गड़बड़ी देखते हैं, तो हम उनसे बात कर लेंगे। यहां पर हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, कम से कम इनके सम्मान के साथ इस तरह से हम लोगों को कोई काम करने का अधिकार नहीं है, राजनीतिक लाभ-हानि की दृष्टि से। श्रीमन् 15 वर्षीय इसमें हरिजन है, हम उसको अनुसूचित जाति कहेंगे, बालिका के साथ 13 युवकों के द्वारा कुकर्म की बात कही गयी है।

श्रीमन्, दैनिक जागरण, झांसी के समाचार-पत्र के दिनांक 25-2-94 के अंक में एक समाचार शीर्षक 15 वर्षीय हरिजन किशोरी के साथ 13 युवकों द्वारा कुकर्म प्रकाशित हुआ था। इस मामले की जांच परगनाधिकारी, मऊ रानीपुर एवं क्षेत्राधिकारी, मऊरानीपुर द्वारा संयुक्त रूप से करायी गयी थी। जांच में जो तथ्य सामने आये हैं, उनको बता रहा हूं। श्रीमती राजकुमारी पुत्री श्री ग्यासी बाल्मीकि निवासी मुहल्ला कटरा कस्बा व थाना गुरसराय की शादी लगभग दो साल पहले श्री अशोक पुत्र श्री बाबू निवासी ग्राम पिथोपुरा थाना भुर्खी जिला जालौन के साथ हुई थी जिसे उसके ससुर एवं पति ने छोड़ दिया था। श्रीमती राजकुमारी की शादी पुनः श्री मेवा लाल निवासी ग्राम बकया थाना मोंठ जिला झांसी के साथ लगभग चार माह पूर्व की गयी थी। श्रीमती राजकुमारी अपने पिता के घर लगभग 6-7 दिन पूर्व अपने मामा श्री राम बाबू जो कि मुहल्ला अमानगंज कस्बा छतरपुर मध्य प्रदेश के यहां गयी थी।

श्रीमती राजकुमारी दिनांक 22-2-94 को अपने मामा के यहां से वापिस गुरसराय आ रही थी कि मऊरानीपुर पहुंचने पर उसे रात्रि हो गयी थी और उसे मऊरानीपुर से गुरसराय जाने के लिए कोई बस नहीं मिली, अतः वह रेलवे स्टेशन मऊरानीपुर पर आकर बैठ गयी थी। काफी रात्रि में गस्त के समय थाना मऊरानीपुर के उप निरीक्षक एवं उनके साथ पुलिस कान्सटेबिल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तथा उन्होंने उपर्युक्त युवती से पूछतांछ की जिस पर उपर्युक्त युवती द्वारा यह बताया गया कि वह अकेली है तथा वह भय महसूस कर रही है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से वह पुलिस वालों के साथ थाना मऊरानीपुर चली गयी थी। उसने संबंधित उप निरीक्षक श्री आर० सी० विद्यार्थी को यह भी बताया था कि उसके पड़ोस का भाई श्री राजेन्द्र प्रसाद कस्बा मऊरानीपुर में रहता है लेकिन उसे अपने भाई का पता नहीं ज्ञात है। रात्रि में ही श्रीमती राजकुमारी के पिता श्री ग्यासी को समाचार दे दिया गया था जिस पर उसका पिता सबेरे थाना मऊरानीपुर पहुंच गया था तथा अपनी पुत्री को अपने साथ गुरसराय लिवा लाया। श्रीमती राजकुमारी एवं उसके पिता के कथनानुसार उसके साथ किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई कुकर्म (बलात्कार) नहीं किया गया। श्री राजेन्द्र प्रसाद जो कि कस्बा मऊरानीपुर तथा जिसे श्रीमती राजकुमारी पड़ोस का भाई बताती है रात्रि में ही थाना मऊरानीपुर पहुंच गया था तथा उसके द्वारा भी श्रीमती राजकुमारी के

साथ बलात्कार किये जाने की कोई बात नहीं कही गयी है । यह ज्ञात हुआ है कि श्रीमती राजकुमारी का दिमागी संतुलन लगभग 9–10 माह से ठीक नहीं है तथा वह इस कारण अक्सर छोड़ कर चली जाती है ।

श्रीमती राजकुमारी का इलाज घटना के दिनांक से लगभग 3-4 माह पूर्व डा० रवीन्द्र प्रकाश निवासी गुरसराय द्वारा किया गया था जिन्होंने श्रीमती राजकुमारी को बुखार बतलाया था तथा उसके चेहरे आदि देखकर उसका इलाज किसी मनोचिकित्सक द्वारा कराये जाने की सलाह दी थी । अतः सम्पूर्ण जांच से श्रीमती राजकुमारी उपरोक्त युवती के साथ कस्बा मऊरानीपुर में किसी भी व्यक्ति द्वारा बलात्कार छोड़खानी एवं अन्य दुर्व्यहार किये जाने की कोई भी बात सत्य नही पायी गयी है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, रिपोर्ट उसकी लिखी नहीं गयी है । उसको पढ़कर फेंक दिया गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह जिलाधिकारी की रिपोर्ट है । इससे हम पूरी तरह से सन्तुष्ट हैं । महिलाओं के सम्मान के साथ इस तरह का प्रचार करना उचित नहीं है । मान्यवर, यह नियमों में नहीं आता है, इसलिए आप इसको निरस्त करें ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए इसको अग्राह्य किया जाता है ।

(श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कृष्ण बीर सिंह सिरोही–

मान्यवर.....

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वह एक दल के नेता हैं उनको पहले बोल लेने दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर नेता विरोधी दल या किसी नेता से पहले किसी सदस्य ने नाम दे दिया , तो मैं उसी को सुनूंगा, फिर किसी नेता को नहीं बुलाऊंगा ।

(व्यवधान)

मैं आपको समय दूंगा । माननीय किरन पाल जी मेरी बात को आप सुन लें । आप बैठ जायें ।

श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, गाजियाबाद जनपद के हाफिजपुर थाने के ग्राम गिरधरपुर में 25 फरवरी की रात को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, गांव में आतंक मचाया और लूट पाट की यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को घर से निकाल-निकाल कर मारा गया, दरवाजे तोड़े गये, दीवारें तोड़कर ईंटें फेंकी गयी । इसके अतिरिक्त मान्यवर, उस दिन गांव में 2 बारातें आयी थीं एक दिन में थी और एक रात में । रात में जो संस्कार कराने के लिए पंडित जी गये थे उनको भी पुलिस ने नहीं बख्शा, विकलांगों को भी नहीं छोड़ा गया । एक डेढ़ माह से प्लास्टर चढ़े व्यक्ति को भी गैंगस्टर एक्ट में बन्द किया गया है । पूरा गांव सूना पड़ा हुआ है, घायल लोग कराह रहे हैं, दवाई देने के लिए आदमी नहीं हैं, पशु भूखे खड़े हैं रिश्तेदार भी राजीखुशी पूंछने के लिए गांव में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, पूरा गांव पुलिस छावनी बना हुआ है ।

मान्यवर, यह किसी वर्ग या जाति के बीच का मामला नहीं है । मान्यवर, यह कोई मामूली बात नहीं है हरिजन लोगों को ही हरिजन एक्ट में बन्द किया गया है, 4 हरिजन बन्द हैं, मुस्लिम भी बन्द हैं । जबकि यह प्रकरण मात्र एक हटवार हटाने का मसला था जिसकी प्रशासन से अनेक बार शिकायत की जा चुकी थी लेकिन ग्राम नान के प्रधान बार-बार गलत सूचना देकर नाप करा देते थे तथा जनता को उत्साहित करा देते थे । जिसका इस मामले में पुलिस ने कोई जिक्र नहीं किया है । मान्यवर, पुलिस 73 आदमियों को घरों से ले गयी और उनको हाफिजपुर थाने में न रखकर मसूरी थाने में रखा तथा अपराधियों की तरह उन पर अत्याचार किये तथा जेल में डाल दिया तथा उन पर एन० एस० ए० और गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य 200 आदमियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये हैं ।

मान्यवर, ग्रामवासियों ने महिलाओं के साथ जाकर उनकी जमानत का आवेदन किया और ए० डी० जे० उनकी जमानत मंजूर कर ली लेकिन जब तक उनका आदेश जेल में जाता, प्रशासन ने अपने प्रभाव से जिला जज से स्टे लेकर उनको रोक दिया । अगले दिन उन पर बहस हुई और उनकी जमानत रद्द कर दी गयी तथा 15 मार्च के लिए सुनवाई के लिए लगा दिया गया है । मान्यवर, इस संबंध में 5 तारीख को सांसद रमेश चन्द्र तोमर जी और विधायक बालेश्वर त्यागी जी, विधायक नरेन्द्र सिसौदिया जी तथा मैं स्वयं जिलाधिकारी से ग्रामवासियों और महिलाओं के साथ मिले तथा उनसे कहा लेकिन जिलाधिकारी ने गांव में बढ़े आतंकवाद को मिटाने के लिए कोई सही आश्वासन नहीं दिया ।

अतः इस अघोषित कर्फ्यू को गांव से तुरन्त हटाया जाय तथा झूठे मुकदमें में फंसाये गये लोगों को तुरन्त बिना शर्त रिहा किया जाय । मान्यवर, यह मामला अत्यन्त लोक महत्व का है इसे मैं आपके संज्ञान में लेकर सदन का कार्य रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं तथा न्यायिक मैजिस्ट्रेट अथवा विधायकों की एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करायी जाय जिससे गांववासियों पर किये गये अत्याचार का पर्दाफास हो सके इसके साथ ही वहां थाने के एस० ओ० राम मूर्ति यादव को तुरन्त हटाया जाय । और गांव वासियों पर लगे मुकदमों को बिना शर्त हटाया जाय ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना गाजियाबाद गिरधरपुर के गांव के लोगों पर पुलिस द्वारा इतना कहर बरपा हुआ है जिसकी मिसाल पिछले तमाम सालों में नहीं मिली होगी । मुझे अफसोस इस बात का है कि 24 तारीख की घटना है, अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे जो उस जिले के रहने वाले हैं, अभी तक इस घटना का जिक्र सदन में नहीं किया, न वहां जाकर लोगों की मदद की है । (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य कहने लगे कि माननीय सदस्य ग्राह्यता पर बोलें)

श्री अध्यक्ष–

मैं स्वयं कह रहा हूं कि आप कृपया करके ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, शोर मचाने से काम चलेगा नहीं, जब यहां पर इस तरह से उठा रहे हैं तो जाकर लोगों के दुख-दर्द को भी सुनें, उनके जिले का मामला है ।

श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही–

वहां अधिकारी से मिले, एस० एस० पी० से मिले, गांव में हमारे सांसद गये, दुख-दर्द सुना ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, गिरधरपुर गांव जो हाफिजपुर थाने के अन्तर्गत पड़ता है, गाजियाबाद में पड़ता है, जो पुलिस अत्याचार हुए हैं गांव के लोगों पर उसकी मिसाल नहीं मिलती है । 24 तारीख को पुलिस गांव में जाती है, गांव में एक तरफ से जो भी बच्चे, जवान और औरतें मिलती हैं सबकी पिटाई धुनाई होती है, जो अत्याचार गांव में हुआ है, अनेक लोगों को गिरफ्तार करके लाया जाता है । उन पर विभिन्न धाराओं में बड़ी-बड़ी धाराओं में मुकदमें कायम किये जाते हैं, जिन धाराओं में बड़े-बड़े अपराधियों पर आज तक मुकदमें तामील नहीं हुए हैं ।

73 लोग आज विभिन्न फर्जी मुकदमों में जेलों में बन्द हैं । औरतें बच्चे गाजियाबाद की कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं डी० एम०, एस० एस० पी० के यहां धरना दे रही हैं, उनकी आज तक कोई सुनने वाला नहीं है । मान्यवर, कभी-कभी ऐसा होता है कहीं कोई साम्प्रदायिक बात हो जाती है तब कोई कठोर कार्यवाही कर ली जाती है जातीय लड़ाई होती है तो कठोर कार्यवाही कर ली जाती है । यह जो घटना है न तो साम्प्रदायिक है और न जातिगत है, न साम्प्रदायिकता को खतरा था और न जातिगत विद्वेष को खतरा था, जो बन्द हैं वह सभी जातियों के लोग उसमें बन्द हैं, हरिजन सवर्ण सब बन्द हैं । इस गांव में पुलिस ने ज्यादती की है । वह घटना एक भूमि के विवाद पर घटी है । गिरधरपुर गांव के पास नान गांव पड़ता है, गिरधरपुर के लोग उस जमीन पर कब्जा चाह रहे हैं उनका कहना है कि यह नान गांव की जमीन नहीं है, गिरधरपुर की जमीन है ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

आप इसको देखें, मैं समझता हूं कि पिछले कई वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह का जघन्य काण्ड पूरे गांव के साथ कहीं नहीं हुआ । मेरा आपसे निवेदन है कि गिरधरपुर पुलिस से जो कहर ढाया है उसकी उच्चस्तरीय जांच करायें और मान्यवर, जो 73 लोग बन्द हैं जो 12 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोग बन्द हैं झूठे मुकदमों में उनकी जमानत भी हो चुकी है एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा उस वक्त जेल तक परवाना पहुंच नहीं सका और पुलिस सुपरिटेण्डेण्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज से स्टे ले लिया 3 तारीख की यह बात है, अब उसमें तारीख दी गयी है । गांव के लोगों के साथ ज्यादती हुई इसकी उच्च स्तरीय जांच करायें और कम से कम सरकार को निर्देशित करें कि इसमें सरकार की ओर से वक्तव्य आ जाय जिससे इस बारे में सदन को पूरी जानकारी मिल सके और स्पष्टीकरण पूछे जा सके ।

श्री राम आसरे वर्मा–

यह गिरधरपुर की घटना पुलिस का नंगा नाच है पुलिस ने ज्यादती की है घरों को लूटा है बेरहमी के साथ घरों को ढहा दिया लोगों पर लाठियां चलायी बच्चों से लेकर बढ़ों को फर्जी मुकदमें में बन्द कर जेल में डाल दिया गया । मान्यवर, पुलिस की बेरहम ज्यादती का बहुत अभूतपूर्व यह मामला है । यह मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार इसको गम्भीरता से ले । सामूहिक रूप से इस तरह से किसी गांव के लोगों को मारे-पीटे और बेगुनाहों को सताये, उनके घरों को लूट ले, दरवाजा तोड़ दें यह तो बहुत ही अभूतपूर्व मिसाल है पुलिस की और शासन को इसको गम्भीरता से लेना चाहिए । मैं यह मांग करता हूं कि शासन इसकी छानबीन करे और जिन लोगों को जेल में बन्द कर रखा हुआ है, फर्जी मुकदमें चला रखे हैं, उनके मुकदमों को वापस लेकर उन्हें जेल से रिहा करें और जो लोग भी दोषी पाये जायें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये ।

* श्री गजराज सिंह–

मान्यवर, यह मामला इतना गम्भीर है कि पश्चिमी जिलों के अन्दर शायद ही ऐसा मामला कभी हुआ हो । 24/25 तारीख की रात को मैं आठ-दस दिन बाद आज आया हूं यह घटना घटी शाम के समय में वहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो गयी है । वहां पर बहन बेटियां रात को नहीं जाती हैं, जंगलों में लोग रहकर अपनी रात बिता रहे हैं या फिर आस-पास के गांवों में चले जाते हैं पुलिस के डर से । मान्यवर, अगर कोई गांव का विवाद था तो उसे बड़े आराम के साथ निपटाया जा सकता था ।

मान्यवर, वहां पर 12 बजे जाकर जो पुलिस ने जुल्म ढाया है वह बहुत ही निन्दनीय है । मैं आपसे मांग करता हूं कि जो मसूरी थाने में लोगों को ले जाया गया, वहां पर किसी की टांग टूटी पड़ी है तो किसी का हाथ, 8 गांव के लोग रंगनाथपुर, चन्द्रापुर,निवाड़ी, तमरौली इत्यादि गांव के लोग एक बारात में सम्मिलित थे । वहां मकानों में घुसकर उन सब लोगों को खींचा, बहन बेटियों को बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा गया उनको हाफिजपुर थाने में न ले जाकर मसूरी थाने में रखा गया, पूरे दिन वहां पर रखा, उन पर नौ धारायें लगायी गयीं । मैं समझता हूं कि उन लोगों में से चार-पांच लोग ही ऐसे होंगे जो इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूरे काण्ड में शामिल रहे होंगे, बाकी 65 लोगों को जो निर्दोष थे उनको भी थाने ले जाया गया, उनके ऊपर फर्जी मुकदमें चलाये गये। मैं यह जानना चाहूंगा कि सदन के चन्द लोगों की एक समिति बनाकर इसकी जांच करायी जाये और जो 73 लोग जेल में बन्द पड़े हैं उन्हें अविलम्ब रिहा किया जाये और उनके मुकदमें वापस लिये जायें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो हमारे पास सूचना है उसमें यह है कि एक भूमि पर अवैध कब्जा करने की नीयत से यह मामला आगे बढ़ा और वहां पर बगल में एम० एल० सी० की जमीन है। जिस पर कब्जा करने की कोशिश की गयी, वहां पर मरे हुए जानवरों की खाल निकाली जाती है। 25-2-94 को वहां पर चबूतरा बनाकर एक मन्दिर की शक्ल देने की कोशिश की गयी। इसी पर तनाव उत्पन्न हुआ। पुलिस के ऊपर और राजस्व विभाग के अधिकारियों के ऊपर पथराव किया गया और उसमें मुकदमा भी कायम किया गया। इसमें 73 लोग गिरफ्तार किये गये हैं हम माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए इसे अलग से दिखवा लेंगे।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले मेरी बात तो सुन लें....

मैंने माननीय सदस्यों की बात सुनी और काफी विस्तार से उन्होंने अपनी बात कही। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास सरकार के पक्ष से जो सूचना है, वह उन सारे बिन्दुओं को पूरी तरह से कवर नहीं कर रही है इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि जो प्रश्न उठाये गये हैं, उन सारे बिन्दुओं पर जानकारी करके सदन को जानकारी करायेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, वक्तव्य दिलाने के लिए निर्देशित कर दें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, वक्तव्य के लिए कह दें, जानकारी से क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है,जानकारी देने के लिए। बार-बार एक बात कहने से क्या लाभ है ?

अब में इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं और अगली सूचना ले रहा हूं। अगली सूचना माननीय श्री बदन सिंह की है.....

(सर्वश्री किरन पाल सिंह, राम आसरे वर्मा, राम कुमार शुक्ल, माननीय सदस्यों के खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने पर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

अब कोई व्यवस्था नहीं । मैं इस पर कोई व्यवस्था नहीं सुनूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अगर नियमों के विपरीत सदन की कार्यवाही चल रही है, तो आपको व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

यह असम्भव है । मैंने माननीय बदन सिंह को बुला लिया है ।

(इस पर श्री किरन पाल सिंह, श्री राकेश सचान, श्री गजराज सिंह, श्री राम आसरे वर्मा सहित कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी-अपनी बात कहने लगे)

आप लोग अपने स्थानों पर जायें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

यह कोई संसदीय शिष्टाचार नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जानकारी और वक्तव्य में क्या अन्तर है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं मनमानी नहीं चलने दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जिस तरह से सुनें, वह तरीका बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

आप जो कहें, वह हो, ऐसा नहीं होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जायेगा ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अभी आपने इतनी गम्भीर घटनाओं के बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित कर दिया । मान्यवर, जानकारी और वक्तव्य में फर्क होता है । अगर आप वक्तव्य के लिये निर्देशित करेंगे तब तो माननीय सदस्य अपनी शंका का समाधान भी कर लेंगे, जानकारी देने की बात अलग है वह मान्यवर, आपके पास लिखकर भेज देंगे, वह जानकारी सदन को मिल जायेगी । आप अगर यह निर्देशित कर दें तो इस गम्भीर घटना पर शासन की ओर से वक्तव्य आ जाय । सदन इस बात से चिन्तित है कि गांव के अन्दर कहर ढाया गया लेकिन माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि अधिकारियों के ऊपर पत्थर फेंके गये तो मान्यवर, इस समय दोनों सूचनायें अलग-अलग हैं और दोनों का समाधान वक्तव्य का निर्देश पर हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी जब माननीय मंत्री जी जानकारी देंगे या सदन की पटल पर रखेंगे तो पूरी बात सामने आ जायेगी लेकिन आप इस पर चर्चा चाहते हैं तो मैं स्वीकार कर रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारी मंशा यह थी कि माननीय मंत्री जी उत्तर दे देते और अगर हम लोगों की कोई जिज्ञासा होती तो हम अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लेते ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी यह नहीं चाह रहे हैं ।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अबिलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को लाना चाहता हूं जो जनता के द्वारा चुने हुये जनप्रतिनिधियों के आचरण और चरित्र से जुड़ा हुआ है । मान्यवर, गत चुनाव में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पुलिस विभाग के द्वारा आपराधिक इतिहास तैयार किया गया था और चुनाव जीतने के पश्चात् ऐसे विधायकों की एक सूची तैयार की थी जो कि आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं । इस प्रकार की सूची में माननीय सदन 141 सदस्यों के नाम थे उनमें से 50 व्यक्ति हिस्ट्रीशीटर हैं, 17 विधायक अपराध में निरन्तर रत रहने वाले हैं और 35 ऐसे विधावक हैं जोकि माफिया गिरोह के सरगना हैं । मान्यवर, इस सूची को पुलिस विभाग ने सदैव-सदैव के लिये बन्द कर दिया, इसकी फाइल रोक दी गयी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बदन सिंह जी आप मेरी बात सुन लें, मैं आपका वक्तव्य नहीं रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सूची को रोक दिया गया लोगों का सुधार भी हो सकता है। क्या बाल्मीकि और अंगुलिमाल जी का सुधार नहीं हुआ था। आप इसको न उठायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक बात कहना चाहूंगा कि कौन-कौन सदस्य क्या सूचना देता है, यह देखना हमारे लिये आवश्यक नहीं है, वह आपके पास जाता और उसे सुनना या न सुनना आपके विवेक पर है। सुझाव मैंने दिया था, उस पर निर्णय आपको करना था, उस पर यदि आप निर्णय कर लेते तो शायद इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बदन सिंह जी संक्षेप में अपनी बात कहिये।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, उस फाइल में किन-किन विधायकों के नाम हैं मैं उनके नाम नहीं जानता और न किसी का नाम लेना चाहता हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जब से यह प्रकरण लोगों के सामने आया है, मान्यवर, इस माननीय सदन के सदस्यों में चिन्ता और दहशत व्याप्त हो गयी है कि किन-किन लोगों का नाम आपराधिक सूची में है, वह न तो अपने क्षेत्र में जन सेवा कर पा रहे हैं और न सदन में अपने दायित्वों का निर्वहन कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

क्या आपको यह अनुभव हो रहा है ?

श्री बदन सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य न दीजिये। कार्यवाही में कुछ नहीं लिखा जायेगा। इस सूचना पर श्री बालियान साहब का नाम है।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, व्यवस्था दें और मेरा निवेदन है कि आप सुन लें। श्रीमन्, समाचार-पत्रों में जो कुछ छपा है और उसमें जो निश्चित संख्या दी है कि कुछ विधायक आपराधिक तत्व के हैं, एक प्रकार से यह रिफलेक्शन है जो सदन के माननीय सदस्यों के प्रति प्रकट होता है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय के संदर्भ में छापी गयी है और उसमें विभाग का नाम है। सरकारी स्तर पर कहां से छपी है यह रिपोर्ट ? इस नाते एक तरह से सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है, सरकार इसकी जानकारी रखे कि कौन-कौन से विधायक आपराधिक तत्वों में संलग्न हैं, उनके नाम, कान्स्टीट्वेन्सी का नाम और किस-किस धाराओं का उल्लेख होना चाहिए। अगर अपराधी हैं तो उनका नाम पुलिस थानों में जुड़ा होना चाहिए।

कदाचित् माननीय सदन के सदस्य इस बात से सहमत होंगे। मान्यवर, समाचार-पत्रों में सूची गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रकाशित करायी गयी है उससे जो आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का आचरण रिफ्लेक्ट होता है, आप यह भी बता दें, उन माननीय सदस्यों के खिलाफ कौन-कौन सी धारायें लगायी गयी हैं ? कुछ राजनीतिक धारायें भी होती हैं क्या कन्विक्शन किया गया और यह किसी अपराध में जेल गये थे। प्रदेश की जनता भी जान ले। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। श्रीमन्, जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता है और प्रदेश के प्रत्येक विधायक के मन में एक संशय बना रहेगा कि कौन है ? सभी की जानकारी में आना चाहिए।

(श्री सुधीर कुमार बालियान और अन्य माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी को बार-बार नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं ले रहा हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रख दी है। आपको बोलना था तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को बाद में बोलना चाहिए, बोलने में समय लगेगा। कितनी संख्या में बोलना चाहते हैं, संख्या बता दीजिये ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, में बैठ गया था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गये थे।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होने पर शोरगुल)

श्री अध्यक्ष–

मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मुझे मौका नहीं दिया गया, अतः मैं सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री सुधीर कुमार बालियान सदन त्याग कर चले गये)

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने व साथ-साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष क्यों बोले ? अब मैं एक मिनट का समय भी नहीं दूंगा । जो आप लोग बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य खड़े रहे जिससे व्यवधान बना रहा)

सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित की जाती है ।

(तत्पश्चात् 3 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी । 3 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की और जो सूचनायें थीं सभी निरस्त की जाती हैं और औचित्य के प्रश्न भी नियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं इसलिये निरस्त किये जाते हैं । अब मैं अगली मद ले रहा हूं (कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, नियम 300 का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय किरन पाल सिंह क्या आप अपने प्रस्ताव पर बोलना चाहेंगे ? (व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

आपने कहा था नियम 56 के बाद 300 लूंगा । (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय किरन पाल सिंह जी आप बोलिये ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इसमें कुछ विचारणीय बिन्दु हैं जिनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । विधेयक की धारा 3 (6) को देखें । इसमें खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित व्यक्ति को आरक्षण कोटा में सम्मिलित करने का प्रावधान नहीं है । इस धारा के प्राविधान के अनुरूप यह उपयुक्त तथा औचित्य होगा कि इस उपधारा के साथ यह तथ्य भी जोड़ा जाय कि ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य में पदोन्नति के अवसर पर आरक्षण के अभ्यर्थी के रूप में लाभ नहीं मिलेगा ।

इसी तरह धारा 3 (7) में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में इस उपधारा मे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को पदोन्नति में भी आरक्षण देने का प्राविधान है । इसके साथ इस आशय का भी तथ्य उल्लिखित होना चाहिये कि आरक्षण के अभ्यर्थी को पदोन्नति में वहां लाभ नहीं दिया जायेगा जहां पर पदोन्नति के अवसर पर समस्त अभ्यर्थियों की सूची के वरिष्ठता क्रम में वरिष्ठतम ऐसे वर्ग का अभ्यर्थी है जिसे प्रथम चयन के समय आरक्षण का लाभ मिलता है ।

तो मान्यवर, इसमें कुछ विचाराणीय बिन्दु हैं उन पर विस्तार से विचार करने के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और वहां विचार किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने जो संशोधन रखा है प्रवर समिति में सुपुर्द करने के लिये वह इसलिये रखा है कि शासन की ओर से कुछ दिन पहले आरक्षण संबधी घोषणा हुई कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलेगा उसका उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वागत किया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात की भी घोषणा की कि उच्च वर्ग के गरीब लोगों के लिये भी 10 प्रतिशत का आरक्षण करेंगे ।

तो यह जो घोषणा की गई है और महिलाओं के आरक्षण की भी घोषणा की गई है इसमें मेरा सुझाव है कि इसे प्रवर समिति के सुपर्द इसलिये कर दिया जाय कि उसमें व्यापक रूप से इस पर विचार हो जाये और जिन-जिन का आरक्षण होना है उन सभी को इसमें सम्मलित करते हुये यदि विधेयक लाया जाये तो ज्यादा उचित होगा और मैं समझाता हूं कि यह शासन और जनता के हित में होगा ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, आरक्षण के संबंध में जो बिल इस सदन में प्रस्तुत है इसमें अनुसूचित जातियों के मामले में 21 प्रतिशत, अनुसूचित जन जातियों में 2 प्रतिशत, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत की आरक्षण की बात कही गयी है । श्रीमन्, यह मानते हुए कि इस देश के अन्दर युगों से समाज के कुछ पिछड़े दलित लोग जो हैं वह संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहे हैं और माननीय व्यवहारों से भी बंचित रहे इसलिए समाज का उत्तरदायित्व बन जाता है कि इस प्रकार के उजड़े पिछड़े और दलितों को धरातल पर लाकर अधिक सुदृढ़ बनाया जाय । इसलिये मैं और मेरी पार्टी प्रस्तुत बिल का हार्दिक स्वागत करती है । लेकिन मैं दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करके अपनी बात समाप्त करूंगा ।

श्रीमन्, इस बिल में कहीं पर भी विकलांगों के आरक्षण की बात नहीं कही गयी है और यह ऐसा वर्ग है जो मानवता के आधार पर सहानुभूति का पात्र है इसलिए उनका आरक्षण होना चाहिए और जो अभी तक चला आ रहा था लेकिन वर्तमान बिल के अन्दर उनके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि विकलांगों के आरक्षण की बात इसमें जोड़ें।

श्रीमन्, इसी प्रकार से यह देश उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आभारी है जिनके बलिदान के फलस्वरूप यह देश स्वतंत्र हुआ इसलिए उनके आश्रितों के लिये जो आरक्षण की सुविधा थी उसे इस बिल में समाप्त कर दिया गया है इसलिए मैं मांग करता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाये।

श्रीमन्, इसी प्रकार से देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर लड़ने वाले जवानों, ऐसे भूतपूर्व सैनिकों, के आश्रितों के लिए पहले आरक्षण की बात थी लेकिन इस बिल में उसे समाप्त किया जा रहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके आरक्षण की व्यवस्था की जाय।

श्रीमन्, चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से अनेक बार मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े लोगों के आरक्षण के साथ ही साथ समाज के जो शेष गरीब लोग बचते हैं उनको गरीबी के आधार पर आरक्षण किया जाये क्योंकि गरीबी भी पिछड़ेपन के कारणों में प्रमुख कारण है। इसलिए सम्पूर्ण समाज में सामंजस्य बनाये रखने के लिए उनको 10 प्रतिशत का आरक्षण देना चाहिए और यदि इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह केन्द्र को लिखे और यहां से प्रस्ताव पारित कराके वहां भेजे कि संविधान में संशोधन किया जाय। यदि इस प्रकार कोई प्रतिबन्ध है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है तो आरक्षण की इस सीमा को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो तो वह भी किया जाय।

श्रीमन्, इसी प्रकार से उद्देश्य और कारण जहां दिये गये हैं उसके क्रमांक–1 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि उसमें लिखा है–स्थानीय प्राधिकरणों, कतिपय सहकारी समितियों, बोर्डों, निगमों, कानूनी निकायों, कतिपय सरकारी कम्पनियों, शिक्षण संस्थाओं में, जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करती हैं जिसमें राज्य विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं।

लेकिन अल्पसंख्यक संस्थाएं सम्मिलित नहीं हैं, सेवाओं और पदों को इनकी परिधि में लाया जाना। यह इस प्रकार से स्पष्ट विभेद किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अलग से अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राविधान है, मैं तो चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, यह उसमें से निकाल दिया जाय। यह राष्ट्र के लिए अहितकर और अनुचित है। अलग से इनके लिए अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि इससे इन संस्थाओं का पाठ्यक्रम, शिक्षण व्यवस्था और चयन प्रक्रिया आदि सभी बातें बदली हुई होती हैं, जो राष्ट्र की मुख्य धारा से हटकर होती है। उन पर सरकार का कोई भी सामान्य नियम लागू नहीं हो पाता है। और इण्टरमीटिएट एजूकेशन एक्ट की धारा 16 लागू होती है और न निर्धारित स्कीम आफ मैनेजमेंट ही लागू होती है। वहां अध्यापकों का भी शोषण होता है। वहां पर बच्चों का अहित हो रहा है। इसलिए यहां भी जो यह विभेद किया जा रहा है, मेरे विचार से यह बिल्कुल उचित नहीं है। आरक्षण परिधि में इसे भी लाया जाना चाहिए।

इस विधेयक के पृष्ठ नम्बर–दो पर अन्तिम अनुच्छेद है–(3) की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीसरी ऐसी भर्ती में अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरी जायेगी । ठीक है, लेकन जो अगला खण्ड है, इसका चौथा उसको एक्सप्लेन कर देंगे जरा संसदीय कार्य मंत्री जी तो अच्छा रहेगा । उसमें दिया है–(4) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्त उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रही जाती है तो उसे पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमें भर्ती की जानी है, इस शर्त के अधीन अग्रेनीत किया जा सकेगा कि उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुल आरक्षण उस वर्ष में कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । श्रीमन्, बिन्दु इसमें यह है कि 21 प्रतिशत अनुसूचित जातियों का और 27 प्रतिशत इन पिछड़ी जातियों का और दो प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का है, तो यदि यह इसके बाद भी अग्रेनीत होगा, कोटे की जो रिक्तियां बची रहेंगी, उनको भरा जायेगा, लेकिन यदि वह आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है तो जो कैरी फारवर्ड करके रिक्तियां भरेंगे, उनका समावेश कैसे होगा ?

जब तक आप 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाते नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आप प्रवर सीमित को सौंप दें । प्रवर समिति ज्यादा समय न ले, यह भी मैं चाहता हूं । इसके साथ मैं इसका समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं । क्योंकि जो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 20 जुलाई, 1985 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में कह चुकी है और वर्ष 1993 में अपने सामाजिक नीति वक्तव्य में भी कह चुकी है, उसी के अनुरूप यह बिल है । मैं पुनः अपने दल के साथ इसका स्वागत और समर्थन करता हूं ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय विधेयक के रूप में इस सदन में आया है । इस पर कई वर्षों की चर्चा के बाद यह प्रकारान्तर में विषय उच्चतम न्यायालय गया था । उसका उस पर निर्णय आने के बाद भारत सरकार ने उस बिन्दुओं का स्वागत करते हुए जो आरक्षण का प्राविधान किया था, यह उसी मूल भावना को दर्शाता है । लेकिन इसमें जो दो-तीन कमियां हैं रह गई हैं, उनके संबंध में मंत्री जी से चाहूंगा कि वह उनके बारे में, अपना जवाब देते समय, स्पष्टीकरण दे दें ।

तीन वर्ग ऐसे हैं आज के स्वरूप में, उनके संबंध में क्या होगा ? इसके बारे में हमारी चिन्ता है कि उन पर सरकार क्या करेगी ? विकलांग वर्ग समाज के अन्य वर्गों के साथ चल सकने में असमर्थ रहता है । शारीरिक अक्षमता के कारण वह अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा में ठहर पाने से अपने को असमर्थ पाता है, इसलिये उनको आरक्षण दिया गया है । किन्तु यह विधेयक उस दिशा में पूरी तौर से मौन है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में इन विकलांगों के बारे में मानवीय दर्जा अपनायेंगे या नहीं ? उनके साथ दुर्भाग्य से ऐसा हुआ है और सरकार भी उनको ऐसे ही छोड़ देगी । मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे ।

दूसरा वर्ग जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है । स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की वजह से ही आज हम यहां बैठे हैं यदि उन्होंने त्याग और बलिदान न किया होता । देश को आजाद कराने के लिए जीवन अर्पित न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया होता, तो आज हमारा शासन न होता । जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे जिनका जीवन 30-35 साल का ही रहा जिन्हें अल्पायु में ही फांसी दे दी गई, जिनकी जिन्दगी का एक लम्बा समय जेलों में गुजर गया । उनके परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये । जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनके लिए दो-तीन प्रतिशत तो आरक्षण रखना ही चाहिए । हमारा स्वाभिमान इतना संक्षिप्त नहीं हो सकता है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनके आश्रितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए । इस पर सरकार मौन क्यों है ? तीन बिन्दुओं पर सरकार का रुख क्या है ? इसके अलावा मैं स्पष्ट रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग को दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

इस सरकार का गठन हुआ । दो-तीन विचार धारायें आई । मैं पूछना चाहता हूं उनकी कौन सी बात सही है ? अभी कुछ दिनों पहले मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा था आरक्षण के बारे में । आरक्षण के नाम पर इस देश में दो जातियां होती हैं गरीब और अमीर । जो अमीर हैं उनको छोड़कर गरीबों को सुविधा मिलनी चाहिए और गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी जायेगी । चाहे वह मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो जातीय आधार नहीं होगा । मुख्य मंत्री जी ने गरीबों को आरक्षण देने का वायदा किया था । मैं उनकी सरकार का इरादा जानना चाहता हूं । उसके बाद मुख्य मंत्री जी ने एक प्रश्न के जवाब को देते हुए कहा कि प्रश्न को स्थगित किया, उत्तर नहीं है । तो क्या आपके विचार में सच्चाई है या चुनावी वायदा है, इस बारे में आप बता दें । इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन यदि इन चार बिन्दुओं को शामिल नहीं किया गया तो आप न्याय नहीं करेंगे ।

श्री राम दास पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । आज कुछ कहने के पहले यह कहना चाहता हूं कि जो विधेयक आया है निश्चय ही सरकार की उस भावना का पालन हुआ है जिसके द्वारा सरकार की इच्छा सामने आई है कि समाज के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और मजलूम किस्म के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊपर ले जायं । हमारे सामने मित्र लोग बैठे हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं मनुवादी व्यवस्था के चलते देश में हजारों-हजार वर्षों से दलित वर्ग का शोषण हुआ है ।

(व्यवधान)

जो दलित परिवार थे उनका शोषण हुआ । सरकार की साफ मंशा है इन वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ है अब किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने वाला है । सरकार की मंशा इस बात को परिलक्षित करती है । सरकार की मंशा आज इस विधेयक से साफ जाहिर हो रही है कि सत्तापक्ष के लोग दलितों की आरक्षण देने वाले लोग हैं और आप लोग घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं । पहले आपकी सरकार थी आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप 18 प्रतिशत से 21 प्रतिशत दलितों का आरक्षण कर देते । मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि दलित वर्ग के लोगों का आरक्षण 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया है । इस समाज में दलितों के उत्थान के लिए सरकार ने पूरा मन बना लिया । मंडल कमीशन के नाम पर सामने बैठे लोग जिस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात

आई । 27 प्रतिशत करने की बात आई तो इन्हीं लोगों ने हमारी बसें जलाईं, न मालुम कितनी राजकीय सम्पत्ति का नुकसान किया । इस बात को इन्हें स्वीकार करना चाहिए । लेकिन यह जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं ऐसा इनको नहीं करना चाहिए । यह अपना मन साफ करें जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, कमजोर दलित पिछड़े वर्गों के लोगों को चारपाई पर बैठने नहीं देते थे । अब सरकार में बैठे हुए लोगों ने तय कर लिया है अब यह शासन में हिस्सेदारी देंगे । राजनीतिक हिस्सेदारी इनको मिल ही गई है । माननीय कांशीराम और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीति में हिस्सा दिलाया है ।

(व्यवधान)

अब हमको आई० ए० एस० में हिस्सा चाहिए । शासन में हिस्सेदारी चाहिए । मैं इस बात को साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से यह सड़कों पर अराजकता फैलाना चाहते हैं उसी तरह से यह सदन में अराजकता फैलाना चाहते हैं । इनका सदन में भी अराजकता फैलाने का प्लान है । लेकिन सत्तापक्ष के लोग किसी तरह से यह नहीं होने देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री राम दास पाल–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैंने अपने माननीय नेता के विचारों को सुना । कांग्रेस पार्टी के विचार सुने, सत्ता पक्ष के विचार सुने । मुझे अच्छी तरह याद है जब डा० अम्बेदकर से आरक्षण की बात की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आरक्षण मात्र 10 वर्ष के लिए रहना चाहिए । लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि इस देश की कांग्रेस सरकार ने मात्र अनुसूचित जाति समाज के लोगों को एक भिखारी के रूप में प्रस्तुत किया, और उनका सदुपयोग करते हुए ऐशोआराम करती रही । आज मैं देख रहा हूं यहां पर सपा-बसपा की सरकार, जो कांग्रेस की बैशाखियों के सहारे टिकी हुई है । अब देखना यह है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को पूरा किया जायगा कि नहीं जितनी कि इनको इन जातियों के बारे में चिन्ता है ।

श्रीमती रेखा छागला–

मान्यवर, आरक्षण में 3 प्रतिशत इस सरकार ने वृद्धि की है, इसके लिए मैं इस सरकार को बधाई देना चाहती हूं । मान्यवर, सदियों से दलित वर्ग के लोगों को मनुवादी व्यवस्था के अन्तर्गत हमें हजारों वर्षों से दबाये रखा गया है । यह देश की पहली सरकार है, जिसने दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है । इन्होंने आज तक भी दलित वर्ग को दिये गये आरक्षण कोटे का पूरा लाभ नहीं उठाने दिया । शासन प्रशासन में बैठे हुए मनुवादी मानसिकता के लोगों ने इस आरक्षण का लाभ नहीं उठाने दिया । मान्यवर, क्योंकि यह नहीं चाहते हैं कि दलित समाज के दबे कुचले लोग मान सम्मान की जिन्दगी जी सकें । अपना सर ऊपर उठा सकें । मान्यवर, इस सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है । जिससे दलित वर्गे, पिछड़े वर्ग के लोगों को मान-सम्मान और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी । मान्यवर, इस सरकार का स्पष्ट मत है और निर्देश है कि जो अधिकारी इसे पूरा करने में अपनी मानसिकता को आगे रखते हुए आना

कानी करेंगे उन्हें दंडित किया जायेगा । मान्यवर, मैं इस आरक्षण के विधेयक का समर्थन करती हूं और यहां पर सदन में बैठे हुए सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह इसे सर्वसम्मति से पारित कराएं व इस देश में अमन-चैन व इन्सानियत बहाल करें । इस विधेयक के संबंध में आपने जो मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं भी अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति हूं और निर्वाचन क्षेत्र भी मेरा अनुसूचित क्षेत्र का ही है । इसमें इतना और जोड़ा जाय कि शासन–प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हैं वे आरक्षण से संबंधित कोटे को भरने में कोताही बरतेंगे तो उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । सामने बैठे हुए लोग आरक्षण की दुहाई देकर सत्ता में तो आते रहते हैं । आरक्षण के मुद्दे को यह लोग मात्र वोट बटोरने का साधन मानते हैं । इस संबंध में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आरक्षण कोटे को निश्चित अवधि के अन्दर भरा जाय और न भरने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय । यदि इस प्रकार के दण्ड की व्यवस्था नहीं की जायेगी तो आरक्षण आरक्षण ही रहेगा । आरक्षण की जो परिपाटी चल रही है, इन्सान और इन्सान के बीच खांई बढ़ रही है तथा नफरत की भावना उससे ईर्ष्या और बढ़ा रही जो देशहित में उचित नहीं है जिससे देश में विकास न होकर यह अवनति की ओर जायेगा और राष्ट्र पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा अनुसूचित वर्ग अब इन्तजार नहीं करेगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राम अधार यादव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने संविधान की व्यवस्था के अनुरूप पिछड़े वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 23 प्रतिशत जो दिए हैं । निश्चित रूप से उनका यह निर्णय काबिले तारीफ है । अभी वरिष्ठ सदस्य श्री प्रमोद तिवारी ने जो आशंका उठाई है मैं भी चाहूंगा समाज में जो यह वर्ग हैं । विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको भी आरक्षण दिया जाय । लेकिन मैं कहना चाहूंगा जहां तक मेरी जानकारी है संविधान में 50 प्रतिशत आरक्षण की ही व्यवस्था है । श्री तिवारी जी की सरकार केन्द्र में है इसलिए यह संविधान में जुड़वाने के लिए प्रयास करें ताकि अन्य वर्गों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके । इसके साथ ही साथ मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा जो घोषणा हुई है उसके तहत नियुक्ति कब होने जा रही है ? उनका अनुपालन कब से शुरू होने जा रहा है ?

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, आपने बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण स्वतः स्पष्ट हैं । यह विधेयक इतना सरल, इतना सुबोध और इतना सम्यक और प्रसांगिक है, माननीय नेता विरोधी दल को मैंने सुना, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से शब्द विन्यास द्वारा इसका समर्थन किया लेकिन इंगित कर दिया कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ताकि विलम्ब हो । मान्यवर, आपके संज्ञान में है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड । आपका आशय यह था कि यह पेंडिंग में पड़ जाय और सरकार जो यह कदम उठाने जा रही है वह न उठा सके ।

मान्यवर, इस वर्ग के लोगों की जो पापुलेशन बढ़ी है उसके हिसाब से 18 प्रतिशत से 21 प्रतिशत किया गया है । जन जातियों का 2 प्रतिशत वैसे ही बरकरार है । 27 फीसदी आरक्षण बैकवर्डस को दिया

गया है । यह कुल मिलाकर 50 प्रतिशत हो जाता है । माननीय नेता विरोधी दल ने यह भी कहा कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, संविधान में संशोधन किया जाय । मान्यवर, इस संविधान में तो संशोधन हो जायेगा लेकिन क्या उस संविधान में भी संशोधन होगा जिसमें कहा गया है :–

"मार्जार नकुलो हत्या, चायं मण्डीव मेव च श्वसनालूक च शूद्र हत्या वृतं चरेत ।"

अर्थात् शूद्र के मार डालने पर उतना ही पाप लगता है जितना कौवा, उल्लू, गधा, कुत्ते को मारने पर लगता है । तो इस व्यवस्था से उत्पन्न संस्कार को कौन बदलेगा ?

लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पायी । लम्हे खता कर गये लेकिन सदियों ने उसकी सजा पायी है । इस पाप का प्रायश्चित करने के लिये जो मौका मिला है, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को राहत देने का यह जो रास्ता मिला है उसमें आप अपना योगदान दीजिये और अपने संशोधन को वापस लेकर इस प्रगतिशील कदम का स्वागत कीजिए । इन शब्दों के साथ मैं इस श्लोक के साथ विधेयक पर बल देता हूं कि

"रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्,
अभ्भोदा बहुब्रेहि सन्ति गगने सर्वेतु नैतादृशाः ।
केचिदवृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित वृथा,
यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनं वचः ।"

अर्थात् हे मित्र पपीहा सावधान मन से थोड़ी देर सुन । आकाश में बहुत से बादल हैं लेकिन सभी एक से ही नहीं हैं । कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ की गर्जना करते हैं । इसलिये तुम जिस-जिस को देखते हो उस-उस के आगे दीन वाणी मत कहो । अर्थात् केवल भरे हुये बादल से ही याचना करो जो स्वाति की बूंद से तुम्हारी प्यास बुझा सके ।

इस प्रदेश के शोषित, दलित, पीड़ित अल्पसंख्यक आदि रूपी चातक की प्यास श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व की सरकार रूपी भरे हुये बादल से बुझ सकेगी ऐसा मेरा विश्वास है । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

(श्री किरनपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे भी सुन लीजिये । मेरा भी नाम था ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको बुला लूंगा ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, किरन पाल जी को सुनने से पहले मुझे सुन लें ।

मान्यवर, माननीय किरनपाल सिंह द्वारा जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, अभी मैंने इधर के माननीय सदस्यों का भाषण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुना जिसमें मनुवादी व्यवस्था की बहुत बड़ी बात की गयी । हमारे नेता विरोधी दल ने स्पष्ट किया है कि हमारा विचार न मनुवादी व्यवस्था का है और न शरीयत की व्यवस्था का है । हम भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के पोषक हैं ।

अगर मैं यह कह दूं कि मान्यवर यह शरियतवादी व्यवस्था के पोषक है, इसीलिए इन्होंने भारतीय संविधान की मूल भावना को तिरोहित करके अल्प संख्यकों के द्वारा संचालित विद्यालयों में यह पवित्र कानून न लागू करने की घोषणा की हैं । इस संबंध में मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 (1) का हवाला देना चाहता हूं । मान्यवर, 29 में आबादी दी गयी है, अल्प संख्यक चाहे भाषाई हों, चाहे मजहबी हों, उन लोगों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए यह संचालित कराने का अधिकार है, मान्यवर, विद्यालय चलाने का अधिकार है, विद्यालय के प्रशासन या शासन की जगह पर कुशासन का अधिकार नहीं दिया गया है । क्या इनको यह भी अधिकार दे दिया जायगा कि विद्यालयों के अनुशासन का शोषण करें ? उसमें लिखा है कि भाषा, लिंग, स्थान पर कोई भेद नहीं किया जायगा । अगर प्रवेश में कोई भेद किया जायगा, तो अध्यापकों में यह आरक्षण क्यों नहीं किया जायगा ? इसलिए मैं आरोप लगाता हूं कि यह सरकार शरियत पर बनाये गये सिद्धान्तों पर चलती है । मेरी पार्टी पिछड़े, दलितों को शासन और प्रशासन में समान और सम्मानजनक साझीदारी देने के लिए पूरी तरह सजग है और इधर माननीय कांशी राम जी, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, ने यह जिक्र किया है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण न दिया जाय । यह सरकार आरक्षण देकर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है ।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह जो विधेयक सरकार द्वारा लाया गया है, इस विधेयक को मैंने प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए अपनी राय जाहिर की है । इसमें सभी दलों के नेता बोल चुके हैं । एक बात का मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे कि पुरजोर समर्थन करता हूं और इन्हीं के दल के नेता दूसरी बात कह रहे थे । मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इनका दल भारतीय जनता पार्टी यह संविधान के निर्माता का बहाना लेकर अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त कर रहे थे, इनकी दलितों के उत्थान में जो आस्था है, इनके सदस्य के बोलने से मुझे पता चल गया, जैसा अन्य नेताओं ने कहा कि मुझे शंका है, हम लोग तो इस विधेयक के समर्थक है, यह तो चौधरी चरण सिंह साहब के स्वप्नों का साकार रूप है । उन्हीं के जमाने में मण्डल आयोग का गठन हुआ था, सारे काम उन्हीं के द्वारा शुरू किये गये थे । सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ है उसमें 50 प्रतिशत आरक्षण की बंदिश है और एक दिन बहस चल रही थी, एक बयान आया था सरकार की तरफ से कि पिछड़े और दलितों का आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा । मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं, विकलांग हैं, या हमारे भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित हैं, उनके बारे में भी आरक्षण होना चाहिए था, हमारी यह मंशा है और वह इस बात से स्पष्ट है । इसका उत्तर प्रदेश में आयोग बनाया गया है, लेकिन उसके लिये कोई आफिस नहीं है और न ही स्टाफ है, तो इस पर भी सरकार को गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये । इसको साफ-साफ दिल से लागू करें । मैंने जो इसे प्रवर समिति में भेजने की सिफारिश की है, उसका कारण यह है कि सारी बातों पर विचार हो जायेगा और एक सम्यक विधेयक आ जायेगा । मेरी मंशा है कि जो इस विधेयक के प्राविधान हैं वह सही-सही लागू हों, हम उनका समर्थन करते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लिये जो आरक्षण था, वह एक राजाज्ञा के माध्यम से था । पिछले अधिवेशन में दो अलग-अलग अधिनियम बनाये गये थे, अनुसूचित जातियों के लिये अलग और पिछड़े वर्गों के लिये अलग और फिर इसमें आपत्तियां आईं और उनका अध्ययन किया गया और उसमें कुछ कमियां महसूस की गयीं । इसलिये प्रस्तुत विधेयक में दोनों वर्गों के आरक्षण के लिये एक ही में व्यवस्था की गयी है । वैसे तो पूरे सदन में जो इस विधेयक के प्रति भावना है, उसको लगभग सभी लोगों ने समर्थन किया है । थोड़ा सा विरोध माननीय नेता विरोधी दल और उप नेता विरोधी दल ने किया है, उसको मैं स्वाभाविक मानता हूं । माननीय नेता विरोधी दल जिस घर में पैदा हुये हैं और जिस घर में माननीय गुप्ता जी पैदा हुये हैं, लेकिन उनका यह विरोध संस्कारजन्य है ।

माननीय किरन पाल जी ने कुछ आशंकायें व्यक्त की हैं, उनका कहना है कि विकलांगों, एक्स सर्विसमैन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को जो आरक्षण दिया गया था, वह समाप्त हो जायेगा, उसका इसमें प्राविधान नहीं है, लेकिन श्रीमन् ऐसा नहीं है । माननीय प्रमोद तिवारी जी ने यह कहा कि हम सब लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से यहां पर बैठे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके प्रति पूरा सम्मान किया जायेगा, उनका सम्मान इस सदन में रखा जायेगा और बाहर भी रखा जायेगा । हमारे सामने आज तक एक दिक्कत है और वह दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय । संविधान में जो पिछड़े वर्गों का आरक्षण है वह 16(4) में किया गया है । विकलांगों आदि का आरक्षण केन्द्रीय सेवाओं में नहीं है । यह उत्तर प्रदेश में पहले था और उनका आरक्षण आज इस विधेयक में भी है और उतना ही है, जितना पहले था । अन्तर केवल इतना है कि उनको 16(1) में आरक्षण दिया गया है और उनको 5 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भावना के प्रतिकूल नहीं होगा । 16(1) के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं है । विकलांगों, एक्स सर्विसमैन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आरक्षण में कोई कमी नहीं की गयी है ।

श्रीमन्, हमारे जो माननीय नेता विरोधी दल हैं उन्होंने एक आशंका व्यक्त की थी कैरीफारवर्ड की । यह जो विधेयक लाया गया है इसकी तमाम विशेषताओं को समय की वजह से बताना नहीं चाहता हूं । कैरीफारवर्ड को इसमें कहा गया है कि वह 50 फीसदी से अधिक नहीं है । आपने प्रश्न उठाया था । आपने प्रश्न उठाया था कि मान लीजिये 104 में से 4 सीटें रह गयीं तो एक जुलाई से 30 जून तक का जो वर्ष माना गया है । मान लिया कि 100 सीटे हैं तो 104 में 50 फीसदी से अधिक भी न हो और पिछला कोटा भी पूरा हो जाय तो इसमें 50 फीसदी की सीमा रहेगी, 50 फीसदी के ऊपर आरक्षण नहीं जायेगा 104 रहेगा तो 52 हो जायेगा । यह तीन बार कैरी फारवर्ड होगा 3 बार कैरी फारवर्ड करके जो आरक्षण कोटे में भर्ती न होने की कमियां हैं वह पूरी की जायेंगी भले ही दो वर्ष में पूरी हो लेकिन 50 फीसदी की सीमा के ऊपर नहीं जाने दिया जायेगा ।

श्रीमन् गरीबों के आरक्षण के बारे में माननीय प्रमोद तिवारी जी ने विशेष रूप से बात की थी और यह सही है कि इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी ने और मैंने भी स्वयं सदन में उत्तर दिया था तो कहा था कि गरीब चाहे जिस वर्ग का हो, भूख, प्यास और दूसरी चीजें तो समान रूप से परेशान करती हैं, गरीब के साथ किसी भी सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए । लेकिन सैद्धान्तिक रूप से हम अगड़ी जाति को 10 प्रतिशत महिलाओं सहित आरक्षण देने को सिद्धान्ततः सहमत हैं । केन्द्र के कल्याण मंत्री का बयान आया है, मैंने पढ़ा हैं, प्रधान मंत्री जी का भी बयान आया है, मैंने पढ़ा है,

वह लोग कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं संविधान संशोधन कर व्यवस्था करने की जैसे ही यह केन्द्र सरकार में होगा तो उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान की पहली सरकार होगी जो अगड़े वर्गों के आरक्षण का प्रस्ताव लायेगी ।

श्रीमन्, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ शंकाएं उपस्थित की गयी है माननीय मेरे सामने बैठे हुए नेता विरोधी दल और उनके उपनेता के द्वारा श्रीमन्, हम सब लोग तो संविधान में विश्वास रखने की बात भी करते हैं और ईमानदारी से उस पर अमल भी करते हैं और जो संविधान में न विश्वास करे न अमल करे हम समझते हैं कि वह देश का सच्चा नागरिक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है । संविधान में उनको अलग से प्रोटेक्शन देने की व्यवस्था है, उस प्रोटेक्शन को यह सरकार अपना सिद्धान्त मानती है धर्म मानती है । उस प्रोटेक्शन को हमारी सरकार के न बने रहते खतरा पैदा हो गया था, लेकिन वह खत्म हो गया है । जो इनके क्लाजेज हैं, जो संविधान की व्यवस्था है यह आरक्षण विधेयक उनके उस पर नहीं लागू होगा और भी कुछ इसमें व्यवस्थाएं हैं (व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

(आसन पर बैठे हुए)–यह तुष्टीकरण है आखिर यह कहां जायेंगे ?

(व्यवधान के मध्य)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

(बैठे हुए) आप अल्पसंख्यक क्यों कहते हैं, सीधे-सीधे मुसलमान कहिये, आखिर ये किस समुन्द्र में चले जायं, बता दीजिए ?

(व्यवधान)

[x x x]

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय आजम साहब ने कहा कि [x x x] तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं और मेरी पार्टी उच्च सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं उनको छोड़कर नीचता में कभी नहीं जा सकता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां (बैठे हुए)–

6 दिसम्बर को क्यों किया ? (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

6 दिसम्बर का हमें गर्व है, आप क्या बोलेंगे ?

श्री राम कुमार वर्मा–

[x x x] अब क्या चाहते हो ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कुछ बातें, पिछला अधिनियम जो था, परिभाषित नहीं था, इस अधिनियम में उन बातों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है । लोक सेवकों के साथ स्थानीय निकाय, शिक्षण संस्थाओं, सहकारी समितियों, सार्वजनिक/उद्यमों में यह अधिनियम लागू किया जायेगा । पिछड़े वर्ग के संबंध में पिछले

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अधिनियम में पिछड़े वर्ग का उल्लेख था, संविधान में अन्य पिछड़े वर्ग दिया हुआ है, उसे इस अधिनियम में सुधार कर लिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति का क्रमशः 18 और 2 था, अब 21 और 2 कर दिया गया है। इसी तरह से श्रीमन् कैरी फारवर्ड की व्यवस्था की गयी है। रोस्टर प्रणाली पहले नहीं थी अब रोस्टर प्रणाली कर दी गयी है। प्रोन्नति में जो आरक्षण की 5 वर्ष की सीमा थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब पदोन्नति में आरक्षण हमेशा-हमेशा के लिये इस अधिनियम के जरिये रहेगा। इसी तरह से तमाम सुधार किये गये हैं। जो माननीय सदस्यों की आशंकायें थी उनके बारे में भी हमने काफी चर्चा में स्पष्ट कर दिया है। हमारा फिर अनुरोध है माननीय किरन पाल जी से कि जो संशोधन लाये हैं उसे कृपया वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किरन पाल जी संशोधन वापस ले रहे हैं। (व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

जो आपने कैरी फारवर्ड की बात कही उसमें स्पष्टीकरण चाहूंगा वह यह कि यदि 1 जुलाई से 100 स्थान रिक्त हैं तो 100 स्थान में से आरक्षण के प्राविधानों के अन्तर्गत 50 प्रतिशत तो आ जायेंगे ही कैरी फारवर्ड में जो पिछले वर्ष का आरक्षण था मान लीजिये 4 स्थान रह गये थे जो नहीं भर पाये थे, पहली जुलाई से रिक्त हुए थे उसमें 50 प्रतिशत का सिस्टम बना दिया जो 4 कैरी फारवर्ड होकर आये थे वह कहां एडजस्ट होंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

100 और 4 जो पिछले साल के 4 आये तो 104 में आरक्षण जो पड़ेगा वह 52 को ही मिलेगा। 52 से ऊपर नहीं जायेगा, 50 फीसदी से ऊपर नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किरन पाल जी अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं आया)

एक सदस्य–

वोटिंग करा दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 16 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहा जायगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में,–

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है ;

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से हैं ;

(ग) "लोक सेवाओं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवायें और पद भी है :–

(एक) स्थानीय प्राधिकारी ;

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो ;

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूंजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो ;

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है ;

(पांच) जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, आरक्षण लागू था और जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन अच्छादित नहीं है ।

(घ) किसी रिक्ति के सम्बन्ध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय, से है ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण

3-(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिनपर भर्ती की जानी है, निम्नलिखत प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :-

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में	. . इक्कीस प्रतिशत
(का) अनुसूचित जन-जातियों के मामले में	. . दो प्रतिशत
(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में	. . सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा ।

(2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, तीन से अनधिक, उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाय ।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीसरी ऐसी भर्ती में अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को

भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायगी ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो उसे पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमें भर्ती की जानी है, इस शर्त के अधीन अग्रनीत किया जा सकेगा कि उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुल आरक्षण उस वर्ष में कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत रूप से लागू रहेगा, जब तक वह समाप्त न हो जाय ।

(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायगा ।

(7) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय ।

अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति

4–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है ।

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियां या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो ।

शास्ति

5–(1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करती है तो वह, दोषसिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार को, या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, संक्षेपता किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263 और 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे ।

अभिलेख मांगने की शक्ति

6–यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे ।

चयन समिति में प्रतिनिधित्व

7–राज्य सरकार, आदेश द्वारा, चयन समिति में, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसी आवश्यक समझी जाय और जहां ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाय, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है ।

छूट और शिथिली-करण

8–(1) राज्य सरकार, धारा–3 की उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में, आदेश द्वारा, किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के सम्बन्ध में ऐसी छूट और उच्चतर आयु सीमा के सम्बन्ध में शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में अन्य छूटों और शिथिलीकरणों जिसके अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें यथास्थिति, उपान्तरित या विखंण्डित न कर दिया जाय ।

जाति प्रमाण-पत्र

9–इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण-पत्र, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायगा।

कठिनाइयों को दूर करना

10–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

11–इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

नियम बनाने की शक्ति

12–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति

13–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों को संशोधित कर सकेगी और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तद्नुसार संशोधित समझा जायगा।

आदेशों इत्यादि का रखा जाना

14–धारा 3 की उपधारा (5), धारा 4 की उपधारा (10) और (2) और धारा 10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

अपवाद

15–(1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण:–जहां सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार–

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहां, यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर ; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहां लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1993
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1994

16–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश 1994 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों और अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अंधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश गजट

अनुसूची–एक

[देखिये धारा 2 (ख)]

1–अहीर
2–अरख
3–काछी
4–कहार
5–केवट या मल्लाह
6–किसान
7–कोइरी
8–कुम्हार
9–कुर्मी
10–कम्बोज
11–कसगर
12–कुजड़ा या राईन
13–गोसाई
14–गूजर
15–गड़ेरिया
16–गद्दी
17–गिरी
18–चिकवा (कस्साब)
19–छीपी
20–जोगी
21–झोजा
22–डफाली
23–तमोली
24–तेली
25–दर्जी
26–धीवर
27–नक्काल
28–नट (जो अनुसूचित जातियो की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
29–नायक
30–फकीर
31–बंजारा
32–बढ़ई
33–बारी
34–बैरागी
35–बिन्द
36–बियार
37–भर
38–भुर्जी या भड़भूजा
39–भठियारा
40–माली, सैनी
41–मनिहार
42–मुराव या मुराई
43–मोमिन (अंसार)
44–मिरासी
45–मुस्लिम कायस्थ
46–नद्दाफ (धुनियां), मन्सूरी
47–मारछा
48–रंगरेज
49–लोध, लोधा लोधी, लोट, लोधी राजपूत
50–लोहार
51–लोनियां
52–सोनार
53–स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
54–हलवाई
55–हज्जाम (नाई)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची–दो

[देखिये धारा 3 (1)]

1–निम्नलिखित की पुत्र या पुत्री:–

(क) सीधी भर्ती किया गया या किसी राज्य सेवा से पदोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या अन्य केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य ; या

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा या किसी अन्य राज्य सेवा का कोई सदस्य, जो ऐसी सेवा में सीधी भर्ती से आया हो ; या

(ग) भारत सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय या ऐसे विभाग या मंत्रालय के अधीन शैक्षिक, शोध या किसी अन्य संस्था के समूह "क"/श्रेणी–एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (क) में सम्मिलित नहीं है ; या

(घ) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्था के समूह "क"/श्रेणी–एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (ख) में सम्मिलित नहीं है ; या

(ङ) सशस्त्र सेना या अर्द्धसैनिक बल का कोई अधिकारी जो कर्नल या समकक्ष पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो :

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य या अधिकारी की वेतन से आय प्रतिमास दस हजार रुपये या अधिक हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसका या उसकी पत्नी का नगर क्षेत्र में अपना मकान हो ।

2–चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, अभियन्ता, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की वृत्ति में लगे या सम्पर्क और सूचना व्यवसायी, प्रबन्ध और अन्य परामर्शी, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी या शिक्षण संस्था या कोचिंग इन्स्टीट्यूट चलाने या शेयर या स्टाक दलाल या मनोरंजन के व्यवसायी में लगे हुए किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री :

परन्तु उसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो ।

3–किसी व्यवसायी, जिसकी अनवरत तीन वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री ।

4–किसी उद्योगपति, जिसकी चालू इकाइयों में विनियोजन का स्तर दस करोड़ रुपये से अधिक हो और ऐसी इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन में कम से कम पांच वर्षों से लगी हों और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री ।

5–किसी व्यक्ति, जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन नियत सीमा के भीतर जोत हो, जिसकी कृषि से आय को छोड़कर वेतन, व्यवसाय या उद्योग

आदि जैसे स्रोतों से किसी वित्तीय वर्ष में आय दस लाख रुपये हो और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री ।

6–किसी व्यक्ति, जो उपरिलिखित श्रेणियों में सम्मिलित न हो, जिसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 16 तक, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण), विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 के संबंध में संकल्प

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह सदन संसद के सदनों द्वारा यथापारित संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा ''भारत का संविधान'' में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आता है, अनुसमर्थन करता है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि.....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जरा दायें बायें तो देख लीजिये । थोड़ा समय तो दे दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि, ''यह सदन संसद के सदनों द्वारा यथापारित संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा ''भारत का संविधान'' में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आता है, अनुसमर्थन करता है ।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

दूरदर्शन की रिकार्डिंग व्यवस्था हेतु सदन का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

अब हम 4.55 बजे तक के लिए दूरदर्शन की रिकार्डिंग व्यवस्था हेतु सदन की कार्यवाही को स्थगित करते है ।

(तत्पश्चात् 4 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने दूरदर्शन की रिकार्डिंग व्यवस्था हेतु 10 मिनट के लिये कार्यवाही स्थगित कर दी । 4 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कुछ समय के बाद ठीक 5.00 बजे वित्तीय वर्ष 1994-95 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा । माननीय सदस्यों को वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य वितरित किये जाने के संबंध में की गयी व्यवस्था इस प्रकार है :–

"हां" सभा-कक्ष में समस्त महिला सदस्यगण तथा उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़ तथा मऊ जिलों के समस्त सदस्यगण

और

"नहीं" सभा-कक्ष में शेष अन्य जिलों के समस्त सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 का आय-व्ययक

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

इस समय कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मुख्य मंत्री जी हम सबकी ओर से बधाई ले लें, जो वह यह बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आज अगर यह लोग अव्यवस्था उत्पन्न करें तो बिल्कुल बर्दाश्त न कीजियेगा । आप इनको सुनियेगा मत ।

श्री रंगनाथ–

अगर यह वेल में आ जायें, तो निलम्बित ही कर दीजियेगा ।

[समय 5 बजकर 5 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1994-95 का आय-व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूं ।...

साथ ही संविधान की धारा 206 के अन्तर्गत वर्तमान सेवाओं और योजनाओं पर व्यय के लिए तीन मास के लेखानुदान की स्वीकृति प्राप्त किये जाने का भी प्रस्ताव है ।

यह मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने मुझे इस आदरणीय सदन के समक्ष तीसरी बार यह दायित्व निभाने का अवसर दिया है । आप सब विद्वान सदस्यों के माध्यम से मैं इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जिन उम्मीदों के साथ हमारे गठबन्धन को शासन की बागडोर सौंपी है, उन्हें पूरा करने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे । हम राजनीतिक रूप से एक गतिशील प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध हैं ।

मुझे विश्वास है कि पिछले विधान सभा चुनाव में जो जनाकांक्षा प्रकट हुई है उसका संदेश अन्य राजनीतिक दलों ने भी अवश्य ग्रहण किया होगा । यह एक सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं था । उत्तर प्रदेश के राजनैतिक इतिहास में पहली बार गरीबों की अपनी सरकार बनी है, जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने अपने ''हिन्दू स्वराज्य'' की रूपरेखा में इस प्रकार से की थी,–''वह गरीबों का राज्य होगा, जिसमें सभी जाति, धर्म व भाषा की जनता को बराबरी का स्थान होगा, उसमें न कोई नंगा–भूखा रहेगा, न कोई बेपढ़ा-लिखा होगा, न कोई बेरोजगार होगा'' ।

आजादी की लड़ाई के दौरान हमारे समाज के शोषित, पीड़ित, पिछड़े और तिरस्कृत वर्गों में व्यवस्था परिवर्तन की जो भूख जगायी गयी थी, वह अभी तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई है । यह समाज शोषण, अन्याय और विषमता से मुक्ति के लिए तड़प रहा है और सरकार उसी की सामूहिक अभिव्यक्ति है । वास्तव में यह एक शांतिमय क्रांति है– सत्ता और समाज में सभी वर्गों की समुचित साझेदारी के लिए । जनता ने अतीत में भी ऐसे प्रयास किये थे, किन्तु कुछ निहित स्वार्थ और षड़यंत्रकारी शक्तियों ने उन प्रयासों को असफल करने के लिए समाज को तोड़ने और गुमराह करने वाले मुद्दों को उछाला, जिससे व्यवस्था परिवर्तन और विकास की धारा अवरुद्ध हुई । इस बार हम पहले की अपेक्षा अधिक सतर्क हैं और ऐसे इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे ।

मान्यवर,

पिछले तीन महीनों में आपने हमारी सरकार का कामकाज देखा है । हमारी पहचान हमारे भाषणों से नहीं बल्कि काम से है, हम जो कहते हैं, सचमुच में वही करते हैं । फिर भी इस अवसर पर मैं यह दोहराना चाहता हूं कि हम वर्ग विहीन, समता सम्पन्नता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध हैं और मैं इस लक्ष्य के लिए निष्ठावान सभी लोगों के सम्पूर्ण सहयोग का आह्वान करता हूं ।

हमारी सरकार का नारा है–

''सामाजिक परिवर्तन की लहर,
चली हर गांव, हर शहर'' ।

पुरानी व्यवस्था के दोषों के कारण जो लोग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गये हैं, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए हम संविधान की व्यवस्थाओं के मुताबिक विशेष अवसर और सुरक्षा तब तक देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जब तक वे भी बराबरी के साथ अग्रिम पंक्ति में नहीं आ जाते ।

इसीलिए हमारी सरकार ने सबसे पहले सुदूर गांवों में रहने वाले कुम्हारों को उनकी जीविका के लिए चिकनी मिट्टी उपलब्ध कराने, निषाद-कश्यप-मल्लाह बिरादरी के लोगों को मछली पालन के लिए तालाबों के पट्टे दिलाने का आदेश जारी किया । हमने खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ायी । किसानों

को सिंचाई के लिए पानी, बिजली, खाद का इन्तजाम किया और उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गन्ने के दाम बढ़ाये ।

विशेष अवसर की अपनी पुरानी प्रतिबद्धता के तहत हमने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का पुख्ता इन्तजाम करने के लिए एक सम्पूर्ण कानून अध्यादेश के जरिये बनाया, जिसमें जानबूझ कर इसका पालन न करने वालों के लिए पहली बार जेल और जुर्माना दोनों का प्राविधान किया गया है । साथ ही अनुसूचित जातियों के आरक्षण कोटे में तीन फीसदी की बढ़ोत्तरी करके 18 प्रतिशत से 21 प्रतिशत कर दिया है । पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश मे लागू कर दिया है । गरीबों, दलितों और सब प्रकार के पिछड़ों को विशेष अवसर की नीति पर डटे रहते हुए भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी सरकार अन्य वर्गों के दुर्बल लोगों तथा गरीबों की उन्नति के लिए भी काम करेगी । सभी वर्गों के प्रति इंसाफ करेगी, जुल्म और अत्याचार किसी भी वर्ग के साथ नहीं होने देगी ।

हम जानते हैं कि यह आसान काम नहीं है । लेकिन इस कठिन काम को भी हमारी सरकार पूरा कर सकेगी, क्योंकि हमारे पास एक सुस्पष्ट सामाजिक-राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वैचारिक आधार है, जो हमें स्वतंत्रता आन्दोलन के महान नायकों-महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर, डा० राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव और चौधरी चरण सिंह से विरासत में मिला है । वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के अपने बजट में मैंने इन्हीं महान विभूतियों के आदर्शों और विचारों का समावेश किया था । मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ प्रतिगामी शक्तियों को यह रास नहीं आया था । जब कुछ समय के लिए उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला तो उन्होंने रूढ़िवादी और सामन्तवादी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने तथा साम्प्रदायिकता पर आधारित कार्यक्रम को लेकर विकास को तो अवरुद्ध किया ही, भारत की एकता और अखण्डता को भी खतरे में डालने का प्रयास किया । मैं प्रदेश की जनता को उनके सामूहिक सूझ-बूझ के लिए बधाई देना चाहूंगा, जिसने इन साम्प्रादायिक शक्तियों को नकार दिया और लोकतांत्रिक, संवैधानिक तथा न्यायसंगत शासन की बहाली का मार्ग प्रशस्त किया । 6 दिसम्बर की घटना हमारे राष्ट्र, संविधान और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है । इस अकेली घटना ने न केवल संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, विधान सभा और लोकतंत्र को चुनौती दी बल्कि पूरे विश्व में सहिष्णुता और समन्वय पर आधारित भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा को भी झटका दिया । हम इस झटके से इतनी जल्दी उबर सके, इसका श्रेय तो इस देश की महान जनता को है । हमारा यह संकल्प है कि हमारी सरकार किसी धर्म, पंथ, सम्प्रदाय या जाति विशेष के साथ इस तरह की कोई घटना कभी नहीं होने देगी और सभी को समान रूप से फलने-फूलने का अवसर दिया जायेगा ।

मान्यवर,

अयोध्या विवाद पर हम अपनी नीति पर कायम हैं । हमारी अपील है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों का निपटारा सड़कों पर ताकत के बल करने की गलती फिर न दोहराई जाय । हम इस विवाद को इस तरह हल करने के पक्षधर हैं कि कोई पक्ष पराजित या अपमानित महसूस न करे । यह काम आपसी बातचीत या फिर लम्बित मुद्दों की तेजी से सुनवाई करके अदालती प्रक्रिया से ही हो सकती है ।

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित हमारे कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय संवेदनशील और प्रभावी शासन की स्थापना, समाज के सदियों से उपेक्षित, दलितों, कमजोर और पिछड़े वर्गों को बराबरी का दर्जा दिलाना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सम्पूर्ण समाज की सर्वांगीण प्रगति, सत्ता का विकेन्द्रीकरण और

सामाजिक सद्भाव कायम करना है । इसके लिए हम अपनी कृषि, सिंचाई, कार्मिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, उद्योग, आवास, पर्यटन और बिक्रीकर आदि नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित कर रहे हैं । जिनका उल्लेख भी मैं आगे चलकर करूंगा ।

विकास कार्यों में गांव, खेती और किसान मजदूर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं । इसलिए वार्षिक योजना परिव्यय का 70 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं पर खर्च करेंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । इस उद्देश्य से एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 के सापेक्ष परिव्यय में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । तद्नुसार प्राथमिकता शिक्षा के परिव्यय में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा 42 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है ।

प्रदेश में समस्त कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा तीन वर्ष में उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे । प्रदेश में जल स्तर के संतुलन की समस्या उभर कर सामने आ चुकी है । इस परिप्रेक्ष्य में गहरे राजकीय नलकूपों तथा सिंचाई की वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में गंभीर चिन्तन की आवश्यकता है । तद्नुसार लागत लाभ की व्यापक समीक्षा करते हुए सिंचाई कार्यक्रमों को नई दिशा दिये जाने के विषय पर सविस्तार विचार कर शासन को शीघ्रातिशीघ्र संस्तुति देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है । सिंचाई साधनों में पर्याप्त वृद्धि लाने की दृष्टि से, वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास के साथ लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी जाने वाली निःशुल्क बोरिंग योजना के परिव्यय में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा 90 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है तथा प्रदेश में प्रतिवर्ष तीन लाख बोरिंग की कार्य योजना बना ली गई है ।

दुग्ध विकास कार्यक्रम में वर्ष 1993-94 के सापेक्ष लगभग 12 प्रतिशत अधिक परिव्यय आवंटित किया गया है तथा सघन "मिनी डेरी" परियोजना के विस्तार की कार्यवाही की जा रही है ।

वर्ष 1994-95 के लिए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत आय-व्ययक में कुल 32 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जा रहा है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक लाख शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा ।

मान्यवर,

व्यापारियों को उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा न दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं ।

बिक्रीकर के बारे में पूर्व की सरकारों ने अनेकों घोषणाएं कीं और अपने को व्यापारियों का हितैषी कहने वाली पूर्व सरकार भी इसमें कोई संतोषजनक निर्णय नहीं ले पाई । हमने सकल्प लिया है कि हम बिक्रीकर की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर बिना राजस्व की हानि के एक वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, जिससे व्यापारियों का अपमान व उत्पीड़न न हो तथा रिश्वतखोरी समाप्त हो सके । हमारी सरकार इंसपेक्टरीजराज खत्म करने के लिये भी दृढ़ संकल्प है ।

प्रदेश में निजी लाटरियों और प्राधिकृत लाटरियों के माध्यम से आम-जनता का शोषण हो रहा था । हमारी सरकार ने इसको समाप्त करने का निर्णय लिया और अब निजी लाटरी और प्राधिकृत लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है ।

चौखम्भाराज की स्थापना के लिये पंचायतीराज तथा स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के लिए हमारी सरकार ने गंभीर प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं। प्रदेश में व्याप्त क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए पूर्वांचल विकास निधि के निमित्त 48 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिए 12 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष के परिव्यय की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक है।

अब मैं माननीय सदस्यों को प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा कि जर्जर हालत में प्राप्त हुई है और फिर मैं संक्षेप में वार्षिक योजना और विभागीय कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा।

आर्थिक स्थिति

यह विडम्बना नहीं तो क्या है कि देश का सबसे बड़ा यह राज्य प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों से सम्पन्न होते हुए भी आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से अधिकांश राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। उदाहरणार्थ–केवल दो राज्यों–उड़ीसा और बिहार–को छोड़कर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अन्य सभी राज्यों से कम रही। मानव विकास सूचकांक के तीन मुख्य संकेतों, यथा–प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद, साक्षरता का प्रतिशत तथा प्रत्याशित जीवनावधि के आधार पर उत्तर प्रदेश, देश के प्रमुख 14 राज्यों की तुलना में अधिकांश से पीछे है। प्रति व्यक्ति विद्युत ऊर्जा खपत में भी उत्तर प्रदेश का स्थान काफी नीचे रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश चार सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है।

प्रदेशीय अर्थ व्यवस्था में "कृषि" का स्थान अभी भी अति महत्वपूर्ण है। इस परिप्रेक्ष्य में यह अवश्य ही चिन्ता का विषय है कि वर्ष 1991-92 में उत्पादन वृद्धि प्रायः शून्य रहने के बाद भी वर्ष 1992-93 में खाद्यान्न उत्पादन का स्तर गत वर्ष की तुलना में केवल 1.9 प्रतिशत ही बढ़ पाया। गन्ना, तिलहन एवं आलू प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। इन फसलों के उत्पादन में यद्यपि वर्ष 1991-92 में वृद्धि परिलक्षित हुई थी परन्तु वर्ष 1992-93 में गिरावट के स्पष्ट संकेत मिले हैं।

प्रदेश के मुख्य पारम्परिक उद्योगों, यथा–वस्त्रोद्योग तथा सीमेंट उद्योग के उत्पादन में वर्ष 1991-92 में गिरावट के बावजूद वर्ष 1992-93 में नगण्य वृद्धि ही संभव हो पाई। विद्युत प्रजनन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होने के बजाय वर्ष 1992-93 में कमी आयी। इन प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने हेतु सुनियोजित एवं सतत् प्रयास की आवश्यकता है।

वार्षिक योजना

आगामी वर्ष आठवीं योजना का तृतीय वर्ष है। माननीय सदस्यों को यह अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना 1994-95 के लिए 4762 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया है। जिसमें उत्तराखण्ड हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता 200 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह वर्ष 1993-94 के परिव्यय 4250 करोड़ रुपये से 512 करोड़ अथवा 12 प्रतिशत अधिक है जबकि इसके पूर्व वर्ष 1993-94 का परिव्यय 1992-93 की अपेक्षा और 1992-93 का परिव्यय वर्ष 1991-92 की अपेक्षा क्रमशः केवल 5.2 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत अधिक रहा था। वर्ष 1994-95 के परिव्यय में अपेक्षाकृत यह अधिक वृद्धि राज्य सरकार की ओर से योजना आयोग के सम्मुख प्रदेश की आवश्यकता को सशक्त रूप से रखने का परिणाम है।

राज्य की तीन चौथाई से अधिक जनता गांवों में बसती है, किन्तु 40 वर्षों से भी अधिक के नियोजन के बाद भी हमारे गांवों में जीवन की मौलिक सुविधाओं का अभाव बना हुआ है । उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं और उनमें गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है । इन सुविधाओं में स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षा सड़क और विद्युत विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इनमें वृद्धि करने एवं गुणवत्ता सुधार का विशेष प्रयास किया जायेगा । इसी उद्देश्य से वार्षिक योजना 1994-95 में परिव्यय का न्यूनतम 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर व्यय किया जायेगा तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर 642.68 करोड़ रुपये अर्थात् योजना परिव्यय का 13.5 प्रतिशत व्यय करने का प्रस्ताव है जो वर्ष 1993-94 के परिव्यय से 114.98 करोड़ रुपये अर्थात् 21.8 प्रतिशत अधिक है । अवस्थापना विकास को भी प्राथमिकता दी गई है । अवस्थापना सुविधायें यथा विद्युत, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सम्पूर्ति, सड़क निर्माण, परिवहन आदि के विकास पर परिव्यय का कुल 67.6 प्रतिशत व्यय करने का प्रस्ताव है ।

राज्य की सम्पूर्ण आठवीं योजना अवधि में 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर, 50 लाख व्यक्तियों के लिए लाभकर रोजगार सृजन तथा गरीबी रेखा से नीचे 38.9 प्रतिशत 1991-92 जनसंख्या के स्तर को घटाकर 24.3 प्रतिशत तक लाने के मुख्य लक्ष्य हैं । इन्हीं लक्ष्यों को केन्द्र बिन्दु मानते हुए वार्षिक योजना 1994-95 में कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमों यथा–निरक्षरता उन्मूलन एवं महिला साक्षरता, ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का विस्तार एवं समुचित रख-रखाव, सिंचाई सुविधा का विस्तार तथा कार्य कुशलता में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तार, विद्युत उत्पादन, पी० एल० एफ० में सुधार, विद्युत परेषण हानि में कमी कर विद्युत उपलब्धता में वृद्धि एवं नियमित आपूर्ति, कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ वाणिज्यिक फसलों का विस्तार, कृषि उपज विधायन हेतु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा चीनी मिलों की पिराई क्षमता में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, अण्डा, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि तथा लघु औद्योगिक इकाइयों के विस्तार को प्राथमिकता दी जायेगी और पिछड़े क्षेत्रों का स्वरित विकास सुनिश्चित किया जायेगा ।

मुझे पूरी आशा है कि योजना वर्ष 1994-95 के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाने, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने और योजना का लक्ष्य पूरा करने में माननीय सदस्यों से सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा । हमें यह आशा भी है कि केन्द्र सरकार राज्य के त्वरित विकास के लिए यथासंभव सभी उपाय करेगी ।

उत्तराखण्ड विकास

चुनाव घोषणा-पत्र में किये गये वायदे के अनुरूप हम उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिये कृत-संकल्प हैं । उत्तराखण्ड को अलग राज्य घोषित करने के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक मंत्रि-मण्डलीय उप समिति का भी गठन किया गया है । हम इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव माननीय सदन के समक्ष रखेंगे ।

उत्तराखण्ड की विषम समस्याओं तथा जन आकांक्षाओं के प्रति हमारी सरकार पूर्णतया सजग है । वर्ष 1994-95 के लिये कुल योजना परिव्यय 455 करोड़ रुपये रखा गया है जो वर्ष 1993-94 की अपेक्षा लगभग 11.5 प्रतिशत अधिक है । केन्द्र सरकार से पर्वतीय क्षेत्रों के लिये वर्ष 1994-95 में कुल परिव्यय में 200 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने का अनुमान है ।

इस क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या पेयजल की है । इसके निदान हेतु वर्ष 1994-95 में 21.90 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । अन्य उपायों के साथ ही दो करोड़ रुपये की लागत से पर्वतीय क्षेत्र

के कठिन स्थानों पर जल निगम के माध्यम से हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जायेंगे । एकल ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सुचारु रूप से संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर उनके विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध तथा महिलाओं की भागीदारी व प्रशिक्षण भी प्रारम्भ किया गया है । पिन्डर घाटी पेयजल योजना का पुनः सर्वेक्षण कराया जा रहा है । वर्ष 1994-95 में शहरी पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ 92 ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक स्थिति को देखते हुये सड़कों एवं पुलों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इस हेतु वर्ष 1994-95 में 65 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

फलों तथा अन्य उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में सुधार लाने के लिये एक विपणन हस्तक्षेत्र ग्रुप का गठन किया गया है । जिसके माध्यम से विपणन के कार्य में आशातीत प्रगति हुई है ।

चाय उत्पादन को व्यवसायिक आधार प्रदान करने के लिये नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा पौड़ी जनपदों में आठ वर्षों की 21.21 करोड़ रुपये लागत की चाय विकास परियोजना तैयार की गई है जिसे विभिन्न संस्थाओं की सहायता से कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ।

आठ पर्वतीय जनपदों में तीन वर्षीय 4.70 करोड़ रुपये लागत की एक रामबास योजना भी तैयार की गई है जिससे क्षेत्र में रोजगार सृजन का व्यवसायिक आधार विकसित होना सम्भावित है ।

पर्यावरण संरक्षण और सुधार के महत्व को देखते हुये पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण, एकीकृत जलागम प्रबन्ध तथा वनीकरण आदि कार्यक्रमों पर वर्ष 1994-95 में लगभग 47 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है ।

सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी का निर्माण किया जा चुका है । गोचर (चमोली) तथा चिनयाली सोण (उत्तरकाशी) में हवाई पट्टी का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा । अल्मोड़ा जनपद में लीति तथा गोगिना में पर्यटकों हेतु आवासीय व्यवस्था भी प्रस्तावित है ।

क्षेत्र में महिला उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 1994-95 में देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में चार स्थानों पर स्थाई बिक्री केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है । वर्ष 1994-95 में महिला जागृति योजना तथा महिला मंगल दलों की सहायता योजना भी प्रस्तावित है । महिलाओं के औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु दो संस्थानों में अलग से द्वितीय यूनिटें खोली जायेंगी । नैनीताल में जनजाति की बालिकाओं हेतु एक आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की जा रही है तथा देहरादून जनपद में एक बालिका निकेतन की स्थापना भी प्रस्तावित है ।

उत्तराखण्ड की जनजातियों को रोजगार मूलक रेशम विकास योजना के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता के रेशम धागे के उत्पादन हेतु वाईवोल्टीन कोया उत्पादन परियोजना कार्यान्वित की जायेगी ।

शहरी जनता को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दो नये 15 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना का प्रस्ताव भी है ।

कृषि

प्रदेश की आबादी का अधिकांश हिस्सा अब भी खेती पर निर्भर है और जब तक किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के हालात नहीं सुधरते, प्रदेश एवं देश की तरक्की संभव नहीं है । किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनकी उपज का लाभकारी मूल्य न मिल पाना है । इसके लिए हम किसान की उपज को

कहीं बेचने के लिए "एक देश–एक बाजार" के सिद्धान्त पर अमल करेंगे। इसलिये यह सुनिश्चित किया गया है कि गेहूं, धान तथा मोटे अनाज को प्रदेश के बाहर भेजने पर कोई प्रतिबन्ध न रहे।

माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि प्रदेश में छोटे किसानों के हितों को पूरा संरक्षण देने के उद्देश्य से "खलिहान दुर्घटना बीमा" की अनूठी योजना दिसम्बर, 1993 से लागू की गई है।

हमारी सरकार प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाली क्षति की पूर्ति करने के लिए फसल बीमा योजना लागू करेगी।

किसानों को उन्नत किस्म के बीज और खाद उचित दर पर उपलब्ध कराने की वर्तमान व्यवस्था में अपेक्षित सुधार लाया जायेगा।

यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय किसानों के हितों के प्रतिकूल डंकल प्रस्ताव के प्राविधानों से हमारी सरकार सहमत नहीं है। हमने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह इन पर विचार के लिए सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करके तंदनुसार निर्णय लें।

मंडी परिषद् एवं मंडी समितियों में सरकार द्वारा उन्हीं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी जो वास्तव में किसान अथवा व्यापारी हों।

मंडी शुल्क के निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया को युक्तिसंगत एवं सरल बनाया जायेगा तथा नई व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष में लागू कर दी जायेगी।

प्रदेश में ऊसर की जटिल समस्या को हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। वर्ष 1994-95 में 1,57,250 हेक्टेयर भूमि को उपचारित करने का लक्ष्य रखा गया है। 313 करोड़ रुपये की लागत से विश्व बैंक की मदद से प्रदेश के 10 जनपदों में ऊसर सुधार कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश के 12 ऊसर बाहुल्य जनपदों के लिए समन्वित भूमि सेना योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 12 हजार हेक्टेयर ऊसर भूमि को उपचारित किया जायेगा। योजना के पूर्ण होने पर 45 हजार टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन होगा और 45 लाख श्रमिक दिवस रोजगार सृजित होगा।

वर्ष 1994-95 के लिए 412 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा 16 लाख मीट्रिक टन तिलहन/दलहन उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसे प्राप्त करने के लिये 10.75 लाख क्विंटल प्रमाणिक बीज, 29 लाख मीट्रिक टन उर्वरक एवं 11.50 हजार मीट्रिक टन कृषि रक्षा रसायन के वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश मे दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 30 जनपदों में दलहन विकास का विशेष कार्यक्रम तथा 47 जनपदों में विशेष तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1994-95 में सूरजमुखी कार्यक्रम के लिए 1.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विश्व बैंक के पोषण से प्रदेश में कृषि में विविधीकरण व व्यवसायीकरण की योजना भी प्रस्तावित है। इस योजना में कृषि के अलावा उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास, ग्रामीण मार्ग, वन एवं सिंचाई के विकास को भी शामिल किया जायेगा।

ई० ई० सी० सहायता से वर्ष 1994-97 में जनपद आगरा, इटावा एवं फिरोजाबाद जिलों में चम्बल तथा यमुना नदी जल समेट क्षेत्र में बीहड़ सुधार की योजना क्रियान्वित किया जान प्रस्तावित है जिसमें बीहड़ सुधार हेतु 4 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के कार्यान्वयन पर वर्ष 1994-95 में एक करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है।

उन्नाव जनपद के लिए ई० ई० सी० द्वारा वित्त पोषित ऊसर सुधार की एक योजना भी पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत की गई है जिसके द्वारा 1075 हेक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित किया जायेगा। इस योजना पर प्रस्तुत बजट में 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

ड्रिप तथा स्प्रिंक्लर सिंचाई प्रणाली की योजना के अन्तर्गत अनुदान दिये जाने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया गया है।

वर्ष 1994-95 में एक कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी, जिसमें मुख्य रूप से "पोस्ट हारवेस्ट टेक्नालाजी" तथा "कृषि व्यापार प्रबन्ध" में शिक्षा दी जायेगी तथा अनुसंधान कार्य भी कराया जायेगा।

प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से 5 करोड़ रुपये से एक "कृषि निधि" की स्थापना कर दी गई है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

वर्ष 1994-95 में पैकेजिंग एवं मार्केटिंग अनुभाग का गठन, आलू प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण तथा सहकारिता समितियों को अनुदान दिये जाने की योजनायें प्रस्तावित हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिक संख्या में सहकारी समितियां गठित की जायेंगी जिसके माध्यम से औद्यानिक उत्पादों की बेहतर विपणन व्यवस्था संभव हो सके। इन समितियों को विपणन के क्षेत्र में अधिक सक्षम बनाने की दृष्टि से राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ का गठन किया गया है।

आलू तथा अन्य फल, शाक, सब्जियों पर आधारित उद्योगों को राज्य सरकार प्रोत्साहन देगी जिससे हमारे किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिले और भंडारण की समस्या का भी निदान हो सके। कतिपय नवीन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ साथ आलू बीज की मांग की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आलू बीज उत्पादन की नवीनतम तकनीक प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत 72 आलू उत्पादकों तथा विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना है।

पर्वतीय क्षेत्र में औद्यानिक फसलें, कृषि फसलों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त हैं। वर्ष 1994-95 में फल, शाक-भाजी, पुष्प, मसाला, मशरूम आदि के सघन उत्पादन और तत्संबंधी योजनाओं हेतु वर्ष 1993-94 के 9 करोड़ रुपये के सापेक्ष 10 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

ओला वृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र के फल उद्योग की सुरक्षा के उद्देश्य से ओला प्रतिरोध जाल की एक योजना स्वीकार हुई है जिसके अन्तर्गत उत्पादकों को उक्त जाल क्रय करने हेतु व्यवसायिक बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा ऋण पर ब्याज के सापेक्ष राजकीय सहायता दी जायेगी।

वर्ष 1994-95 में फूलों की व्यवसायिक खेती की योजना भी प्रस्तावित है। साथ ही मशरूम की खेती के विकास की योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 में लखनऊ में एक कम्पोस्ट पाश्चुराइजेशन प्लान्ट तथा एक स्पान निर्माण प्रयोगशाला की स्थापना का भी प्रस्ताव है। वर्तमान आलू बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा जिसके लिए वर्ष 1994-95 में 31.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता बढ़ाना, गन्ना किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना और गन्ना आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना हमारी सरकार की नीति है। हम चाहते हैं कि चीनी उद्योग, खांड़सारी एवं कोल्हू आदि पर कोई अनावश्यक प्रतिबन्ध न रहे जिससे प्रतिस्पर्धा में किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो और रोजगार भी बढ़े। इसीलिए किसानों के हित में हमने गुड़ कन्ट्रोल आर्डर निरस्त कर दिया है।

इन्हीं नीतियों के अनुपालन में हमने शासन की बागडोर सम्भालने के तुरन्त बाद इसी वित्तीय वर्ष में दोबारा गन्ना खरीद मूल्य में वृद्धि की, जिसके फलस्वरूप शीघ्र पकने वाली गन्ना जातियों की कीमत गत वर्ष निर्धारित 49 रुपये की अपेक्षा 61 रुपये प्रति कुन्तल हो गई है, जबकि सामान्य जातियों की कीमत गत वर्ष देय 46 रुपये प्रति कुन्तल से बढ़ाकर अब 58 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित कर दी गयी है।

किसानों को गन्ना मूल्य नकद भुगतान बैंकों के माध्यम से न करवाकर समिति के माध्यम से किया जा रहा है जिससे किसानों को कठिनाई न हो।

मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष 15 फरवरी तक गन्ने मूल्य का भुगतान 85 प्रतिशत हो चुका है जबकि गत वर्ष 55 प्रतिशत एवं उससे पहले वर्ष 65 प्रतिशत का ही भुगतान हो पाया था।

गन्ना किसानों का अधिक से अधिक गन्ना चीनी मिलों द्वारा पेरा जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश के 22 जनपदों में 30 चीनी मिलें लगाने की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजी गयी थी, जिसमें से 11 चीनी मिलों के आशय-पत्र प्राप्त हो चुके हैं एवं शेष के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त और अधिक से अधिक चीनी मिलों की स्थापना का प्रयास किया जायेगा। इससे वर्तमान पेराई क्षमता 2,39,302 टन प्रतिदिन को बढ़ाकर 3,14,302 टन किया जा सकेगा। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में ही उ० प्र० राज्य चीनी निगम की आठ रुग्ण चीनी मिलों का निजीकरण किये जाने का भी फैसला किया है।

पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य

पशुपालन विकास के उद्देश्य से पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं एवं प्रजनन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार किया जायेगा।

पशुओं के लिए चारे और संतुलित आहार की पूर्ति हेतु कार्यक्रम चलाये जायेंगे। लखनऊ स्थित जैविक औषधि उत्पादन संस्थान का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। भेड़ पालन तथा निजी क्षेत्रों में कुक्कुट हैचरीज को प्रोत्साहन किया जायेगा। रोजगार के अवसर तथा कुक्कुट व अण्डों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए निजी तथा संयुक्त क्षेत्र में कुक्कुट काम्पलेक्स स्थापित किये जायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक स्वावलम्बन एवं सम्मान दिलाने के दृष्टि से अधिकाधिक महिला डेरी समितियों के गठन को बढ़ावा दिया जायेंगा। इसके अलावा यह व्यवस्था की जायेगी कि बकरी और भेड़ खरीदने के लिये बिना कोई प्रतिबन्ध के ऋण दिया जा सके। यह ऋण महिलाओं के नाम देकर उन्हें इन पशुओं का स्वामित्व भी प्रदान किया जायेगा।

दुग्ध उत्पादकों के व्यापक हित में दुग्ध उपार्जन की गति बनाये रखने के उद्देश्य से प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन लि० को 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था इस बजट में

प्रस्तावित है । प्रदेश की दुग्धशाला एवं चिलिंग प्लान्टों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना किये जाने हेतु 60.99 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

वर्ष 1994–95 में 8,125 हेक्टेयर के पट्टे एवं 6,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाया जायेगा तथा 6,000 अतिरिक्त मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित किया जायेगा । मछुआ समुदाय एवं दलित वर्ग के व्यक्तियों के लिए मत्स्य पालन में विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

सहकारिता

हमारी सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते ही सर्वप्रथम समस्त विनिर्दिष्ट सहकारी समितियों को निर्वाचन कराये जाने का निर्णय लिया । मुझे सदन को यह सूचित करते हुये हर्ष हो रहा है कि विनिर्दिष्ट प्रारम्भिक सहकारी समितियों के निर्वाचन का कार्यपूर्ण कर लिया गया है तथा केन्द्रीय एवं शीर्ष सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन का कार्य जुलाई, 1994 के अन्त तक पूर्ण करते हुये प्रदेश के सम्पूर्ण सहकारिता क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रबन्ध व्यवस्था कायम कर दी जायेगी । सहकारी समितियों के प्रबन्धन में निर्वाचित प्रबन्ध समितियों को कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दिये जाने तथा उक्त व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली एवं सुदृढ़ बनाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमावली में आवश्यक संशोधन करने के उद्देश्य से माननीय सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है । यह समिति जल्दी ही अपनी संस्तुतियां शासन को प्रेषित करेगी तथा संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियमावली में आवश्यक संशोधन किया जायेगा ।

जनवरी, 1992 में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 34 को संशोधित कर दिया गया था जिससे सहकारिता आन्दोलन की विश्वसनीयता एवं सार्थकता प्रभावित होती थी । हमने अब यह व्यवस्था की है कि किसी भी सहकारी समिति की निर्वाचित प्रबन्ध समिति में, चाहे उस समिति में शासन का वित्तीय विनियोग कितना भी हो, राज्य सरकार दो से अधिक सदस्य नामित नहीं करेगी । इस प्रकार निर्वाचित प्रबन्ध समितियों का प्रजातांत्रिक स्वरूप पुनर्स्थापित होगा ।

वर्ष 1994–95 हेतु अल्प, माध्यम एवं दीर्घालीन ऋण के वितरण का लक्ष्य क्रशः 950 करोड़ तथा 150 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है ।

प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के स्तर पर मिनी बैंक खुलवाकर व्यवसायिक ऋण उपलब्ध कराकर उर्वरकों व अन्य कृषि निवेश के वितरण में समितियों को उपयुक्त लाभांश उपलब्ध कराकर एवं समितियों के व्यय को नियंत्रित करके प्रारम्भिक कृषि समितियों की स्वाश्रयिता को बढ़ाये जाने की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ।

सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की पुनर्स्थापना हेतु भी एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

ग्राम्य विकास

हमारे संकल्प के अनुसार ग्रामीण आबादी को उत्पादक एवं लाभकारी रोजगार मुहैया कराने के लिए विशेष रोजगार योजना के निमित्त वर्ष 1994–95 में 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 में राज्य सरकार द्वारा 605 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । इस राशि को विभागीय एवं जिला योजना के संसाधनों से युगपित करके अधिक परिसम्पत्तियों एवं रोजगार के सृजन के प्रयास किये जायेंगे । प्रदेश के पिछड़े हुए 12 जनपदों में सघन जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण अवस्थापनाओं को सुदृढ़ीकरण तथा स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन किया जायेगा ।

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 के लिए निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रखा गया है । इसके लिए वर्ष 1994–95 में 103.50 करोड़ रुपये का प्राविधान है, जिससे 15 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी ।

ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 43 जनपदों के 261 विकास खण्डों में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 10 हजार अम्बेदकर ग्राम स्थापित किये जायेंगे जो ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं से लाभान्वित होंगे । इन ग्रामों के अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को निःशुल्क बोरिंग/पम्पसेट, सम्पर्क मार्ग, निर्बल/इन्दिरा आवास, पेयजल, बायोगैस, धूम्र-रहित चूल्हा, शौचालय तथा एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अधीन लाभान्वित किया जायेगा । इन्हीं ग्रामों में पंचायत घरों के निर्माण, सड़कों को पक्का करने, विद्युतीकरण, बालक/बालिकाओं के टीकाकरण तथा छात्रवृत्तियों से आच्छादन सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जायेगा ।

पंचायतराज

संविधान (37वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुरूप राज्य में भी त्रि-स्तरीय पंचायतों को सक्षम स्वायतशासी संस्थाओं का रूप दिया जा रहा है जिससे वे अधिक से अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकें । पंचायतों के लिए नियमित चुनाव कराने के उद्देश्य से अलग से एक चुनाव आयोग और पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु एक वित्त आयोग का गठन भी किया जायगा । संविधान संशोधन के अनुरूप उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 व उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में आवश्यक संशोधन करते हुए नया विधेयक वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा के दृष्टिकोण से विशेषकर अम्बेदकर गांवों में खड़न्जा, नाली निर्माण हेतु 139.85 लाख रुपये का प्रस्ताव है ।

गांव सभाओं में सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराने हेतु पंचायत भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत 176.85 लाख रुपये का प्रस्ताव है ।

ऊर्जा

ऊर्जा की महत्ता को देखते हुए वर्ष 1994–95 में 1588.62 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय रखा गया है जो कुल योजना परिव्यय का लगभग 33 प्रतिशत है ।

हमारी सरकार आने के बाद विद्युत उत्पादन एवं वितरण में सुधार हुआ है । उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की मांग से उपलब्धता में लगभग 30 प्रतिशत का अन्तर है । केन्द्र सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में घोषित उदार नीति के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार भी विद्युत उत्पादन एवं वितरण में निजी क्षेत्र का भी सहयोग ले रही है । ग्रेटर नोयडा पावर कम्पनी का गठन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । कतिपय तापीय एवं जल-विद्युत परियोजनाओं के निजीकरण की दिशा में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

आनपारा "बी" तापीय विद्युत परियोजना की 500 मेगावाट की प्रथम इकाई दिनांक 1 मार्च, 1994 से व्यवसायिक उत्पादन पर है तथा 500 मेगावाट की द्वितीय इकाई द्वारा माह जुलाई, 1994 से वाणिज्यक उत्पादन होना सम्भावित है । आनपारा "बी" विद्युत गृह से उत्पादित विद्युत की निकासी हेतु 800 के०

वी० आनपारा-उन्नाव लाइन तथा 800 के० वी० उन्नाव उप केन्द्र के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

वर्ष 1994–95 में 1,137 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 1,064 अनुसूचित जाति की बस्तियों के विद्युतीकरण एवं 16,158 नलकूपों/पम्पिंग सेटों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विद्युत उत्पादन, परेषण एवं वितरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु 2500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने हेतु विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है तथा प्रारम्भिक अध्ययन के लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग 6 करोड़ रुपये की धनराशि शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

प्रदेश शासन का प्रयास होगा कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से भी अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन किया जाये। इस क्षेत्र में भी हमारी सरकार उद्यमियों का स्वागत करेगी।

सिंचाई

वार्षिक योजना 1994–95 में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं हेतु निर्धारित 380.76 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 300.80 करोड़ रुपये से 54.19 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित किये जाने का प्रस्ताव है तथा बेवर फीडर आदि परियोजनाओं को पूरा करना प्रस्तावित है। अलग से टिहरी बांध परियोजना को शीघ्र पूरा करने के उपाय भी विचाराधीन है।

मैदानी क्षेत्र हेतु 22 करोड़ रुपये के परिव्यय से नलकूपों का निर्माण/पुनः निर्माण इत्यादि कार्य प्रस्तावित हैं। जनपद मिर्जापुर तथा सोनभद्र की बन्धियों के लिए 1.50 करोड़ रुपये का परिव्यय तथा लघु डाल नहरों के आधुनिकीकरण हेतु 5 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

पर्वतीय विकास योजना के अन्तर्गत नलकूप निर्माण तथा छोटी नहरों का निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

वर्ष 1994–95 में 6 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ सुरक्षा प्रदान किये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसके लिए 9.50 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसमें 1.50 करोड़ रुपये पर्वतीय क्षेत्रों की बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु सम्मिलित है।

इस वर्ष अधिकतम सिंचाई अभियान के परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में अधिक टेलों तक पानी पहुंचाया गया तथा नलकूपों के चलित घंटों में भी वृद्धि हुई। जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान जैसी महत्वपूर्ण संस्था के माध्यम से प्रदेश के किसानों तथा सम्बन्धित कर्मियों के मध्य सिंचाई जल प्रबन्ध में दक्षता लाने के सतत् प्रयास किये जायेंगे। सिंचाई जल शुल्क की दरों का अभिनवीकरण तथा किसानों के हित में प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी प्रस्तावित है।

सड़कें एवं परिवहन

वर्ष 1994-95 में मैदानी क्षेत्रों में मार्गों एवं पुलों के निर्माण हेतु 349 करोड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए 65 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। इससे नये मार्गों के निर्माण, पुनर्निर्माण तथा सेतुओं के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं।

वर्ष 1994-95 में एक हजार से कम आबादी वाले 177 तथा एक हजार से अधिक आबादी वाले 205 गांवों को मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

अम्बेदकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों को मार्गों से जोड़ने पर विशेष बल दिया जा रहा है । मार्च, 1993 तक 390 अम्बेदकर गांव जोड़े जा चुके हैं । वर्ष 1993-94 में 61 गांव जोड़े जाने प्रस्तावित हैं तथा वर्ष 1994-95 में 70 गांव जोड़े जाने का लक्ष्य है । विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा जापानी सहायता से भी मार्ग निर्माण की परियोजना चलाई जा रही है ।

बसों के रुकने, पार्किंग स्थानों को विकसित कर उन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने तथा यात्री सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र पूर्णकालिक "बस टर्मिनल अथारिटी" का गठन किया जा रहा है । लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, इलाहाबाद एवं नोयडा में नगर बस सेवा आरम्भ की गई है और अलीगढ़, फैजाबाद तथा देहरादून में भी नगर बस सेवा आरम्भ की जा रही है । प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिये फैजाबाद से बलिया (माझी-घाट) तक घाघरा नदी का विशेषज्ञों से अध्ययन कराया जा रहा है ताकि इस नदी के जल परिवहन हेतु व्यवहारिक उपयोग में लाये जाने की संभावना की जानकारी हो सके ।

सांस्कृतिक कार्य

सांस्कृतिक कार्य विभाग के कार्यकलापों को इस प्रकार की दिशा दी जायेगी कि वह अभिजात्य वर्ग एवं नगरों तक सीमित न रहे । प्रदेश के अवध, पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, ब्रज, कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्रों की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परम्परायें, लोक नृत्य तथा लोक कलायें हैं । इन क्षेत्रों में लोक संस्कृति का सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण एवं सम्वर्द्धन किये जाने की योजना प्रस्तावित है । पहले चरण में इनमें से ब्रज, बुन्देलखण्ड, अवध तथा भोजपुर के सांस्कृतिक क्षेत्र में एक-एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है ।

प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में निष्पादन कला के प्रोत्साहन हेतु अवध, बृज, बुन्देलखण्ड और भोजपुर क्षेत्र के लोक नाट्य एवं लोक नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है, जिससे उन क्षेत्रों की लुप्तप्राय संस्कृति को पुनर्जीवित किया जा सके ।

शास्त्रीय एवं सुगम संगीत की विभिन्न विधाओं में प्रदेश के कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर के लिये तैयार किये जाने की योजना प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश में हम राष्ट्रीय स्तर का एक वार्षिक समारोह करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के ललित कलाकारों को सम्मानित किया जायेगा ।

उदीयमान श्रेष्ठ कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रदेश के विभागों द्वारा अपनी आवश्यकता के लिये जो मूर्तियां एवं कलात्मक फोटो आदि खरीदे जाते हैं, उनको उन्हीं से खरीदे जाने की व्यवस्था की जायेगी ।

प्रदेश के विभिन्न नगरों में प्रेक्षागृहों एवं कला दीर्घाओं की कमी दूर करने के लिये हम विभिन्न सांस्कृतिक संघों आदि से सहयोग प्राप्त करेंगे ।

राज्य पुरातत्व संगठन को सुदृढ़ करने के लिये एक क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई इलाहाबाद में भी स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ।

पर्यटन

वर्ष 1994-95 में पूर्वांचल के बौद्ध परिपथ तथा बुन्देलखण्ड के सर्वांगीण विकास की योजना है । जापान सहायतित बौद्ध परिपथ परियोजना हेतु वर्ष 1994-95 के लिये 24.77 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

बुन्देलखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पोजिट फीस योजना के तहत अनुमोदित टूर आपरेटर्स के लिये दो वर्षों तक उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच अन्तर्राज्यीय और कम्पोजिट फीस माफ किया जाना प्रस्तावित है।

चित्रकूट आने वाले तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा के लिये केन्द्र सरकार की सहायता से एक यात्री निवास के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र, आगरा के महत्व को देखते हुये ताज महल को पूरे वर्ष भर हल्के प्रकाश में आलोकित करने का प्रस्ताव है। पर्यटकों का आगरा में प्रवास बढ़ाने के उद्देश्य से आगरा फोर्ट पर ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम की योजना है।

यात्रियों की सुविधा के लिये प्रथम चरण में सभी सरकारी पर्यटक आवास गृहों में आरक्षण के लिये कम्प्यूटर से आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

सरकार पर्यटन केन्द्रों तथा पर्यटक गृहों के विकास एवं संचालन में भी निजी क्षेत्र को अवसर देगी।

पिछले कुछ सालों में अयोध्या के विकास हेतु सकारात्मक कदम नहीं उठाये गये हैं। हमारी सरकार अयोध्या को एक तीर्थ एवं पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार कर रही है। इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

आवास एवं नगर विकास

संविधान के 74वें संशोधन के अनुरूप हमारी सरकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके स्थानीय निकायों को समुचित अधिकार प्रदान करने जा रही है।

नागरिकों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने तथा विकास कार्यों के लिये संसाधन जुटाने के उद्देश्य से नजूल भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की नीति में संशोधन किया जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों की भूमि को भी फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिये जाने का प्रस्ताव है।

शहरी क्षेत्रों में आवासीय समस्या का हल करने के लिये निजी तथा सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

इसी क्रम में आवासीय सहकारी समितियों के पंजीकरण की व्यवस्था को विकेन्द्रित करने का प्रस्ताव भी है।

शहरी क्षेत्रों में गृहकर के निर्धारण एवं वसूलने की प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु सरकार तत्सम्बन्धी अधिनियमों में संशोधन करायेगी।

हमने यह भी निर्णय लिया है कि अगले दो वर्षों में प्रदेश में पेयजल समस्या का पूर्णरूप से समाधान किया जायेगा। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।

प्रदेश में इस समय कुल 232 समस्याग्रस्त ग्राम शेष हैं जहां स्वच्छ पेयजल के कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। यह सभी ग्राम पर्वतीय क्षेत्रों में हैं और सभी को वर्ष 1994-95 के अन्त तक लाभान्वित किया जायेगा।

गंगा प्रदूषण निवारण के लिये गंगा कार्य योजना, द्वितीय चरण का आरम्भ प्रदेश में शीघ्र किया जायेगा और गंगा की मुख्य सहायक नदियों, यमुना एवं गोमती नदी को भी प्रदूषण मुक्त किया जायेगा।

सम्पूर्ण प्रदेश के स्वच्छकारों को मुक्त करके सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा एवं सामाजिक अभिशाप को समाप्त करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 54 नगर चुने गये हैं। प्रदेश सरकार लगभग 500 नगरों में यह

योजना चला रही है । यह लक्ष्य रखा गया है कि प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों में स्थित शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित कर दिया जाय । शुष्क शौचालयों को बनाये जाने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है । वित्तीय वर्ष 1994-95 में शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने के लिय एक करोड़ रुपये का प्राविधान है ।

दुर्बल वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु भवनों के विकास का उत्तरदायित्व विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद् को सौंपा गया है । तद्नुसार वर्ष 1994-95 में भी उक्त कार्यक्रम जारी रहेगा ।

कानपुर महानगर की पेयजल समस्या के निदान हेतु गंगा नदी पर बैराज के निर्माण हेतु हम कृत संकल्प हैं । अतः वर्ष 1993-94 में इस हेतु । करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । इसके अलावा योजना आयोग ने भी बैराज के निर्माण में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 50-50 अनुपात में वित्त पोषण स्वीकार करते हुए इसी वर्ष में अपनी ओर से 5 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ।

उद्योग

केन्द्र सरकार की नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लाइसेन्स व्यवस्था तथा अन्य नियंत्रण समाप्त होने से उद्यमियों को आकृष्ट करने के लिये विभिन्न राज्यों में तीव्र प्रतिस्पर्धा आरम्भ हुई है । ऐसी परिस्थिति में उद्यमिकों को प्रोत्साहित करने के लिये एक नई कार्य संस्कृति विकसित करना एवं स्वस्थ तथा सुरक्षित औद्योगिक वातावरण प्रदान करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य होगा । इसे पूरा करने के लिये एक नई गतिशील उद्योग नीति तैयार की जायेगी ।

उद्यमियों को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सुरक्षित औद्योगिक वातावरण के साथ ही अवस्थापना विकास भी अधिक महत्व रखता है । इसके निमित्त वर्ष 1994-95 में 24 अतिरिक्त मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के अलावा पूर्वांचल में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से 2.3 करोड़ रुपये के परिव्यय के आधार पर अवस्थापना विकास का प्रस्ताव है । राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा ग्रेटर नोयडा विकास प्राधिकरण को भी वित्तीय सहायता देकर अवस्थापना विकास सुनिश्चित किया जायेगा ।

वर्ष 1994-95 में उद्योगों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा 200 करोड़ रुपये का ऋण तथा पिकप द्वारा 150 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृति के लक्ष्य की पूर्ति की एक सुविचारित कार्य योजना तैयार की गयी है ।

इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा सहायतित सेक्टर में इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 1994-95 में 50 लाख रुपये की पूंजी निवेश का प्रस्ताव है । इसी क्षेत्र में अवस्थापना सुविधायें सृजित करने हेतु 75 लाख रुपये का पूंजी निवेश प्रस्तावित है । प्रौद्योगिक उन्नयन तथा उत्पादों के विकास के लिये 1.30 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश अलग से प्रस्तावित है ।

वर्ष 1994-95 में 33 हजार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । नवीन लघुत्तर एवं लघु औद्योगिक इकाइयों हेतु एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना तथा जिला उद्योग-केन्द्र की मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत क्रमशः 4.70 करोड़ तथा 0.40 करोड़ रुपये का परिव्यय आगामी वर्ष में रहेगा ।

ग्रामीण क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत स्वरोजगार योजना आगामी वर्ष से जिला सेक्टर के माध्यम से ब्याज उपादान तथा बैंक ऋण के आधार पर प्रारम्भ की जा रही है। पूर्वांचल क्षेत्र में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने हेतु वाराणसी एवं गाजीपुर जनपदों में सघन-रेशम विकास कार्यक्रम अपनाया जा रहा है ।

प्रदेश में ऊन विकास बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके मुख्य कार्य भेड़ पालकों को समर्थन मूल्य देते हुए ऊन का क्रय करना, ऊन के मूल्य का निर्धारण करना, भेड़ों की नस्ल को सुधारना आदि होंगे।

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था एवं निर्यात की दृष्टि से जरी, जरदोजी, चिकन, कलात्मक वस्तुओं आदि में लगे शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1994-95 में पांच हजार नई इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1994-95 में हस्तशिल्प से ही संबंधित 20 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जायेंगे तथा वाराणसी एवं बरेली में जरी तथा जरदोजी के विकास केन्द्रों की स्थापना भी की जायेगी। चर्म उद्योग तथा हस्त निर्मित ऊनी कालीन उद्योग से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं को और विकसित किया जायेगा।

रुग्ण इकाइयों का पुनर्वासन औद्योगिक वातावरण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आवश्यक है। तद्नुसार रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन हेतु चलायी जा रही योजना के अन्तर्गत 50 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

कमजोर वर्ग के बुनकरों के लिये प्रथम चरण में बुनकर बाहुल्य जनपदों में 5000 आवासयुक्त कार्यशालाओं का निर्माण संकुल के रूप में प्रस्तावित है। हथकरघा बुनकरों के सहायतार्थ आगामी वर्ष में बीमा योजना के तहत 20 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की जायेगी। इसके अलावा सहकारी समितियों के माध्यम से 342 हथकरघा विकास केन्द्रों तथा 58 डाई हाउसेज के निर्माण की योजना लागू की गयी है जो वर्ष 1994-95 में भी कार्यान्वित की जायेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा नई खनिज नीति बनाई जा रही है।

उद्यमियों की समस्याएं दूर करने, त्वरित निर्णय लेने तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से उद्योग विभाग के ढांचे में परिवर्तन किया जा रहा है।

श्रमिकों तथा कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुये प्रदेश के अलाभकारी सार्वजनिक उपक्रमों का जनहित में निजीकरण किया जायेगा।

वन एवं पर्यावरण

वन क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोकने, अवैध कटान को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारतीय वन अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों में आवश्यक संशोधन किये जाने तथा वन सम्पदा की सुरक्षा के लिये वन सुरक्षा बल के गठन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ताकि वन माफिया द्वारा किये जा रहे वन संबंधी अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके। वन पंचायतों की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

वन अधिनियम के प्राविधानों के कारण जहां कहीं पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में गतिरोध महसूस किया जा रहा है सरकार उन मामलों का समयबद्ध कार्यक्रम के तहत गुणदोष के आधार पर परीक्षण करके केन्द्र सरकार से शीघ्र निर्णय कराने का प्रयास करेगी।

पर्यावरण जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, जल एवं वायु प्रदूषण हेतु उपकरणों का क्रम तथा अवघटित एवं भंगुर क्षेत्र की सभी पारिविकास की योजनायें भी चलाये जाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 1994-95 में लगभग 150 उद्योगों की निर्माणाधीन शुद्धीकरण व्यवस्था पूर्ण हो जाने की संभावना है। साथ ही प्रदेश की प्रमुख नदियों एवं उद्योगों से कुल लगभग 6 हजार नमूनों को एकत्रित कर उनका परीक्षण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

सरकारी एवं गैर-सरकारी वाहनों को प्रदूषण मुक्त करने की एक योजना तैयार की गई है, जिसका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जायेगा ।

भाषा नीति

हिन्दी, संस्कृत, उर्दू व अन्य भारतीय भाषाओं के विकास की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को क्रियान्वित करने के लिए एक पृथक भाषा निदेशालय का गठन किया जायेगा ।

सरकारी विभागों में अंग्रेजी भाषा का चलन पूर्णतः बन्द करने के लिये शासनादेश निर्गत कर दिया गया है । मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा लक्ष्य शासकीय कार्यों तथा सार्वजनिक जीवन से अंग्रेजी को हटाना है, न कि अंग्रेजी भाषा को मिटाना । इसलिये एक भाषा अथवा साहित्य के रूप में शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी के पठन-पाठन की ऐच्छिक व्यवस्था बरकरार रहेगी ।

देश की अन्य भाषाओं के पठन-पाठन के लिए पिछली सरकार की पहल पर लखनऊ, देहरादून और इलाहाबाद में भारतीय भाषा केन्द्र खोले गये हैं । इन केन्द्रों में 12 भारतीय भाषाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था कर दी गयी है । कानपुर, आगरा एवं वाराणसी में भी भारतीय भाषा केन्द्र खोले जायेंगे ।

हिन्दी की वर्तमान शासकीय शब्दावली काफी कठिन हैं । इसी तरह विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में सरल शब्दावली की रचना के लिये एक समिति का गठन किया जायेगा जो शीघ्र अपना कार्य पूरा कर लेगी ।

भाषा निधि के आयाम को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसे एक स्वायत्तशासी संस्था के अधीन कर दिया जायेगा, जिसका अध्यक्ष कोई प्रमुख साहित्यकार होगा ।

उर्दू भाषा को पूरा सम्मान दिलाने के लिए हम कृतसंकल्प हैं । उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ने के लिए यह व्यवस्था की जायेगी कि प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में हिन्दी की तरह उर्दू में भी परीक्षा दी जा सके ।

शिक्षा

आप सब विद्वान सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुनियादी और व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता है । हमारे समाज का एक बड़ा तबका अतीत की व्यवस्था में शिक्षा से वंचित रखा गया था, जिसका अभिशाप आज तक झेल रहे हैं । सामाजिक समता के लिए विशेष अवसर का हमारा सिद्धान्त भी तब तक फलीभूत नहीं होगा, जब तक हम शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूक परिवर्तन नहीं करते ।

इस दिशा में हमारा पहला और मुख्य जोर प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एवं उसे व्यवस्थित करने पर है । दोहरी शिक्षा प्रणाली खत्म करने के लिए हम कृत संकल्प हैं । हम चाहते हैं कि सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम और शिक्षण माध्यम एक जैसा हो । इसके लिए सुविचारित योजना उचित समय पर प्रस्तुत की जायेगी ।

प्रत्येक गांव सभा में प्राइमरी विद्यालय और हर न्याय पंचायत में एक जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था करने के लिये हम कृत संकल्प हैं । वर्ष 1994-95 में प्रदेश की असेवित बस्तियों में 1,632 प्राथमिक विद्यालय तथा 622 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखते हुए क्रमशः 30.27 करोड़ रुपये तथा 15.36 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त समाज के उदार एवं जनसेवी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के सहयोग से वर्ष 1994-95 में 100 प्राथमिक तथा 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने का भी प्रस्ताव है ।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वीकरण के लक्ष्य की पूर्ति में भवनों की अपरिहार्य आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1993-94 में 5,340 भवनहीन/जर्जर भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु 48.06 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इनका निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर प्रदेश में भवनहीन/जर्जर भवनयुक्त कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं रह जायेगा।

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त "सभी के लिये शिक्षा" योजना प्रदेश के 10 जनपदों में संचालित की जा रही है जिसके द्वारा सभी बालक तथा बालिकाओं को इस जनपदों में प्राइमरी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वर्ष 1994-95 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 130 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

सरकार अरबी-फारसी के मदरसों को संस्कृत विद्यालयों के समान दर्जा प्रदान करेगी।

ऐसे विकास खण्डों में जहां पर एक भी बालिका माध्यमिक विद्यालय नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर बालिका विद्यालय की स्थापना की जायेगी।

व्यावसायिक शिक्षा योजना को यथा संभव ट्राइसेम से अन्तर्ग्रसित करते हुए इस योजना का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करने के साथ-साथ इसे गति प्रदान की जायेगी।

पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन हेतु गठित नेशनल स्टीयरिंग कमेटी द्वारा वर्ष 1992 में संशोधित इतिहास की राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों में साम्प्रदायिक अभिविन्यास पाये जाने के परिणामस्वरूप हाई स्कूल इतिहास की इन पाठ्य-पुस्तकों के स्थान पर पूर्व प्रचलित इतिहास की पुस्तकों को वर्तमान शैक्षिक सत्र से प्रभावी कर दिया गया है।

सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कायम करेगी और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक रूप से सरकार पर पैदा हुई उनकी निर्भरता समाप्त हो। राज्य विश्वविद्यालयों की विभिन्न समस्याओं और उनके निराकरण के प्रभावकारी उपायों पर विचार हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालय सुधार समन्वय समिति का गठन किया गया। शैक्षणिक स्तर में सुधार एवं उन्नयन के उपाय, विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ बनाने, विश्वविद्यालय के आन्तरित वित्तीय संसाधनों में अभिवृद्धि के उपाय सुझाने, सत्र के विनियमितीकरण, नये व्यवसायपरक पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने, परीक्षा प्रणाली में सुधार, परिसर में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था आदि विभिन्न बिन्दुओं पर इस समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है जो विचाराधीन है।

डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण कार्य को तेज करने तथा प्रगति के निरन्तर अनुश्रवण के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा। इस संबंध में विभिन्न औपचारिकतायें तत्परता से पूर्ण करायी जा रही हैं।

चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मेरठ विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। चौधरी चरण सिंह की पुस्तकों, लेखों तथा उनसे संबंधित साहित्य का संकलन करने के लिये राज्य सरकार शीघ्र ही एक केन्द्र स्थापित करेगी।

अच्छी पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिये रचनात्मक साहित्यकारों को 4,000 रुपये प्रतिमाह की तीन एवं 5,000 रुपये प्रतिमाह की दो स्कालरशिप दो-दो वर्ष के लिये प्रदान की जायेगी।

प्राविधिक शिक्षा

बदलते हुए आर्थिक परिवेश एवं औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे विकास के नये दौर के अनुरूप प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने, उद्योगों से संस्थाओं के अन्तर्सम्बन्धों को सुदृढ़ करने तथा उभरती तकनीकी के

रोजगार परक नये पाठ्यक्रमों के चलाने पर बल दिया जा रहा है जिसके लिये विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत आधुनिक साज-सज्जा, मशीनें एवं उपकरण तथा भवन उपलब्ध कराकर संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है ।

. क्षेत्रीय उद्योगों में कार्यरत शिल्पियों को तकनीकी योग्यता बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "सतत शिक्षा प्रणाली कार्यक्रम के अन्तर्गत" डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का सायंकालीन 4-वर्षीय अंशकालीन प्रशिक्षण वर्ष 1994-95 में राजकीय पालीटेक्निक, गाजियाबाद तथा झांसी एवं डी० एन० पालीटेक्निक, मेरठ में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । प्रशिक्षण की नवाचार पद्धतियों को अपनाने हेतु प्वाइन्ट इन्ट्री तथा क्रेडिट सिस्टम योजना को आई० ई० आर० टी०, इलाहाबाद में कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

सरकार निजी क्षेत्रो में इंजीनियरिंग कालेज एवं पालीटेक्निक कालेज खोलने वालों का स्वागत करेगी । इसके लिये प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया जायेगा ।

खेलकूद एवं युवा कल्याण

हमारी सरकार खेलों के प्रोत्साहन हेतु सतत् प्रयत्नरत है । हमने प्रदेश में सुविधा युक्त व्यायामशालाओं हेतु 3.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ।

स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून ने इस वर्ष अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है । लखनऊ के गोमतीनगर में भी एक प्रदेशीय स्तर का क्रीड़ा संकुल का निर्माण कराया जा रहा है । केन्द्र सरकार के सहयोग से जनपद इटावा में एक एस० पी० डी० ए० केन्द्र की स्थापना की जा रही है जिस पर लगभग 163.73 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है ।

आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों तथा स्पोर्ट्स कालेजों के खिलाड़ियों हेतु भोजन की दरों को 25 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 35 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी करने का प्रस्ताव है ।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य

चिकित्सा विज्ञान में आधुनिक उपकरणों एवं नई तकनीकों का प्रयोग कर सन् 2,000 तक सबके लिये स्वास्थ्य का सपना साकार करने हेतु प्रयासरत हैं । वर्ष 1994-95 में डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, लखनऊ के नव निर्मित भवन को कार्यशील कर आकस्मिक नैदानिक एवं उपचारात्मक सेवाओं की व्यवस्था की जायेगी । डफरिन अस्पताल, लखनऊ में 24 प्राइवेट वार्डों के नवनिर्मित भवनों को चालू किया जायेगा । प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को समुचित रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष घटक योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 में 5 उप केन्द्रों का भवन निर्माण, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है ।

अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के नाम पर एक नेत्र चिकित्सालय को मूर्तरूप दिया जायेगा ।

प्रदेश के 39 हजार से अधिक जन्मदर वाले 35 जनपदों के 160 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में केन्द्र सरकार की सहायता से "सोशल सेफ्टीनेट" योजना प्रारम्भ कर दी गई है, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव कक्ष, शल्य कक्ष, महिला चिकित्सालय तथा उपचारिका आवास के निर्माण सहित एम्बुलेन्स, जनरेटर, उपकरण व औषधियों आदि की व्यवस्था की जानी है । इस कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण हेतु यू० पी० ए० आई० डी० की सहायता से प्रदेश में परिवार कल्याण सेवाओं के अभिनवीकरण की दस वर्षीय परियोजना 1 अप्रैल, 1993 से प्रारम्भ की गई है ।

प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के वर्तमान स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने व एकरूपता लाने तथा उसे अधिक गतिशील बनाने के ध्येय से चिकित्सा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। मेडिकल कालेज , झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय में 24 प्राइवेट वार्ड के भवन निर्माण, मेडिकल कालेज, आगरा, मेरठ, कानपुर व इलाहाबाद में उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों के प्रागंण में इनसिनिरेटर की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

वर्ष 1994-95 में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के लिये वर्ष 1993-94 में 12 करोड़ रुपये योजना परिव्यय के सापेक्ष्य 23 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं का भी सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

राज्य सरकार निजी क्षेत्र में मेडिकल एवं नर्सिंग कालेजों तथा अस्पतालों की स्थापना का स्वागत करेगी। इसके लिये नीति बनाते समय केन्द्र सरकार एवं मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मानकों का समावेश किया जायेगा।

श्रम

हमारी सरकार ने संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि रखा है और न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित 64 नियोजनों में से 9 नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है। कृषि नियोजन में कार्यरत मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरों में 10 रुपये की वृद्धि पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी है। बीड़ी श्रमिकों के पारिश्रमिक को 20 रुपये प्रति हजार से बढ़ाकर 35 रुपये प्रति हजार कर दिया गया है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगढ़, बुलन्दशहर, सहारनपुर तथा मिर्जापुर में प्लास्टिक व्यवसाय की एक-एक यूनिट आगामी सत्र से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। विश्व बैंक की सहायता से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की पुरानी मशीनों के स्थान पर नयी मशीनों का प्रतिस्थापन करने, आगरा, बरेली तथा फतेहपुर में आधारभूत प्रशिक्षण व्यवस्था करने तथा नये व्यवसाय खोलने हेतु वर्ष 1994-95 में 590.24 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

श्रमिक कालोनियों का स्वामित्व उनमें रह रहे श्रमिकों को उचित मूल्य पर सौंपा जायेगा।

आबकारी

केन्द्र सरकार द्वारा शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 तथा इथाईल अल्कोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1971 को अधिसूचना दिनांक 10 जून, 1993 द्वारा निरस्त किये जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की अपरिहार्य आन्तरिक आवश्यकताओं (आसवनियों एवं शीरा व अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की आपूर्ति) हेतु प्रदेश में उत्पादित 65 प्रतिशत शीरे को उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 के अधीन नियंत्रित कर लिया जाय तथा शेष 35 प्रतिशत शीरे को पूर्व की भांति लगाये गये प्रतिबन्धों के अधीन नियंत्रण मुक्त कर दिया जाय। साथ ही शीरे के मूल्य को भी पुनर्निर्धारित कर दिया गया है। इन निर्णयों के कार्यान्वयन से प्रदेश में शीरा व अल्कोहल पर आधारित औद्योगिक इकाइयों को सस्ते दर पर अल्कोहल की पर्याप्त आपूर्ति निश्चित होने से औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रदेश सरकार का आबकारी राजस्व सुरक्षित रह सकेगा।

समाज कल्याण

वर्ष 1993-94 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिये मूल्य आय-व्ययक में लगभग 54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। हमारी सरकार समाज के निर्धन एवं वृद्ध सदस्यों को भरण-पोषण की सुविधा

मुहैया कराने के लिये प्रतिबद्ध है । इस उद्देश्य से वर्ष 1993–94 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग सोलह करोड़ उन्चास लाख रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है ।

सम्पूर्ण प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के एक लाख नये मामले स्वीकृत करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं । विधवा भरण-पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत 25 हजार नये मामले स्वीकृत करने के आदेश दे दिये गये हैं और सभी पात्र निराश्रित विकलांगों को विकलांग भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत करने के भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

किसानों को पेंशन दिये जाने की दृष्टि से वयोवृद्ध किसानों को सर्वेक्षण एवं अभिज्ञापन किया जाना प्रस्तावित है ।

पूर्व दशम कक्षाओं में छात्रवृत्ति के लिये अनुसूचित जातियों को पिछले वर्ष की अपेक्षा और अधिक आच्छादित किया जायेगा । छात्रों तथा छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं छात्रावासों में गुणात्मक सुधार लाया जायेगा ।

द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को मासिक पेंशन 100 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है ।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के माध्यम से अल्प संख्यकों के कल्याणार्थ संचालित मार्जिन मनी ऋण योजना, ब्याज रहित ऋण योजना, प्रशिक्षण योजनायें, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, पुलिस, पी० ए० सी० तथा फौज में भर्ती के लिये पूर्व प्रशिक्षण, मैन पावर एक्सपोर्ट जानकारी गोष्ठी/ऋण शिविर योजना का अधिकाधिक प्रसार किया जावेगा ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम यथा स्वतः रोजगार योजना, शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, प्रशिक्षण योजनायें आदि के अतिरिक्त स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है, जिनका अधिक विस्तार करके संचालित किया जायेगा ।

विभिन्न पिछड़ी जातियों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से मार्जिन मनी ऋण योजना संचालित है जिसे भविष्य में संचालित करते हुये अन्य कल्याणकारी योजनायें भी संचालित की जायेंगी ।

समाज के सभी वर्गों की निराश्रित विधवाओं, जो निराश्रित विधवा पेंशन पाती हों, की एक पुत्री के विवाह हेतु पांच हजार का अनुदान स्वीकृत किया जायगा तथा अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुमन्य एक हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है ।

महिला कल्याण एवं बाल विकास

प्रदेश के 313 विकास खण्डों में समेकित बाल विकास कार्यक्रम की परियोजनायें चल रही हैं । इन परियोजनाओं के अन्तर्गत 30,672 आंगन बाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्ग के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा 20–45 वर्ष की आयु की गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए अनुपूरक पुष्टाहार की व्यवस्था की जा रही है । अनुपूरक पुष्टाहार की पूर्ति के लिए नयी व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्द्धक आहार वितरित कराया जायेगा ।

ग्रामीण महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति, आत्मविश्वास एवं आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला समृद्धि योजना पूरे प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को बचत खाते खुलवाने एवं बचत करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

खाद्य तथा रसद

प्रदेश की जनता को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर सुलभ कराने तथा किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों के संचरण को प्रतिबन्धमुक्त कर दिया गया है और मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत बढ़ी हुई दरों पर गेहूं, धान, चावल एवं मोटे अनाजों की खरीद किए जाने की व्यवस्था भी की गई है।

व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नवीनीकरण की पद्धति को समाप्त करके "वन टाइम लाइसेंस" का प्राविधान कर दिया गया है। छोटे-छोटे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से लाइसेंस फीस 1125 रुपये से घटाकर 625 रुपये कर दी गयी है। थोक विक्रेता, उत्पादक, निर्माता, डिपोधारक तथा बल्क उपभोक्ता के लिए एक बार के लाइसेंस की फीस 3000 रुपये से घटाकर 2250 रुपये किए जाने का निर्णय लिया गया है। राशन की दुकानों का अनुबन्ध भी एक ही बार करने का प्राविधान कर दिया गया है।

प्रदेश के 8 पर्वतीय जनपदों के 86 विकास खण्डों और 12 मैदानी जनपदों के 59 विकास खण्डों में नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सामान्य प्रणाली से कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इन खाद्यान्नों को राशन की दुकानों तक पहुंचाने के लिए "डोर स्टेप डिलीवरी" योजना लागू की गई है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के आवंटन में 50 प्रतिशत आरक्षण/वरीयता निर्धारित की गई है। निर्बल वर्गों के लाभार्थ निर्धारित आरक्षण/वरीयता के पूर्ण होने तक भविष्य में दुकानों की जो भी रिक्तियां होंगी उन्हीं को आवंटित की जायेंगी।

राजस्व प्रशासन

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं भू-अभिलेखों के रख-रखाव में आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 3,815 ग्रामों की खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण हो जाने पर भू-अभिलेखों के उद्धरण काश्तकारों को आसानी से सुलभ हो जायेंगे।

वर्ष 1993-94 में ग्राम आवास स्थल आवंटन के अन्तर्गत 50,000 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये जाने के लक्ष्य के विपरीत 1,05,000 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये जा चुके हैं।

ग्राम समाज की जमीनों के जो पट्टे अतीत में दिये गये हैं और जिन पर कब्जे नहीं प्राप्त हुए हैं, सरकार तहसील स्तर पर समयबद्ध कार्यक्रम चलाकर इन सभी पट्टों पर कब्जा सुनिश्चित करायेगी। इस अभियान में चकरोड तथा सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटाने का काम भी किया जायेगा।

कुम्हारी कला को प्रोत्साहित करने एवं संरक्षण देने के लिए प्रजापति समाज को मिट्टी के लिए जमीन के पट्टे देने के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। गमलों, सुराही, घड़ों आदि की आपूर्ति अनिवार्य रूप से कुम्हार परिवारों से कराये जाने के संबंध में भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिये पडरौना तथा भदोही को नया जिला बनाया जा रहा है।

शान्ति एवं व्यवस्था

हमारी सरकार साम्प्रदायिकता को समूल नष्ट करने, निर्बल एवं दलित वर्ग तथा महिलाओं के उत्पीड़न को समाप्त करने, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने व जन सामान्य के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने हेतु कटिबद्ध है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ पुलिस बल के मनोबल व साहस को बढ़ाने के दृष्टिकोण से सरकार ने पुलिस बल के निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डरों, जो अदम्य साहस व शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति कर दिये जाने का आदेश जारी किया है । आतंकवादी गतिविधियों के परिपेक्ष्य में वीरता प्रदर्शित करते समय शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि के भुगतान का प्राधिकार पुलिस महानिदेशक को प्रतिनिहित किया गया है ताकि प्रभावित परिवार को त्वरित राहत पहुंचाई जा सके । अपराधियों को गिरफ्तार कराने तथा दण्डित कराने के लिये सूचना देने पर पूर्व में शासन व पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले पुरस्कार की धनराशि में वृद्धि की गई है । सूचीबद्ध अपराधियों को पकड़ने वाले अराजपत्रित पुलिस कर्मियों, ग्राम चौकीदारों तथा जनता के व्यक्तियों को पच्चीस हजार रुपये से दो लाख रुपये तक की राशि का पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था की गई है ।

प्रदेश के विशेष तीन धार्मिक स्थलों-राम जन्म-भूमि/बाबरी मस्जिद, अयोध्या, श्रीकृष्ण जन्म भूमि/शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा तथा काशी विश्वनाथ मन्दिर/ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग को विभिन्न उपकरणों के क्रय हेतु चार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्रदान की गई है ।

राष्ट्रीय राजधानी के करीबी मेरठ मण्डल के छः जनपदों क्रमशः–मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार तथा देहरादून में बढ़ते हुए आतंकवाद, अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण/चम्बल घाटी से लगे तीन जनपदों क्रमशः इटावा, फिरोजाबाद व मैनपुरी में दस्यु उन्मूलन हेतु पुलिस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण के लिये सरकार ने चालू वर्ष में 2.34 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की है । साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वायड को उपकरणों के क्रय हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है ।

शान्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने हेतु 5000 कान्स्टेबुलों की नियमित भर्ती के आदेश भी सरकार ने जारी कर दिये हैं । इसी क्रम में होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की पारिश्रमिक की दरें दिनांक 27-12-93 से जनपदीय ड्यूटी के लिये 25 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये प्रतिदिन तथा अन्तर्जनपदीय ड्यूटी भत्ता 30.50 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है । होमगार्ड्स कल्याण कोष के लिये एक करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है । होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को टेरीकाट की वर्दी की सुविधा भी दी गई है, जिसके लिये इस वित्तीय वर्ष में 2.84 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति दी गई है । होमगार्ड्स को सामाजिक सुरक्षा हेतु सामूहिक बीमा योजना की सुविधा भी प्रदान की गई है जिसके प्रीमियम का सम्पूर्ण व्यय भार शासन द्वारा किया जायेगा । होमगार्ड्स मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु एक करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति दी गई है ।

प्रदेश में विभिन्न सामाजिक, जातीय एवं साम्प्रदायिक विवादों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने, महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा एवं आतंकवादियों की गतिविधियों से सफलतापूर्वक निपटने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1991–92 में हमारी सरकार ने "शान्ति सुरक्षा बल" की 7 वाहिनियों का गठन करने का निर्णय लिया था और इस हेतु वर्ष 1991–92 के बजट में आवश्यक धन की व्यवस्था भी की गई थी, किन्तु कालान्तर में इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ । अब हम पुनः शीघ्र ही "शान्ति सुरक्षा बल"

का गठन करने जा रहे हैं । इस बल के गठित हो जाने पर केन्द्रीय बलों पर हमारी निर्भरता कम हो जायेगी और आपदा राहत कार्यों में भी इसकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा ।

राष्ट्रीय एकीकरण

प्रदेश में एकीकरण एवं भाई-चारे की भावना जागृत करने की दिशा में प्रभावी कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिये आगामी वित्तीय वर्ष में तीन नकद पुरस्कारों का सृजन किया जा रहा है जो क्रमशः 50,000,30,000 एवं 20,000 रुपये के होंगे ।

जुलाई, 1992 में प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा अल्प संख्यक आयोग की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुए इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गयी । इस आयोग का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत कर दिया गया कि इसके माध्यम से अल्प संख्यकों को त्वरित न्याय पाना सम्भव नहीं रह गया । उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अपने मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति में असफल होने के परिणामस्वरूप वर्तमान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग को पूर्व की भांति कायम रखने का निर्णय लिया गया, ताकि वह प्रभावी ढंग से अल्प संख्यकों के हितों को देख सके ।

उर्दू भाषा के प्रचार तथा प्रसार के लिये उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी तथा फखरूद्दीन अली अहमद कमेटी कार्यरत हैं । वर्ष 1994-95 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के लिये 16.40 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है ताकि यह अकादमी अपने विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर सके ।

न्याय–प्रशासन

प्रदेश में स्थित अधीनस्थ न्यायलयों की दक्षता सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक अधिकारियों के लिए आवसों की समुचित व्यवस्था की जा रही है । साथ ही नवसृजित जनपदों हरिद्वार, फिरोजाबाद एवं सिद्धार्थनगर में न्याय विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों को शीघ्र निर्मित कराने का प्रस्ताव है । जनपद कानपुर तथा गाजियाबाद में न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु एक-एक करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है ।

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के भवनों के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है । उक्त भवनों का निर्माण तत्परता से सुनिश्चित कराया जा रहा है ।

सार्वजनिक उद्यम

वर्तमान में राज्य के 50 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग 14,000 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजन है लेकिन विनियोजन के अनुपात में राज्य के विकास कार्यक्रमों हेतु संतोषजनक बचत उपलब्ध नहीं हो पाती । इस परिस्थिति तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाय ताकि सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य-कलापों में पारिमाणिक सुधार आ सके । प्रस्तावित पुनर्गठन नीति के अनुसार भविष्य में सामाजिक सार्थकता, अवस्थापना क्षेत्र में स्थापना तथा लाभ अर्जित करने के आधार पर ही सार्वजनिक उपक्रम चलाये जाने पर विचार हो सकेगा या वे उपक्रम, जो पुनर्गठन के पश्चात् लाभ अर्जित करने की गुंजाइश रखते हैं और निजी क्षेत्र के सामान्य उपक्रमों से आर्थिक स्पर्धा कर सकते हैं ।

कार्मिक

लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीधी भर्ती में 18 प्रतिशत के आरक्षण को बढ़ाकर 21 प्रतिशत करने तथा पिछड़े वर्गों के लिए सीधी भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य कराने के उद्देश्य से अध्यादेश जारी कर दिया गया है जिसके प्राविधानों का उल्लंघन या उपेक्षा करने पर 3 मास के कारावास या 1,000 रुपये के जुर्माना या दोनों से ही दण्डित किये जाने का प्राविधान किया गया है। इस संबंध में प्रतिस्थानी विधेयक विधान मण्डल में इसी सत्र में पेश किया जायेगा।

प्रदेश में छंटनी शुदा/सरप्लस स्टाफ को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में खपाये जाने के उद्देश्य से एक सरप्लस पूल सृजित किये जाने का प्रस्ताव भी है। विभागों में होने वाली रिक्तियों को भरते समय सरप्लस पूल के कर्मचारियों को सेवायोजित करने में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सुविधायें

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिये जाने वाले 4,000 रुपये का चिकित्सा अनुदान अब उनके आवेदन-पत्र पर ही उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसके लिये अब किसी भी चिकित्सक के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ठहरने एवं बैठकें आदि करने के लिये इटावा जनपद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन के निर्माण के लिये दस लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

पत्रकार कल्याण

जिला मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जिले के बाहर व प्रदेश के अन्दर समाचार संकलन हेतु 2000 कि० मी० तक की बस सुविधा और उपलब्ध करायी जायेगी।

हमारी सरकार ने साधारण बीमा निगम के सहयोग से पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए आंशिक अपंगता हेतु बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

मुख्यालय व जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को समाचार संकलन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने की सुविधा प्रेस मान्यता कार्ड पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद व देहरादून प्रेस क्लबों के सुचारु रूप से चलाने के लिए कुल 27 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

लखनऊ में मीडिया सेन्टर की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

राजकीय कर्मचारियों तथा पेंशनरों को सुविधायें

राजकीय कर्मचारियों के वेतन विसंगति संबंधी सभी मामलों का निस्तारण तत्परता से सुनिश्चित किया जायेगा।

चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के सेवानैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति को विकेन्द्रित करके इस हेतु कार्यालयाध्यक्षों को प्राधिकृत कर दिया गया है।

भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों में अधिक बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने एवं अभिदाताओं के परिवार के लिये सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य से भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध एक बीमा योजना लागू है। इस योजना में अभिदाता राज्य कर्मियों को

बीमा प्रीमियम दिये बिना जीवन बीमा के अनुरूप 10,000 रुपये की सीमा तक बीमा सुरक्षा उपलब्ध है। हमारी सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से इस योजना में बीमा सुरक्षा की कुल अधिकतम सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का निर्णय लिया है।

सेवाकाल के दौरान राज्य कर्मचारियों के असामयिक निधन के फलस्वरूप उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से गठित उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से वार्षिक अनुदान की धनराशि को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है।

संस्थागत वित्त

आठवीं योजना की अपेक्षाओं के अनुसार आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने में विभिन्न वित्तीय संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है।

तद्नुसार हमारा प्रयास होगा कि राज्य में ऐसा वातावरण एवं सुविधायें उपलब्ध कराई जायें जिनसे वित्तीय संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों सहित निजी क्षेत्र द्वारा भी अधिक से अधिक विनियोग किया जा सके। वित्तीय वर्ष 1994-95 में विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक तथा सहकारिता क्षेत्रों में 4200 करोड़ रुपये का संस्थागत वित्त जुटाने का अनुमान है।

इस परिपेक्ष्य में यह एक गहन चिन्ता का विषय है कि प्रदेश के ऋण जमा अनुपात में निरन्तर गिरावट की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है। यह अनुपात कुछ समय पूर्व लगभग 43 प्रतिशत था।

इस स्थिति में सुधार लाने के उपायों को सुझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय वाज़ कमेटी की संस्तुतियों पर सम्यक् रूप से विचार करने एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर से अनुश्रवण किये जाने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भी इस संबंध में समुचित कदम उठाये जा रहे हैं।

व्यापारी बन्धुओं की समस्याओं का निदान करने के लिए व्यापार-बन्धु के गठन का प्रस्ताव है।

दशम वित्त आयोग

मैं माननीय सदस्यों को यह भी अवगत करना चाहूंगा कि वर्तमान में दशम वित्त आयोग गठित है जो वर्ष 1995-2000 के लिये राज्य सरकार को अंतरण किये जाने वाली धनराशि के बारे में अपनी संस्तुतियां देगा।

हमने वित्त आयोग से आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये राज्य के हित में संविधान के अन्तर्गत अधिक से अधिक आवंटन की मांग की है। राज्य के स्मृति-पत्र में विभिन्न करों, शुल्कों एवं सहायक अनुदान को ऐसे सिद्धान्तों पर वितरित करने का अनुरोध किया गया है जिससे विपन्न और निर्बल लोगों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो और राज्य का पिछड़ापन दूर हो सके। जनसाधारण को उपलब्ध किये जाने वाली प्रमुख प्रशासनिक एवं सामाजिक सेवाओं के वर्तमान स्तर को अधिक उन्नत राज्यों के समकक्ष स्तर पर लाने और उनमें गुणात्मक सुधार लाने हेतु सहायक अनुदान की संस्तुति करने का अनुरोध भी वित्त आयोग से किया गया है। शीघ्र ही हमें आयोग का प्रदेश में स्वागत करने का अवसर भी मिलेगा जब हम अपना पक्ष प्रभावी ढंग से उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

वित्तीय प्रबन्ध

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था, केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों तथा उनके बजट में किये गये प्राविधानों से काफी प्रभावित होती है। सम्मानित सदस्यों के समक्ष कुछेक बातों को रखना चाहता हूं जो मेरे अनुमान में उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करती है । आवश्यक वस्तुओं के बढ़े हुये मूल्यों की समस्या रहते हुये, एल० पी० जी०, चीनी, चावल, गेहूं, डीजल तथा पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की गयी । फलस्वरूप प्रायः सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि परिलक्षित हुई । कुछ दिन हुये रेलवे बजट में किराये एवं भाड़े में वृद्धि की गयी है । केन्द्र सरकार के सकल कर राजस्व में चालू वर्ष 1993-94 में 8117 करोड़ रुपये की कमी का संकेत है । आगामी वर्ष में भी केन्द्रीय करों में विभिन्न राज्य सरकारों के निर्धारित अंश में 10 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि अनुमानित है । वर्ष 1994-95 में सभी राज्य सरकारों को प्रस्तावित प्लान सहायता गत वर्ष की अपेक्षा अधिक अवश्य है लेकिन वृद्धि नाम मात्र हैं और वर्ष में बढ़ी महंगाई के समायोजन हेतु भी पर्याप्त नहीं है । वर्ष 1994-95 में उत्पादन अथवा आयात शुल्क में प्रस्तावित तब्दीली से महंगाई और भी बढ़ने के संकेत मिलते हैं । टेलीफोन तथा इन्श्योरेन्श सेवा मंहगी होने की पूर्ण संभावना है । केन्द्र सरकार के चालू वर्ष के अपेक्षाकृत बड़े पैमाने के अनुमानित बजटरी तथा फिसकल घाटे का कुप्रभाव सर्वत्र पड़ना स्वाभाविक है ।

केन्द्र सरकार के आयोजनेत्तर खर्चे में वृद्धि संभावित है। लेकिन इस स्थिति से निपटने हेतु कर प्रणाली को और अधिक उत्लावी बनाने, राजकीय उपक्रमों में लगी शासकीय पूंजी का अपनियोजन करने, राजकीय उपक्रमों के आंतरिक संसाधनों में वृद्धि लाने एवं उपादान पर व्यय कम करने के विकल्प केन्द्र सरकार को उपलब्ध हैं । लेकिन यह उपाय एवं विकल्प राज्य सरकार को सीमित सीमा तक उपलब्ध हैं । परिणाम में आयोजनेत्तर व्यय को नियंत्रित करने के हमारे प्रयास अधिक सफल नहीं हो पाते । सीमित राजकीय स्रोतों से वित्तीय संसाधन बढ़ाने के ही एकमात्र विकल्प हमको उपलब्ध हैं । हम इस दिशा में सतत् प्रयास करेंगे ।

दूसरी ओर केन्द्रीय बजट के कुछ प्राविधान उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के विकास में सहायक भी हो सकते हैं । नाबार्ड की अंशपूंजी में वृद्धि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सुधार, सहकारिता क्षेत्र की व्यापक ऋण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण सहित उत्पादन तथा आयात शुल्कों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं के सरलीकरण के प्रस्तावों का स्वागत है । ग्राम्य विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण से सम्बन्धित आयोजनागत परिव्यय में वृद्धि के संकेत हैं । नयी इम्प्लायमेन्ट एश्योरेन्स स्कीम तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि इंगित है । प्रधान मंत्री की रोजगार योजना आगामी वर्ष 1994–95 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू किये जाने का उल्लेख है । हमारा प्रयास होगा कि उपरोक्त अनुकूल व्यवस्थाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश को अधिकाधिक लाभान्वित करने की प्रभावकारी एवं चुस्त व्यवस्था कर दी जाये ।

जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया है, राज्य की वर्ष 1994–95 की वार्षिक योजना का आकार 4762 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें 200 करोड़ रुपये उत्तराखण्ड हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता अनुमानित है । राज्य सरकार द्वारा इसके पूर्ण वित्त पोषण की दिशा में सुनियोजित प्रयास किया जायेगा । इस उद्देश्य की पूर्ति तथा राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों का अधिक से अधिक लाभ उठाने

के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न अनुत्पादक मदों पर राजकीय व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरती जाय और राज्य प्रशासन में सादगी तथा किफायतसारी का वातावरण पैदा किया जाय और ऐसे प्रभावशाली कदम भी उठाये जायं जिससे राज्य के राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो ।

प्रदेश की वर्ष 1994–95 की वार्षिक योजना के वित्त पोषण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाये जाने के सम्बन्ध में समस्त पहलुओं पर विचार कर आख्या देने हेतु मंत्रि-परिषद् की एक उप समिति का गठन किया गया है । इस समिति द्वारा विभिन्न करों/शुल्कों की वर्तमान स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है । इस समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने के बाद इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जहां तक खर्च पर नियंत्रण रखने का सम्बन्ध है, वर्तमान सरकार अनुत्पादक व्यय में कमी करने के लिये प्रतिबद्ध है तथा इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को व्यय बचत आयोग की एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है । इस रिपोर्ट पर विचार कर निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है ।

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की तत्काल समीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस समीक्षा के दौरान ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को चिन्हित किया जायेगा जिसकी उपयोगिता समाप्त हो गई हो अथवा जो अब सीमान्त उपयोगी हैं । इसके अतिरिक्त यह भी समीक्षा किये जाने के आदेश दिये गये हैं कि विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों जिनका उद्देश्य एवं लाभार्थी एक ही हों को सामान्यतः एक ही विभाग द्वारा संचालित किया जाय । इस प्रक्रिया में प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारण करने में सहायता मिलेगी तथा अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर धनराशि आवंटित करने में सहायता मिलेगी ।

वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक अनुमान

अब मैं वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक अनुमानों पर चर्चा करना चाहूंगा ।

जो आय-व्ययक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें कुल प्राप्तियां 18222.82 करोड़ रुपये दर्शायी गयी हैं । इसमें से 12891.42 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति एवं 5331.40 करोड़ रुपये पूंजी लेखे की प्राप्तियों के हैं ।

12891.42 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति के अनुमानों में से कराधान के मौजूदा स्तर के अनुसार 4601.21 करोड़ रुपये के कर राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है । इसी प्रकार करेतर राजस्व की मदों से 1478.21 करोड़ रुपये की प्राप्ति के अनुमान लगाये गये हैं । वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार मिलने वाले केन्द्रीय करों में राज्य सरकार के अंश के रूप में 3883.20 करोड़ रुपये की प्राप्ति के अनुमान लिये गये हैं और केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की मद में 2928.80 करोड़ का अनुमान है ।

पूंजी लेखे की प्राप्तियों के अन्तर्गत जो 5331.40 करोड़ रुपये के अनुमान लिये गये हैं उसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋण के अन्तर्गत 2715.56 करोड़ रुपये और 2392.97 करोड़ रुपये अन्य आन्तरिक ऋणों के माध्यम से प्राप्त होने का अनुमान लिया गया है । पूंजी लेखे की प्राप्तियों के अन्तर्गत

राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण एवं अग्रिमों के समक्ष 222.87 करोड़ रुपये की वापसी के अनुमान लिये गये हैं।

वर्ष का कुल व्यय 19592.31 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जिनमें से 14863.21 करोड़ रुपये राजस्व लेखे के अन्तर्गत एवं 4729.10 करोड़ रुपये पूंजी लेखे के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

कुल राजस्व व्यय 14863.21 करोड़ रुपये में से 2593.79 करोड़ रुपये आयोजनागत पक्ष में है और 12269.42 करोड़ रुपये आयोजनेत्तर पक्ष में है। आयोजनेत्तर पक्ष के इस व्यय में से राज्य संरकार द्वारा पूर्व में लिए गये ऋण पर देय ब्याज की अदायगी के लिए 2930.51 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। ब्याज का यह भारी बोझ सरकारी ऋण के बढ़ती हुई मात्रा के कारण हैं।

पूंजी लेखे के कुल 4729.10 करोड़ रुपये के व्यय में से 1974.40 करोड़ रुपये का व्यय आयोजनागत पक्ष में तथा 2754.70 करोड़ रुपये आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। आयोजनेत्तर पक्ष के इस व्यय में से 642.04 करोड़ रुपये केन्द्रीय ऋणों तथा 1609.26 करोड़ रुपये अन्य आन्तरिक ऋणों की वापसी से संबंधित है।

बजट वर्ष के कुल अनुमानित व्यय तथा प्राप्तियों के आधार पर समेकित निधि में 1369.49 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है जो लोक लेखे के अन्तर्गत सम्भावित 1153.84 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति को हिसाब में लेने पर आशा है कि घट कर केवल 215.65 करोड़ रुपये रह जायेगा।

इस घाटे को पूरा करने के उपायों की जानकारी मैं माननीय सदस्यों को वित्तीय प्रबन्ध से अवगत कराते समय दे चुका हूं।

मान्यवर,

वित्त मंत्री के रूप में आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुमान एवं प्रमुख कार्यक्रमों की झलक आपके समक्ष प्रस्तुत करते समय मुझे सन्तोष का अनुभव हो रहा है। आपने महसूस किया होगा कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है।

हर नयी सरकार को आम तौर पर साल भर या कम से कम छः महीने निर्विघ्न रूप से काम करने का अवसर दिया जाता है। हम अपने सभी समर्थक दलों–कांग्रेस, जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल और उन सभी निर्दलीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जो हमारे कार्यक्रमों और उसूलों के आधार पर अपना अमूल्य समर्थन एक महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए दे रहे हैं। हमें हर्ष है कि प्रदेश की जनता और शासन तन्त्र का भी हमें भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है।

इसी सहयोग और समथन के बल पर हमने समाज के आखिरी व्यक्ति का दुःख दर्द कम करने, उसके चेहरे से तनाव, पीड़ा और चिन्ता की रेखायें मिटाने की यह सार्थक पहल की है और उसके अनुकूल परिणाम दिखायी भी देने लगे हैं। मौजूदा परिस्थितियों और सीमित संसाधनों में जितना

अधिकतम सम्भव था, वह सब इसमें शामिल करने का प्रयास हमने किया है । आने वाले वर्षों में संसाधनों की बढ़ोत्तरी के साथ कार्यक्रमों का भी विस्तार होगा । हमारे संसाधन सीमित हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति अपरिमित है और हमारा संकल्प दृढ़ है । हमें विश्वास है कि आप सब जागरूक सदस्य सरकारी खजाने से होने वाले व्यय के एक-एक रुपये का सदुपयोग सुनिश्चित करने में हमारी मदद करेंगे । अपने कार्यक्रमों को लागू करने में हम प्रदेश और प्रेश के समाचार माध्यमों की तथ्यपरक समालोचनाओं का भी स्वागत करेंगे ।

"भारत रत्न" बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर ने कहा था "एक आदर्श समाज गतिशील होना चहिये । यदि समाज के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव अन्य भागों में भी पड़ सके, इसके लिये साधन होना चाहिये । आदर्श समाज, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना से सम्पन्न होता है । इन सबका वितरण सबके द्वारा, सबके हित में होना चाहिये ।"

हमारी सरकार ने उनके इस सपने को अंगीकार किया है । लेकिन हम सरकार की सेवाओं से भली भांति अवगत हैं । सामाजिक परिवर्तन एक अनवरत प्रक्रिया है और यह लक्ष्य केवल सरकार या कानून के माध्यम से पूरा नहीं हो सकता । इसके लिए हमारा गठबन्धन और उसके सहयोगी संगठन जनता से सीधे जुड़कर, इस शान्तिमय क्रान्ति को गति और ऊर्जा देते रहेंगे, जिससे खेतों, खलिहानों में, गांवों में, गलियारों में, कस्बों और नगरों में तथा कल कारखानों में सामाजिक परिवर्तन दिखायी दे ।

इस विशाल प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए बनायी गयी योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता राजधानी लखनऊ से लेकर उत्तराखण्ड के सुदूर अंचलों, पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के दुर्गम स्थानों तथा गांव-गांव में फैले सरकारी तंत्र सदस्यों की कार्यकुशलता और कर्मठता पर निर्भर करती है । मैं उनका आवाह्न करता हूं कि वे सजग रहकर जिम्मेदारी और सेवा भावना के साथ काम करें । समाज के हर वर्ग से मेरा अनुरोध है कि वे सामाजिक परिवर्तन और बहुआयामी विकास के इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें ।

मंत्रि-परिषद् के सभी सहयोगियों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग और परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं । मैं प्रमुख सचिव, वित्त के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में मुझे बहुमूल्य सहायता दी है । वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुझे बजट बनाने के काम में जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया है । प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं ।

इन शब्दों के साथ , मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वर्ष 1994-95 का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग के लिये लेखानुदान

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांटी जायं :

(प्रतियां बांटी गयी।)

(समय 6 बजकर 35 मिनट)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 9-3-94 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। उनमें पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी, (दादा) की है जिसका विषय–उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं तिब्बिया अकादमी में बहुमूल्य पाण्डुलिपियों का समुचित रख-रखाव न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। यह वक्तव्य के लिये स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की है जिसका विषय है–घंडियाल देवता (घंटाकरण) पट्टी जोकुल टिहरी गढ़वाल के प्रागंण के समतलीकरण कार्य में अनियमितता तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में है। इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत करता हूं।

तीसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है जिसका विषय है–जनपद हरदोई के बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पीने के पानी की कमी के संबंध में है। इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

चौथी सूचना श्री बची सिंह रावत की है जिसका विषय है–जनपद अल्मोड़ा के विकास खंड चौखुटिया व भिकियासैंण में उच्च शिक्षा व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस सूचना के बारे में भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

पांचवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया की है जिसका विषय है–जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर की अधूरी पड़ी पेयजल योजना को पूरा कराये जाने के संबंध में है। इसमें भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

छठीं सूचना श्री रामपाल सिंह सैनी की है जिसका विषय है– जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के गांव बेहड़ा आरसा में पुलिस और पी० ए० सी० की मौजूदगी में असामाजिक तत्वों द्वारा कतिपय परिवारों को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में है। इस सूचना के बारे में भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री सुधीर कुमार बालियान, आठवीं सूचना श्री महाबीर सिंह की, नवीं सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की, दसवीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा, ग्यारहवीं सूचना श्री तुलसीदास राय चन्दानी, श्री रमापति शास्त्री तथा श्री विश्वनाथ गुप्ता की और बारहवीं सूचना श्री राम सरन वर्मा की है। सूचना नम्बर सात से लेकर बारह तक की सूचनाओं को अस्वीकृत किया जाता है।

अब हम उठते हैं और 16 मार्च, 1994 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में पुनः बैठेंगे।

इसके बाद सदन 6 बजकर 40 मिनट पर बुधवार 16 मार्च, 1994 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :
9 मार्च, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुबंध 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

परिशिष्ट "क"

क्रमांक	नाम सहायक अभियन्ता	उपनिदेशक निर्माण का प्रभारी दायित्व सौंपे जाने की तिथि	वर्तमान तैनाती स्थान
1	सर्वश्री राम सजीवन वर्मा	1-10-90	निर्माण खण्ड अलीगढ़
2	सूर्यनाथ प्रसाद	24-1-91	निर्माण खण्ड बरेली
3	राधे श्याम वर्मा	3-7-91	निर्माण खण्ड मुरादाबाद
4	अनिरुद्ध	24-7-91	निर्माण खण्ड मेरठ
5	राम सिंह	24-7-91	निर्माण खण्ड वाराणसी
6	राजेन्द्र सिंह त्यागी	24-7-91	निर्माण खण्ड इलाहाबाद
7	राम बहादुर सिंह	24-7-91	निर्माण खण्ड फैजाबाद
8	सत्येन्द्र कुमार तिवारी	24-7-94	निर्माण खण्ड कानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 109 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74पर)

अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण का विवरण

पदों का वर्गीकरण	कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों/ अधिकारियों की संख्या		जनजाति के अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
समूह "क"	1964	80	4–1	22	1–1
समूह "ख"	9728	805	8–3	57	0–6
समूह "ग"	71052	11208	15–8	780	1–1
समूह (घ)	25722	9802	21–0	931	2–0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 110 का उत्तर पृष्ठ–75 पर)

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा वर्ष 92-93 व 93-94 में हिलौली, पुरवा व असोहा विकास खण्ड के अन्तर्गत निम्न कार्य कराये गये व कराये जा रहे हैं :—

वर्ष का नाम	विकास खण्ड	कार्य स्थल का नाम व क्षेत्रफल		कार्य की स्थिति
92–93	हिलौली	1–मवई ग्राम समाज वृक्षारोपड़ 92	10 हे०	कार्य पूर्ण
		2–गुलरिया ग्राम समाज वृक्षारोपड़ 92	10 हे०	—
		3–पारा ग्राम समाज अग्रिम मृदा कार्य 10 हे० 93 वृक्षारोपड़ हेतु ।		—
	असोहा	4–क्योनी ग्राम समाज वृक्षा० 92	15 हे०	—
		5–सिरसा ग्राम समाज वृक्षा० 92	5 हे०	—
		6–क्योना ग्राम समाज वृक्षा० 92	5 हे०	—
		7–नेवादा ग्राम समाज अग्रिम मृदा कार्य 5 हे० (93 वृक्षारोपड़ हेतु)		—
		8–दरसवा वन ब्लाक अग्रिम मृदा कार्य 7 हे० (93 वृक्षारोपड़ हेतु)		—
93–94	असोहा	1–नेवादा ग्राम समाज वृक्षा० 93	5 हे०	—
		2–दरसवा वन ब्लाक वृक्षा० 93	7 हे०	—
		3–सहरावा ग्राम समाज अग्रिम मृदा कार्य 94 वृक्षारोपड़ हेतु 9 हे०		कार्य प्रगति पर
		4–शाहाबाद ग्रान्ट ग्राम समाज वृक्षारोपण 94 अग्रिम मृदा कार्य 9 हे०		—
	हिलौली	5–पारा ग्राम समाज वृक्षा० 93	10 हे०	कार्य पूर्ण
		6–पुरवा सराय मुबारकपुर ग्राम समाज कार्य वृक्षा० 94 अग्रिम मृदा कार्य	5 हे०	कार्य प्रगति पर
		7–पुरवा देवमई ग्राम समाज वृक्षा० 94 अग्रिम मृदा कार्य 10 हे०		—
93–94	पुरवा	8–तारागढ़ी ग्राम समाज वृक्षा० अ० मृदा कार्य 7 हे० 94 मृदा कार्य 10 हे०		—
		9–पुरवा छूलामऊ ग्राम समाज 94 अग्रिम मृदा कार्य 5 हे०		—

मा० विधायक श्री हृदय नारायण के विधान सभा क्षेत्र प्रश्न संख्या–110 से सम्बन्धित जल निगम द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण

वर्ष 92-93

क्र०सं०	विकास खण्ड	प्रस्तावित हैं० प० की सं०	अधिष्ठापित हैं० प० की सं० (पूर्ण)	टिप्पणी
1	पुरवा	5	5	यह धनराशि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई ।
2	हिलौली	5	5	
3	असोहा	8	8	

वर्ष 93-94

1	पुरवा	4	–	यह धनराशि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई ।
2	हिलौली	11	3	अवशेष हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन प्रगति पर है ।
3	असोहा	5	1	

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत धनराशि से कराये गये कार्य वर्ष 1992-93 एवं 93-94

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	पूर्ण	अपूर्ण
1	पुरवा	तुसरौर में खड़ंजा कार्य	92-93	—	अपूर्ण
2	,,	पुरवा बिहार भीदया रोड से बेवरू मन्साखेड़ा खड़ंजा कार्य	93-94	—	,,
3	असोहा	—	—	—	—
4	हिलौली	कोरगाज लोटना सम्पर्क मार्ग पर खड़ंजा	92-93	पूर्ण	—
5	,,	कटरा चेतराय सम्पर्क मार्ग पर पुलिया	93-94	—	अपूर्ण
6	,,	सगोली असरी खेड़ा मार्ग पर पुलिया	,,	—	,,
7	,,	इन्दौरा बिसारा मार्ग पर पुलिया	93-94	—	,,
8	,,	चन्दाखेड़ा खडंजा कार्य	93-94	—	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 113 का उत्तर पीछे पृष्ठ–77पर)

विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा कड़सर को वर्षवार निर्मित कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत है :–

वर्ष	प्रोजेक्ट का नाम	(व्यय धनराशि)
1	2	3
1989–90	1–खड़न्जा कार्य:–गांव के बीच में कुओं से मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग	7090.00
" "	2–सड़क निर्माण:–लोचन वर्मा के दरवाजे से चन्दा डीह बहुता सम्पर्क मार्ग	8100.00
" "	3–सड़क निर्माण:–कडसर गांव से बलिया पुरा तक	936.00
" "	4–खड़न्जा निर्माण :–आद्या पाण्डेय के दरवाजे से वर्मा के दरवाजे तक	10000.00
" "	5–हैण्ड पम्प :–पीपल के पेड़ के पास एक अदद	1100.00
" "	6–निर्बल वर्ग आवास	4750.00
	योग	31976.00
1990–91	1–कूप मरम्मत/नाली निर्माण:–बाजीलाल मार्ग के दरवाजे के पास	4430.00
	2–खड़ंजा निर्माण:–मुखसम गडेरी के दरवाजे से हरिश्चन्द वर्मा के दरवाजे तक	11672.00
	3–निर्बल वर्ग आवास	2006.00
	योग	18188.00
1991–92	1–मिट्टी कार्य:–खड़ंजा निर्माण हेतु सुमेरपाल के दरवाजे से लेकर श्री राम मास्टर के दरवाजे तक	846.00
	2–कच्ची सड़क निर्माण:–सुदामा गडेरी के दरवाजे से पुल तक	1440.00
	3–कड़सर ग्राम खड़ंजा हेतु 5 ट्राली रांबिस गिराया गया	1250.00
	4–हैण्ड पम्प निर्माण रामनन्द वर्मा के घर के सामने	1280.00
	योग	4736.00

1	2	3
1992–93	1–खड़ंजा निर्माण सुमेर के दरवाजे से श्री राम मास्टर के दरवाजे तक मार्ग	6296.00
" "	2–आडिट फीस	400.00
" "	3–कच्ची सड़क निर्माण:– हरेराम वर्मा के ट्यूवेल से राजाराम वर्मा के खेत तक	882.00
" "	4–कच्ची सड़क निर्माण:–हरिश्चन्द्र वर्मा के दरवाजे से नहर तक	1350.00
	योग	8928.00
1993–94	1–कच्ची सड़क निर्माण:– नहर के पुल से ब्रह्मस्थान तक	8740.00
" "	2–मिनी पुलिया	2449.00
" "	3–प्रासंगिक व्यय चौकी दरी कढ़ाई, स्टेशनरी का क्रय	1460.00
	योग	12649.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 114 का उत्तर पीछे पृष्ठ–77 पर)

तीसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–114 का संलग्नक

प्रदेश में वर्ष 1993–94 में निर्माण हेतु प्रस्तावित नये राजकीय नलकूपों का विवरण

क्र०सं०	जनपद	निर्माण हेतु प्रस्तावित नये नलकूपों की संख्या
1	2	3
1	मेरठ	–
2	बुलन्दशहर	–
3	गाजियाबाद	2
4	सहारनपुर	1
5	हरिद्वार	–
6	देहरादून	1
7	मुजफ्फरनगर	–
8	आगरा	–
9	फिरोजाबाद	–
10	मथुरा	–
11	मैनपुरी	2
12	अलीगढ़	2
13	एटा	1
14	मुरादाबाद	3
15	बिजनौर	1
16	रामपुर	1
17	नैनीताल	4+2
18	गढ़वाल	1
मु०अ०,	नलकूप (पश्चिम)	योग .....– 21

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
19	बरेली	–
20	पीलीभीत	–
21	शाहजहांपुर	2
22	बदायूं	–
23	झांसी	5
24	ललितपुर	–
25	हमीरपुर	4
26	बांदा	2
27	जालौन	7
28	लखनऊ	4
29	उन्नाव	1
30	हरदोई	–
31	रायबरेली	1
32	सीतापुर	–
33	लखीमपुर खीरी	–
34	कानपुर (देहात)	–
35	कानपुर (नगर)	1
36	इटावा	–
37	फर्रुखाबाद	–
38	इलाहाबाद	8
39	प्रतापगढ़	1
40	फतेहपुर	1
मु०अ०,	नलकूप (मध्य)	योग 37

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
41	फैजाबाद	2
42	सुल्तानपुर	2
43	गोण्डा	1
44	बहराइच	5
45	बाराबंकी	2
46	गोरखपुर	–
47	महराजगंज	2
48	देवरिया	2
49	सिद्धार्थ नगर	1
50	बस्ती	4
51	आजमगढ़	–
52	मऊ	–
53	गाजीपुर	2
54	बलिया	2
55	वाराणसी	5
56	जौनपुर	1
57	मिर्जापुर	2
58	सोनभद्र	–
मु०अ०,	नलकूप (पूर्व)	योग 33
		–कुल योग 91

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 97 विधान सभा (148)–1994–813–डी० टी० पी० ।